

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2023-24



राष्ट्र की सेवा में मानक
Standards in Service of the Nation



वार्षिक रिपोर्ट

2023–24 का मसौदा

भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002

वेबसाइट: www.bis.gov.in



**ब्यूरो, कार्यकारी समिति और महानिदेशालय के प्रमुख अधिकारी
(31 मार्च 2024 तक)**

भारतीय मानक ब्यूरो	
अध्यक्ष	श्री पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री
उपाध्यक्ष	श्री अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
अध्यक्ष, कार्यकारी समिति	श्री प्रमोद कुमार तिवारी, महानिदेशक, बीआईएस
महानिदेशक	श्री प्रमोद कुमार तिवारी
मुख्य सतर्कता अधिकारी	श्री आशीष कुमार त्रिपाठी
उपमहानिदेशक (गतिविधि)	
मानकीकरण-I	श्री राजीव शर्मा
मानकीकरण-II	श्री संजय पंत
प्रमाणन, निगरानी एवं मॉनीटरिंग	श्री एच.जे.एस. पसरिचा
विदेशी विनिर्माण प्रमाणन, हॉलमार्किंग एवं पंजीकरण	श्रीमती चित्रा गुप्ता
प्रयोगशाला	श्रीमती निशात सुल्ताना हक
सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण तथा थिक, नज – मूव	श्री पी. राजेश
अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं तकनीकी सूचना सेवाएँ, प्रबंध पद्धति प्रमाणन और मानक समन्वय तथा मॉनीटरिंग	श्री चंदन बहल
प्रशासन	लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) कुमार शांतनु
वित्त	श्री विनोद कुमार
उप महानिदेशक (क्षेत्र)	
दक्षिणी क्षेत्र	श्री यू.एस.पी. यादव
पूर्वी क्षेत्र	श्री दिव्येंदु चक्रवर्ती
उत्तरी क्षेत्र	श्री राजीव पी
पश्चिमी क्षेत्र	श्री संजय गोस्वामी
मध्य क्षेत्र	श्री राजेन्द्र कुमार त्यागी

अवलोकन

1.1 यात्रा

1.1.1 भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) का गठन – 6 जनवरी 1947

भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों में जब औद्योगिक ढांचे के निर्माण का विशाल कार्य राष्ट्र के सामने था, तब इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) ने मानकीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया। संस्थान ने एक ऐसे निकाय का प्रस्ताव तैयार किया जो राष्ट्रीय मानक तैयार कर सके जिसके परिणामस्वरूप 6 जनवरी 1947 को भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) की स्थापना हुई। उद्योग और आपूर्ति विभाग ने औपचारिक रूप से सितंबर 1946 में इस पहल की घोषणा की और जून 1947 में डॉ. लाल सी. वर्मन इसके पहले निदेशक बने।

1.1.2 आईएसआई मुहर प्रमाणन योजना – 1952

1952 में, भारतीय मानक संस्थान ने भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 के तहत आईएसआई मुहर प्रमाणन योजना शुरू की। यह योजना उन निर्माताओं को आईएसआई लाइसेंस प्रदान करने की थी जिनके उत्पाद स्थापित भारतीय मानकों के अनुरूप हों जिससे कि वे अपने सामान पर आईएसआई मुहर लगा सकें। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

1.1.3 बीआईएस अधिनियम 1986

राष्ट्रीय मानकीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने और सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने 26 नवंबर 1986 को संसद में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम रखा। 1 अप्रैल 1987 को बीआईएस अधिनियम प्रभावी हुआ जिससे आईएसआई भारतीय मानक ब्यूरो के रूप में जाना जाने वाला एक वैधानिक निकाय बना। इस अधिनियम से बीआईएस को व्यापक कार्यक्षेत्र, अधिक शक्तियाँ और दायित्व मिला और इसने आईएसआई की परिसंपत्तियों, उत्तरदायित्वों और कार्यों का दायित्व अपने हाथ में लिया। बीआईएस के निर्माण से गुणता और मानकीकरण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अधिक मजबूत राष्ट्रीय प्रयास की शुरुआत हुई।

1.1.4 हॉलमार्किंग योजना

वर्ष 2000 में, बीआईएस ने सोने और चांदी की वस्तुओं की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कीमती

धातुओं, मुख्य रूप से सोने के लिए हॉलमार्किंग योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को घटिया सामान से बचाना, बाजार में विश्वास को बढ़ावा देना और गुणवत्ता-प्रमाणित उत्पादों की दृश्यता बढ़ाना था। हॉलमार्किंग बीआईएस के उपभोक्ता संरक्षण प्रयासों की पहचान बन गई।

1.1.5 बीआईएस अधिनियम 2016

12 अक्टूबर 2017 को बीआईएस अधिनियम 2016 लागू किया गया। इसने भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय (एनएसबी) के रूप में बीआईएस की भूमिका को और मजबूत किया। इस अधिनियम ने बीआईएस को मानकीकरण, प्रमाणन और गुणता आश्वासन की गतिविधियों को अधिक कुशलता से विनियमित और निगरानी करने में सक्षम किया। इसने सुनिश्चित किया कि बीआईएस विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकरण और गुणता की राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

1.2 भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में बीआईएस

बीआईएस अधिनियम 2016 ने औपचारिक रूप से बीआईएस को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में सशक्त बनाया। बीआईएस को वस्तुओं के मानकीकरण, मुहरांकन और प्रमाणन की गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकसित करने का दायित्व दिया गया। बीआईएस यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि भारत में निर्मित उत्पाद सुरक्षित, विश्वसनीय हों और स्थापित गुणता मानकों के अनुरूप हों जिससे उपभोक्ताओं, उद्योगों और अर्थव्यवस्था को लाभ हो। बीआईएस के कुछ प्रमुख योगदानों में शामिल हैं:

- मानक निर्धारण
- उत्पाद प्रमाणन योजना
- अनिवार्य पंजीकरण योजना
- विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना
- हॉलमार्किंग योजना
- प्रयोगशाला सेवाएँ
- प्रयोगशाला मान्यता योजना
- भारतीय मानकों की बिक्री
- उपभोक्ता मामले की गतिविधियाँ
- प्रचार गतिविधियाँ
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण सेवाएँ
- सूचना सेवाएँ

बीआईएस के कार्य सुरक्षित, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के प्रावधान, स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने, निर्यात को बढ़ावा देने और आयात के लिए विकल्प और किस्मों के प्रसार पर नियंत्रण के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए पता लगाए जाने योग्य और ठोस फायदों को सुनिश्चित करते हैं।

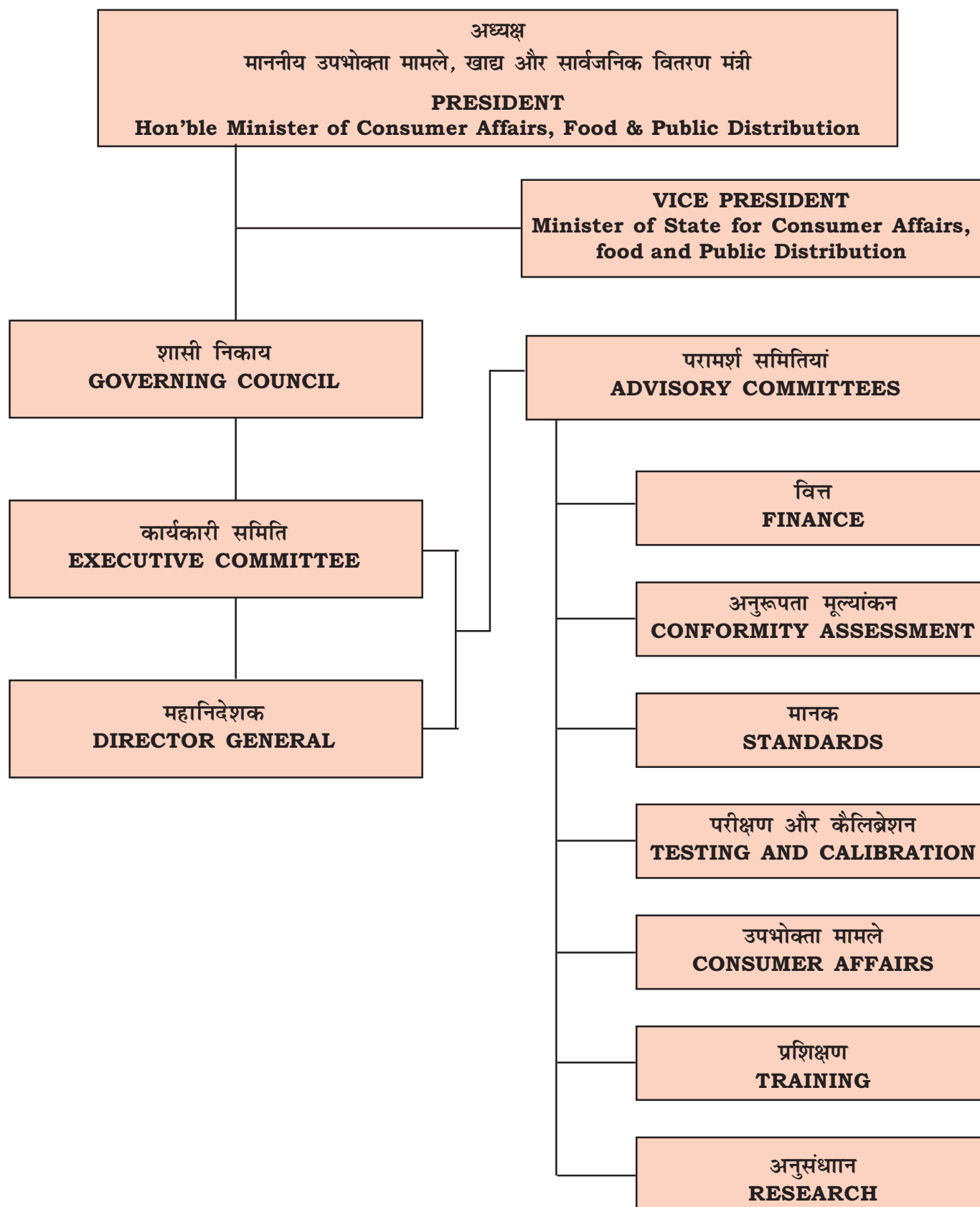
1.3 गुणता संस्कृति के निर्माण में बीआईएस की भूमिका

स्वतंत्रता के बाद बीआईएस को मूल रूप से भारत में औद्योगीकरण और उपभोक्ता संरक्षण की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था जो कि देश के गुणता परिदृश्य को आकार देने वाले एक गतिशील संस्था के रूप में विकसित हो। अपनी प्रमाणन योजनाओं, मानक निर्धारण और परीक्षणों के माध्यम से बीआईएस ने भारत के औद्योगिक ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्था की गतिविधियाँ न केवल गुणता को बल्कि मानकीकरण

प्रक्रिया में उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ावा देती हैं।

आज भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) एक निगमित निकाय है जिसके 25 सदस्य केंद्र और राज्य सरकारों, संसद, वैज्ञानिक अनुसंधान, उपभोक्ता संगठनों और उद्योग सहित विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री इसके अध्यक्ष हैं जबकि इसी विभाग के राज्य मंत्री उपाध्यक्ष हैं। बीआईएस का विकास गुणता, सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के प्रति इसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके कारण यह भारत की प्रगति और औद्योगिक विकास का आवश्यक स्तंभ है। भारतीय मानक संस्थान के रूप में अपनी स्थापना से लेकर भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय बनने तक की बीआईएस की यात्रा, देश के औद्योगिक परिदृश्य को आकार देने और यह सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का उदाहरण है कि उपभोक्ताओं को केवल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलें।

भा. मा. ब्यूरो की संरचना STRUCTURE OF BIS



1.4 शासी परिषद (Governing Council)

बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार ब्यूरो एक निगमित निकाय है। ब्यूरो का गठन शासी परिषद के सदस्यों से होता है। शासी परिषद में संसद सदस्यों, केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों और व्यावसायिक निकायों,

नियामक निकायों तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 सदस्य होते हैं जिसके अध्यक्ष केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और उपाध्यक्ष उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री होते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान की शासी परिषद की दो बैठकें 10 जून 2023 और 18 दिसंबर 2023 को आयोजित की गईं।

10 जून 2023 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित शासी परिषद की छठी बैठक





18 दिसंबर 2023 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक





1.5 कार्यकारी समिति

कार्यकारी समिति में बीआईएस के महानिदेशक पदेन अध्यक्ष और तेरह अन्य सदस्य शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से नियुक्त किया जाता है। कार्यकारी समिति ब्यूरो के ऐसे कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करती है जिनका कार्यभार शासी परिषद द्वारा सौंपा जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यकारी समिति की तीन बैठकें 12 मई 2023, 29 अगस्त 2023 और 22 दिसंबर 2023 को आयोजित की गईं।

1.6 संगठनात्मक नेटवर्क

बीआईएस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) कोलकाता (पूर्वी), मुंबई (पश्चिमी), चंडीगढ़ (उत्तरी), चेन्नई (दक्षिणी) और दिल्ली (मध्य) में स्थित हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत शाखा कार्यालय (बीओ) हैं। 31 विभिन्न स्थानों पर 36 शाखा कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयंबटूर, देहरादून, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हुबली, हैदराबाद,

जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, नोएडा, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, वडोदरा, सूरत और विशाखापत्तनम में स्थित हैं। शाखा कार्यालय क्षेत्र की राज्य सरकारों, उद्योगों, तकनीकी संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों आदि के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

प्रमाणन गतिविधि के नमूनों के परीक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीआईएस की देश में आठ प्रयोगशालाएँ हैं अर्थात् केंद्रीय प्रयोगशाला (सीएल), साहिबाबाद; पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला (ईआरएल), कोलकाता; पश्चिमी क्षेत्रीय प्रयोगशाला (डब्ल्यूआरएल), मुंबई; उत्तरी क्षेत्रीय प्रयोगशाला (एनआरएल), मोहाली; दक्षिणी क्षेत्रीय प्रयोगशाला (एसआरएल), चेन्नई; बेंगलूर शाखा प्रयोगशाला (बीएनबीएल), बेंगलुरु; पटना शाखा प्रयोगशाला (पीबीएल), पटना; गुवाहाटी शाखा प्रयोगशाला (जीबीएल), गुवाहाटी, जम्मू शाखा प्रयोगशाला (जेकेबीएल), जम्मू; और हैदराबाद शाखा प्रयोगशाला (एचवाईबीएल), हैदराबाद।

2. मानकीकरण

31 मार्च 2024 तक कुल 22201 भारतीय मानक लागू हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान 2208 (893 नए और 1315 संशोधित) मानक निर्धारित किए गए। 3534 मानकों की समीक्षा की गई और 1704 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया।

2.1 मानक निर्धारण

राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में बीआईएस तकनीकी समितियों के परामर्श तंत्र के माध्यम से भारतीय मानक विकसित करता है जिसमें संबंधित विषय से संबद्ध विभिन्न हितधारक शामिल होते हैं, ताकि सभी हितधारकों के विचारों पर समुचित विचार किया जा सके और मानक निर्धारित करते समय आम सहमति बनाई जा सके। हितधारकों को मुख्य रूप से उद्योग, उपभोक्ता/उपयोगकर्ता, प्रौद्योगिकीविद (आरएंडडी और वैज्ञानिक संस्थान), शिक्षाविद और सरकारी विभाग/नियामकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मानक विकास की प्रक्रिया स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम रीतियों के अनुसार होती है जो खुलेपन, पारदर्शिता, निष्पक्षता और आम सहमति, प्रभावशीलता और प्रासंगिकता और सुसंगतता के डब्ल्यूटीओ सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। तकनीकी समितियों के भीतर परामर्श के अतिरिक्त मानकों का मसौदा सार्वजनिक मत/टिप्पणियों के लिए भी रखा जाता है। परिभाषा के अनुसार मानक एक स्वैच्छिक दस्तावेज है और इसलिए जब तक कि इसका अनुपालन किसी विनियमन के माध्यम से अनिवार्य न हो या यह दो पक्षों के बीच अनुबंध का हिस्सा न हो, इसका कार्यान्वयन स्वैच्छिक है।

2.2 बीआईएस के वैश्विक पदचिह्न

बीआईएस अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत-तकनीकी आयोग (आईईसी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और इन निकायों में किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। बीआईएस इन मानकों के विकास की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों मसौदों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण सामने रखता है ताकि देश के हितों की रक्षा की जा सके और वह इन वैश्विक मानकों में उचित रूप से प्रतिबिंबित हो। इससे बीआईएस की तकनीकी समितियां भी संशोधनों के साथ या

उसके बिना भारतीय मानकों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपना सकती है जिससे कि हमारे उत्पाद और सेवाओं को वैश्विक व्यापार और वाणिज्य के साथ सुगमता से एकीकृत किया जा सके। बीआईएस में लगभग 395 तकनीकी समितियाँ हैं जो 16 व्यापक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों/क्षेत्रों में मानकीकरण कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त बीआईएस के पास 49 संयोजकों का कार्यभार और आईएसओ/आईईसी समितियों की 11 सचिवालयों का भी दायित्व है।

2.3 मानकों की समीक्षा

यथा आवश्यकता भारतीय मानकों की समीक्षा की जाती है लेकिन मानकों की प्रासंगिकता, सटीकता और अत्याधुनिक तकनीकों से अद्यतनता सुनिश्चित करने के लिए पांच साल में कम से एक बार (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मानकों के मामले में तीन साल में एक बार) उनकी समीक्षा की जाती है तथा पुनर्पुष्टि, पुनरीक्षण, संशोधन जारी करने, वापसी या अभिलेखीयता के लिए समुचित कार्रवाई की जाती है।

समीक्षा की प्रक्रिया को सक्रिय करने और वर्ष 2000 से पहले के सभी भारतीय मानकों को अद्यतन करने के लिए समीक्षा प्रक्रिया को फिर से डिजाइन किया गया, दिशानिर्देश जारी किए गए और इन मानकों के पुनरीक्षण की एक परियोजना शुरू की गई है जिसे दो-तीन वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना है। पुनः डिजाइन की गई समीक्षा प्रक्रिया में कार्यात्मक अनुसंधान की एक प्रक्रिया अंतर्निहित है जिसके लिए उत्पाद/प्रक्रियाओं/रीतियों/उपयोग या अनुप्रयोग/परीक्षण/इनपुट सामग्रियों में हुए तकनीकी विकास, निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं से फीडबैक, अंतर्राष्ट्रीय और अन्य वैश्विक रूप से उपलब्ध मानकों या समीक्षाधीन मानक से संबंधित अन्य साहित्य आदि का गहन विश्लेषण आवश्यक है। इसके अलावा, भविष्य का दृष्टिकोण बायोडिग्रेडेबल/पुनर्नवीनीकरण सामग्री के उपयोग, पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रक्रियाओं, अपशिष्ट प्रबंधन और यथासंभव प्रदूषण नियंत्रण को शामिल करते हुए उपयुक्त खंडों को शामिल करके विशिष्टीयमानकों को संयुक्त राष्ट्र एसडीजी के साथ सुमेलित करना होगा।

2.4 सामंजस्य

वर्तमान बाजार परिदृश्य में, भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना कर रहा है। वैश्विक बाजार में टिके रहने के लिए, जहाँ तक संभव हो, भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय

इलेक्ट्रो-तकनीकी आयोग (आईईसी) द्वारा तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुसंगत बनाना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) पर डब्ल्यूटीओ समझौते पर भारत हस्ताक्षरकर्ता है। समझौते के अनुसार डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित करना आवश्यक है। हालांकि, राष्ट्रीय मानकों को सुसंगत बनाते समय स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रामक रीतियों की निरोध पर देश की विशिष्ट हितों पर विचार/समावेश किया जा सकता है।

2.5 मानकों का प्रकाशन

बीआईएस अपने प्रकाशन विभाग के माध्यम से भारतीय मानकों और उनके संशोधनों के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन का कार्य करता है और भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित मानकों और संशोधनों की अधिसूचना जारी करता है; जो बीआईएस केयर ऐप और बीआईएस वेबसाइट पर दिए गए इंटरफेस के माध्यम से सार्वजनिक पहुंच के लिए उपलब्ध हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 2208 (893 नए और 1315 संशोधित) मानक निर्धारित किए गए।

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रकाशित महत्वपूर्ण भारतीय मानक

आईएस सं.	शीर्षक
आईएस 18177 : 2023	कालमेघ (एंड्रोग्राफिस पैनिकुलता (बर्म.फ.) वॉल. एक्स नीस) पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए समग्र पौधा – विशिष्ट
आईएस 18175 : 2023	गुलु (कॉमिफोरा वाइटी (अर्ना.) भांड) पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए स्राव – विशिष्ट
आईएस IS 18179 : 2023	गुलु (कॉमिफोरा वाइटी (अर्ना.) भांड) पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए स्राव – विशिष्ट
आईएस IS 18176 : 2023	मरिचा (पाइपर निग्रम लिन.) पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए फल – विशिष्ट
आईएस IS 18205 : 2023	निर्गुंडी (विटेक्स नेगुंडो (एल.) डनल.) पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए पत्ता – विशिष्ट
आईएस IS 18209 : 2023	शिरीषा (एल्बिजिया लेबेक (एल.) बेंथ.) पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए तने की छाल – विशिष्ट
आईएस IS 18179 : 2023	पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए मंजिष्ठा (रुबिया कॉर्डिफोलिया एल.) जड़ – विशिष्ट
आईएस IS 18176 : 2023	पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए मारीचा (पाइपर निग्रम लिनन) फल – विशिष्ट
आईएस IS 18462: 2023	इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर – विशिष्ट
आईएस IS 18518: 2023	बुलेट प्रतिरोधक सुरक्षा कांच – गुणता और कार्यकारिता अपेक्षाएं
आईएस 18582 (भाग 6) : 2024 / आईएसओ 11999-6: 2016	अग्निशामकों के लिए पीपीई – स्ट्रक्चर फुटवियर में लगने वाली आग के अग्निशमन के दौरान ताप और/या लपटों के संपर्क में आने के जोखिम से बचाव के लिए अग्निशामकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पीपीई की परीक्षण पद्धतियाँ और अपेक्षाएं
आईएस 18589 (Part 6): 2024 / आईएसओ 16073-6:2021	वाइल्डलैंड अग्निशमन कार्मिक संरक्षी उपस्कर – अपेक्षाएं और परीक्षण पद्धतियाँ – फुटवियर
आईएस 18283: 2023	पेय जल के स्थल परीक्षण हेतु पोर्टेबल फील्ड परीक्षण किट – विशिष्ट
आईएस 17893: 2023	वर्क परमिट प्रणाली – रीति संहिता

आईएस सं.	शीर्षक
आईएस 18150 : 2023	असीवर स्थल स्वच्छता प्रणाली – मानव अपशिष्ट अपघटन के लिए बायोडाइजेस्टर के डिजाइन, फेब्रिकेशन और संस्थापन रीति संहिता
आईएस 18256 : 2023	कंक्रीट सुदृढ़ीकरण के लिए ठोस गोल ग्लास फाइबर प्रबलित पॉलिमर (GFRP) छड़े – विशिष्टि
आईएस 18271 : 2023	व्यावसायिक रसोईघर में अग्नि सुरक्षा – दिशानिर्देश
एसपी 73 : 2023	मानकीकृत विकास एवं भवन विनियम, 2023
आईएस 18189: 2023	पोर्टलैंड चूना पत्थर कैल्सीनयुक्त मिट्टी सीमेंट – विशिष्टि
आईएस 18168 : 2023	इस्पात भवनों के भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन और विवरण – रीति संहिता
आईएस/आईएसओ/आईईसी 27032:2023	साइबर सुरक्षा – इंटरनेट सुरक्षा की मार्गदर्शिका
आईएस 18058:2023	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) प्रणाली डिस्प्ले हेतु दिशानिर्देश
आईएस 18663:2024	नोट सॉर्टिंग मशीनें – विशिष्टि
आईएस 18594 : 2024	भौगोलिक जानकारी – भूमि प्रशासन डोमेन मॉडल (स्क्ड)
आईएस 18732 : 2023	भवन में विद्युत स्थापन मानकों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिका
आईएस 18284 : 2023	वितरण ट्रांसफार्मर की मरम्मत – रीति संहिता
आईएस 17017 (भाग 2 / Sec 7) : 2023	इलेक्ट्रिक वाहन प्रवाहकीय चार्जिंग सिस्टम भाग 2 प्लग, सॉकेट-आउटलेट, वाहन कनेक्टर और वाहन इनलेट खंड 7 एसी, डीसी और एसी/डीसी हेतु आयामी संगतता और अंतर्परिवर्तनीय क्षमता अपेक्षाएं। एसी/डीसी ईवी आपूर्ति उपकरण के उपयोग के लिए अभीष्ट पिन एवं संपर्क-ट्यूब वाहन युग्मक। सुरक्षा विद्युत पृथक्करण पर निर्भर होने पर ईवी आपूर्ति उपस्कर।
आईएस 18475 : 2023	पावर गुणता मापन निगरानी पद्धतियां
आईएस 17900 (Part 3 / Sec 1) : 2023	व्यक्तियों और माल के परिवहन हेतु लिफ्ट: भाग 3 योजना और चयन खंड 1 यात्री सेवा अस्पताल बिस्तर स्ट्रेचर लिफ्ट।
आईएस 19039 : 2023	प्री-क्लीनर सहित मोटे अनाज के लिए क्लीनर एवं ग्रेडर – विशिष्टि एवं परीक्षण कोड
आईएस 19040 : 2023	मोटा अनाज डीहस्कर – केन्द्रापसारक प्रकार – विशिष्टि एवं परीक्षण कोड
आईएस 19041 : 2023	मोटे अनाज के लिए डेस्टोनर – विनिर्देश और परीक्षण कोड
आईएस 19042 : 2023	मोटे अनाज के प्राथमिक प्रसंस्करण में प्रयुक्त चिन्ह और प्रवाह आरेख
आईएस 18286 : 2023	कृषि सिंचाई उपकरण – मैनुअल रूप से संचालित सेवा योग्य प्लास्टिक वाल्व – विशिष्टि
आईएस 18267: 2023	कृषि उप-उत्पादों से बने खाद्य परोसने के बर्तन – विशिष्टि
आईएस 18363 : 2023	जिक घुलनशील जीवाणु इनोकुलेंट (ZnSBI) – विशिष्टि
आईएस 18146 : 2023	फॉस्फेट युक्त जैविक खाद – विशिष्टि
आईएस 18121 : 2023	जैव उर्वरक – तरल आधारित फॉस्फेट घुलनशील कवक इनोकुलेंट – एस्पेरगिलस अवामोरी – विशिष्टि

आईएस सं.	शीर्षक
आईएस 18183 : 2023	सैनिक न्यूनीकरण के लिए उपयोग बिंदु जल शोधन प्रणाली – विशिष्टि
आईएस 18246 : 2023	तैयार इडली बैटर – विशिष्टि
आईएस 18253 : 2023	तैयार डोसा बैटर – विशिष्टि
आईएस 18269 : 2023	तैयार दाल वड़ा बैटर – विशिष्टि
आईएस 18678 : 2023	किण्वित दूध आधारित पेय पदार्थ – विशिष्टि
आईएस 13450 (भाग 2/ खंड 12): 2023	चिकित्सा विद्युत उपस्कर भाग 2 बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक कार्यकारिता हेतु विशेष अपेक्षाएं 12 संवेदनशील केयर वेंटिलेटर
आईएस 13450 (Part 2/ Sec 13): 2024	चिकित्सा विद्युत उपस्कर : भाग 2 बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक कार्यकारिता हेतु अपेक्षाएँ: धारा 13 एनेस्थेटिक वर्कस्टेशन
आईएस 17717 (भाग 1): 2023	इन-विट्रो डायग्नोस्टिक (IVD) उपकरण – स्वचालित क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइज़र
आईएस 17714: 2023	भाग 1 वेट केमिस्ट्री एनालाइज़र
आईएस 18571: 2024	इन-विट्रो डायग्नोस्टिक (IVD) उपकरण – स्वचालित एलिसा प्रोसेसर
आईएस 18576: 2024	नेत्र संबंधी उपकरण – सिनोप्टोफ़ोर्स
आईएस 18291: 2023	नेत्र संबंधी प्रकाशिकी – चश्मे के फ्रेम – अपेक्षाएं और परीक्षण पद्धतियाँ
आईएस 13450 (भाग 2/ खंड 19): 2023/आईईसी 60601-2-19:2020	नेत्र संबंधी उपकरण – परिधियाँ
आईएस 13450 (भाग 2/ खंड 21): 2023/आईईसी 60601-2-21: 2020	शिशु इनक्यूबेटर
आईएस 1660:2024	पिटवां और ढले एल्युमीनियम बर्तन – विशिष्टि
आईएस 14756:2022	स्टेनलेस स्टील बर्तन – विशिष्टि
आईएस 19028:2023	स्मार्ट बायोमेट्रिक बैटन – विशिष्टि
आईएस 19029 : 2023	स्मार्ट स्टेन गन – विशिष्टि
आईएस 18616 : 2024	गैस जलाने के उपकरणों के लिए पीजोइलेक्ट्रिक स्पार्क लाइटर – विशिष्टि
आईएस 18513 : 2023	तत्प निमज्जित जिंक-एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम मिश्र धातु लेपित इस्पात शीट प्लेट और स्ट्रिप्स – विशिष्टि
आईएस 18316 : 2023	अर्ध/पूर्ण रूप से संसाधित नॉन-ग्रेन उन्मुख विद्युत इस्पात या पूर्ण रूप से संसाधित अनाज उन्मुख विद्युत इस्पात के प्रसंस्करण के लिए अभीष्ट तप्त-वेल्लित और अतप्त-वेल्लित स्ट्रिप्स – विशिष्टि
आईएस 15958 : 2023	ऑटोमोटिव प्रयोजनों हेतु संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और द्रवित प्राकृतिक गैस (एलएनजी) – विशिष्टि
आईएस 16634 : 2023	फ्लेक्स फ्यूल पॉजिटिव इग्निशन इंजन चालित वाहनों के लिए निर्जल इथेनॉल और मोटर गैसोलीन का ई85 ईंधन मिश्रण विशिष्टि

आईएस सं.	शीर्षक
आईएस 18655 : 2024	जिम सेन्टर – सेवा अपेक्षाएं
आईएस 18692 : 2024	कोचिंग सेन्टर सेवाएं – अपेक्षाएं
आईएस 18277:2023	जलपोत और समुद्रीय प्रौद्योगिकी – समुद्रीय पर्यावरण संरक्षण – बंदरगाह अपशिष्ट ग्राही सुविधाओं की व्यवस्था और प्रबंधन
आईएस 18280: 2023	जलपोतों और समुद्रीय प्रौद्योगिकी पर – अग्निरोधी निर्माण के लिए खिड़कियाँ और साइड स्कटल्स
आईएस 18151: 2023	ड्राइव-अवे-चेसिस कॉन्फिगरेशन/वाहनों की अस्थायी केबिन की अपेक्षाएं
आईएस 19037: 2023	परिवहन योग्य गैस भंडारण उपकरण – प्रतिवर्ती धातु हाइड्राइड में अवशोषित हाइड्रोजन
आईएस 19025: 2023	मोटर वाहनों के लिए वैधानिक प्लेट और उत्कीर्णन उनका स्थान और संयोजन की पद्धति – वाहन पहचान संख्या (वीआईएन) प्रणाली
आईएस 19031:2023	मानव रहित विमान प्रणाली – साइबर सुरक्षा
आईएस 18381 (भाग 1): 2023	मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) – सामान्य अपेक्षाएँ भाग 1 सैन्य प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य अनुप्रयोग
आईएस 19027 : 2023	प्राकृतिक झीलों में तलछट का मापन और नियंत्रण – दिशानिर्देश

महत्वपूर्ण संशोधित मानक

आईएस सं.	शीर्षक
आईएस 2347:2023	घरेलू प्रेशर कुकर – विशिष्टि (सातवां पुनरीक्षण)
आईएस 1446: 2024	जोखिमपूर्ण वस्तुओं का वर्गीकरण (तृतीय पुनरीक्षण)
आईएस 16172 : 2023	कंक्रीट में इस्पात छड़ों के यांत्रिक जोड़ों के लिए सुदृढीकरण
आईएस 4130 : 2024	भवनों को गिराना – सुरक्षा संहिता (तृतीय पुनरीक्षण)
आईएस 27 : 2023	प्राइमरी लीड – विशिष्टि (पांचवा पुनरीक्षण)
आईएस 2782 : 2023	परिष्कृत निकल – विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)
आईएस 26 : 2024	टिन इंगट – विशिष्टि (पांचवा पुनरीक्षण)
आईएस 209 : 2024	परिष्कृत जिंक – विशिष्टि (पांचवा पुनरीक्षण)
आईएस 3748 : 2022 / आईएसओ ISO 4957 : 2018	ज्ववसैजममसे – विशिष्टि (तृतीय पुनरीक्षण)
आईएस 11228 : 2023	हाइड्रोलिक गेटों के लिए स्क्रू होइस्ट के डिजाइन हेतु अनुशंसाएं (पांचवा पुनरीक्षण)
आईएस 6934 : 2024	ओजी ओवरपलो और ऑरिफिस स्पिलवेज का हाइड्रोलिक डिजाइन – अनुशंसाएं (तृतीय पुनरीक्षण)

2.6 आयोजित संगोष्ठी, वेबिनार, कार्यशालाएं

वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय मानकों के कार्यान्वयन के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए 200 से अधिक संगोष्ठियां/वेबिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। ये कार्यक्रम बीआईएस के तकनीकी विभागों द्वारा जागरूकता पैदा करने और मानकों के कार्यान्वयन को व्यापक बनाने और विकास के अंतर्गत मानकों पर फीडबैक प्राप्त करने के लिए आयोजित किए गए। इन संगोष्ठियों और वेबिनारों में राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, राष्ट्रीय विद्युत संहिता, भवन विनियम, विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, जोखिमपूर्ण वस्तुओं के परिवहन, आपदा प्रबंधन, शहरी बाढ़, बुद्धिमान परिवहन प्रणाली, जेन्डर उत्तरदायी मानक जैसी कई महत्वपूर्ण उत्पाद श्रेणियों को शामिल किया गया।

कार्यक्रमों में निर्माताओं, उद्योग संघों, शिक्षाविदों और नियामक निकायों सहित विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया; जिन्हें विभिन्न भारतीय मानकों और बीआईएस केयर ऐप और

बीआईएस वेबसाइट के रूप में विभिन्न डिजिटल समाधानों/सशक्तिकरण उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई जिससे कोई उपभोक्ता बीआईएस प्रमाणित उत्पादों, बीआईएस मानकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और देश में गुणता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसी भी नकली उत्पाद के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। इन कार्यक्रमों ने भारतीय मानकों की समझ और कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रमाणन प्रक्रियाओं/शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में किसी भी मुद्दे और प्रश्नों का समाधान करने के लिए उद्योग/उपभोक्ताओं और बीआईएस को एकसाथ एक मंच पर लाने का कार्य किया। प्रत्येक कार्यक्रम में संवाद सत्र एक महत्वपूर्ण अंग होता जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस तरह की संगोष्ठियां और वेबिनार मानकों के कार्यान्वयन को व्यापक बनाने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने में सहायक होंगे।

आयोजित कुछ महत्वपूर्ण संगोष्ठियां/वेबिनार

क्रम सं.	प्रभाग	शीर्षक	तिथि
1.	सिविल इंजीनियरिंग	'राजस्थान राज्य के लिए मसौदा विकास और भवन विनियम 2022' पर दो दिवसीय कार्यशाला	05-06 अप्रैल 2023
2.	सिविल इंजीनियरिंग	'बिहार और झारखंड राज्यों के लिए मसौदा विकास और भवन विनियम, 2022' पर दो दिवसीय कार्यशाला	05-06 अप्रैल 2023
3.	सिविल इंजीनियरिंग	बीआईएस द्वारा फायर एंड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया – सूरत चैप्टर और सूरत नगर निगम के साथ संयुक्त रूप से आयोजित 'इमारतों के लिए अग्नि और जीवन सुरक्षा डिजाइन – एनबीसी 2016 का अनुप्रयोग: भाग 4' पर कार्यशाला	15 अप्रैल 2023
4.	सिविल इंजीनियरिंग	'पश्चिम बंगाल राज्य के लिए मसौदा विकास और भवन विनियम, 2022' पर कार्यशाला	20 अप्रैल 2023
5.	सिविल इंजीनियरिंग	'त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए मसौदा विकास और भवन विनियम, 2022' पर कार्यशाला	24-25 अप्रैल 2023
6.	चिकित्सा एवं हस्पताल आयोजना	इलेक्ट्रोमेडिकल, डायग्नोस्टिक इमेजिंग और रेडियोथेरेपी उपकरणों का मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण	27 अप्रैल 2023
7.	धातुकर्म	'इस्पात क्षेत्र में स्थिरता को संबोधित करना' पर संगोष्ठी	28 अप्रैल 2023
8.	विद्युत तकनीकी	'इस्पात क्षेत्र में स्थिरता दक्षता' पर संगोष्ठी	11 मई 2023

क्रम सं.	प्रभाग	शीर्षक	तिथि
9.	सिविल इंजीनियरिंग	‘भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 – मृदा एवं नींव इंजीनियरिंग’ पर दो दिवसीय कैप्सूल कोर्स	11 – 12 मई 2023
10.	विद्युत तकनीकी	भारतीय राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2023 पर संगोष्ठी	17 मई 2023
11.	सिविल इंजीनियरिंग	भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 – वातानुकूलन, हीटिंग एवं यांत्रिक वेंटिलेशन’ पर दो दिवसीय कैप्सूल कोर्स	25 एवं 26 मई 2023
12.	प्रबंध पद्धति	पूर्ण सत्र के बाद आईएसओ कोपोल्को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	26 मई 2023
13.	सिविल इंजीनियरिंग	‘पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन एवं भूमि अवतलन: कारण, निवारण, शमन एवं पुनर्स्थापन’	01 जून 2023 – जून 2023
14.	उत्पादन इंजीनियरिंग	‘बेयरिंग के मानकीकरण में भावी दिशाएँ: चुनौतियाँ एवं अवसर’ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	01 जून 2023
15.	सिविल इंजीनियरिंग	पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और भूमि धंसाव: कारण, निवारण, शमन, पुनर्स्थापन विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, बीआईएस द्वारा द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)– हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र के साथ संयुक्त रूप से आयोजित, गुजरात राज्य के लिए ‘विकास और भवन विनियम, 2022 का मसौदा’ विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला	01 एवं 02 जून 2023
16.	सिविल इंजीनियरिंग	गुजरात राज्य के लिए ‘विकास और भवन विनियम, 2022 का मसौदा’ विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला	06 एवं 07 जून 2023
17.	खाद्य एवं कृषि	विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023’ के अवसर पर ‘खाद्य मानक जीवन बचाते हैं’ विषय पर जागरूकता एवं कार्यान्वयन वेबिनार	07 जून 2023
18.	सिविल इंजीनियरिंग	‘बाधाएं समाप्त करना : निर्मित पर्यावरण में पहुंच के लिए सार्वभौमिक डिजाइन’ विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	13 जून 2023
19.	सेवा क्षेत्र	जोखिमपूर्ण वस्तुओं का परिवहन’ विषय पर संगोष्ठी	14 जून 2023
20.	सेवा क्षेत्र	‘डिजिटल हस्ताक्षर के प्रयोग के मानकीकरण ‘ पर संगोष्ठी’	16 जून 2023
21.	सिविल इंजीनियरिंग	‘जम्मू–कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए मसौदा विकास और भवन विनियम, 2022’ पर दो दिवसीय कार्यशाला	19 एवं 20 जून 2023
22.	सिविल इंजीनियरिंग	‘तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी के लिए मसौदा विकास और भवन विनियम, 2022’ पर दो दिवसीय कार्यशाला	22 एवं 23 जून 2023
24.	इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी	आईओटी, डिजिटल ट्विन, एआई, मेटावर्स, एआर/वीआर, स्मार्ट उत्पादन और इंडस्ट्री 4.0 जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई के साथ चर्चा और ज्ञान आदान-प्रदान सत्र	27 जून 2023

क्रम सं.	प्रभाग	शीर्षक	तिथि
25.	सेवा क्षेत्र	मीडिया और मनोरंजन में मानकों पर सम्मेलन	27 जून 2023
26.	सिविल इंजीनियरिंग	आईएसड्राफ्टई और बीआईएस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारतीय मानक मसौदा आईएस 1893 (भाग II) भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं के डिजाइन के लिए मानदंड: भाग 2 भवन' पर पैनल चर्चा	1 जुलाई 2023
27.	सिविल इंजीनियरिंग	'भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 – संरचनात्मक डिजाइन' पर दो दिवसीय कैप्सूल कोर्स।	12 एवं 14 जुलाई 2023
28.	पेट्रोरसायन	"रबर उद्योग के लिए एसडीजी" पर वेबिनार	13 जुलाई 2023
29.	विद्युत तकनीकी	"आत्मनिर्भर सुरक्षा – विद्युत सुरक्षा अभियान" के अंग के रूप में सेमिनार और पैनल चर्चा	14 जुलाई 2023
30.	खाद्य एवं कृषि	कृषि उप उत्पाद से बने बर्तनों और जैविक खेती पर भारतीय मानकों के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन पर संगोष्ठी	20 जुलाई 2023
31.	यांत्रिक इंजीनियरिंग	'एल्युमीनियम और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों पर भारतीय मानक'	21 जुलाई 2023
32.	यांत्रिक इंजीनियरिंग	'मशीन प्रेस पर सुरक्षा पर भारतीय मानक'	21 जुलाई 2023
33.	सिविल इंजीनियरिंग	भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 – संरचनात्मक डिजाइन' पर तीन दिवसीय कैप्सूल कोर्स	23 एवं 24 जुलाई 2023
34.	सिविल इंजीनियरिंग	आपदा प्रबंधन' पर दो दिवसीय कैप्सूल कोर्स	24 एवं 25 जुलाई 2023
35.	सिविल इंजीनियरिंग	भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 – भवनों में अभिगम्यता और निर्मित परिवेश' पर दो दिवसीय कैप्सूल कोर्स	24 एवं 25 जुलाई
36.	सिविल इंजीनियरिंग	उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 'मसौदा विकसित करना और भवन विनियम, 2022' पर दो दिवसीय कार्यशाला	27 एवं 28 जुलाई 2023
37.	सिविल इंजीनियरिंग	कर्नाटक राज्य के लिए 'मसौदा विकसित करना और भवन विनियम, 2022' पर दो दिवसीय कार्यशाला	01 एवं 02 अगस्त 2023
38.	सिविल इंजीनियरिंग	केरल राज्य के लिए 'मसौदा विकसित करना और भवन विनियम, 2022' पर दो दिवसीय कार्यशाला	03 एवं 04 अगस्त 2023
39.	सिविल इंजीनियरिंग	मध्य प्रदेश राज्य के लिए 'मसौदा विकसित करना और भवन विनियम, 2022' पर दो दिवसीय कार्यशाला	08 एवं 09 अगस्त 2023
40.	सिविल इंजीनियरिंग	ओडिशा राज्य के लिए 'मसौदा विकसित करना और भवन विनियम, 2022' पर दो दिवसीय कार्यशाला	10 एवं 11 अगस्त 2023

क्रम सं.	प्रभाग	शीर्षक	तिथि
41.	सिविल इंजीनियरिंग	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए 'मसौदा विकसित करना और भवन विनियम, 2022' पर दो दिवसीय कार्यशाला	17 एवं 18 अगस्त 2023
42.	खाद्य एवं कृषि	'अमोनिया रेफ्रिजरेशन प्रणाली' पर राष्ट्रीय वेबिनार	21 अगस्त 2023
43.	सिविल इंजीनियरिंग	'अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रावधानों' पर दो दिवसीय कार्यशाला	25-26 अगस्त 2023
44.	सेवा क्षेत्र	'डिजिटल हस्ताक्षर पर मानक' पर कार्यशाला	21 सितम्बर 2023
45.	सेवा क्षेत्र	डॉ डेविड ग्रिंडल, एसएमपीटीई के साथ बैठक	25 सितम्बर 2023
46.	सिविल इंजीनियरिंग	दिल्ली राज्य के लिए 'मसौदा विकसित करना और भवन विनियम, 2022' पर दो दिवसीय कार्यशाला	26 एवं 27 सितम्बर 2023
47.	यांत्रिक इंजीनियरिंग	क्लोजिंग द लूप: संवहनीय रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलन के लिए वृत्तीय अर्थव्यवस्था	28 अगस्त 2023
48.	सिविल इंजीनियरिंग	भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 – मृदा और नींव इंजीनियरिंग' पर दो दिवसीय कैप्सूल कोर्स	28 – 29 अगस्त 2023
49.	यांत्रिक इंजीनियरिंग	सिलाई मशीन – उभरते मुद्दे' पर संगोष्ठी	31 अगस्त 2023
50.	सेवा क्षेत्र	संरचनागत डिजाइन और प्रूफ चेकिंग संरचनाओं के लिए परामर्श सेवाओं पर संगोष्ठी	27 सितम्बर 2023
51.	खाद्य एवं कृषि	'मीट उद्योग के क्षेत्र में मानीकरण' पर संगोष्ठी	05 अक्तूबर 2023
52.	जल संसाधन	सिंचाई इंजीनियरों के लिए जल संसाधन पर भारतीय मानकों पर जागरूकता कार्यक्रम	12 अक्तूबर 2023
53.	चिकित्सा एवं हस्पताल आयोजना	स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	13 अक्तूबर 2023
54.	जल संसाधन	शहरी बाढ़ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	13 अक्तूबर 2023
55.	परिवहन इंजीनियरिंग	ऑटोमोटिव टायर पर वेबिनार	17 अक्तूबर 2023
56.	वस्त्रादि	आईएस 12171 के अनुरूप कपास की गांठों पर जागरूकता और कार्यान्वयन वेबिनार	अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर 2023
57.	खाद्य एवं कृषि	चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से बीआईएस द्वारा आयोजित कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में मानकीकरण की भूमिका पर संगोष्ठी	03 नवम्बर 2023
58.	यांत्रिक इंजीनियरिंग	निर्माण संयंत्र और मशीनरी – उभरते मुद्दे	09 नवम्बर 2023
59.	सिविल इंजीनियरिंग	निर्माण क्षेत्र में भारतीय मानकों के महत्व पर एक दिवसीय कार्यशाला	28 नवम्बर 2023

क्रम सं.	प्रभाग	शीर्षक	तिथि
60.	जल संसाधन	बांधों की मरम्मत, रेट्रोफिटिंग और पुनर्वास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	28 नवम्बर 2022
61.	सिविल इंजीनियरिंग	भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 – भवनों और निर्मित पर्यावरण में पहुंच पर दो दिवसीय कैप्सूल कोर्स	29–30 नवम्बर 2023
62.	सिविल इंजीनियरिंग	भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 – भवनों में अभिगम्यता और निर्मित परिवेश पर दो दिवसीय कैप्सूल कोर्स	29 नवम्बर 2023
63.	मानक समन्वय	मानकीकरण के वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए सरकारी मंत्रालयों/विभागों में मानकीकरण प्रकोष्ठों की बैठक	28–29 नवम्बर 2023, 8–9 दिसम्बर 2023
64.	आयुष	“जेन्डर उत्तरदायी मानकों” पर कार्यशाला	05 दिसम्बर 2023
65.	सिविल इंजीनियरिंग	संशोधित दीर्घ भवन कोड, आईएस 16700:2023 पर संगोष्ठी	09 दिसम्बर 2023
66.	धातुकर्म	वेल्डिंग और मानकीकरण के क्षेत्र में गुणता प्रबंधन में विकास	09 दिसम्बर 2023
67.	सिविल इंजीनियरिंग	भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 पर दो दिवसीय कैप्सूल कोर्स – प्लंबिंग सेवाएँ	10–12 दिसम्बर 2023
68.	जल संसाधन	नदियों को आपस में जोड़ने पर राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी	22 दिसम्बर 2023
69.	खाद्य एवं कृषि	‘राष्ट्रीय मानकीकरण और खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र का एकीकरण’ पर एक दिवसीय कार्यशाला	19 जनवरी 2024
70.	वस्त्रादि	पूँजीगत सामान क्षेत्र में गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र और मानकीकरण को मजबूत करने पर सीआईएस-बीआईएस संवाद	22 फरवरी 2024
71.	वस्त्रादि	11 वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के संघ द्वारा वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से विशाल वस्त्र कार्यक्रम ‘भारतटेक्स’ का आयोजन किया गया ।	26–29 फरवरी 2024
72.	वस्त्रादि	कॉयर जियोटेक्स्टाइल्स के लिए अभ्यास संहिता से संबंधित भारतीय मानकों पर दो दिवसीय कैप्सूल कोर्स	21–22 मार्च 2024



सरकारी मंत्रालयों/विभागों के मानकीकरण प्रकोष्ठों के साथ बैठक



44वीं आईएसओ कपोल्को प्लेनरी बैठक



आईएसओ/टीसी 113 की 32वीं पूर्ण बैठक – हाइड्रोमेट्री

2.7 मानक निर्धारण में नई पहल

2.7.1 सरकारी योजनाओं और मिशनों के साथ मानकों की मैपिंग

बीआईएस ने विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं/मिशनो के लिए लागू भारतीय मानकों की मैपिंग का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसका उद्देश्य देश में एक जीवंत गुणता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मानकों की भूमिका और प्रासंगिकता पर अधिकतम स्पष्टता के लिए प्रत्येक सरकारी मिशन, कार्यक्रम और योजना के लिए तैयार किए गए भारतीय मानकों, विकास के तहत मानकों और मानकीकरण की आवश्यकता वाले उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं की एक सूची तैयार करना था।

भारत सरकार के 29 मंत्रालयों/विभागों में व्याप्त 75 सरकारी योजनाओं/मिशनो के लिए 3200 से अधिक भारतीय मानकों को मैप करने के लिए मानकीकरण और प्रमाणन विभागों के अधिकारियों द्वारा व्यापक विचार-मंथन किया गया।

इस कार्य के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख लाभ परिकल्पित किए गए हैं:

- योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों द्वारा खरीदे गए उत्पाद सही गुणता वाले हों तथा भारतीय मानकों के अनुरूप हों।
- जहाँ भी कुछ प्रक्रियाएँ/सेवाएँ शामिल हों कार्यकारी विभाग सही आचार संहिता का पालन करें।
- कुछ उत्पादों/प्रक्रियाओं/सेवाओं के मामले में जिनके लिए भारतीय मानक उपलब्ध नहीं हैं; ऐसे अंतराल वाले क्षेत्रों की समयबद्ध तरीके से पहचान की जाती है तथा संबंधित तकनीकी समितियाँ ऐसे क्षेत्रों पर मानक तैयार करने के मामले को उठा सकती हैं।
- केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों में सभी स्तरों पर मानक और गुणता संस्कृति को अपनाया जाता है क्योंकि भारतीय मानकों का पालन करने से सरकारी विभागों में गुणता और विश्वसनीयता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
- भावी योजनाओं/मिशनो के लिए सरकारी विभाग आगामी योजनाओं/मिशनो से संबंधित मानकीकरण

आवश्यकताओं से संबंधित आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए बीआईएस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ सकते हैं।

- vi. इससे मंत्रालयों को मानकीकरण के लिए वार्षिक कार्य कार्यक्रम तैयार करने में सहायता मिलेगी।

मैपिंग के कार्य के साथ बीआईएस का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/मिशनो के अधिक प्रभावी और कुशल क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक योगदान देना तथा उन सभी स्तरों पर गुणता संस्कृति को अपनाना है जहाँ ये योजनाएँ प्रभाव डाल रही हैं। यह दस्तावेज विकासपरक है और इसे चर्चा दस्तावेज के रूप में तैयार

किया गया है। बीआईएस केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर इस दस्तावेज को अद्यतन करता रहेगा।

2.7.2 शिक्षा आउटरीच कार्यक्रम में प्रगति

शिक्षा आउटरीच की पहल को आगे बढ़ाने के लिए बीआईएस ने देश के 92 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ भागीदारी की है, जिनमें आईआईटी, एनआईटीएस और आईआईएससी जैसे संस्थान शामिल हैं। इस भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए नोडल संकाय और बीआईएस नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। शैक्षणिक डैशबोर्ड में आरएंडडी परियोजनाएं, संदर्भ पुस्तिकाएं, वाइड सर्कुलेशन ड्राफ्ट आदि जैसी जानकारी शामिल है।



शैक्षणिक डैशबोर्ड

सभी एमओयू संस्थानों में परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शिक्षाविदों को बीआईएस, मानकीकरण प्रक्रिया और एमओयू से दायरे और अपेक्षाओं के बारे में अवगत कराया गया।

संस्थानों और चेयर प्रोफेसरों की वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए भागीदार संस्थानों के साथ व्यक्तिगत इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए। सभी संस्थानों को मानकों से संबंधित विषयों के लिए अतिथि व्याख्यान की आवश्यकताओं सहित योजना साझा करने की सलाह दी गई है। शिक्षाविदों को मानकीकरण प्रक्रिया का से अवगत कराने के लिए एमओयू संस्थानों मंत तकनीकी समितियों

की बैठकों की योजना बनाई जा रही है।

पाठ्यक्रम में मानकों के एकीकरण के लिए चिन्हित विषयों पर वरिष्ठ बीआईएस अधिकारियों द्वारा संदर्भ पुस्तिकाएँ तैयार की जा रही हैं। इन पुस्तिकाओं को मुद्रित करके भागीदार शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों में भेजा जाएगा।

2.7.3 अकादमिक और तकनीकी समिति के सदस्यों के लिए व्याख्यान श्रृंखला

“मानकों के बारे में बात करते हैं” शीर्षक से व्याख्यान भागीदार एमओयू संस्थानों के संकाय और शोध विद्वानों के साथ सप्ताह के प्रत्येक पहले और दूसरे सोमवार को

आयोजित किए जाते हैं। व्याख्यान विषयगत आयोजित किए जाते हैं और संबंधित बीआईएस तकनीकी विभाग के अवलोकन, वर्तमान में किए जा रहे कार्य, प्रस्तावित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं, हाल ही में विकसित महत्वपूर्ण मानकों और टिप्पणी के माध्यम से भागीदारी को आमंत्रित करने के बारे में जानकारी दी जाती है।

तकनीकी समिति के सदस्यों को "उत्कृष्टता के पथ पर" व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से मानकीकरण प्रक्रिया में शामिल प्रक्रिया परिवर्तनों के बारे में जागरूक किया जाता है। व्याख्यान हर महीने वर्चुअल रूप से आयोजित किए जाते हैं। आत्म-जागरूकता, आत्म-प्रभावकारिता में सुधार और आत्म-सुधार व्याख्यान की सामग्री हैं। प्रतिभागियों को तकनीकी समितियों में उनकी भूमिका के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है और प्रक्रिया परिवर्तनों से संबंधित जानकारी प्रसारित की जाती है।

2.7.4 मानक मंत्रणा

मानकों के क्रियान्वयन में आने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए माह के हर पहले और तीसरे मंगलवार को मानक मंत्रणा की बैठक आयोजित की जाती है। प्रमाणन, नीति और मानकीकरण क्षेत्र के अधिकारी मानकों में आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए सहयोग करते हैं।

2.7.5 मानकीकरण पर एडवांस डैशबोर्ड

डैशबोर्ड में तकनीकी समितियों के कार्य के विभिन्न पक्षों और विकास के तहत मानकों की प्रगति पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हैं। इसमें दक्षता सूचकांक भी है जो वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए दिए गए मापदंडों के आधार पर विषय समितियों को उनकी कार्यकारिता के आधार पर रैंक करता है। सदस्य सचिवों को एससी बैठकों में डैशबोर्ड का डेमो देना आवश्यक होता है।

2.8 मानकों की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए सुधारात्मक उपाय

2.8.1 विषय समितियों का संयोजन

देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को विषय समितियों में शामिल करने के लिए प्रत्येक विभागीय समितियों (डीसी) में खोज समितियां और मानक समन्वय एवं निगरानी विभाग (मानक समन्वय) के तहत एक विशिष्ट समूह बनाया गया है। विषय समिति के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वे उन विशेषज्ञों और पेशेवरों के नाम सुझाकर योगदान दें जिनके बारे में उन्हें लगता है कि उन्हें एससी, डब्ल्यूपी या

डब्ल्यूजी से जोड़ा जा सकता है। उन सभी को विषय समिति, डब्ल्यूपी या डब्ल्यूजी में शामिल नहीं किया जा सकता है लेकिन यदि वर्तमान मानकीकरण परियोजनाओं पर हम उनके साथ नियमित रूप से संवाद करते हैं तो यह देश में मानक समुदाय का विस्तार करने में सहायक होगा।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों (संस्थानों की सूची बीआईएस वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध है) के साथ समझौता ज्ञापनों ने इन संस्थानों के संकाय को मानक निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और सशक्त बनाया है। जैसा कि सूची में देखा जा सकता है इनमें से 16 संस्थानों, अधिकांश आईआईटी ने मानकीकरण पर पीठ स्थापित की है और अन्य ने परियोजना आधार पर बीआईएस के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। समझौता ज्ञापन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य विषय समितियों द्वारा स्वीकृत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में संकाय और अनुसंधान विद्वानों को शामिल करना है तथा किसी नए मानक के निर्धारण या किसी विद्यमान मानक की समीक्षा के लिए उस मानक के प्रासंगिक होने पर उनके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

आवश्यकता अनुभव किए जाने पर विषय समिति या डब्ल्यू.पी./डब्ल्यू.जी. में विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए खुले विज्ञापन के माध्यम से रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया है। खोज समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह कमियां ज्ञात करे और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मानक समन्वय हेतु उन्हें सूचित करे।

उद्योग संघों और मंत्रालयों में मानकीकरण प्रकोष्ठों से भी विषय समिति, डब्ल्यू.पी. और डब्ल्यू.जी. में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों और पेशेवरों को शामिल करने की अपेक्षा की जाती है। मानकीकरण प्रकोष्ठों का विवरण मानकीकरण पोर्टल पर देखा जा सकता है।

विषय समिति में अधिकांश विशेषज्ञ/पेशेवर अपने संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि विषय समिति में किसी विशेषज्ञ/पेशेवर का नामांकन संबंधित संगठन के प्रमुख द्वारा/उसकी स्वीकृति के साथ उसके बायोडाटा के साथ भेजा जाएगा। डीसी को यह जांचने का अधिकार है कि नामित व्यक्ति के पास अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव है या नहीं और वह नामांकन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

विषय समिति में शामिल होने के इच्छुक कोई विशेषज्ञ या



पेशेवर भी मानकीकरण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। हालाँकि यदि वह संगठन का कर्मचारी है तो उसे संगठन से एनओसी प्रस्तुत करना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत रूप से सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए हमेशा आवेदन कर सकता है। डीसी अस्वीकृति के कारण बताए बिना किसी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

2.8.2 स्मार्ट और दक्ष विषय समितियाँ

किसी विषय समिति को दक्षता के इष्टतम स्तर पर कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी सदस्य उसके दृष्टिकोण, कार्यक्षेत्र, चुनौतियों, दीर्घ, मध्यम और अल्पावधि लक्ष्यों, सहायक प्रणालियों, कार्यात्मक मानदंडों और प्रक्रियाओं से पूरी तरह अवगत हों। इस आवश्यकता पर कार्य करने और एससी सदस्यों के विचारों में एकरूपता को सुगम करने और प्रयोजनमूलकता को साझा करने के लिए प्रत्येक नए शामिल किए गए सदस्य के लिए तीन माह के भीतर एक ऑनबोर्डिंग कार्यक्रम (ओपी) आयोजित करने का निर्णय लिया गया। विषय समिति की सदस्यता के लिए ओपी में भाग लेना अनिवार्य शर्त है।

विषय समिति के प्रत्येक सदस्य को बीआईएस द्वारा निर्धारित एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं जिसमें विषय समिति के सदस्य के दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की जाती है। घोषणापत्र का कोई कानूनी संबल नहीं है और यह किसी सदस्य पर कोई उत्तरदायित्व नहीं डालता है। यह टीसी सदस्य की भूमिका और दायित्वों को स्मरण कराने का एक साधन मात्र है। हालाँकि, विषय समिति की सदस्यता के लिए घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना एक अनिवार्य शर्त है।

विषय समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इसके प्रभावी और कुशल संचालन के लिए अनिवार्य शर्त है। एस. सी. की लगातार दो बैठकों और/या एक वर्ष में विषय समिति की पचास प्रतिशत या उससे अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहने वाला सदस्य विषय समिति का सदस्य बने रहने के लिए स्वतः ही अयोग्य हो जाएगा; जब तक कि इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विषय समिति में उसके बहुमूल्य योगदान को देखते हुए संबंधित विषय समिति की संस्तुति पर अनुपस्थिति की उपेक्षा करने का निर्णय नहीं लिया जाता।

यदि विषय समिति द्वारा अयोग्य घोषित किया गया सदस्य किसी संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो संगठन की

सदस्यता समाप्त हो जाएगी। हालाँकि, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों या किसी सरकारी संगठन के मामले में, विषय समिति अपने प्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त होने पर किसी अन्य विशेषज्ञ/पेशेवर को नामित करने के लिए उससे संपर्क करने का निर्णय ले सकता है। इस तरह का सारा पत्राचार बीआईएस के महानिदेशक की पूर्व स्वीकृति से किया जाएगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सदस्य और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले संगठन इस मामले की गंभीरता से अनभिज्ञ न रहें विषय समिति की बैठक में उपस्थित न होने पर विषय समिति के सदस्य सचिव द्वारा उन्हें तत्काल अलर्ट भेजा जाएगा।

मानक का प्रारंभिक प्रारूप चरण विषय समिति के सदस्यों के लिए प्रस्तावित मानक का सूक्ष्म और गहन विश्लेषण करने का अवसर होता है इसलिए किसी सदस्य द्वारा पी मसौदे पर टिप्पणी न किए जाने से मसौदे की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सदस्यों को या तो इसका समर्थन या इसे अस्वीकार करना होता है या सुधार के लिए अपनी टिप्पणी देनी होती है। विषय समिति द्वारा एक वर्ष में परिचालित पी मसौदों में से निरंतर दो और/या एक चौथाई पर टिप्पणी न करने वाला सदस्य स्वतः ही सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

पी या व्यापक परिचालन मसौदों पर टिप्पणियाँ केवल मानकीकरण पोर्टल के माध्यम से की जाती हैं। इससे न केवल टिप्पणियों को संकलित करने और उनका विश्लेषण किया जा सकता है बल्कि यह मानक निर्धारण/समीक्षा प्रक्रिया के प्रलेखन में भी सहायक है।

विषय समिति की बैठकों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करने की परिपाटी इसलिए शुरू की गई है ताकि सदस्यों को अपने कार्यसूची को उचित रूप से व्यवस्थित करने और बैठकों की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वार्षिक कैलेंडर मानकीकरण पोर्टल पर उपलब्ध है। यद्यपि यह वांछनीय है कि प्रत्येक विषय समिति की तिमाही बैठकें हों लेकिन विषय समिति को तैयार किए जा रहे मानकों के कार्यभार और तात्कालिकता को देखते हुए बैठकों की संख्या तय करनी होती है। फिर भी विषय समिति को एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करनी होती हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विषय समिति बैठक निर्धारित तिथियों पर आयोजित की जाए यह निर्णय लिया गया है कि किसी अपरिहार्य कारण से अध्यक्ष के उपस्थित

न होने पर बैठक स्थगित नहीं की जाए। उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्यों में से किसी एक द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाए और बैठक में लिए गए निर्णय सभी उद्देश्यों के लिए विषय समिति द्वारा लिए गए माने जाएंगे।

विषय समिति की बैठक यथासंभव फिजीकल रूप में आयोजित की जाए। हालांकि अध्यक्ष इसे हाइब्रिड मोड में आयोजित करने का निर्णय ले सकता है। विषय समिति की बैठक को प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों या उद्योगों में आयोजित करना भी एक अच्छा विचार है क्योंकि इससे विषय समिति के कार्य और कार्यप्रणाली के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जा सकता है।

विषय समिति का प्रत्येक सदस्य बीआईएस पुस्तकालय प्रणाली के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए बनाए गए लॉग इन आईडी का उपयोग करके प्रगतिशील कार्य पर काम करने के लिए संबद्ध पुस्तक और पत्रिकाएं लेने का पात्र है। मानक समन्वय मांग पर तुरंत कार्रवाई करता है।

विषय समिति का प्रत्येक सदस्य बीआईएस द्वारा प्राधिकृत आरंभ किए गए एआरपी या अनुसंधान एवं विकास परियोजना लेने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है।

विषय समिति का अध्यक्ष विषय समिति की बैठक के लिए बीस हजार रुपये के बैठक भत्ते का पात्र होता है।

2.8.3 कार्यकारी पैनल और कार्य समूह

किसी मानक या विकासाधीन मानकों के सेट के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता और कौशल वाले विशेषज्ञों/पेशेवरों के एक छोटे समूह को रखने के लिए कार्य पैनल (डब्लूपी) बनाए जाते हैं क्योंकि विभागीय समिति का कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत हो सकता है कि प्रत्येक सदस्य के लिए कार्य में रुचि ले पाना या समय देना कठिन हो सकता है। डब्लूपी के सदस्य विषय समिति के सदस्यों में से हों लेकिन विषय समिति बाहर से विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्णय ले सकती है। हालांकि, कार्य पैनल के संयोजक को अनिवार्य रूप से विषय समिति का सदस्य हो और विषय समिति का सदस्य सचिव डब्लूपी को वह सभी सहायता प्रदान करे जो उससे विषय समिति को प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

डब्लूपी बनाने के निर्णय में इसके निर्धारण का उद्देश्य, इसका विषय क्षेत्र और कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा को परिभाषित किया जाए। विषय समिति को अपना कार्यकाल

बढ़ाने से पहले अपनी उपलब्धियों की समीक्षा करनी होती है। कार्य समूह (डब्लूजी) को एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में परिकल्पित किया गया है: मानकीकरण के लिए एक विशेष विषय या संबंधित विषयों का समूह या समीक्षा के लिए वर्तमान मानक या संबंधित मानकों का एक समूह। इसलिए इसमें निश्चित समय-सीमा के साथ कार्य का एक सुस्पष्ट विषय क्षेत्र और संदर्भ की शर्तें (टीओआर) हो। कार्य का विषय क्षेत्र, टीओआर और समय-सीमा निर्धारित किए बिना कोई भी कार्य समूह नहीं बनाया जाए।

कार्य समूह में सामान्यतः तीन से अधिक डोमेन क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं हों और किसी भी परिस्थिति में विषय क्षेत्र सदस्यों में से या बाहर से विषय क्षेत्र द्वारा नामित पांच से अधिक विशेषज्ञ सदस्य नहीं हों।

2.8.4 मानक निर्धारण का आवश्यक अंग अनुसंधान

नीतिगत रूप से एआरपी या अनुसंधान एवं विकास परियोजना के बिना कोई नया मानक तैयार नहीं किया जाए या वर्तमान मानक की समीक्षा नहीं की जाए जब तक कि विषय समिति सजग रूप से यह निर्णय न ले ले, जिसे विषय समिति की बैठक के विवरण में दर्ज किया जाए कि उपलब्ध डेटा और सूचना पर्याप्त है तथा किसी और शोध की आवश्यकता नहीं है।

बीआईएस की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार लघु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (केवल 10 लाख रुपये तक की वित्तीय भागीदारी के साथ) विषय समिति, डब्लूपी, कार्य समूहों के सदस्यों और बीआईएस के साथ समझौता ज्ञापन करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के संकाय या शोध विद्वानों से प्रस्ताव आमंत्रित करके दी जा सकती हैं।

विषय समिति को आरएंडडी परियोजना के दायरे और टीओआर को मंजूरी देनी होती है। विषय समिति द्वारा अनुशंसित परियोजना की जांच की जाती है और इस उद्देश्य के लिए बनाई गई परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद अनुसंधान एवं विकास परियोजना को मानकीकरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है और एक नई आरएंडडी परियोजना के बारे में सूचना भी पोर्टल के माध्यम से विषय समिति के सदस्यों, संस्थानों के संकाय और शोध विद्वानों को भेजी जाती है। इस उद्देश्य के लिए लगभग दस हजार संकाय/शोध विद्वानों का डेटाबेस बनाया गया है।



अनुसंधान एवं विकास परियोजना शुरू करने के लिए प्रस्ताव पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दिए जाएं और इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा उनकी जांच और अनुमोदन किया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न मानकीकरण पोर्टल पर देखे जा सकते हैं।

2.8.5 एसएनएपी और मानकीकरण के लिए वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

प्रत्येक विषय समिति को मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (सूचक), मंत्रालयों से प्राप्त मानकीकरण के लिए वार्षिक कार्यक्रम, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एनडब्ल्यूआईपी, आईएसओ/आईईसी मानकों/मसौदा तथा समीक्षा के लिए निर्धारित मानकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर मानकीकरण के लिए रोलिंग वार्षिक योजना तैयार करनी होती है। मानकीकरण पोर्टल पर उपरोक्त के आधार पर वार्षिक कार्ययोजना ऑनलाइन तैयार करने का प्रावधान किया गया है।

मानकों की समीक्षा को प्राथमिकता देने में विषय समिति की मदद करने के लिए अभिलेख की नीति अपनाई गई है। ऐसे मानक जिनकी नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या परीक्षण विधियों की शुरुआत को देखते हुए कम उपयोग के कारण प्रासंगिकता खत्म हो गई है और उनको वापस नहीं लिया जा सकता है तो उन्हें प्रकाशित मानकों के डेटाबेस में इस आशय का उल्लेख करते हुए अभिलेखित किया जा सकता है। इससे न केवल विषय समिति अधिक महत्वपूर्ण मानकों पर ध्यान कर पाएगी बल्कि हितधारकों के लिए यह इंगित करने का अवसर भी खुला रहेगा कि क्या इन मानकों के लिए समीक्षा की आवश्यकता है।

विषय समिति की बैठक के तुरंत बाद निर्णय/कार्रवाई बिंदुओं वाले संकल्प को रिकॉर्ड करने की रीति को संस्थागत बनाने का निर्णय लिया गया है। बैठक के विस्तृत विवरण को बैठक के एक माह के भीतर अंतिम रूप दिया जाता है।

समीक्षा की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना समीक्षा के लिए निर्धारित मानक की पुनर्पुष्टि करने की रीति समाप्त कर दी गई है। इसलिए समीक्षा के लिए निर्धारित मानकों की जांच की तैयारी पहले से ही शुरू की जाए ताकि समय की कमी के कारण जांच के साथ पुनर्पुष्टि अपरिहार्य न हो जाए।

2.8.6 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

1. विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती विविधता, नवाचार और

जटिलताओं तथा सेवाओं के विकास के संदर्भ में यह अहसास बढ़ रहा है कि विनिर्माण और सेवा परिदृश्य में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मानकीकरण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के पीछे विचार यह है कि सिद्धांत रूप में गहन और व्यावहारिक शोध कार्य के बिना कोई मानक विकसित नहीं किया जाना चाहिए जो केवल मौजूदा साहित्य की समीक्षा और मानकीकरण के लिए चुने गए विषय पर समूह चर्चा तक ही सीमित न हो, बल्कि उत्पाद निर्माण और सेवा वितरण में मौजूदा प्रक्रियाओं और रीतियों का विस्तृत क्षेत्र स्तरीय अध्ययन भी शामिल हो।

2. मानकों के निर्धारण और समीक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं हेतु दिशानिर्देश 09 जुलाई 2023 को प्रकाशित और कार्यान्वित किए गए। दिशानिर्देशों के अनुसार लघु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (केवल 10 लाख रुपये तक की वित्तीय भागीदारी के साथ) विषय समिति, कार्यकारी पैनल, कार्यकारी समूहों के सदस्यों और शैक्षणिक संस्थानों के संकाय या शोध विद्वानों को उनसे प्रस्ताव आमंत्रित करके दी जा सकती हैं जिन्होंने चुनी गई परियोजनाओं के लिए बीआईएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

3. विषय समिति को अनुसंधान एवं विकास परियोजना के दायरे और संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को मंजूरी देना आवश्यक है। विषय समिति द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं की जांच की जाती है और इस उद्देश्य के लिए बनाई गई परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा उन्हें मंजूरी दी जाती है। इसके बाद अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मानकीकरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है और एक नई अनुसंधान एवं विकास परियोजना के बारे में सूचना अनुभागीय समिति के सदस्यों के साथ-साथ भागीदार संस्थानों के संकाय और शोध विद्वानों को भी भेजी जाती है। इस उद्देश्य के लिए लगभग दस हजार संकाय/शोध विद्वानों का एक डेटाबेस बनाया गया है। प्रस्ताव को ऑफलाइन प्रारूप (तकनीकी और वित्तीय बोली वाले दो लिफाफे) में प्रस्तुत किया जाना है। अनुसंधान

मूल्यांकन समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और गुणता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति के आधार पर परियोजनाएं प्रदान की जाती हैं।

4. अभी तक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के तीन चरण प्रक्रियाधीन हैं। प्रत्येक चरण में हुई प्रगति इस प्रकार है:

क) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के पहले चरण को 153 परियोजनाओं के साथ बीआईएस पर होस्ट किया गया। इस प्रस्ताव को तकनीकी समिति के सदस्यों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों से भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 115 परियोजनाओं के 382 प्रस्ताव शामिल थे। परियोजनाओं का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन

किया गया और 82 परियोजनाएँ आवंटित की गई हैं। इन परियोजनाओं से संबंधित कार्य प्रस्तावकों द्वारा शुरू कर दिए गए हैं।

ख) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के दूसरे चरण को 82 परियोजनाओं के साथ बीआईएस पर होस्ट किया गया। 44 नई परियोजनाएँ होस्ट की गईं, जिन्हें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 मई 2024 है। इस चरण को भी 68 परियोजनाओं के लिए 211 प्रस्तावों के साथ शानदार प्रतिक्रिया मिली। इनका तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन पूरा हो चुका है और 47 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ प्रदान की गई हैं।

ग) तीसरे चरण के लिए 211 परियोजनाओं की पहचान की गई है।

कुछ महत्वपूर्ण प्रगतिशील अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सूची:

क्र. सं.	विभाग	विषय
1	सिविल इंजीनियरिंग विभाग (सीईडी)	सीमेंट कंक्रीट बनाने में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक मिश्रणों की भौतिक और एकरूपता परीक्षण अपेक्षाओं पर अध्ययन।
2	सिविल इंजीनियरिंग विभाग (सीईडी)	साहित्य समीक्षा, बाजार और उद्योग सर्वेक्षण और भारतीय बाजार में निर्मित और/या उपलब्ध विभिन्न प्रकार के डोर क्लोजर कार्यकारिता का मूल्यांकन
3	रसायन विभाग (सीएचडी)	खाद्य पैकेजिंग के लिए पर्यावरण-अनुकूल मुद्रण स्याही के गुणों का अध्ययन
4	विद्युततकनीकी विभाग (ईटीडी)	भारत में उन्नत सड़क यातायात संकेत प्रणालियों का व्यापक अध्ययन
5	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभाग (एलआईटीडी)	भारत में डेटा सेंटर के बुनियादी ढांचे का अध्ययन
6	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभाग (एलआईटीडी)	मानव मनोविज्ञान पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावों का अध्ययन
7	विद्युत तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभाग (एलआईटीडी)	भारत में स्मार्ट उत्पादन के लिए केस संग्रहण
8	खाद्य और कृषि विभाग (एफएडी)	खोलदार अंडों के शेल्फ-लाइफ मूल्यांकन पर अध्ययन
9	खाद्य और कृषि विभाग (एफएडी)	स्वच्छ मांस उत्पादन के लिए छोटे पैमाने के बूचड़खानों की अपेक्षाओं और परिचालन पक्षों पर अध्ययन
10	यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग (एमईडी)	शेल और ट्यूब प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स के काल चक्र में नवीनतम तकनीकी विकास और रीतियों का अध्ययन

11	धातुकर्म इंजीनियरिंग विभाग (एमटीडी)	भारतीय बाजार में उपलब्ध विभिन्न एल्यूमीनियम बर्तनों की रासायनिक संरचना का अध्ययन
12	चिकित्सा उपकरण और अस्पताल योजना विभाग (एमएचडी)	नेत्र शल्य चिकित्सा उपकरणों की कार्यात्मक और सुरक्षा आवश्यकताओं का अध्ययन और तुलनात्मक विश्लेषण।
13	प्रबंध पद्धति प्रमाणन विभाग (एमएसडी)	कार्य स्थल पर सामाजिक उत्तरदायित्व का अध्ययन
14	प्रबंध पद्धति प्रमाणन विभाग (एमएसडी)	किसी संगठन द्वारा धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम और नियंत्रण का अध्ययन
15	प्रबंध पद्धति प्रमाणन विभाग (एमएसडी)	कार्यस्थल पर सामाजिक उत्तरदायित्व का अध्ययन
16	पेट्रोलियम, कोयला और संबंधित उत्पाद विभाग (पीसीडी)	रसोईघर के लिए सिलिकॉन गैजेट में उपयोग के लिए सिलिकॉन के भौतिक गुणों का अध्ययन।
17	उत्पादन और सामान्य इंजीनियरिंग विभाग (पीजीडी)	मापन में उपयोग किए जाने वाले स्टील टेप
18	सेवा क्षेत्र विभाग (एसएसडी)	क्रूज सेवा प्रदाताओं के लिए मार्गदर्शिका और अपेक्षाएं संस्थापित करने के लिए क्रूज पर्यटन प्रचालन और सेवा मापदंडों पर अध्ययन
19	सेवा क्षेत्र विभाग (एसएसडी)	सड़क और सार्वजनिक सुविधा सफाई सेवाओं के लिए अपेक्षाओं का अध्ययन
20	परिवहन इंजीनियरिंग विभाग (टीईडी)	जहाजों पर उपयोग के लिए थर्मल और ध्वनिक इन्सुलेशन सामग्री का अध्ययन
21	वस्त्रादि विभाग (टीएक्सडी)	अग्निशामकों के लिए अग्नि हुडों की सुरक्षा और कारगरिता अपेक्षाओं का अध्ययन
22	वस्त्र विभाग (टीएक्सडी)	आंतरिक और निर्यात व्यापार के लिए जूट और जूट उत्पादों की पैकेजिंग रीतिओं का अध्ययन
23	जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी)	नहरों और क्रॉस ड्रेनेज परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में सर्वोत्तम सुरक्षा रीतियों की समीक्षा

2.8.7 आईएसओ/आईईसी के साथ कार्य

आईएसओ या आईईसी की बैठकों में नामित विशेषज्ञों द्वारा ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे विशेषज्ञ देश के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आईएसओ/आईईसी मानक पहले से ही देश में हमारे हितधारकों की जरूरतों के अनुरूप हैं और उन्हें बिना किसी देरी के अपनाया जा सकता है।

आईएसओ/आईईसी मानक को अपनाने की प्रक्रिया स्वदेशी मानकों की समीक्षा के समान होगी।

विषय समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आईएसओ/आईईसी स्तर पर एनडब्ल्यूआईपी के रूप में प्रस्तावित किए जाने वाले भारतीय मानकों की पहचान करें।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक नया पोर्टल विकसित किया गया है ताकि विषय समिति के सदस्यों के साथ आई.एस.ओ./आई.ई.सी. दस्तावेजों को साझा करना सरल हो सके, उनकी टिप्पणियों को संकलित किया जा सके तथा आई.एस.ओ./आई.ई.सी. के साथ हमारे रुख को साझा किया जा सके।

3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और तकनीकी सूचना सेवाएँ

3.1 अंतर्राष्ट्रीय पदचिह्नः

भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में बीआईएस, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) में भारत का प्रतिनिधित्व करता है तथा आईईसी की भारतीय राष्ट्रीय समिति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विद्युत-तकनीकी आयोग (आईईसी) में भारत का प्रतिनिधित्व करता यह आईएसओ

और आईईसी की विभिन्न तकनीकी समितियों और उप-समितियों में सहभागी (P) सदस्य या पर्यवेक्षक (O) सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में सक्रिय रूप से शामिल है और इन संगठनों की विभिन्न समितियों/कार्य समूहों में तकनीकी विशेषज्ञों को नामित करता रहा है।

बीआईएस आईएसओ और आईईसी की शासन स्तरीय समितियों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। मार्च 2024 तक, बीआईएस इन अंतरराष्ट्रीय मानक निकायों की निम्नलिखित शासन स्तरीय समितियों का सदस्य है:

- आईएसओ तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (टीएमबी) (आईएसओ में तकनीकी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय);
- आईईसी बोर्ड (आईईसी के लिए जिम्मेदार शीर्ष प्रशासनिक निकाय);
- आईईसी मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड (एसएमबी) (आईईसी में तकनीकी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय); और
- आईईसी बाजार रणनीति बोर्ड (एमएसबी) (प्रमुख तकनीकी रुझानों और बाजार की जरूरतों की पहचान और जांच के लिए जिम्मेदार निकाय)।

वर्तमान में एक भारतीय सदस्य 01 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले तीन साल के कार्यकाल के लिए आईईसी उपाध्यक्ष और एसएमबी अध्यक्ष हैं। बीआईएस (भारत) के सदस्यों ने आईईसी के अन्य महत्वपूर्ण नीति निर्माण निकायों अर्थात् व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) और शासन समीक्षा और लेखा परीक्षा समिति (जीआरएसी) में भी सदस्यता प्राप्त की है।

मार्च 2024 तक बीआईएस आईएसओ की तीन नीति विकास समितियों (कैस्को, कोपोल्को और देवको) में सहभागी (P) सदस्य है, आईएसओ की 555 तकनीकी समितियों/उपसमितियों और आईईसी की 122 तकनीकी समितियों/उपसमितियों में भाग लेने वाला (P) सदस्य है और आईएसओ की 151 तकनीकी समितियों/उपसमितियों और आईईसी की 56 तकनीकी समितियों/उपसमितियों में O-सदस्य है।

बीआईएस में भारत के हित से जुड़े विषयों की 11 आईएसओ समितियों का सचिवालय है और यह आईएसओ के 35 कार्य समूहों/तदर्थ समूहों/सलाहकार समूहों के लिए

नामित संयोजक है। इसके अलावा, बीआईएस को आईईसी के 13 कार्य समूहों/प्रणाली मूल्यांकन समूहों का संयोजक नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में बीआईएस की इस तरह की भागीदारी भारतीय व्यापार और उद्योग के हितों की रक्षा करने में सहायक है।

3.2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल:

महानिदेशक बीआईएस, उपमहानिदेशक (मानकीकरण-I) और प्रमुख आईआरएंडटीआईएसडी से युक्त भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 22-26 अक्टूबर 2023 तक वर्चुअल रूप से आयोजित आईईसी आम बैठक की विभिन्न बैठकों और कार्यशालाओं में भाग लिया।

एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 18-21 सितंबर 2023 के दौरान ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित आईएसओ की वार्षिक बैठक 2023 में भाग लिया जिसमें उपमहानिदेशक (आईआरएंडटीआईएस, एमएससी और एससीएम) और प्रमुख (आईआरएंडटीआईएसडी) शामिल थे। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आईएसओ महासभा, तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (टीएमबी) और डीईवीसीओ (विकासशील देश मामलों पर आईएसओ समिति) की कार्यवाही में भाग लिया और अपना योगदान दिया। इसके अतिरिक्त आईएसओ की वार्षिक बैठक के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं और पैनल चर्चाओं में भाग लिया। बीआईएस प्रतिनिधिमंडल ने पीएससी ईसी की 75वीं बैठक में भी भाग लिया।

आईएसओ की वार्षिक बैठक के अवसर पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आईएसओ के प्रतिनिधियों, यूरोपीय संघ के क्षेत्रीय मानक निकायों (सीईएन-सीएनईएलईसी) तथा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, जापान, दक्षिण कोरिया, भूटान, जॉर्डन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकों की और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की।

महानिदेशक, बीआईएस ने 13-15 जून 2023 के दौरान कनाडावा, जापान में आईएसओ परिषद की 121वीं बैठक और संबंधित बैठकों में भाग लिया।

महानिदेशक, बीआईएस ने 20 से 22 फरवरी 2024 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और 19 से 20 जून 2024 तक सिंगापुर में क्रमशः आईईसी बोर्ड की 12वीं और 13वीं बैठक में भाग लिया।

उपमहानिदेशक, मानकीकरण-I ने 26 फरवरी से 01 मार्च 2024 तक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में और 11 से 14 जून 2024 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित मानकीकरण प्रबंधन



बोर्ड की 179वीं और 180 वीं बैठक में भाग लिया।

उपमहानिदेशक (आईआरएस) ने 19 सितंबर 2023 को ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में, 4-8 मार्च 2024 को क्यूबी सिटी, कनाडा में और 10-13 जून 2024 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित आईएसओ टीएमबी की 88वीं, 89वीं और 90वीं बैठक में भाग लिया।

भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 72 भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने भारतीय हित की तकनीकी बैठकों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। अन्य बैठकों में बीआईएस ने वर्चुअल रूप से भाग लेता आ रहा है।

3.3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम:

भारत की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो ने 02-03 नवंबर 2023 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में जी-20 मानक संवाद 2023 का आयोजन किया। संवाद में इस बात पर चर्चा की गई कि समावेशी मानकीकरण और अच्छी नियामक रीतियों के माध्यम से कैसे निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है ताकि 'शून्य दोष और शून्य प्रभाव' प्राप्त किया जा सके।

बीआईएस ने एनआईटीएस नोएडा में 27-28 मार्च 2024 तक मानक प्रवर्तक कार्यक्रम के तहत दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करके शिक्षा जगत में युवा पेशेवरों को मानकों के महत्व को समझाने में सहयोगी अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया। इस कार्यशाला के माध्यम से युवा पेशेवरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की प्रारंभिक अवधारणाओं से परिचित कराया गया, जिससे उन्हें सक्रिय रुचि लेने और मानकीकरण कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

3.4 द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग:

बीआईएस मानकीकरण, परीक्षण, प्रमाणन, प्रशिक्षण आदि से संबंधित क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग में भी सक्रिय रूप से शामिल है और नियमित आधार पर साझेदार एजेंसियों के संपर्क में है।

बीआईएस ब्रिक्स, आईबीएसए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन (एसएआरएसओ) और प्रशांत क्षेत्र मानक कांग्रेस (पीएससी) के तहत क्षेत्रीय मानकीकरण गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बीआईएस ने प्रशांत क्षेत्र मानक कांग्रेस, कार्यकारी परिषद और वार्षिक आम बैठकों की वर्चुअल बैठकों में भाग लिया। बीआईएस ने 29 फरवरी

2024 को आयोजित पीएससी की 76वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया।

बीआईएस ने मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों और अन्य मानक विकास संगठनों के साथ सहयोग समझौते किए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित 02 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए जिससे ऐसे सहयोगों की कुल संख्या 33 समझौता ज्ञापन (एमओयू) और 09 द्विपक्षीय सहयोग समझौते (बीसीए) हो गई:

- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और केन्या मानक ब्यूरो (केईबीएस) के बीच 5 दिसंबर 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि सहयोग को सुगम बनाया जा सके एवं तंत्र प्रदान किया जा सके जिसके द्वारा पक्ष मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन गतिविधियों को सुदृढ़ करने, विशेषज्ञता को साझा करने एवं आपसी व्यापार को सुविधाजनक बनाने के सामान्य उद्देश्य की दिशा में मिलकर काम किया जा सके।
- मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में आपसी हितों के क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए 22 फरवरी 2024 को बीआईएस और स्लोवाक कार्यालय, मेट्रोल्डजी और परीक्षण (यूएनएमएस एसआर) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

कोरियाई प्रौद्योगिकी एवं मानक एजेंसी—केएटीएस के प्रतिनिधियों ने 12-13 अप्रैल 2023 को बीआईएस का दौरा किया जहाँ समझौता ज्ञापन, मानकीकरण, टीबीटी मुद्दों, अनुरूपता मूल्यांकन, हितधारक जुड़ाव आदि विषयों पर चर्चा की गई।

उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 24 से 27 अप्रैल 2023 तक जर्मनी में गुणतापूर्ण बुनियादी ढांचे पर भारत-जर्मन कार्य समूह की 9वीं वार्षिक बैठक और संबंधित बैठकों में भाग लिया। बैठक के दौरान वर्ष 2023 के लिए गुणतापूर्ण बुनियादी ढांचे पर भारत-जर्मन कार्य समूह की कार्य योजना पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

बीआईएस-सीईएन-सीएनईएलईसी समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग के रोडमैप पर चर्चा के लिए 19 मई 2023 को

महानिदेशक (बीआईएस) के नेतृत्व में बीआईएस पक्ष और सीईएन-सीएनईएलईसी पक्ष (भारत में द्वितीय यूरोपीय मानकीकरण विशेषज्ञ और भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रतिनिधित्व) के बीच बीआईएस मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई।

आईएसओ और बीआईएस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों को काम करने के लिए चिन्हित किया गया। समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए आईआरएण्टीआईएसडी के माध्यम से आईएसओ द्वारा बीआईएस प्रशिक्षण केंद्र के उपयोग के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को देखने के लिए 25 मई 2023 को एनआईटीएस नोएडा में आईएसओ के महासचिव श्री सर्जियो मुजिका का दौरा कराया गया।

वर्षभर में बीआईएस द्वारा भूटान, नेपाल, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, रूस, जॉर्डन, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, इजरायल, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया और मॉरीशस के राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने और आईएसओ/आईईसी में समर्थन प्राप्त करने के लिए वर्चुअल द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।

डब्ल्यूटीओ टीबीटी से संबंधित मुद्दों पर वाणिज्य विभाग के साथ अपना बीआईएस का सहयोग जारी है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मामलों पर विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ भी बीआईएस का सहयोग जारी है।

3.5 बीआईएस द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठकें:

- i. आईएसओ कोपोल्को प्लेनरी 23-26 मई 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित हुई।
- ii. आईएसओ/टीसी 34/एससी 8/डब्ल्यूजी 15 'थीनाइन' की बैठक 31 अगस्त 2023 को (वर्चुअल)
- iii. पीटी/टीसी 34/एससी 8/डब्ल्यूजी 15 'थिनेन' की बैठक 31 अगस्त 2023 को (वर्चुअल)
- iv. आईएसओ/टीसी 5 'लौह धातु पाइप और धातु फिटिंग' और आईएसओ/टीसी 5/एससी 2 'कास्ट आयरन पाइप और फिटिंग उपसमिति' और संबंधित कार्य समूहों की पूर्ण बैठक 17 से 20 अक्टूबर 2023 के दौरान जयपुर में आयोजित।
- v. जी-20 मानक वार्ता 2023 02-03 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुई।

- vi. आईएसओ/टीसी 211 'भौगोलिक सूचना/जियोमेटिक्स' और इसके कार्य समूहों (डब्ल्यूजी) की 57वीं पूर्ण बैठक 03-08 दिसंबर 2023 को भारत के नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेड सेंटर में आयोजित की गई।

- vii. 25 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आईएसओ/टीसी 113 'हाइड्रोमेट्री' की 32वीं पूर्ण बैठक।

4 मानकों का प्रकाशन एवं बिक्री

बीआईएस अपने प्रकाशनों के माध्यम से भारतीय मानकों और उनके संशोधनों के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित मानकों और संशोधनों को अधिसूचित करता है। 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान, बीआईएस ने 2176 मानक तैयार किए जिनमें से 816 नए मानक थे, 1 एसपी (एसपी 73: मानकीकृत विकास और भवन विनियम, 2023) और 1360 संशोधित मानक थे। इसके अलावा बीआईएस ने 219 संशोधन प्रकाशित किए हैं। इस अवधि के दौरान कुल 278 मानकों को वापस भी लिया गया। 31 मार्च 2024 तक लागू मानकों की कुल संख्या 22201 है और 31 मार्च 2024 तक लागू संशोधनों की कुल संख्या 2133 है।

बीआईएस मुख्यालय (मुख्यालय), क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में स्थित 25 विभिन्न बिक्री केंद्रों के माध्यम से भारतीय मानकों (आईएस) और विशेष प्रकाशनों (एसपी) की बिक्री करता है। भारत के प्रमुख शहरों में फैंले पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से भी बिक्री की जाती है। भारतीय मानक और विशेष प्रकाशन ई-पोर्टल (www.standardsbis.bsbedge.com) के माध्यम से भी बेचे जाते हैं। भारतीय मानक अब ई-पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड करने योग्य संस्करण में निःशुल्क उपलब्ध हैं।

भारतीय मानक डीवीडी में एक पूर्ण सेट के रूप में या सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स आदि जैसे विभिन्न विभाग/क्षेत्र विशेष सेटों के रूप में सदस्यता के आधार पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा भारतीय मानक ऑनलाइन सदस्यता के माध्यम से भी उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2016 भी डीवीडी/ऑनलाइन सदस्यता पर उपलब्ध है। शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र के लिए — बीआईएस ने शैक्षिक संस्थानों, वैज्ञानिक और अनुसंधान प्रयोगशालाओं, संघ के माध्यम से संचालित केंद्रीय और राज्य सरकार की



प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थानों को डीवीडी/ऑनलाइन सदस्यता के आधार पर भारतीय मानक उपलब्ध कराए हैं। कॉर्पोरेट/उद्यम क्षेत्र के लिए – बीआईएस ने डीवीडी/ऑनलाइन सदस्यता पर भी भारतीय मानक उपलब्ध कराए हैं जिसमें बहु-स्थानों से संचालित एकल कॉर्पोरेट इकाई के लिए डब्ल्यूएन (वाइड एरिया नेटवर्क) के माध्यम से भारतीय मानकों को पहुंचाना भी शामिल है।

5 प्रमाणन

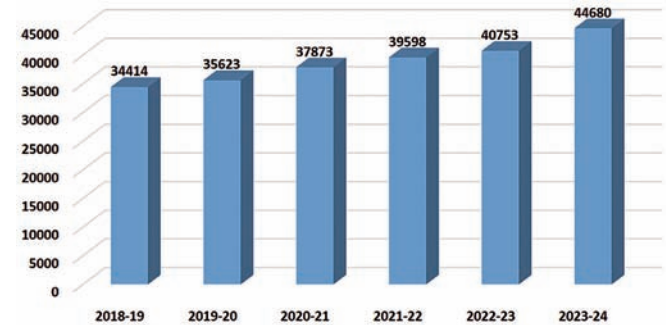
5.1 उत्पाद प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) बीआईएस अधिनियम 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद प्रमाणन योजना (योजना-ए) संचालित कर रहा है जिसका उद्देश्य संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप उत्पादों की गुणता सुनिश्चित करना और इस प्रकार उपभोक्ता को तृतीय-पक्ष का आश्वासन प्रदान करना है।

उत्पाद प्रमाणन योजना में बीआईएस विनिर्माण परिसर के कारखाने के निरीक्षण के माध्यम से आवेदक निर्माता की विनिर्माण और परीक्षण क्षमताओं का आकलन करने के बाद निर्माताओं को उनके उत्पादों पर आईएसआई मार्क के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। इस निरीक्षण दौरे के दौरान उत्पाद का नमूना लिया जाता है और संबद्ध भारतीय मानक की अपेक्षाओं के लिए उत्पाद की अनुरूपता के लिए किसी तीसरे पक्ष के परीक्षण प्रयोगशाला या इन-हाउस या दोनों के संयोजन के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। लाइसेंस शुरू में कम से कम एक वर्ष और अधिकतम दो वर्षों के लिए दिया जाता है और इसे कम से कम एक वर्ष और अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

बीआईएस की उत्पाद प्रमाणन योजना मुख्य रूप से स्वैच्छिक प्रकृति की है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 1200 से अधिक उत्पाद शामिल हैं तथा 44000 से अधिक लाइसेंस परिचालन में हैं। इन उत्पादों में से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेश (तकनीकी विनियम) जारी करके 724 उत्पादों को अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के अंतर्गत लाया है। इन गुणता नियंत्रण आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से ऐसे अधिसूचित उत्पादों का विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण

नहीं कर सकता जो निर्दिष्ट भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं और जिन पर बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की स्कीम-I के अनुसार बीआईएस से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न नहीं है। गुणता नियंत्रण आदेश उन विदेशी निर्माताओं पर भी लागू होता है जो अपने उत्पाद को भारत में निर्यात करना चाहते हैं।



वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमाणन के अंतर्गत नए उत्पादों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। 81 नए उत्पादों को प्रमाणन के दायरे में लाया गया है। इन नए उत्पादों में से 66 को बीआईएस के स्वैच्छिक प्रमाणन के तहत जोड़ा गया है जो उद्योग द्वारा अपने उत्पादों पर बीआईएस मार्क के महत्व की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

5.1.1 प्रमाणित कुछ महत्वपूर्ण नए उत्पाद:

- आईएस 6721:2023 के अनुरूप सैंडल और स्लिपर – सैंडल और स्लिपर व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ओपन टाइप फूटवेयर हैं। सैंडल ओपन टाइप फूटवेयर हैं जिनका ऊपरी भाग पूरे पैर को नहीं ढकता है और जिसमें पीछे की ओर एक पट्टा होता है जबकि स्लिपर ऐसे ओपन टाइप फूटवेयर हैं जिनका ऊपरी भाग पूरे पैर को नहीं ढकता है और जिसमें पीछे की ओर पट्टा नहीं होता है लेकिन पीछे की ओर कुछ सहारा हो सकता है।
- IS 10702:2023 के अनुरूप हवाई चप्पल – भारत में हवाई चप्पल बहुत लोकप्रिय है। यह सामान्य उपयोग के लिए हल्के ड्यूटी फूटवेयर के रूप में काम आती है। इस चप्पल को धोया जा सकता है, जलरोधक होती है और इसे किसी पॉलिश की आवश्यकता नहीं होती है। इन चप्पलों की पट्टियाँ बदली जा सकती हैं और उपयोगकर्ता इन्हें बदल सकते हैं।
- ऑटोमोटिव अनुप्रयोग (डीजल और गैसोलीन) के

लिए आंतरिक दहन इंजन क्रैंककेस तेल – आईएस 13656: 2019 के अनुरूप विनिर्देश – डीजल इंजन और गैसोलीन इंजन में उपयोग होने वाले आंतरिक दहन इंजन स्नेहन तेलों का उपयोग ऑफ-हाइवे उपकरण सहित यात्री और वाणिज्यिक वाहनों में किया जाता है। आंतरिक दहन इंजन स्नेहन तेलों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: क) डीजल इंजन तेल; और ख) पेट्रोल इंजन तेल और आगे विभिन्न कार्यकारिता स्तर श्रेणियों और लागू विस्कासिता ग्रेड के आधार पर उप-वर्गीकृत किया जाता है। इसमें बीएस IV और बीएस VI अनुरूप इंजनों की जरूरतों को पूरा करने वाली विशिष्ट शामिल हैं।

iv) आईएस 10733:1995 के अनुसार प्रशीतन और वातानुकूलन प्रयोजनों के लिए पिटवा तांबे की नलिकाएँ – पिटवा तांबे की नलिकाएँ अपनी उत्कृष्ट तापीय चालकता, संक्षारण प्रतिरोध और स्थायित्व के कारण प्रशीतन और वातानुकूलन प्रणालियों में अपेक्षित घटक हैं। ये नलिकाएँ आम तौर पर उच्च शुद्धता वाले तांबे से बनी होती हैं और सीधे लंबाई और कॉइल सहित विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती हैं। इन तांबे की नलियों का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं: रेफ्रिजरेशन सिस्टम: घरेलू और वाणिज्यिक रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजेंट के परिवहन के लिए। एयर कंडीशनिंग सिस्टम: HVAC सिस्टम में शीतलक प्रसारित करने के लिए। हीट एक्सचेंजर: उनके कुशल ताप हस्तांतरण गुणों के कारण।

v) आईएस 17509:2021 के अनुसार प्रयोज्य बेबी डायपर— बेबी डायपर व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद हैं जो बाहरी कपड़ों या बाहरी वातावरण को गंदा होने से बचाने के लिए अपशिष्ट उत्पादों को अवशोषित या समाहित करके बच्चे को शौचालय के उपयोग के बिना शौच या पेशाब करने की अनुमति देते हैं। आईएस 17509:2021 में बेबी डायपर की विभिन्न अपेक्षाएँ जैसे सामग्री, आकार, प्रदर्शन आवश्यकताएँ, स्वच्छता आवश्यकताएँ, बायोडिग्रेडेबिलिटी और कम्पोस्टेबिलिटी और एंटी-बैक्टीरियल गतिविधि शामिल हैं।

vi) पोर्टेबल पानी की बोतलें (तांबा, स्टेनलेस स्टील,

एल्युमीनियम) IS 17803: 2022 के अनुरूप – तांबे, स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम से बनी पेय जल पानी की बोतलों का इस्तेमाल आम उपभोक्ताओं द्वारा पीने के पानी को टेबल टॉप के साथ-साथ परिवहन के लिए भी किया जाता है। IS 17803 में 1 500 मिली तक की क्षमता वाली इन बोतलों की सामग्री, सुरक्षा और प्रदर्शन आवश्यकताओं सहित न्यूनतम अपेक्षाओं को शामिल किया गया है।

vii) IS 11360: 1985 के अनुसार स्वचालित विद्युत अग्नि अलार्म सिस्टम में उपयोग के लिए स्मोक डिटेक्टर – स्मोक डिटेक्टर कैदियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करके जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और नुकसान को कम करते हैं। स्वचालित विद्युत अग्नि अलार्म सिस्टम आग के शुरुआती चरणों का पता लगाने के लिए जांच का उपयोग करता है और ऑडियो-विजुअल अलार्म शुरू करता है। IS 11360 में ऑप्टिकल और आयनीकरण प्रकार के स्मोक डिटेक्टरों के लिए सामान्य निर्माण संबंधी विशेषताएँ, कार्यकारिता अपेक्षाएँ और परीक्षण विधियाँ शामिल हैं जो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में उनकी कार्यकारिता स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भीतरी संस्थापन के लिए अभिप्रेत हैं।

5.1.2 उत्पाद प्रमाणन गतिविधि पर प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी

तकनीकी विनियमनों/गुणता नियंत्रण आदेशों (टीआर/क्यूसीओ) पर विनियामक प्राधिकरणों (अर्थात् भारत सरकार के विभाग/मंत्रालय) के बढ़ते जोर के साथ प्रमाणन सेवाओं की समय पर डिलीवरी बाजार में उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। उन्नत डैशबोर्ड द्वारा सक्षम निरंतर निगरानी और समीक्षा तंत्र के माध्यम से समय मानदंडों के पालन में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। इसे विभिन्न प्रक्रिया पुनर्चना उपायों के माध्यम से संभव बनाया गया है।

उत्पाद प्रमाणन प्रक्रिया में शामिल सभी चरणों के लिए कड़ी समयसीमा निर्धारित की गई है। प्रमाणन प्रक्रियाओं से संबंधित उत्पाद मैनुअल और दस्तावेज़ प्रक्रियाओं को सुगम और पारदर्शी समझ प्रदान करने के लिए उद्योगों को बीआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने और लाभ पहुंचाने के



लिए और व्यापार को सुगम बनाने के लिए बीआईएस द्वारा निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किए गए हैं:

- एमएसएमई निर्माताओं को इन-हाउस प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए छूट
- लाइसेंस प्रचालन के लिए बीआईएस मान्यता प्राप्त, सूचीबद्ध या एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग करने का विकल्प
- निरीक्षण और परीक्षण (एसआईटी) योजना को अनुशासनात्मक बनाया गया, एमएसएमई निर्माता के पास बीआईएस अनुशंसित एसआईटी को स्वीकार करने या स्वयं की गुणता आश्वासन योजना (क्यूएपी) घोषित करने का विकल्प है।

खाद्य पदार्थों, सीमेंट और पीईएसओ विनियमित उत्पादों जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए कड़े गुणता नियंत्रण उपायों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये छूट लागू नहीं होती।

इसके अलावा, बीआईएस ने न्यूनतम मुहरांकन शुल्क को युक्तिसंगत बनाया है और बीआईएस प्रमाणन के लिए मुहरांकन शुल्क में रियायत प्रदान की है जिसमें माइक्रो, छोटे और मध्यम स्तर के स्टार्ट-अप उद्यमों के लिए 80%, लघु उद्यम के लिए 50%, मध्यम पैमाने के उद्यम के लिए 20% तथा माइक्रो, लघु और मध्यम स्तर की इकाइयों के लिए महिला उद्यमी उद्यम को अतिरिक्त 10% रियायत प्रदान की जाती है।

इन छूटों का उद्देश्य नियामक आवश्यकताओं को सरल बनाना और एमएसएमई निर्माताओं के लिए लागत कम करना, दक्षता को बढ़ावा देना एवं उनके विकास में सहयोग करना है।

5.1.3 स्वचालन

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अपने उत्पाद प्रमाणन गतिविधियों के लिए मानक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। आवेदन जमा करने से लेकर अपेक्षित शुल्क का भुगतान आदि प्रमाणन प्रदान करने की प्रक्रिया निर्माताओं के साथ संचार सहित बीआईएस के पोर्टल <https://www.manakonline.in> के माध्यम से की जा रही है।

पहले से ही प्रदान किए जा चुके और वर्तमान में प्रचालित उत्पाद प्रमाणन लाइसेंसों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को स्वचालन के उपयोग के माध्यम से सुव्यवस्थित और अधिक

कुशल बनाया गया है। पहले नवीनीकरण आवेदनों को मैन्युअल रूप से संसाधित किया जाता था जिसके कारण कभी-कभी अधिक समय लगता था। अब बदली हुई प्रक्रियाओं में निर्माता बस मानक ऑनलाइन पोर्टल में लॉग इन करके पोर्टल के माध्यम से सीधे अपना नवीनीकरण आवेदन जमा कर सकते हैं। एक बार जब निर्माता आवश्यक शुल्क के साथ अपना नवीनीकरण आवेदन जमा कर देता है तो एक स्वचालित नवीनीकरण अलर्ट एवं पुष्टि होती है।

नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के साथ एक अतिरिक्त विकल्प भी शुरू किया गया है जिसके माध्यम से उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस को 'निष्क्रिय' श्रेणी में रखने का अनुरोध किया जा सकता है। जिन निर्माताओं का उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन जमा न करने के कारण समाप्त हो गया है उनके लिए बीआईएस प्रमाणन के दायरे में वापस आने के लिए एक आसान पुनः प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है।

निर्माता अपनी सुविधानुसार अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने और अपडेट करने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल-ऐप आधारित तंत्र और मानक ऑनलाइन एवं एलआईएमएस पोर्टल के साथ इसके एकीकरण के माध्यम से निगरानी प्रणाली को डिजिटल किया गया है। बीआईएस की ओर से फ़ैक्ट्री निरीक्षण दौरे करने के लिए एनएबीसीबी मान्यता एजेंसियों को नियुक्त किया है।

5.1.4 एफएस और एमएस में गति लाना

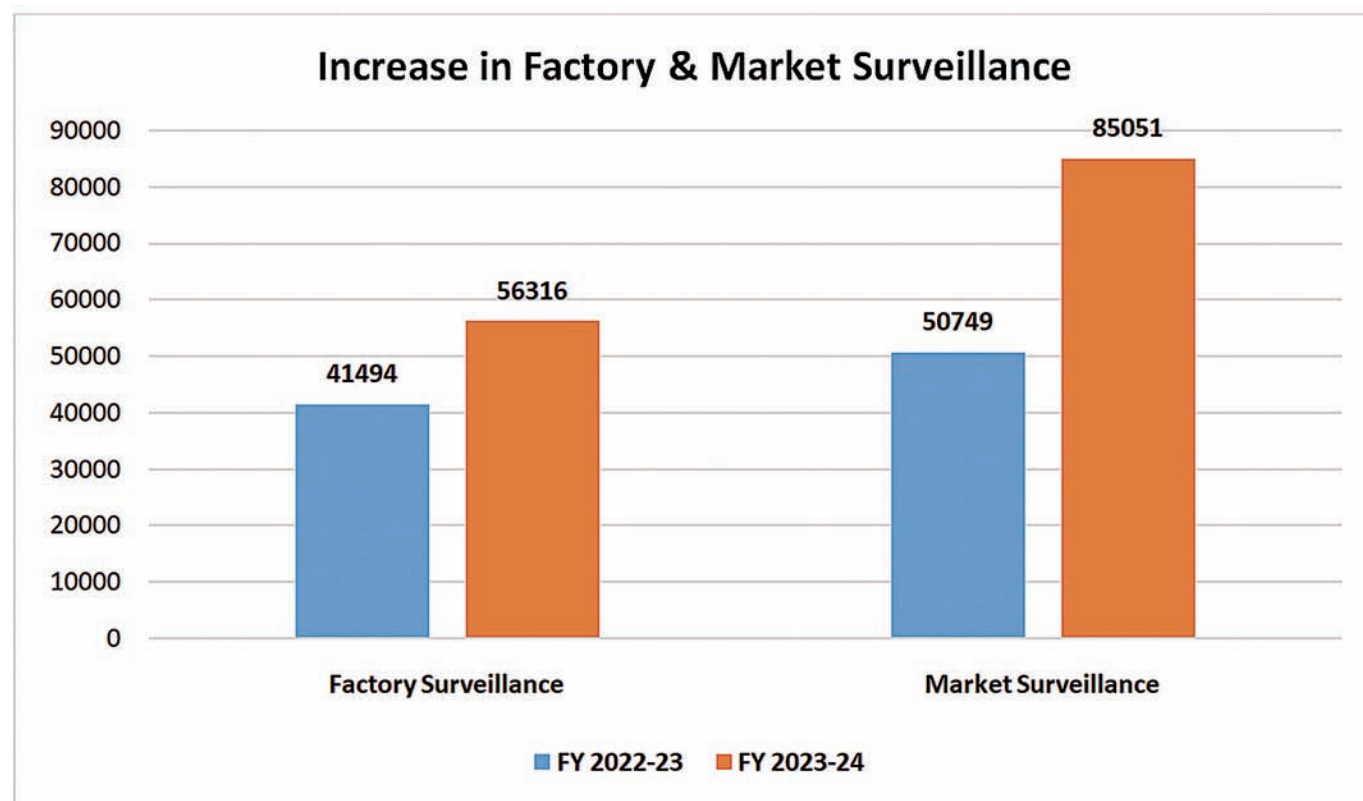
उत्पादों की गुणता और सुरक्षा से संबंधित उपभोक्ता अधिकारों के साथ किसी भी तरह का समझौता किए बिना उद्योगों को प्रमाणन सेवाएं समय प्रदान की जाती हैं। बीआईएस में उत्पाद प्रमाणन गतिविधि की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से, मॉनीटरिंग और निगरानी पर जोर दिया गया है। भारत भर में निगरानी गतिविधियों (कारखाने और बाजार निगरानी दोनों) का समन्वय बीआईएस मुख्यालय में समर्पित नोडल विभाग "प्रमाणन निगरानी और निगरानी विभाग (सीएसएमडी)" के माध्यम से किया जाता है। एनएबीसीबी मान्यता प्राप्त एजेंसियों को बीआईएस की ओर से निगरानी निरीक्षण करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। साइट के दौरे और निगरानी आकलन के लिए, जियो-टैगिंग, जियो-फेंसिंग और वास्तविक समय रिपोर्टिंग के प्रावधानों के साथ मोबाइल ऐप विकसित की गई है। फ़ैक्ट्री निरीक्षण रिपोर्ट को बिना किसी देरी के वास्तविक समय के आधार पर भरना आवश्यक है।

कारखाना निगरानी के लिए आईटी सक्षम निगरानी योजना और मोबाइल ऐप-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली के कार्यान्वयन, उचित योजना और आउटसोर्स एजेंसियों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप कारखाना निगरानी के तहत लाइसेंसों का 91% (37043 लाइसेंस) कवरेज प्राप्त हुआ है जो पिछले वर्षों के कवरेज से काफी बेहतर है। कारखाना निरीक्षण गतिविधि के समान, बाजार निगरानी और त्वरित योजना के लिए आईटी सक्षम निगरानी योजना और मोबाइल ऐप-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से 68% (27526 लाइसेंस) लाइसेंसों के लिए बाजार के नमूने सफलतापूर्वक लिए गए हैं जिनके लिए नमूने बाजार प्रेषण बिंदु या संगठित खरीदार से लिए जा सकते हैं। इनकी संख्या में पिछले वर्षों के दौरान कवरेज की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बाजार निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लाइसेंसधारियों को एक ऑनलाइन डैशबोर्ड की सुविधा प्रदान की गई है जिसमें वे अपने उत्पाद एवं

कन्साइनी का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आयातित उत्पादों और मानक चिह्न वाले उत्पादों के लिए कन्साइनी पोर्टल विकसित किया गया है जहाँ विदेशी निर्माताओं को भारत में भेजे जाने वाले ऐसे उत्पाद जिन पर मानक चिह्न होता है, का विवरण प्रदान करना होता है। इसके बाद नमूने की खरीद और प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए बीआईएस द्वारा बाजार निगरानी की योजना बनाई जाती है। बाजार निगरानी के लिए शाखा कार्यालयों में समर्पित प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

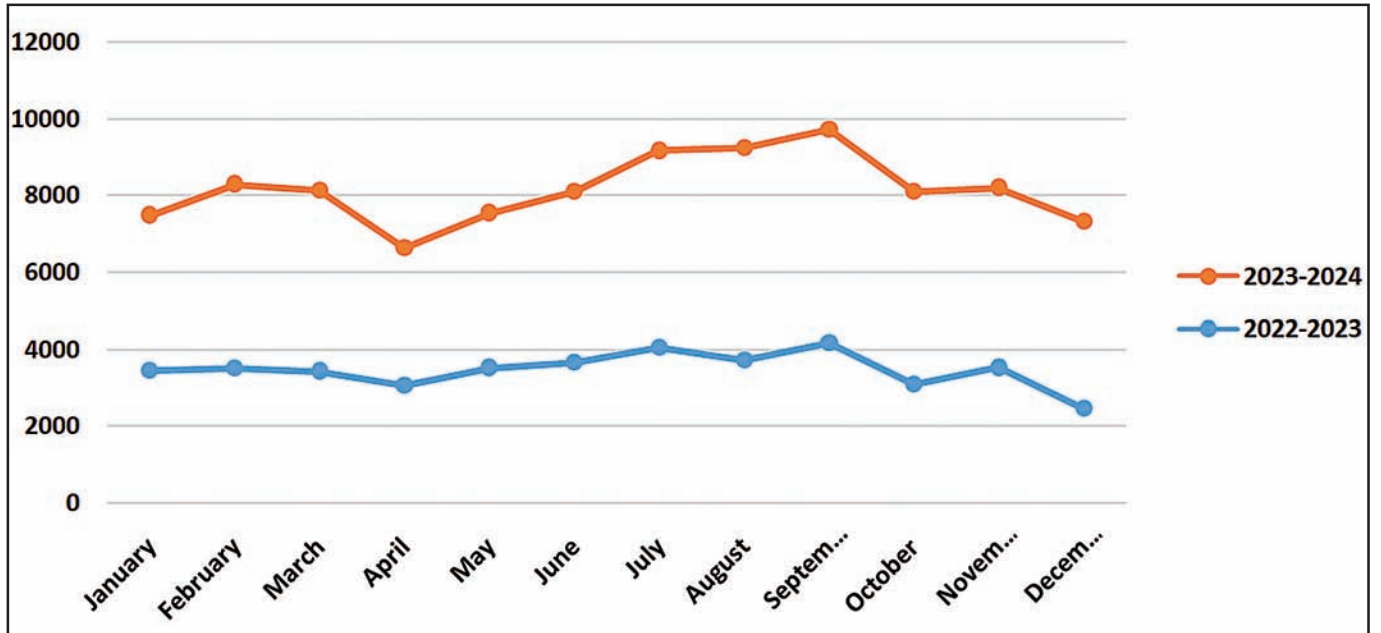
वित्त वर्ष 2021-22 में मोबाइल ऐप-आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत और एनएबीसीबी मान्यता प्राप्त निगरानी एजेंसियों की भागीदारी के माध्यम से तकनीकी संसाधनों के संवर्द्धन के बाद, सॉफ्टवेयर प्रणाली और नियोजन प्रक्रियाओं में किए गए संवर्द्धन के कारण वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कारखाने और बाजार निगरानी दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

पिछले वर्ष की तुलना में फैक्ट्री और बाजार निगरानी में वृद्धि

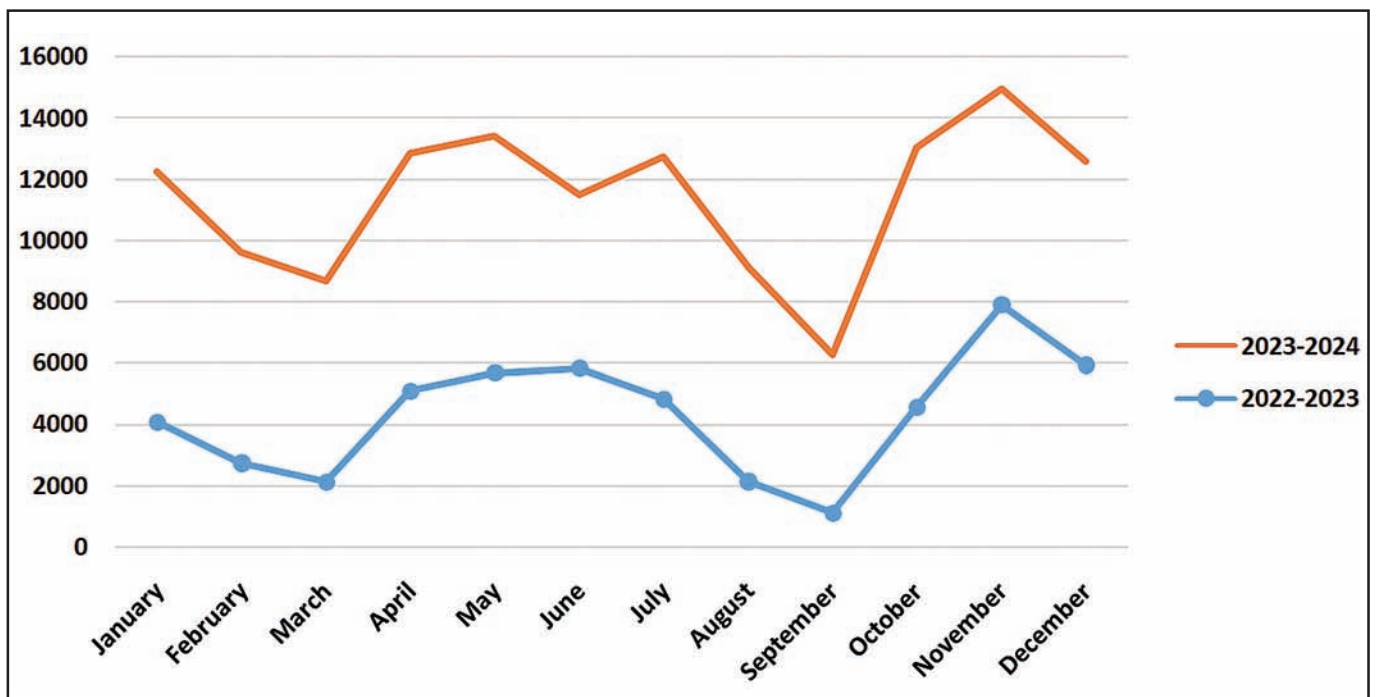


लाइसेंसों के प्रचालन की निगरानी के लिए वर्ष 2023-24 में कुल 56316 निगरानी निरीक्षण, 85051 बाजार निगरानी तथा 6537 लॉट निरीक्षण किए गए। इनके अलावा वर्ष के दौरान 8248 प्रारंभिक निरीक्षण तथा 4818 अन्य निरीक्षण भी किए गए।

पिछले वर्ष की तुलना में फैक्ट्री निगरानी में क्रमिक वृद्धि



पिछले वर्ष की तुलना में बाजार निगरानी में क्रमिक वृद्धि



5.1.5 विफलता विश्लेषण और अनुवर्ती कार्रवाई का संस्थागतकरण (उत्पाद वापसी और उत्पाद विशिष्ट कैप्सूल कोर्स)

5.1.5.1 बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 18 (6) के अनुसार यदि ब्यूरो उप-धारा (4) और (5) के प्रावधानों के तहत ऐसा लगता है कि जिन वस्तुओं, लेखों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों या सेवाओं के संबंध में मानक चिह्न का उपयोग किया गया है और वे प्रासंगिक मानक की अपेक्षाओं के

अनुरूप नहीं हैं तो ब्यूरो प्रमाणित निकाय, लाइसेंस धारक या उसके प्रतिनिधि को गैर अनुरूप वस्तुओं या वस्तुओं की आपूर्ति और बिक्री को रोकने के लिए निर्देश दे सकता है और ऐसी गैर अनुरूप वस्तुएँ या समान जो बिक्री के लिए मार्केट में जा चुके हैं उनको वापस ले सकता है या बिक्री के लिए रखी गई हैं और मुहरांकित वस्तुओं को बाजार या किसी ऐसे स्थान से वापस ले सकती हैं जहां से उन्हें बिक्री के लिए पेश किए जाने की संभावना है या सेवा प्रदान करने

पर रोक लगा सकती है। इसलिए उत्पाद प्रमाणन योजना की जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में तृतीय पक्ष प्रयोगशाला (टीपीएल) या फैक्टरी परीक्षण (एफटी) से परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्पाद (उत्पादों) की प्रत्येक गैर-अनुरूपता, सार्वजनिक स्वास्थ्य/सुरक्षा पर उत्पाद की गैर-अनुरूपता के प्रभाव के संबंध में विफलता का जोखिम मूल्यांकन विश्लेषण किया गया है। संबंधित बीआईएस शाखा कार्यालय लाइसेंसधारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश के साथ एक रिकॉल नोटिस/उत्पाद रिकॉल आदेश जारी करता है। आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए उत्पाद से जुड़े जोखिम के प्रकार सहित सार्वजनिक चेतवनी नोटिस के लिए एक टेम्पलेट बीआईएस वेबसाइट के साथ-साथ शाखा कार्यालय के वेबपेज पर दिया गया है। शाखा कार्यालय प्रिंट मीडिया (प्रेस विज्ञापन, विज्ञापन आदि) के माध्यम से व्यापक प्रचार भी करता है। 2023-24 के दौरान, बीआईएस में उत्पाद वापसी के 59 मामले सामने आए हैं।

5.1.5.2 उत्पाद विशिष्ट कैप्सूल कोर्स

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हमेशा एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। ऐसी ही एक पहल है बोटलबंद पेयजल, बिजली की तार और कंडक्टर, इस्पात उत्पाद, पाइप और पाइप फिटिंग, स्किम्ड मिल्क पाउडर, घरेलू उपकरण, पंप और मोटर, खिलौने, कपड़ा उत्पाद, सीमेंट और संबंधित उत्पाद, प्लाईवुड आदि जैसे विभिन्न उद्योगों के गुणता नियंत्रण और परीक्षण कर्मियों के लिए लघु अवधि के उत्पाद विशिष्ट कैप्सूल पाठ्यक्रम शुरू करना। ये पाठ्यक्रम उस क्षेत्र में उद्योग की सघनता के आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं जहाँ पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कैप्सूल पाठ्यक्रम निःशुल्क आयोजित किए जाते हैं और यह भारतीय मानकों और गुणता और परीक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में इसके अनुप्रयोग के बारे में प्रतिभागियों की जानकारी को बढ़ाते हैं।

गुणता नियंत्रण कर्मियों की तकनीकी विशेषज्ञता की कमी को बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करने/संचालन करते समय उद्योगों के सामने आने वाली बाधाओं में से एक के रूप में इंगित किया गया है। कई नए उत्पादों के अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के अंतर्गत आने से यह अंतर बढ़ रहा

है। ये कैप्सूल पाठ्यक्रम गुणता नियंत्रण और परीक्षण कर्मियों के कौशल में क्षमता अंतर को कम करने में मदद करते हैं और प्रतिभागियों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से कुशल बनाते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, बीआईएस की प्रशिक्षण शाखा, राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर बीआईएस शाखा कार्यालयों और इसकी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से 150 से अधिक ऐसे पाठ्यक्रम संचालित किए गए हैं। ये पाठ्यक्रम कक्षा आधारित थे और व्याख्यान, प्रस्तुतियों, वीडियो, केस स्टडी और इंटरैक्टिव कार्यशालाओं के माध्यम से किए गए थे। ये कैप्सूल पाठ्यक्रम राष्ट्रीय क्षमता निर्माण में योगदान देते हैं जिससे देश में गुणता पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि होती है।

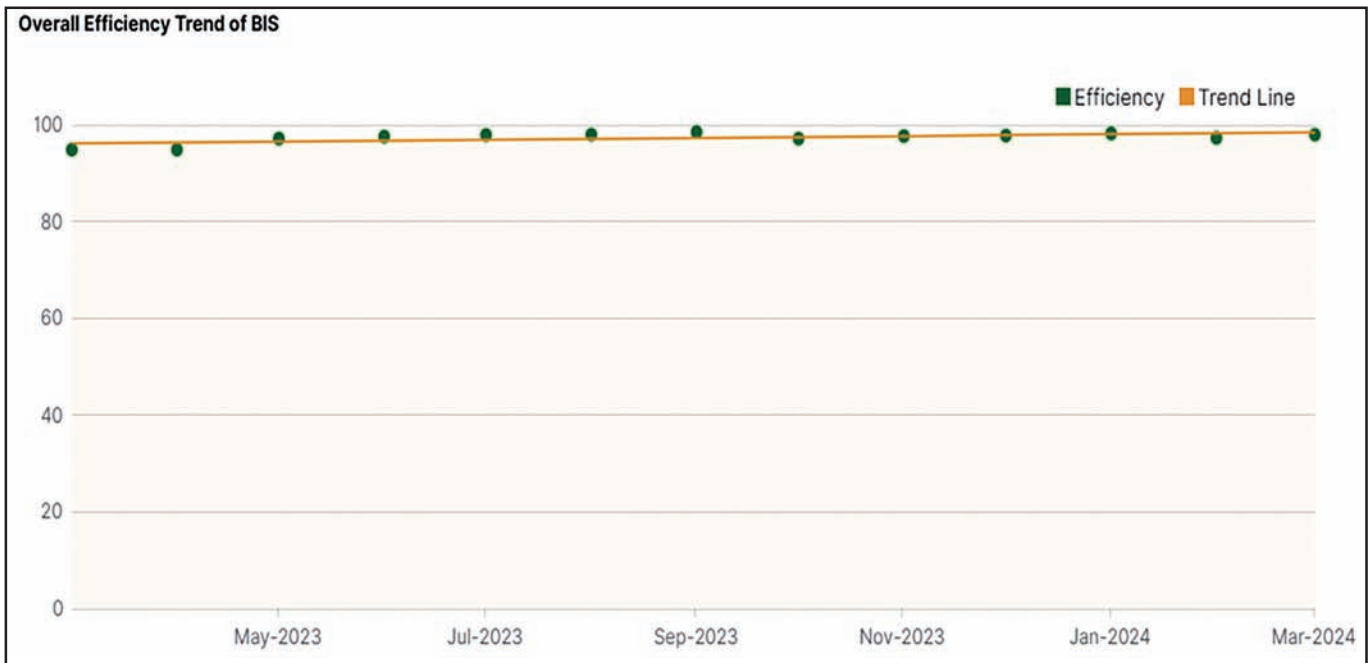
5.1.6 दक्षता सूचकांक

ब्यूरो द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए निर्दिष्ट समयसीमा के पालन की निगरानी के लिए दक्षता सूचकांक प्रणाली तैयार की गई है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक शाखा कार्यालय और प्रमाणन अधिकारी द्वारा समय-सीमा के भीतर पूर्ण की गई प्रमाणन गतिविधियों का प्रतिशत मासिक आधार पर गणना की जाती है।

सूचकांक में शामिल गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

- लाइसेंस देने के लिए आवेदनों की जांच
- लाइसेंस देने पर विचार करने के लिए प्रारंभिक निरीक्षण
- विकल्प-1 के तहत लाइसेंस देना (सामान्य प्रक्रिया)
- विकल्प-2 के तहत लाइसेंस देना (सरलीकृत प्रक्रिया)
- लाइसेंस के विषयक्षेत्र में परिवर्तन
- निरीक्षण रिपोर्ट की जांच
- परीक्षण रिपोर्ट की जांच

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समग्र दक्षता सूचकांक पूरे वर्ष 90 से ऊपर बना रहा। इसके अलावा दक्षता सूचकांक प्रवृत्ति रेखा में पूरे वर्ष में लगातार वृद्धि रही जो समयबद्ध तरीके से प्रदान की जा रही सेवाओं की बढ़ती संख्या को दर्शाता है।



5.1.7 बीआईएस एक सुविधाप्रदाता के रूप में – उद्योग अनुकूल पहल

- क) माइक्रो स्तर के उद्यमों के लिए न्यूनतम अंकन शुल्क को युक्तिसंगत बनाना – माइक्रो क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए बीआईएस ने सभी क्रियाशील उत्पाद प्रमाणन योजनाओं के अंतर्गत माइक्रो इकाइयों के लिए न्यूनतम अंकन शुल्क में 80% की कमी करने का निर्णय लिया।
- ख) लघु एवं माइक्रो उद्यमों (एसएमई) के लिए एसआईटी की प्रयोज्यता: गुणता आश्वासन योजना और परीक्षण के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षाओं के संबंध में माइक्रो और लघु इकाइयों के लिए निरीक्षण और परीक्षण योजना का अनुपालन वैकल्पिक बनाया गया है।
- ग) एमएसएमई निर्माताओं के लिए इन-हाउस परीक्षण प्रयोगशाला बनाए रखने की आवश्यकता को वैकल्पिक बनाया गया है: एमएसएमई निर्माताओं के लिए इन-हाउस परीक्षण सुविधाओं का निर्माण वैकल्पिक बना दिया गया है। अब उनके पास नामित बाहरी प्रयोगशालाओं को परीक्षण का उप-अनुबंध देने की सुविधा होगी।
- घ) निर्माता अपने नियंत्रण के स्तर को परिभाषित कर सकते हैं: उत्पाद विशिष्ट दिशा-निर्देश उन नियंत्रणों के स्तरों को रेखांकित करते हैं जो निर्माताओं द्वारा

नियंत्रित किए जाते हैं ताकि उत्पादों की अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। निर्माता अपने नियंत्रण के स्तर का चयन करने और अपने नियमित उत्पादन के दौरान उनका पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

- ड) लघु उद्यमों और स्टार्टअप्स के लिए अंकन शुल्क में युक्तिकरण— लघु उद्योगों और स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने और बीआईएस प्रमाणन का विकल्प चुनने में सुविधा प्रदान करने के लिए ताकि वे भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुसार देश के गुणता पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकृत हो सकें। बीआईएस ने सभी संचालित उत्पाद प्रमाणन योजनाओं के तहत स्टार्टअप्स के लिए न्यूनतम अंकन शुल्क में 80% और लघु उद्योगों के लिए 50% की कमी करने का निर्णय लिया।

5.1.8 गुणता नियंत्रण आदेश पर बल

बीआईएस प्रमाणन योजना मूल रूप से स्वैच्छिक प्रकृति की है। हालांकि कई उत्पादों के लिए भारतीय मानकों का अनुपालन केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य किया गया है जैसे कि सार्वजनिक हित, मानव, पशु या पौधे के स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापार रीतियों की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा। ऐसे उत्पादों के लिए केंद्र सरकार क्यूसीओ जारी करने के माध्यम से बीआईएस से लाइसेंस या अनुरूपता प्रमाणपत्र (सीओसी) के तहत मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग का निर्देश दिया गया है।

वर्ष 2023-24 में विभिन्न नियामकों/संबंधित मंत्रालयों ने बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I/योजना-II के अंतर्गत 267 उत्पाद भारतीय मानकों को सम्मिलित करते हुए 58 गुणता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) अधिसूचित किए हैं।

कुछ महत्वपूर्ण क्यूसीओ हैं – पेय जल की बोतलें (गुणता नियंत्रण) आदेश, 2023, ज्वाला उत्पन्न करने वाले लाइटर (गुणता नियंत्रण) आदेश, 2023 जिसमें 02 उत्पाद शामिल हैं, स्मार्ट मीटर (गुणता नियंत्रण) आदेश, 2023 जिसमें 02 उत्पाद शामिल हैं, कुकवेयर और बर्तन (गुणता नियंत्रण) आदेश, 2023 जिसमें 05 उत्पाद शामिल हैं, अग्निशामक यंत्र (गुणता नियंत्रण) आदेश, 2023 जिसमें 02 उत्पाद शामिल हैं, मेडिकल टेक्स्टाइल्स (गुणता नियंत्रण) आदेश, 2023 जिसमें 06 उत्पाद विद्युत उपकरण – पंखे (गुणता नियंत्रण) आदेश, 2024 और एयर कूलर और एयर फिल्टर (गुणता नियंत्रण) आदेश, 2024 आदि शामिल हैं।

5.2 अनिवार्य पंजीकरण योजना (सीआरएस)

बीआईएस भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उत्पादों पर बीआईएस मानक चिह्न () के उपयोग की अनुमति देने के लिए बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन विनियम 2018 की अनुसूची-II की योजना-II के अनुसार अनिवार्य पंजीकरण योजना (सीआरएस) का संचालन कर रहा है। यह योजना आईएस/आईएसओ/आईईसी 17067 की टाइप 2 योजना पर आधारित है।

यह योजना 2013 में घरेलू और विदेश में निर्मित नकली और घटिया उत्पादों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और घटिया या दोषपूर्ण उत्पादों के आयात/उत्पादन पर रोक लगाना और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के विकास को सुगम बनाना है। इस योजना में मुख्य रूप से उत्पादों के सुरक्षा पक्ष शामिल हैं।

शुरुआत में इस योजना के दायरे में केवल कुछ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पाद ही शामिल थे। पिछले कुछ वर्षों में कई आम उपभोक्ता वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, एलईडी टेलीविजन, डिजिटल कैमरा, वायरलेस इयरफोन, हेडफोन आदि कुछ आम उपभोक्ता वस्तुएँ हैं जो इस योजना के अंतर्गत आती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पादों के अलावा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और पॉलीफॉस्फोरिक एसिड जैसे रासायनिक उत्पादों और कॉटन बेल्स जैसे कपड़ा उत्पादों को भी चरणों में इस योजना के दायरे में लाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 09 अप्रैल 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएँ) आदेश, 2021 के तहत सीसीटीवी की सुरक्षा के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को अधिसूचित किया गया है।

31 मार्च 2024 तक, बीआईएस के पास भारत सहित 65 देशों में 23638 ऑपरेटिव लाइसेंस हैं। इनमें से—

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा अधिसूचित उत्पादों के लिए 23,122 लाइसेंस कार्यरत हैं।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा अधिसूचित उत्पादों के लिए 497 लाइसेंस कार्यरत हैं।
- रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उत्पादों के लिए 19 लाइसेंस कार्यरत हैं।

01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान कुल 5952 आवेदन प्राप्त हुए और कुल 5624 लाइसेंस प्रदान किए गए।

समानांतर परीक्षण (Parallel Testing): बीआईएस ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए अनिवार्य पंजीकरण योजना के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उत्पादों के समानांतर परीक्षण को लागू किया है। दिसंबर 2022 में मोबाइल फोन के लिए शुरू में समानांतर परीक्षण के दायरे को बढ़ाकर वायरलेस इयरफोन/हेडफोन और लैपटॉप/नोटबुक/टैबलेट को शामिल किया गया उसके बाद इसे 09 जनवरी 2024 से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण आदेश की आवश्यकताएँ), 2021 के तहत सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए स्थायी बना दिया गया।

इससे निर्माताओं को परीक्षण के लिए एक साथ कई उत्पाद घटक प्रस्तुत करने की सुविधा मिलती है जिससे अनुक्रमिक अप्रोच की तुलना में प्रमाणन प्रक्रिया में तेजी आती है। जबकि अंतिम पंजीकरण अनुक्रमिक रहता है जो समानांतर परीक्षण समग्र प्रमाणन समयसीमा को काफी कम कर देता है। प्रमाणन कार्यप्रवाह को अनुकूलित करके उत्पादों के



समानांतर परीक्षण का उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाना है और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बाज़ार में आने के समय को भी कम करना है। उत्पादों का समानांतर परीक्षण स्वैच्छिक प्रकृति का है और निर्माताओं के पास मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण के लिए बीआईएस को क्रमिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प अभी भी है।

5.3 विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना (एफएमसीएस)

बीआईएस वर्ष 2000 से विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना (एफएमसीएस) का संचालन कर रहा है। इस योजना के तहत विदेशी निर्माता बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार अपने उत्पाद(उत्पादों) पर बीआईएस मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए बीआईएस प्रमाणन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना भारत में उन उत्पादों के आयात की सुविधा प्रदान करती है जो संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप हैं।

1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान एफएमसीएस के तहत 414 लाइसेंस दिए गए जिससे 31 मार्च, 2024 तक 61 देशों में 217 भारतीय मानक शामिल हैं और सक्रिय लाइसेंसों की कुल संख्या हो गई 1,614 हैं। इस अवधि के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल थे जिनमें रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, इस्पातल और इस्पात उत्पाद, सड़क परिवहन के लिए सुरक्षा ग्लास, व्हील रिम्स, एयर कंडीशनर और हीट एक्सचेंजर्स, इलेक्ट्रिकल उत्पाद, खिलौने, सीमेंट, हर्मेटिक कंप्रेसर, फुटवियर, ऑटोमोबाइल टायर, खाद्य-संबंधी उत्पाद, औद्योगिक हेलमेट, रेफ्रिजरेटिंग उपकरण आदि शामिल हैं।

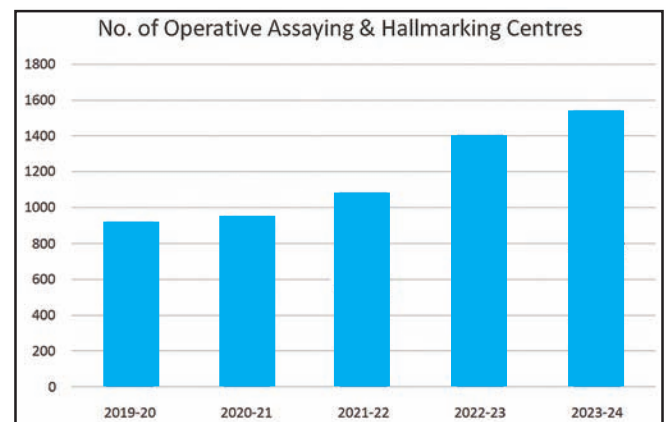
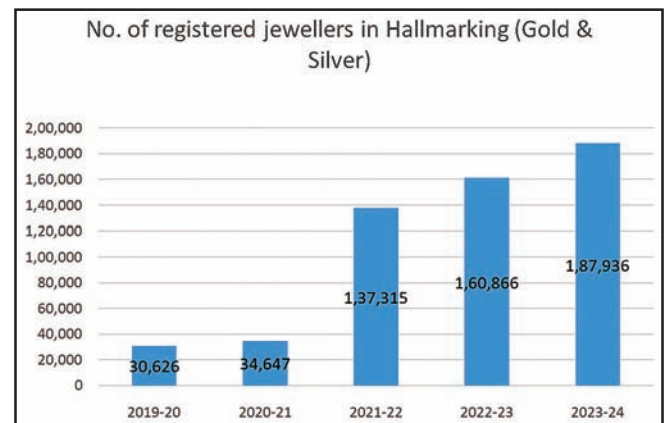
बीआईएस ने एक ऑनलाइन कंसाइनमेंट पोर्टल भी विकसित किया है जहाँ विदेशी लाइसेंसधारियों को भारत में भेजे जाने वाले आईएसआई-चिह्नित कंसाइनमेंट का विवरण देना आवश्यक है। लाइसेंसधारी द्वारा दर्ज किए गए कंसाइनमेंट के विवरण से संबंधित बीआईएस शाखा कार्यालय लागू भारतीय मानकों के अनुरूपता सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रणाली से उपभोक्ताओं को उच्च गुणता वाला मानकीकृत सामान सुलभ होता है। 2023-24 की अवधि के दौरान कुल 1022 नमूने लिए गए और परीक्षण के लिए बीआईएस या बीआईएस स्वीकृत प्रयोगशालाओं को भेजे गए।

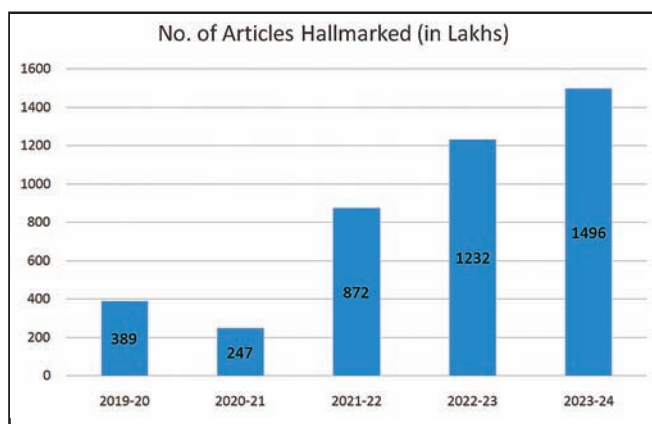
5.4 हॉलमार्किंग

(i) सोने/चाँदी के आभूषणों/शिल्पाकृतियों की हॉलमार्किंग

बीआईएस ने अप्रैल 2000 में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग शुरू की ताकि उपभोक्ताओं को सोने के आभूषणों की शुद्धता या उसकी उत्कृष्टता के बारे में तीसरे पक्ष का आश्वासन दिया जा सके। चांदी के आभूषणों/शिल्पाकृतियों की हॉलमार्किंग की योजना अक्टूबर 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जहाँ ज्वैल्स को हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने के लिए पंजीकरण दिया जाता है वहीं एसेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्रों को पंजीकृत ज्वैल्स द्वारा प्रस्तुत किए गए आभूषणों की शुद्धता की जाँच करने, शुद्धता की घोषणा करने और ऐसे आभूषणों पर हॉलमार्क लगाने की मान्यता दी जाती है जिसमें घोषित उत्कृष्टता सहित संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप पाए जाते हैं।

अप्रैल 2023 से मार्च, 2024 की अवधि के दौरान हॉलमार्किंग पंजीकरणों की संख्या 1,60,866 से बढ़कर 1,87,936 हो गई जबकि बीआईएस मान्यता प्राप्त एसेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 1,403 से बढ़कर 1,540 हो गई है। इसी अवधि के दौरान सोने और चांदी के आभूषणों/ शिल्पाकृतियों की 14.96 करोड़ वस्तुओं की हॉलमार्किंग की गई है।





(ii) अनिवार्य हॉलमार्किंग:

स्वर्ण आभूषणों/शिल्पाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग को 23 जून 2021 से देश के 256 जिलों में स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण शिल्पाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग आदेश, 2020 द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया।

बाद में 01 जून 2022 से स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पाकृतियों (संशोधन) आदेश, 2022 दिनांक 04 अप्रैल 2022 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग का दायरा 288 जिलों तक बढ़ा दिया गया जहाँ एसेयिंग और हॉलमार्किंग (ए एंड एच) केंद्र मौजूद हैं और भारतीय मानक आईएस 1417 में उल्लिखित 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के सोने के आभूषण/शिल्पाकृतियाँ भी इसमें शामिल हैं।

इसके अलावा स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पाकृतियाँ हॉलमार्किंग (तृतीय संशोधन) आदेश, 2023, दिनांक 06 सितंबर 2023 के माध्यम से अनिवार्य हॉलमार्किंग का दायरा 343 जिलों तक बढ़ा दिया गया।

(iii) स्वर्ण बुलियन की हॉलमार्किंग

आईएस 1417: 2016 के अनुसार 999 और 995 की शुद्धता वाले स्वर्ण बुलियन की हॉलमार्किंग अक्टूबर 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लाइसेंस उन रिफाइनरियों/टकसालों को दिया जाता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक या एक्वारेगिया प्रक्रिया द्वारा सोने का शोधन करते हैं और जिनके पास पूर्ण परीक्षण सुविधायुक्त प्रयोगशाला है और जो एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है।

31 मार्च 2024 तक सोने की बुलियन और सिक्के के लिए रिफाइनरियों/भारत सरकार टकसाल को 53 लाइसेंस दिए गए हैं।

(iv) स्वर्ण मौद्रिकरण योजना

भारत सरकार ने 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण मौद्रिकरण

योजना शुरू की है। बीआईएस ने आर्थिक मामलों के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर स्वर्ण मौद्रिकरण योजना को अंतिम रूप देने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त एसेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्रों को संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्र (सीपीटीसी) के रूप में कार्य करने के योग्य बनाया गया है।

अब तक 48 हॉलमार्किंग और एसेयिंग केंद्र, 01 ज्वैलर्स और 01 रिफाइनरी को सीपीटीसी के रूप में कार्य करने के लिए अर्हता प्राप्त हैं। सीपीटीसी द्वारा एकत्र किए गए सोने को बीआईएस द्वारा लाइसेंस प्राप्त रिफाइनरियों द्वारा परिष्कृत किया जाता है।

(v) हॉलमार्किंग का प्रचार

देश में स्वर्ण आभूषण व्यापार में प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण के लिए हॉलमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए बीआईएस द्वारा देश भर में अपने विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के माध्यम से ज्वैलर्स के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान 227 ऐसे ज्वैलर्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा बीआईएस समाचार पत्रों में विज्ञापनों, टीवी और रेडियो में स्कॉल संदेशों, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर क्रिएटिव, यूट्यूब में ऑडियो-विजुअल सामग्री के रूप में प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया में सूचनात्मक सामग्री का सक्रिय रूप से प्रसार कर रहा है।

(vi) योजनाएँ

बीआईएस केंद्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग (हॉलमार्किंग एवं एसेयिंग) केंद्र स्थापित करने के लिए योजना को क्रियान्वित कर रहा है। योजना के घटक नीचे दर्शाए गए हैं:

- क) बुनियादी ढांचे का निर्माण— एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग (एएंडएच) केंद्रों की स्थापना
- ख) क्षमता निर्माण
 - i) कारीगरों का प्रशिक्षण
 - ii) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (बीआईएस ऑडिटर)
 - iii) एसेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्रों के कर्मियों का प्रशिक्षण

2023-24 के दौरान हॉलमार्किंग योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के निर्माण में स्वर्ण एसेयिंग /हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना के लिए कार्यान्वयन समिति द्वारा केंद्रीय सहायता



के लिए सात एसेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्रों को मंजूरी दी गई और क्षमता निर्माण में, कारीगरों के प्रशिक्षण, एसेयिंग और हॉलमार्किंग कर्मियों के प्रशिक्षण और बीआईएस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित कार्यक्रमों की संख्या क्रमशः 08, 04 और 02 थी।

(vii) वर्ष 2023–24 के दौरान हॉलमार्किंग पहले

अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत कवर नहीं किए गए जिलों में मार्केट सर्वेक्षण

वर्तमान उपभोक्ता जागरूकता और प्राथमिकताओं को समझने के लिए उपभोक्ता समूहों के माध्यम से सितंबर और अक्टूबर 2023 के महीने में गैर-अनिवार्य जिलों में हॉलमार्क वाले आभूषणों के लिए गैर-अनिवार्य जिलों में एक मार्केट सर्वेक्षण किया गया था।

इस सर्वेक्षण में कामकाजी पेशेवरों, गृहणियों, उपभोक्ताओं और ज्वैलरों (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत) को लक्षित दर्शकों के रूप में लिया गया। 246 गैर-अनिवार्य जिलों में कुल 31,156 सर्वेक्षण किए गए, इनका ब्यौरा निम्नांकित है:—

- कार्यरत पेशेवर/ गृहिणी/ सामान्य उपभोक्ता—23,497
- बीआईएस पंजीकृत ज्वैलर्स— 3,890
- बीआईएस में गैर पंजीकृत ज्वैलर्स— 3,769
- इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, 92% उपभोक्ताओं ने गैर-अनिवार्य जिलों में बीआईएस में पंजीकृत ज्वैलर्स से हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को प्राथमिकता दी।
- बीआईएस में गैर-पंजीकृत ज्वैलर्स के बीच जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत कम था, इसमें

42% को बीआईएस हॉलमार्किंग योजना के बारे में और 39% को बीआईएस केयर ऐप के बारे में जानकारी थी।

- इसमें अधिकांश ज्वैलरों, जोकि तकरीबन 87% हैं, ने पहले से ही हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदने की बात कही, जो उद्योग में पहले से ही हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषण खरीदने की प्रचलित रीति को दर्शाता है।
- इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि अखिल भारतीय अनिवार्य हॉलमार्किंग के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी जिलों में एसेयिंग और हॉलमार्किंग केंद्र (एचसी) की सार्वभौमिक रूप से अपेक्षित नहीं है।
- अनिवार्य हॉलमार्किंग के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के पक्ष में प्रचलित राय देखी गई, जो भारतीय आभूषण बाजार में हॉलमार्किंग के महत्व में सामूहिक विश्वास को दर्शाता है।

5.5 प्रबंध पद्धति प्रमाणन

बीआईएस की प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाएं "आईएसओ/आईसी 17021-1:2015 अनुरूपता मूल्यांकन – प्रबंध पद्धतियों की ऑडिट और प्रमाणन प्रदान करने वाले निकायों के लिए अपेक्षाएँ" के अनुसार संचालित की जाती हैं।

वर्ष 1991 में क्यूएमएस के साथ स्थापना के बाद से तीन दशकों में, बीआईएस ने 20 से अधिक प्रमाणन योजनाओं में प्रगति की है जिसमें जेनेरिक के साथ-साथ क्षेत्र विशिष्ट प्रमाणन योजनाएं शामिल हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रचालित प्रबंध पद्धति प्रमाणन स्कीमों की सूची नीचे दी गई है:

क्र सं	प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना	प्रासंगिक भारतीय मानक	कार्यान्वयन का वर्ष
1.	गुणता प्रबंध पद्धति (क्यूएमएस)	आईएस/आईएसओ 9001	1991
2.	पर्यावरण प्रबंध पद्धति (ईएमएस)	आईएस/आईएसओ 14001	1997
3.	जोखिम विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी)	आईएस 15000	1998
4.	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस)	आईएस/आईएसओ 45001	2003
5.	खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति (एफएसएमएस)	आईएस/आईएसओ 22000	2006
6.	सेवा गुणता प्रबंध पद्धति (एसक्यूएमएस)	आईएस 15700	2007
7.	ऊर्जा प्रबंध पद्धति (ईएनएमएस)	आईएस/आईएसओ 50001	2013

क्र सं	प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना	प्रासंगिक भारतीय मानक	कार्यान्वयन का वर्ष
8.	सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबंध पद्धति (एसएमएस)	आईएस 16001	2016
9.	चिकित्सा उपकरण प्रबंध पद्धति (एमडीएमएस)	आईएस / आईएसओ 13485	2016
10.	सड़क यातायात सुरक्षा प्रबंध पद्धति (आरटीएसएमएस)	आईएस / आईएसओ 39001	2018
11.	निर्मित मिश्रित कंक्रीट (आरएमसी)	आईएस / आईएसओ 9001 + आईएस 4926	2018
12.	साहसिक पर्यटन सुरक्षा प्रबंध पद्धति (एटीएसएमएस)	आईएस / आईएसओ 21101	2018
13.	रिश्वतरोधी प्रबंध पद्धति (एबीएमएस)	आईएस / आईएसओ 37001	2019
14.	सूचना सुरक्षा प्रबंध पद्धति (आईएसएमएस)	आईएस / आईएसओ / आईईसी 27001	2019
15.	शैक्षणिक संगठन प्रबंध पद्धति (ईओएमएस)	आईएस / आईएसओ 21001	2019
16.	पैकेज्ड पाश्चुरीकृत दूध के लिए एकीकृत दूध प्रमाणन योजना (आईएमसीएस)	आईएस:13688 सहित आईएसओ 22000	2018
17.	सुरक्षा और निष्पादन के अपेक्षित सिद्धांतों के साथ चिकित्सा उपकरण गुणता प्रबंध पद्धति (एमडीएसपीएमएस)	आईएस 23485	2020
18.	पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंध पद्धति (पीडीडब्ल्यूएसएमएस)	आईएस 17482	2020
19.	निर्मित मिश्रित कंक्रीट प्रक्रिया प्रमाणन	आईएस 4926	2021
20.	दूध और दूध उत्पादों के लिए अनुरूपता मूल्यांकन योजना (सीएसएमएमपी)	डेयरी क्षेत्र के लिए भारतीय मानक, आईएस / आईएसओ 22000 और प्रक्रिया प्रमाणन	2021
21.	ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा प्रक्रिया	आईएस 19000	2023

बीआईएस एमएससी योजनाओं की प्रत्यायन स्थिति

बीआईएस एमएससी गतिविधि निम्नलिखित योजनाओं के लिए प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी), क्यूसीआई से मान्यता प्राप्त है:

- गुणता प्रबंध पद्धति (क्यूएमएस- 25 स्कोप सेक्टर),
- पर्यावरण प्रबंध पद्धति (ईएमएस -7 स्कोप सेक्टर),
- खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति (एफएसएमएस-3 स्कोप सेक्टर),
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएसएमएस -17 स्कोप सेक्टर)
- ऊर्जा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाएं (ईएनएमएस-8 स्कोप सेक्टर)

विशेष उपलब्धियां

मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) एवं इसके 72 केंद्रीय विपणन कार्यालयों (सीएमओ), 6 एकीकृत इस्पात संयंत्रों (आईएसपी), 6 खानों और 2 अधीनस्थ कार्यालयों में लागू की गई 'रिश्वत रोधी प्रबंध पद्धति' के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया।

नागपुर नगर निगम से "पाइप द्वारा पेयजल प्रबंध पद्धति" पर अखिल भारतीय स्तर पर पहला आवेदन प्राप्त हुआ।

एमएससी गतिविधि के लिए लेखा परीक्षक

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, 47 कार्मिकों को विभिन्न एमएससी योजनाओं में ऑडिट संसाधन के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 21 ऑडिट संसाधनों को उच्चतर ऑडिट स्तर तक प्रोन्नत किया गया।



सांख्यिकी की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अब तक कुल 126 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, जिससे 31 मार्च 2024 तक एमएससी के

परिचालन लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 1389 हो गई है। लाइसेंस प्रदान करने के लिए अन्य 109 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

वित्त वर्ष 2021– 2022		वित्त वर्ष 2022 – 2023		वित्त वर्ष 2023 – 2024 (मार्च 2024 तक)	
प्रदान किये गये लाइसेंस	कुल परिचालित लाइसेंस	प्रदान किये गये लाइसेंस	कुल परिचालित लाइसेंस	प्रदान किये गये लाइसेंस	कुल परिचालित लाइसेंस
81	1254	141	1295	126	1389

6 प्रयोगशाला

अनुरूपता मूल्यांकन के मुख्य स्तंभों में से एक ऐसी उत्पाद परीक्षण है, जिससे उत्पादों की प्रासंगिक मानकों के अनुरूपता का पता लगाया जा सके। बीआईएस ने अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं से उत्पन्न नमूनों की परीक्षण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए देश में आठ प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं, जिनकी शुरुआत सन् 1962 में साहिबाबाद में केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना के साथ हुई थी। इसके बाद, मोहाली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ और पटना, बेंगलूर और गुवाहाटी में तीन शाखा कार्यालय प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं। बीआईएस प्रयोगशालाओं में रासायनिक, सूक्ष्मजीवविज्ञानी, विद्युत और यांत्रिक अपेक्षाओं के क्षेत्र में उत्पादों के परीक्षण की सुविधाएँ हैं। उत्पाद परीक्षण के अलावा, बीआईएस ने अपनी 06 प्रयोगशालाओं और हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर में 02 शाखा कार्यालयों में स्वर्ण एसेइंग प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। चेन्नई में स्वर्ण एसेइंग प्रयोगशाला चांदी के आभूषणों का भी परीक्षण करती है।

बीआईएस प्रयोगशाला सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के साथ गति बनाए रखें इसे सुनिश्चित करने हेतु आईएसओ/आईसी 17025 के अनुसार साहिबाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मोहाली, बेंगलुरु, पटना और गुवाहाटी स्थित प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई है। बीआईएस बाहरी प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए प्रयोगशाला मान्यता योजना (एलआरएस) भी संचालित करता है।

बीआईएस प्रयोगशाला मान्यता के अंतर्गत 326 बीआईएस प्रयोगशालाएँ हैं और इसमें पैनल की ऐसी 266 सरकारी प्रयोगशालाएँ हैं, जिनमें प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास संगठन, तकनीकी संस्थान, सरकारी प्रयोगशालाएँ और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। बीआईएस

प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाएँ विकसित करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होने पर इन प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

6.1 बीआईएस नेटवर्क के अंतर्गत प्रयोगशालाओं का परीक्षण निष्पादन:

1. प्रयोगशालाओं में परीक्षण और नमूना तैयार करने की गतिविधि के स्वचालन पर ध्यान देने के साथ-साथ प्रयोगशालाओं के समग्र परीक्षण आउटपुट में वृद्धि हुई है और बीआईएस प्रयोगशालाएं नियमित रूप से प्रति माह 6500 से अधिक नमूनों का आउटपुट दे रही हैं, जो कुछ महीनों में 7000 नमूनों को भी पार कर गया है।
2. वर्ष 2023–24 में बीआईएस ने 2,15,357 नमूनों का परीक्षण किया, जिनमें से 1,19,706 नमूनों का परीक्षण बीआईएस की अपनी प्रयोगशालाओं में किया गया और 95,651 नमूनों का परीक्षण बीआईएस से मान्यता प्राप्त और पैनलबद्ध प्रयोगशालाओं में किया गया।

6.2 बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण

1. बीआईएस प्रयोगशालाओं में परीक्षण गतिविधि को आधुनिक करने के उद्देश्य से सभी बीआईएस प्रयोगशालाओं में परीक्षण उपकरणों की खरीद के लिए बड़ी प्रक्रिया चल रही है और कुल 432 उपकरण खरीदे जा चुके हैं और सभी बीआईएस प्रयोगशालाओं में उनका उपयोग किया जा रहा है। बीआईएस प्रयोगशालाओं के लिए उच्च-स्तरीय उपकरणों की खरीद के लिए, वैश्विक निविदा जांच की मेजबानी करने से छूट मांगने का प्रस्ताव सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय को भेजा गया था। प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और उपकरणों की खरीद प्रक्रियाधीन है।

2. प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और परीक्षण के साथ-साथ नमूना तैयार करने में उभरते रुझानों, सर्वोत्तम रीतियों और स्वचालन में नवीनतम प्रगति को शामिल करने के तरीकों की खोज करने के संबंध में बीआईएस प्रयोगशालाओं ने विभिन्न परीक्षण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित करना शुरू किया है। वर्ष 2023-24 में बीआईएस प्रयोगशालाओं ने रासायनिक, यांत्रिक, विद्युत, सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक तथा सोने के परीक्षण के साथ-साथ नमूना तैयार करने की प्रक्रियाओं के क्षेत्र में 09 सम्मेलन आयोजित किए हैं।
3. बीआईएस परीक्षण केंद्रों को विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं के रूप में विकसित करने के लिए भवन परिसर, परीक्षण उपकरण, वर्क स्टेशनों और अन्य सुविधाओं के संबंध में संपूर्ण बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया गया है।

6.3 परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाना

1. गुणता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के तहत उत्पादों के परीक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, बीआईएस प्रयोगशालाओं ने पिछले वर्ष 51 नए उत्पादों के लिए ऐसी परीक्षण क्षमताएं विकसित की हैं, जिनमें गुवाहाटी में भवन निर्माण सामग्री परीक्षण, खाद्य उत्पाद, लेमिनेटेड लकड़ी, मोहाली में खिलौनों और विद्युत उपकरणों में रासायनिक परीक्षण, कोलकाता में दूध की बोतलें, जूट बैग, एग्री बर्तन और वायरिंग सहायक उपकरण, साहिबाबाद में जल के माध्यम से वितरित करने योग्य पाउडर और बेंगलुरु में सिंचाई उपकरण और औद्योगिक रसायन शामिल हैं।
2. उपर्युक्त के अतिरिक्त क्यूसीओ के अंतर्गत वस्त्र उत्पादों के परीक्षण हेतु बीआईएस ने हैदराबाद में परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए कार्य शुरू किया है।

6.4 प्रयोगशालाओं की मान्यता एवं पैलबद्धता:

1. वर्ष 2023-24 में बीआईएस ने बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं के अंतर्गत उत्पादों के परीक्षण के लिए 37 बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी और 02 सरकारी प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध किया,

जिससे मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 326 और सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 268 हो गई।

2. क्यूसीओ के अंतर्गत लाए जाने वाले उत्पादों की संख्या में वृद्धि के साथ बीआईएस से मान्यता के लिए नए आवेदनों की संख्या भी नियमित रूप से बढ़ोतरी हो रही है। इन प्रयोगशालाओं में सेफ्टी ग्लास, प्लास्टिक, स्टील उत्पादों, फुटवियर, आईटी और सीआरएस उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण करने हेतु मान्यता दी गई है।

6.5 परीक्षण गतिविधि में निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी:

1. देश में मौजूदा परीक्षण सुविधाओं को प्रयोगशाला नेटवर्क के अंतर्गत लाने हेतु, बीआईएस ने बीआईएस के साथ समझौता ज्ञापन करने वाले शैक्षणिक संस्थानों से संपर्क किया है। बड़े और मध्यम स्तर के निर्माताओं से भी संपर्क किया गया है, जिनके पास अपनी इन-हाउस परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं और उन्हें बीआईएस से मान्यता प्राप्त करने के लिए जागरूक किया गया है।
2. इन संस्थानों और उद्योगों के अंतर्गत प्रयोगशालाएँ केवल आंतरिक प्रशिक्षण, शिक्षण और गुणता नियंत्रण उद्देश्यों के लिए परीक्षण कार्य कर रही हैं। अतः अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं के तहत नमूनों के परीक्षण के लिए बीआईएस द्वारा मान्यता/पैल प्राप्त करना इन प्रयोगशालाओं को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। बदले में बीआईएस क्यूसीओ के कार्यान्वयन हेतु औद्योगिक क्षेत्र को आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने में सक्षम हुआ है।
3. सीमेंस (मुंबई), नोवेटर (नासिक), विजय इलेक्ट्रिकल्स (हरिद्वार) द्वारा संचालित प्रयोगशालाओं को विद्युत पारेषण उपकरणों के लिए तथा हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स (हल्दिया), एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी (नोएडा) को पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए मान्यता दी गई है। इसी प्रकार सीआईपीईटी संस्थानों, आईआईटी और विभिन्न अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा संचालित प्रयोगशालाओं ने भी बीआईएस से मान्यता प्राप्त कर ली है और अब वे बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं के तहत उद्योगों

को परीक्षण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

6.6 प्रयोगशाला मान्यता योजना की शुल्क संरचना में छूट:

1. एलआरएस की शुल्क संरचना को संशोधित किया गया है और एमएसएमई और महिला उद्यमियों के लिए मान्यता शुल्क 1,00,000.00/- रुपये से घटाकर 60,000.00/- रुपये कर दिया गया है। मान्यता के दायरे में अधिक से अधिक भारतीय मानकों/उत्पादों को शामिल करने के लिए प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहित करने के लिए समावेशन आवेदन और प्रसंस्करण शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।
2. आईएस 12171 के अनुसार कपास गांठों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जिसे गुणता नियंत्रण आदेश के माध्यम से अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत लाया गया है, बीआईएस ने बीआईएस एलआरएस के तहत प्रयोगशाला की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क को 40,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए हैं और मान्यता शुल्क तीन साल के लिए 1,00,000 रुपये से घटाकर एक साल के लिए 20,000 रुपये कर दिया गया है। हितधारकों की बातचीत के आधार पर आईएस 12171:2019 के अनुसार कपास गांठों के लिए बीआईएस मान्यता के लिए आवेदन करने वाली प्रयोगशालाओं के लिए एक वर्ष के लिए आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार मान्यता की अपेक्षा में छूट भी दी गई है।

6.7 आईटी उपकरणों का उपयोग:

1. परीक्षण उपकरणों को एलआईएमएस पोर्टल के साथ एकीकृत करना: परीक्षण संचालन में मानवीय हस्तक्षेप को और कम करने के लिए बीआईएस ने प्रयोगशाला सूचना प्रबंध पद्धति (एलआईएमएस) पोर्टल के साथ परीक्षण उपकरणों को एकीकृत करने की परियोजना शुरू की है। इस सुविधा के जुड़ने से परीक्षण अवलोकन सीधे परीक्षण रिपोर्ट में दर्ज किए जा सकेंगे, जिससे समग्र उत्पादकता बढ़ेगी और डेटा ट्रांसफर में त्रुटियों को रोका जा सकेगा। इस एकीकरण से परिणामों को नोट करने की अपेक्षा के बिना परीक्षण अवलोकनों की

ऑनलाइन पोर्टल में सीधी प्रविष्टि हो सकेगी जिससे परीक्षण संचालन में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। परिणामों की रिपोर्टिंग में त्रुटि को और कम करने के लिए इस प्रणाली में इनबिल्ट सूत्र और गणनाएँ प्रदान की जा रही हैं। एकीकरण के पहले चरण में, खुले पोर्ट या कनेक्टेड सिस्टम के माध्यम से डेटा को स्थानांतरित करने की क्षमता रखने वाले परीक्षण उपकरणों को लिया गया है और अगले चरण में ऐसे उपकरणों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने के लिए संशोधन और उन्नयन हेतु लिया जाएगा, जिनमें ऐसी कोई सुविधा हों।

2. यूटीआर प्रारूपों का विकास: सभी बीआईएस प्रयोगशालाओं और बीआईएस मान्यता प्राप्त बाह्य प्रयोगशालाओं के लिए प्रमाणन के तहत सभी उत्पादों के लिए एलआईएमएस में एक समान परीक्षण रिपोर्ट (यूटीआर) प्रारूप तैयार किए गए हैं। आज तक बीआईएस की अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं के तहत उत्पादों के लिए लगभग 8000 ऐसे प्रारूप तैयार किए गए हैं।

6.8 बेहतर समर्थन पद्धति

1. जीआईजेड के सहयोग से भारत-जर्मन विशेषज्ञ आदान-प्रदान के अंतर्गत प्रयोगशाला सुरीतियों पर कार्यशाला और भारत में प्रमुख प्रयोगशालाओं और निर्माताओं के दौरे का आयोजन किया गया है, ताकि बीआईएस अधिकारियों को विश्लेषणात्मक, धातुकर्म, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से संबंधित अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी मिल सके।
2. बीआईएस ने कॉलेज के छात्रों को प्रयोगशाला गतिविधियों में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करके उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए अपनी सभी प्रयोगशालाओं में इंटरशिप कार्यक्रम शुरू किया है। 2 से 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किए गए इंटरन बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं के अंतर्गत उत्पादों के परीक्षण में सहायता करते हैं। वर्ष 2023-24 में, ऐसे कुल 52 इंटरन विभिन्न कार्यों में शामिल थे, जिनमें नमूना परीक्षण, सुविधाओं का अंतर विश्लेषण, विधि विकास, माप अनिश्चितता विश्लेषण, विधि सत्यापन और तकनीकी रिकॉर्ड का रखरखाव शामिल था। इन इंटरन को भारतीय मानकों,



प्रयोगशाला रीतियों, परीक्षण प्रक्रियाओं और उपकरण संचालन में प्रशिक्षण दिया गया।

3. बीआईएस प्रयोगशालाओं ने उद्योग और अन्य प्रयोगशालाओं को उत्पादों, परीक्षण मापदंडों, परीक्षण विधियों और अन्य प्रासंगिक तकनीकी जानकारी से परिचित कराने के लिए भारतीय मानकों पर मानक मंथन कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2023–24 के दौरान ऐसे 07 कार्यक्रम आयोजित किए गए।
4. मानक निर्माण विभागों के साथ समन्वय में बीआईएस प्रयोगशालाएँ तकनीकी समितियों के सदस्य सचिवों को तकनीकी विभागों द्वारा तैयार/संदर्भित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बीआईएस प्रयोगशालाओं में परीक्षण करने के बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन कर रही हैं। इन कार्यशालाओं में परीक्षण गतिविधियों में खतरनाक उपभोग्य सामग्रियों के उपयोग एवं प्रहस्तन से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय तथा सामाजिक सरोकारों को भी शामिल किया जा रहा है।

5. हितधारकों के साथ परामर्श: विचाराधीन गुणता नियंत्रण आदेशों के संबंध में उद्योग की परीक्षण अपेक्षाएं चयनित करने हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकों की श्रृंखला आयोजित की गई है।

6.9 अन्य प्रयोगशालाओं को वित्तीय सहायता

1. देश में कार्यरत सरकारी प्रयोगशालाओं को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई सुविधाएं सृजित करने तथा उनके परीक्षण ढांचे के उन्नयन में सहायता करने हेतु बीआईएस ने परीक्षण उपकरणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है:
 - क. वस्त्रादि समिति विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों और भारतीय कपास निगम की प्रयोगशालाओं में कपास के रेशे के परीक्षण करने की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 38.72 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
 - ख. एफएसएसएआई की जैविक खाद्य परीक्षण हेतु अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं

को सुदृढ़ करने का 116.25 करोड़ रुपये लागत का ऐसा प्रस्ताव, जिसमें 12 एफएसएसआई अधिसूचित राज्य खाद्य प्रयोगशाला और अन्य सरकारी संगठनों के अंतर्गत कार्य करने वाली 12 एफएसएसआई अधिसूचित प्रयोगशालाएं शामिल हैं।

- ग. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा 37.49 करोड़ रुपये का विश्वसनीयता, निरीक्षण और परीक्षण (एएमआरआईटी) हेतु मापविज्ञान के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
- घ. ई0 और ई1 श्रेणी के भार के अंशांकन हेतु आरआरएसएल में अन्य उपकरणों के साथ रोबोटिक मास कंपरेटर की स्थापना का प्रस्ताव। आरआरएसएल में 100 करोड़ रुपये की लागत से आवश्यक बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करने के बाद चरणबद्ध तरीके से स्थापना की जानी है।
- ङ. एनटीएच जयपुर में ट्रांसफार्मरों की शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा सहित विद्युत पारेषण और वितरण क्षेत्रों हेतु एकीकृत परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए 50.11 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- च. एनटीएच मुंबई में स्विच गियर परीक्षण

सुविधा के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

6.10 नई उपलब्धियां एवं पहले

1. माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री (सीए, एफ एंड पीडी) के निर्देशों के साथ बीआईएस को दिनांक 8 और 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में पीने के पानी की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। भारत मंडपम में बीआईएस द्वारा एक ऑनसाइट परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी और आपूर्ति लाइन के विभिन्न बिंदुओं से लिए गए पानी के नमूनों का विश्लेषण फील्ड-टेस्टिंग किट (एफटीके) और रैपिड परीक्षण उपकरणों का उपयोग करके रासायनिक मापदंडों के लिए किया गया था। जैविक और रेडियोलॉजिकल मापदंडों के साथ-साथ शेष रासायनिक परीक्षणों के लिए, लिए गए नमूनों का परीक्षण ऑफसाइट किया गया।
2. स्वर्ण आभूषणों के परीक्षण से निकलने वाले उत्पादों के प्रभावों का आकलन करने हेतु बीआईएस की सभी रेफरल एसेइंग प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदूषण अध्ययन किया गया। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों द्वारा निष्प्रभावीकरण से पहले और बाद में स्वास्थ्य और सुरक्षा सहनशीलता के संबंध में प्रदूषक पदार्थों और यौगिकों की सांद्रता की जांच की गई। सभी



प्रयोगशालाओं की अध्ययन रिपोर्टों की तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई है और सभी बीआईएस प्रयोगशालाओं में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु विशेषज्ञों की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। सभी बीआईएस प्रयोगशालाओं में किए जा रहे विश्लेषणात्मक परीक्षण के उपोत्पादों हेतु अब इसी तरह का अध्ययन

करने की योजना बनाई जा रही है।

3. परीक्षण और अंशांकन सलाहकार समिति (टीसीएसी) की 15वीं बैठक दिनांक 22 नवंबर 2023 को आयोजित की गई, जिसमें बीआईएस प्रयोगशाला गतिविधियों के अंतर्गत पहल और उपलब्धियों के बारे में समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई और देश में प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे के विकास के नए क्षेत्रों और सुधार की भविष्य की संभावनाओं की पहचान करने के लिए

प्रशिक्षण सेवाएँ

राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान

वर्ष
2023—24

प्रशिक्षण के विवरण	समय	प्रतिभागी
तकनीकी समितियों के अध्यक्ष	9	303
तकनीकी समितियों के सदस्य	8	956
संघीय मंत्रालयों में मानकीकरण प्रकोष्ठ	2	84
बीआईएस में आईएसओ समिति प्रबंधक	1	30
तकनीकी संस्थानों में संकाय सदस्य	1	22
संघों में मानकीकरण प्रकोष्ठ	7	267
यंग प्रोफेशनल	1	81
सरकारी विभाग	20	469
प्रयोगशाला संबंधी	41	1075
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	4	109
उत्पाद प्रमाणन	1	20
प्रबंध पद्धति एलए, डीओसी तथा आईए	30	681
राष्ट्रीय भवन संहिता एवं एसडीबीआर	13	358
राष्ट्रीय विद्युत कोड	4	171
कैप्सूल कोर्स सीओपी	9	228
एनआईटीएस में आंतरिक प्रशिक्षण	21	997
आईआईएम में प्रशिक्षण	6	235
संसाधन विशेषज्ञ सीओ/ एनजीओ	5	323
कुल	170	6409
प्रशिक्षुता	1	178

पीछे मुड़कर और आने वाले
वर्ष को देखते हुए

भारतीय मानक ब्यूरो
बीआईएस लोगो



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

पुनर्विलोकन (लुकिंग बैक)

जैसे ही हम वर्ष 2023-24 में एनआईटीएस की उपलब्धियों पर विचार करने लगते हैं बड़ी खुशी की बात है कि हम एनआईटीएस में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में हुई प्रगति और उपलब्धियों को साझा करते हैं।

इस वर्ष का मुख्य आकर्षण प्रशिक्षण कार्यनीति के अनुरूप अच्छी तरह से डिजाइन किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे आंतरिक कार्यबल और हितधारकों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने पर था। मुख्यालय, शाखा कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में बीआईएस के विभिन्न विभागों के ठोस प्रयासों और अटूट समर्थन के बिना इन उपलब्धियों में से कुछ भी संभव नहीं हो पाता। उनके अमूल्य प्रयास, विशेषज्ञता और मार्गदर्शन ने न केवल उच्च गुणता वाली प्रशिक्षण सामग्री को डिजाइन करने और वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो उद्योग मानकों और सर्वोत्तम रीतियों के अनुरूप है, अपितु क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के साथ-साथ उद्योगों के साथ समन्वय और विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करने, हितधारकों तक पहुंच और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने में भी सक्षम बनाया है।

प्रशिक्षण कार्यनीति

तकनीकी प्रगति और बीआईएस अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन ने बीआईएस और उसके हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को नया रूप दिया है। बीआईएस ने संगठन के भीतर मौलिक मूल्य के रूप में सीखने को प्राथमिकता देने के ऐसे प्रयास शुरू किए, जो समस्त चयनित हितधारकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसमें आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों का व्यवस्थित प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण शामिल है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर पेशेवर ज्ञान और कौशल को बढ़ाना है।

एनआईटीएस ने विभिन्न प्रशिक्षण प्रारूपों के माध्यम से विविध हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रशिक्षण कार्यनीति विकसित की है।



TRAINING STRATEGY OF BUREAU OF INDIAN STANDARDS 2023-24

National Institute of Training for Standardization,
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
A 20-21, Institutional Area, Sector 62, Noida, India

Trainings for effective Standardization



प्रभावी मानकीकरण प्रशिक्षण

तकनीकी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य नये मानकों के निर्माण और मौजूदा मानकों के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्योग संघों में मानकीकरण प्रकोष्ठों से अपेक्षा की जाती है कि वे मानकीकरण हेतु नए क्षेत्रों का चयन करने तथा मौजूदा मानकों में संशोधन करने और उनके कार्यान्वयन में प्रभावी रूप से योगदान दें। मंत्रालयों में मानकीकरण प्रकोष्ठों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करें, जिससे प्रभावी मानक विकास और कार्यान्वयन संभव हो सके।

प्रशिक्षण विवरण	प्रशिक्षण	प्रतिभागियों
टीसी अध्यक्ष	9	303
टीसी सदस्य	8	956
पर एसटीडीज़ सेल	2	84
केंद्रीय मंत्रालय आईएसओ समिति	1	30
बीआईएस में प्रबंधक संकाय सदस्य	1	22
टेक संस्थानों में इंडस्ट्रीज़ में एसटीडीज़ सेल	7	267
संघों युवा पेशेवरों	1	81

शिक्षा जगत न केवल छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच मानकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपितु शिक्षा जगत द्वारा किया गया अनुसंधान और विकास नए मानकों के विकास का आधार भी बन सकता है।

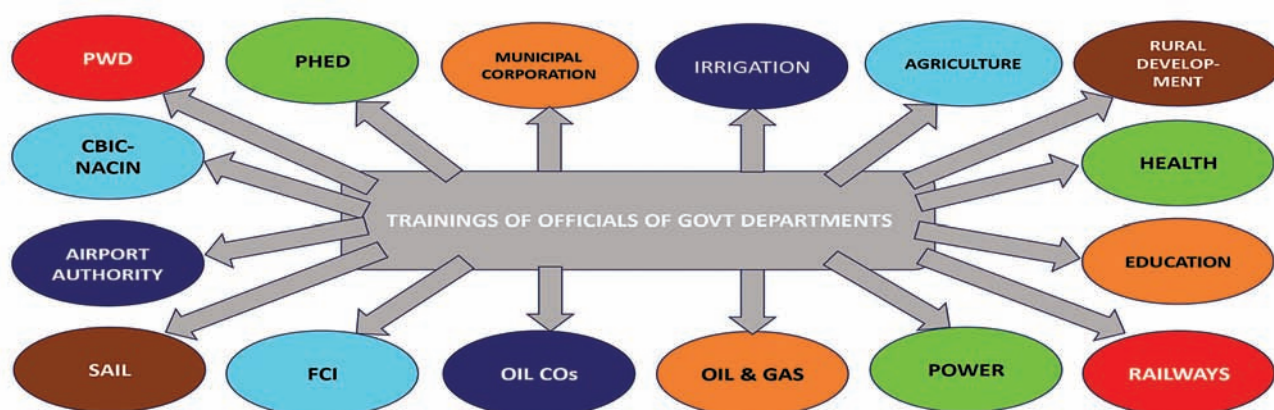
एनआईटीएस में प्रशिक्षण का उद्देश्य राष्ट्रीय मानकीकरण की दिशा में व्यक्तिगत प्रयासों के अभिसरण पर इन हितधारकों को स्पष्ट समझ प्रदान करना था।

Capacity Building - Govt officials



सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में मानक बहुत ज़रूरी हैं और यह बेहद ज़रूरी है कि इन कार्यक्रमों को लागू करने वाले सरकारी अधिकारी प्रासंगिक भारतीय मानकों से अवगत हों, ताकि न केवल इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और प्रक्रियाओं को समझा जा सके अपितु

संबंधित डोमेन क्षेत्रों में मानकों के विकास में भी योगदान दिया जा सके। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बीआईएस ने एनआईटीएस में राज्य, केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है।

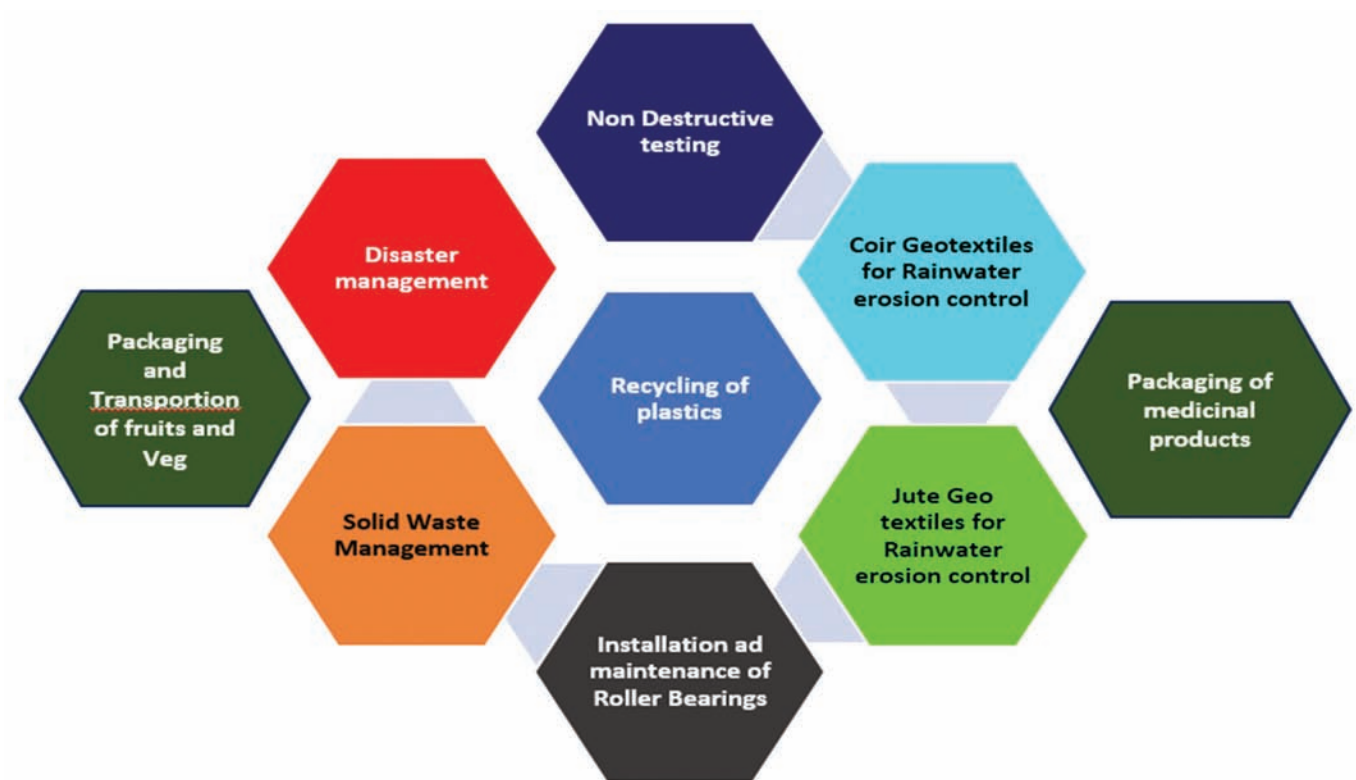


20 प्रशिक्षण – 469 अधिकारी

क्षमता निर्माण रीति संहिता

रीति संहिता के मानक न केवल विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों में सुरक्षा, गुणता और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपितु प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और व्यापार को सुविधाजनक बनाने में भी मदद करते हैं। इन मानकों का उपयोग उद्योग कर्मियों, सरकारी विभागों, नियामक प्राधिकरणों आदि सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जा रहा है।

रीति संहिता के मानकों पर हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना अनुपालन सुनिश्चित करने, गुणता और सुरक्षा बढ़ाने, उत्पादकता और दक्षता में सुधार करने, प्रतिष्ठा बढ़ाने और निरंतर सुधार की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक है।



9 प्रशिक्षण – 228 प्रतिभागी

राष्ट्रीय भवन संहिता

देश तेजी से शहरीकरण और विकास की राह पर है। भवनों एवं संबंधित बुनियादी ढांचे की गुणता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में एनबीसी के महत्व को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है कि भवन नियोजन, डिजाइन, निर्माण और संचालन और रखरखाव में योगदान देने वाले विभिन्न हितधारक एनबीसी 2016 के प्रावधानों से अच्छी तरह परिचित हों ताकि संहिता के प्रावधानों और मंशा का विवेकपूर्ण कार्यान्वयन हो सके। एनआईटीएस ने इस वित्तीय वर्ष में 12 उक्त कोर्स आयोजित किए हैं।

12 प्रशिक्षण – 322 प्रतिभागी



भारत की राष्ट्रीय विद्युत संहिता

विद्युत प्रतिष्ठानों की योजना, डिजाइन, स्थापना और परीक्षण में योगदान देने वाले विभिन्न हितधारकों द्वारा इसके विवेकपूर्ण कार्यान्वयन के लिए एनईसी के प्रावधानों के बारे में जागरूकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, एनआईटीएस ने 2023से अपने हितधारकों के लिए दो दिवसीय कैप्सूल पाठ्यक्रम शुरू किया है।

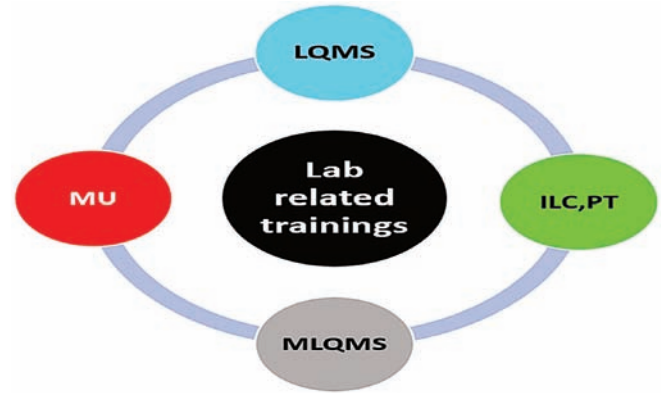
4 प्रशिक्षण – 171 प्रतिभागी



प्रयोगशालाओं संबंधि प्रशिक्षण

इन कार्यक्रमों को प्रयोगशालाओं के संचालन में विश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है और इसमें प्रयोगशालाओं हेतु ऐसी अपेक्षाएं शामिल हैं, जिससे वे अपनी योग्यता प्राप्त कर सकें और उसका प्रदर्शन कर सकें तथा वैध परिणाम उत्पन्न कर सकें।

41 प्रशिक्षण 1075 प्रतिभागी



प्रबंध पद्धति संबंधित प्रशिक्षण

प्रबंध पद्धति पर प्रशिक्षण का आयोजन संगठन के प्रमुख अधिकारियों को संगठन में प्रासंगिक मानक लागू करने के लिए अपेक्षित योग्यता से परिपूर्ण करने के लिए किया गया था, ताकि ग्राहक आश्वासन और संतुष्टि, पर्यावरणीय प्रभाव, ऊर्जा दक्षता, व्यावसायिक सुरक्षा, कार्यस्थल पर सत्यनिष्ठा, खाद्य सुरक्षा और लागू वैधानिक और नियामक अपेक्षाओं से संबंधित जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं को सतत प्रदान करने की अपनी क्षमता का निष्पादन किया जा सके।

30 प्रशिक्षण 681 प्रतिभागी



अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण

एनआईटीएस ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है, जिन्हें विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) और ई-आईटीईसी कार्यक्रमों के अंतर्गत विकासशील देशों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के लिए चिन्हित किया है। एनआईटीएस सन् 1968 से हर साल एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है।

अब तक "मानकीकरण एवं गुणता आश्वासन" के क्षेत्र में 54 कार्यक्रम, "प्रबंध पद्धति" पर 18 कार्यक्रम और प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति पर 15 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। वर्ष 2023-24 में चार प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं, इनमें से नीचे दिये गये के अनुसार तीन एनआईटीएस में और एक ऑनलाइन आयोजित किये गये हैं।

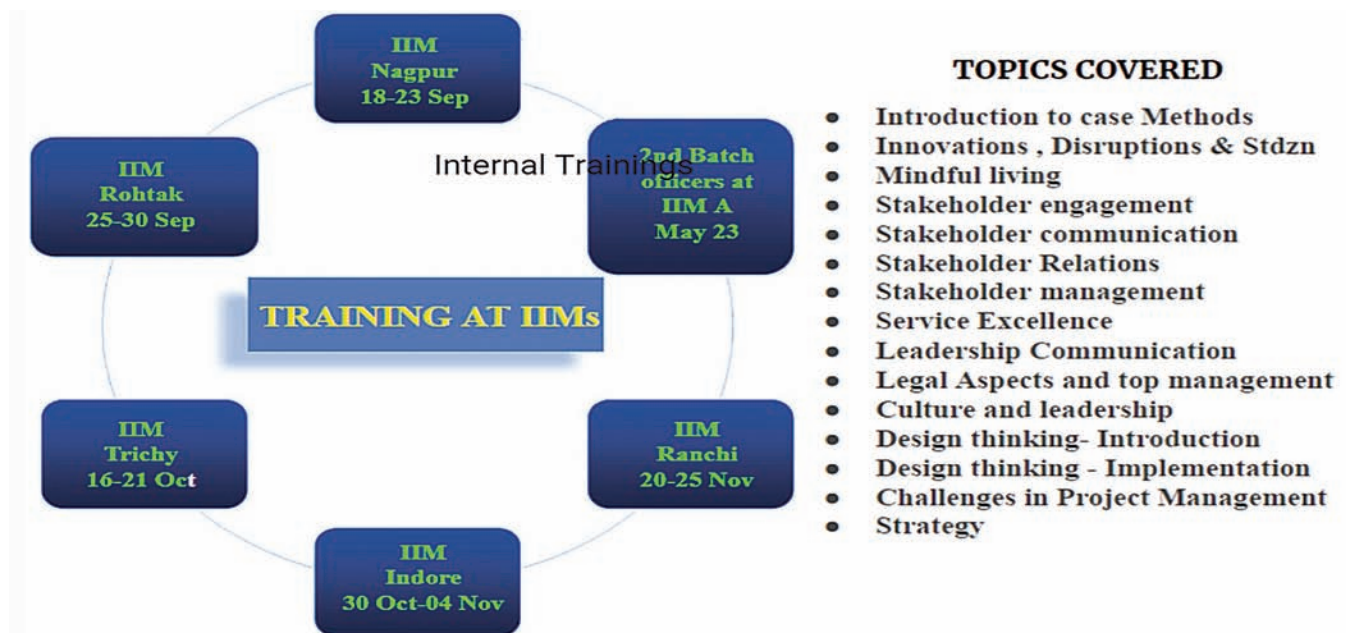


आंतरिक प्रशिक्षण

बीआईएस अपने सभी कर्मचारियों के लिए ऑन-जॉब प्रशिक्षण, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन से सीधे संबंधित पहलुओं पर केंद्रित प्रशिक्षण और समग्र व्यक्तित्व का विकास करने को सक्षम करने वाले सामान्य प्रशिक्षण के माध्यम से संगठन के मूलभूत मूल्यों को सीखाने का प्रयास करता है।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देश के प्रमुख आईआईएमएस के साथ साझेदारी में वैज्ञानिक अधिकारियों हेतु नेतृत्व, परियोजना और समय प्रबंध के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

अलग-अलग आईआईएम में 235 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया



अन्य आंतरिक प्रशिक्षण

इसके अलावा बीआईएस के अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। एनआईटीएस में पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम, जीईएम तथा जीएफआर पर पाठ्यक्रम, बीआईएस अधिनियम, नियम और विनियम,

अभिप्रेरण प्रशिक्षण, शोध संबंधी प्रशिक्षण, मानकों का मानचित्रण आदि का भी आयोजन किया गया।

21 प्रशिक्षणों में 991 अधिकारी प्रशिक्षित

इंटरनशिप

इस वर्ष कुल 177 छात्रों ने बीआईएस में अपनी इंटरनशिप पूरी की। इन 177 छात्रों में से 172 को विभिन्न तकनीकी विभागों में नियुक्त किया गया। विधिक अनुशासन के शेष 5 अभ्यर्थियों को विधि विभाग, गाजियाबाद शाखा कार्यालय और नोएडा शाखा कार्यालय में नियुक्त किया गया।

ये इंटरनशिप पहल छात्रों और ब्यूरो दोनों के लिए परस्पर लाभकारी साबित हुई। इसने छात्रों को राष्ट्रीय मानकीकरण गतिविधियों के प्रति अमूल्य अनुभव प्रदान किया। छात्रों को उनके विषय से संबंधित भारतीय मानकों के निर्माण, समीक्षा और संशोधन से अवगत कराया गया। उनकी भागीदारी उभरते विषयों के लिए पूर्व-मानकीकरण रिपोर्ट तैयार करने तक फैली हुई थी, जिसके लिए उन्होंने न केवल उन विषयों पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय मानकों का गहन अध्ययन किया, अपितु राष्ट्रीय संदर्भ और प्रासंगिकता की जांच के लिए संबंधित उद्योगों और प्रयोगशालाओं का दौरा भी किया। यह उल्लेखनीय है कि तकनीकी विभागों से प्राप्त 171

फीडबैक ने इंटरनशिप योजना से सकारात्मक परिणाम का संकेत दिया।

प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का उपयोग तकनीकी विभागों द्वारा उभरते क्षेत्रों में नए मानक लाने के साथ-साथ नई किस्मों, प्रक्रियाओं आदि को शामिल करने के लिए मौजूदा मानकों को अद्यतन करने में किया जा रहा है।

ब्यूरो के व्यापक दृष्टिकोण से इन इंटरनशिप कार्यक्रम ने छात्रों में गुणता चेतना की संस्कृति को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रशिक्षु भविष्य के ब्रांड एंबेसडर बनने के लिए तैयार हैं, जो देश में मानकों और गुणता को बढ़ावा देंगे। ये कार्यक्रम स्पष्ट रूप से मानकों को बनाए रखने और अपने भविष्य के प्रयासों में गुणता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित पेशेवरों की अगली पीढ़ी को पोषित करने और मानकों के विकास में योगदान के लिए उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में सफल रहे हैं।



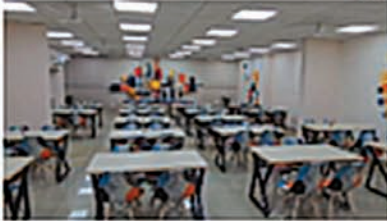
इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास



Newly Renovated NITS Hostel Reception



The newly renovated Canteen at NITS



Landscaping at NITS



Renovated VIP Room



Establishment of NITS Canteen



Renovated NITS Entrance



Decorating the walls



7 उपभोक्ता मामले एवं प्रचार

7.1 मानक संवर्धन और उपभोक्ता सहभागिता गतिविधियाँ

7.1.1 बीआईएस में थिंक नज एंड मूव विभाग बीआईएस की संचार कार्यनीति और उपभोक्ताओं, उद्योगों, सरकारी विभागों और शिक्षाविदों आदि जैसे अपने विविध हितधारकों के साथ सहभागिता का नेतृत्व करता है। यह विभाग

जागरूकता कार्यक्रम, उपभोक्ता संरक्षण, बीआईएस के हितधारकों के साथ बातचीत, विश्व मानक दिवस, बीआईएस स्थापना दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस समारोह के आयोजन जैसी विभिन्न उपभोक्ता संबंधी गतिविधियों का संचालन करता है।

7.1.2 वर्ष 2023-24 में की गई मानक संवर्धन गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	गतिविधि	अंक
1	मानक क्लबों का सृजन	6828
2	मेंटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	127
3	एसएलसीएस का गठन	05
4	एसएलसीएस की आयोजित बैठक	11
5	डीएलओ के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए	153
6	राज्य सरकार के विभागों के लिए आयोजित किए गए कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम	32
7	छात्रों और शिक्षकों के लिए एक्सपोजर विजिट	878
8	उद्योगों के लिए एक्सपोजर विजिट	62
9	लाइसेंसधारी के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएं / वेबिनार	88
10	उद्योग / निर्माता / संघ (लाइसेंसधारियों के अलावा) के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएं / वेबिनार	49
11	सीओ / एनजीओ / वीओ के साथ आयोजित की गई बातचीत	21
12	आयोजित आरडब्ल्यूए संवेदीकरण कार्यक्रम	59
13	आयोजित किये गये गुणतापूर्ण संपर्क अभियान 2.8 लाख से अधिक छात्र, 8000 व्यापारी, 1.16 लाख परिवार जुड़े (डब्ल्यूएसडी 23 पर) 2.3 लाख से अधिक छात्र जुड़े (डब्ल्यूसीआरडी 2024 पर)	02
14	मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने पर प्रकाशित पाठ योजनाएं	42
15	आयोजित जीपी संवेदीकरण कार्यक्रम (161884 ग्राम पंचायत के अध्यक्षों को जागरूक किया गया)	2619
16	मानक क्लब गतिविधियों का आयोजन	7701
17	राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी	05
17	एलएसवीएस पहल के तहत केआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया (190 से अधिक आरपी प्रशिक्षित)	03

7.1.3 मानक संवर्धन पोर्टल नामक व्यापक मॉड्यूल मौजूद है जो बीआईएस की हितधारक सहभागिता गतिविधियों को पूरा करता है। इसने ऐसी गतिविधियों से संबंधित अभिलेखों और रिपोर्टों के डिजिटलीकरण को सक्षम किया है। पोर्टल में उपभोक्ता संगठनों / गैर-सरकारी संगठनों / स्वैच्छिक संगठनों के लिए अपने संगठनों को बीआईएस के साथ

पंजीकृत करने और मानक संवर्धन और उपभोक्ता सहभागिता की गतिविधियों में सहयोग करने का विकल्प भी शामिल है। चालू वित्त वर्ष में ग्राम पंचायत पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत पोर्टल भी बनाया गया है।

7.1.4 मानक क्लब

7.1.4.1 बीआईएस ने निकट भविष्य में गुणता पारिस्थितिकी तंत्र के एक या अधिक हितधारकों की भूमिकाएं संभालने वाले युवा मस्तिष्कों में मानकों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से स्कूलों और कॉलेजों में मानक क्लबों के निर्माण की परिकल्पना की है।

7.1.4.2 ठोस प्रयासों के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 6828 मानक क्लबों का गठन किया गया, जिससे मानक क्लबों की कुल संख्या 10084 हो गई। वर्तमान में पूरे भारत में मानक क्लबों के 2.95 लाख से अधिक छात्र सदस्य हैं।

7.1.4.3 प्रत्येक मानक क्लब को शैक्षणिक वर्ष के दौरान मानकों और गुणता पर जागरूकता कार्यक्रम, मानक लेखन प्रतियोगिता और मानकों और गुणता पर अन्य प्रतियोगिताएँ जिनमें क्विज़, निबंध लेखन और वाद-विवाद आदि शामिल हैं, जैसी विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक मानक क्लब को प्रति वर्ष तीन

गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता बीआईएस द्वारा प्रदान की जा रही है। पूरे भारत में मानक क्लब के गठन और संचालन की इस प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए बीआईएस द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

7.1.4.4 यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानक क्लब उद्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में काम करें, बीआईएस ने मानक क्लबों के मेंटरों के लिए दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना जारी रखा हुआ है। वर्ष 2023-2024 में शाखा कार्यालयों ने 127 मेंटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इनमें 6857 मेंटरों को प्रशिक्षित किया है।

7.1.4.5 मानक क्लबों में आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ भविष्य में क्लबों को सक्रिय बनाए रखने और देश में बहुत कम उम्र में मानकीकरण और गुणता पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। 7700 से अधिक मानक क्लब गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं।





7.1.4.6 पिछले वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान मानक लेखन प्रतियोगिताओं के अलावा क्लबों का उद्घाटन, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वाद-विवाद आदि गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं। इसके साथ ही मानक क्लब शैक्षणिक संस्थानों में गुणता और ज्ञान के द्वार बन गए हैं।

7.1.5 मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना

7.1.5.1 नई पहलों में से एक मानकों के उपयोग के माध्यम से विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना है। “मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना” नामक इस पहल का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न दैनिक उपयोग वाले उत्पादों के डिजाइन, कार्यप्रणाली, निर्माण और परीक्षण में लागू विज्ञान की अवधारणाओं एवं



7.1.5.2 इस पहल के अंतर्गत, स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए शैक्षणिक उपकरण के रूप में पाठ योजनाएं तैयार की जाती हैं और साथ ही मानकों की स्वीकृति के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया जाता है। पाठ योजनाएं उपयोग में आने वाले नियमित उत्पादों में उनके अनुप्रयोग के आधार पर समझाई गई वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने में सरल है। छात्रों को स्कूली पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी और उनके दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों पर वैज्ञानिक विवरण भी दिया जाएगा।

7.1.5.3 बीआईएस के अधिकारी और संसाधन कार्मिक मानक क्लब गतिविधियों के दौरान भारतीय मानकों के साथ विज्ञान की अवधारणाओं और नियमों को जोड़ते हुए विभिन्न उत्पादों पर पाठ योजनाओं का संचालन करेंगे। इंटरैक्टिव शिक्षण अनुभव के रूप में मानक क्लब स्थापित करने वाले स्कूलों के लिए यह अतिरिक्त लाभ होगा। ये पाठ योजनाएं बीआईएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट फॉर्मेट और वीडियो लेक्चर में उपलब्ध हैं।



7.1.6 एक्सपोजर विजिट

7.1.6.1 इस वाक्यांश के अनुसार कि 'आंखों देखी ही विश्वसनीय है' बीआईएस ने उद्योग और शिक्षा जगत के लिए उनकी गुणता चेतना बढ़ाने के लिए एक्सपोजर विजिट की अवधारणा शुरू की है। एक्सपोजर विजिट में उद्योग और छात्रों को बीआईएस के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में लाना शामिल है जो सीखने के लिए विकसित किये गए हैं।

7.1.6.2 इन प्रयोगशालाओं का दौरा करने से आगंतुकों को बीआईएस और बीआईएस से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और परीक्षण सुविधाओं को देखने और इनमें हो रहे प्रगति पर परीक्षण देखने का अवसर मिलता है। शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को निर्माताओं के उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रियाओं और इन-हाउस परीक्षण को देखने के लिए उद्योगों का दौरा करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है।

7.1.6.3 बीआईएस उद्योगों के ऐसे प्रतिनिधियों की एक्सपोजर विजिट को भी महत्व देता है, जो उद्योगों और बीआईएस प्रयोगशालाओं के बीच उभरती प्रौद्योगिकी और उन्नत परीक्षण पद्धति के आदान-प्रदान का ज्ञान प्रदान करते हैं। उपर्युक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक्सपोजर विजिट को साधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित एक्सपोजर विजिट के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

एक्सपोजर विजिट		
1	छात्रों और शिक्षकों के लिए एक्सपोजर विजिट की कुल संख्या	878
2	उद्योगों के लिए एक्सपोजर विजिट की कुल संख्या	62

7.1.7 जिला स्तरीय अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम।

राज्य और जिला स्तर के कार्यालयों को उनके संबंधित क्षेत्रों से संबंधित मानकों को अपनाने के लिए प्रमुख हितधारकों के रूप में चिन्हित किया है। बीआईएस ने अपने लिए प्रासंगिक मानकों की विभाग-वार सूची तैयार की थी। सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न मानकों तक पहुंचने और उन्हें अपनाने में सक्षम करने हेतु, जिला स्तर के अधिकारियों और अन्य राज्य सरकार के विभागों, उदाहरणार्थ पीडब्ल्यूडी, कृषि, सिंचाई, आदि के लिए संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानकों और गुणता पारिस्थितिकी तंत्र, बीआईएस की गतिविधियों, बीआईएस वेबसाइट की विशेषताओं, पोर्टलों, बीआईएस केयर ऐप और प्रमुख मानकों की क्षेत्र विशिष्ट सूची पर विस्तृत प्रस्तुतियां शामिल हैं। अभी तक, जिला स्तरीय अधिकारियों के संवेदीकरण कार्यक्रमों के लिए देश भर में कुल 648 जिलों को शामिल किया गया है।





7.1.8 गुणता कनेक्ट अभियान

7.1.8.1 बीआईएस की सभी गतिविधियों के मूल लाभार्थी उपभोक्ता हैं इन गतिविधियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद और सेवाएं सुरक्षित होने के साथ-साथ संबंधित राष्ट्रीय मानकों के तहत परिभाषित गुणता के वांछित स्तरों को पूरा करती हैं। हाल की बीआईएस ऐसी पहलों में से एक पहल "गुणता कनेक्ट अभियान" है, जो उपभोक्ताओं को मानकों के महत्व पर शिक्षित करने और गुणता वाले उत्पादों तथा सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस अभियान में युवा स्वेच्छाकर्मियों (जिन्हें मानक मित्र कहा जाता है) द्वारा घर-घर जाकर परिवारों से व्यक्तिगत संपर्क करना, विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराई गई उपभोक्ता केंद्रित जानकारी उन तक पहुँचाना शामिल है।

7.1.8.2 अक्टूबर 2023 में विश्व मानक दिवस के अवसर पर "गुणता कनेक्ट अभियान 4.0" शुरू किया गया था। इस अभियान में 15000 से अधिक स्वेच्छाकर्मियों ने भाग लिया और बीआईएस शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में 1.16 लाख परिवारों, 2.8 लाख से अधिक छात्रों

और 8000 से अधिक व्यापारियों (ट्रेडर्स) को जोड़ा।

7.1.8.3 गुणता कनेक्ट अभियान 5.0 का पाचवां दौर 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के अवसर पर अर्थात् दिनांक 15 मार्च 2023 को शुरू किया गया था जिसमें 15000 से अधिक मानक मित्रों ने भाग लिया और 2.3 लाख से अधिक स्कूल छात्रों को अभियान में शामिल किया गया। मानक मित्रों ने देश भर में 500 से अधिक प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया।



7.1.8.4 ये उपभोक्ता संगठन/एनजीओ स्वेच्छाकर्मियों (मानक मित्र) की पहचान करने और उन्हें संगठित करने, गुणता कनेक्ट अभियान के लिए मानक मित्रों को प्रशिक्षण देने, अभियान के दौरान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने, प्रमुख स्थानों पर फ्लैग-ऑफ कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता प्रदान करते हैं और मानक मित्र के रूप में भी भाग लेते हैं।



7.1.9 निविदा/आरएफपी की जांच

संगठित उपभोक्ता के रूप में केंद्र/राज्य सरकार विभागों की भूमिका का महत्व अधिक है चूंकि वे सरकारी कार्यक्रम/योजनाओं के कार्यान्वयन के सिलसिले में विभिन्न उत्पादों/सेवाओं की खरीद के काम में लगे हुए हैं। सरकारी विभाग मानकों का अनुपालन कर और मानकों के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर देश में गुणता और सुरक्षित बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित कर सकते हैं।

इसी कारण से बीआईएस शाखा कार्यालय केंद्र/राज्य सरकार की विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा जारी निविदाओं/आरएफपी की नियमित रूप से जांच करते हैं। ऐसे मामलों में जहां जांच के बाद विसंगतियां पाई गईं वहां संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों को तुरंत सूचित किया गया ताकि प्रस्तावों या निविदा दस्तावेजों के लिए अनुरोध तैयार करते समय प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनिवार्य अनुपालन को सम्मिलित/सुनिश्चित किया जा सके और केवल बीआईएस प्रमाणित वस्तुओं की आपूर्ति पर बल दिया जा सके। यहां तक कि जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए भी खरीद एजेंसी से केवल बीआईएस

प्रमाणित उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। यदि उत्पाद अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के अंतर्गत आता है तो बीआईएस प्रमाणन को जैम (GeM) पोर्टल में "स्वर्णिम मापदण्ड" के रूप में चुना जाना चाहिए।

ऐसे मामलों में जहां खरीद के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई भारतीय मानक मौजूद नहीं है, केंद्रीय/राज्य विभागों को सूचित किया गया कि वे समयबद्ध तरीके से प्रासंगिक मानकों के निर्माण के लिए बीआईएस से संपर्क कर सकते हैं। केंद्र/राज्य विभाग बीआईएस पोर्टल के माध्यम से वर्तमान/मसौदा मानकों, यदि कोई हो, पर अपने सुझाव/तकनीकी टिप्पणियां भी दे सकते हैं।

ऐसे उदाहरण थे जहां खरीद के तहत मांगे गए उत्पाद वर्तमान भारतीय मानक के तहत शामिल किए गए थे परंतु संभावित बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता बीआईएस लाइसेंस प्राप्त निर्माता न होने के कारण बीआईएस प्रमाणित उत्पाद नहीं बेच रहे थे। ऐसे मामलों में खरीद एजेंसियों से अनुरोध किया गया कि वे बीआईएस प्रमाणित उत्पाद की ही मांग करें क्योंकि बीआईएस प्रमाणन प्रक्रिया दक्ष है और ऐसे उत्पादों की आपूर्ति में रुचि रखने वाले निर्माता कम समय में बीआईएस प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 2072 निविदाओं/आरएफपी की समीक्षा की गई और विभिन्न शाखा कार्यालयों द्वारा निविदा जारी करने वाले विभागों में 123 मुद्दे उठाए गए।

7.1.10 मानकीकरण पर राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी)

7.1.10.1 मानकीकरण पर राज्य स्तरीय समितियां (एसएलसी) मानकों निर्धारण और उपयोग में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य करती हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और देश में गुणता पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करने में मदद करती है।

7.1.10.2 पुनर्गठित मानकीकरण पर राज्य स्तरीय समिति के लिए संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:



नए भारतीय मानकों के निर्माण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना।



भारतीय मानकों के अनुपालन को लागू करने के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की पहचान करना



सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीए) मुद्दों के प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय। भारत का.



मानकों के संबंध में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उपाय।



राज्य में एक मजबूत गुणवत्ता वाला इको-सिस्टम बनाने के लिए कोई अन्य गतिविधि।

7.1.10.3 वर्ष 2022-23 में, 05 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 05 एसएलसी का पुनर्गठन किया गया और ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और महाराष्ट्र राज्यों को शामिल करते हुए एसएलसी की कुल 11 बैठकें आयोजित की गईं। दिनांक 31 मार्च 2024 तक कुल 35 एसएलसी का गठन किया गया और 23 एसएलसी समितियों की बैठकें आयोजित की गईं।





7.1.11 मानक मंच

मानक संवर्धन से संबंधित बैठकों या गतिविधियों के दौरान ली गई तस्वीरों/वीडियो को प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल फोटो/वीडियो गैलरी, मानक मंच विकसित किया गया है। मानक मंच हमारे कार्यालयों द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की मानक प्रचार गतिविधियों की तस्वीरों/वीडियो देखने के लिए हमारा एकमात्र स्थान है। मुख्यालय, शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशालाएं, एनआईटीएस और विभाग अपने बीआईएस इंटरनेट लॉगिन का उपयोग करके निम्नलिखित शीर्षकों के तहत विभिन्न गतिविधियों की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं:

- मानक क्लब गतिविधि
- एक्सपोजर विजिट
- सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- लाइसेंसधारियों या उद्योगों के साथ बैठक
- जागरूकता सृजन कार्यक्रम
- कोई अन्य गतिविधि

7.1.12 लाइसेंसधारी/उद्योग संघों के साथ बैठक

7.1.12.1 बीआईएस शाखा कार्यालय बीआईएस की विभिन्न प्रमाणन योजनाओं के आरंभक हैं जो प्रकृति में गतिशील हैं

और उन्हें लाइसेंसधारी/उद्योग संघ के साथ निरंतर जुड़ाव की जरूरत होती है।

7.1.12.2 लाइसेंसधारी/उद्योग संघ के साथ नियमित बैठक यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि वे ऐसे किसी भी बदलाव से अवगत हैं जो उनके व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं और यह योजनाओं पर प्रतिक्रिया तथा योगदान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण तरीका भी है। इससे सुधारात्मक क्षेत्रों की पहचान करके लाइसेंसधारी और उद्योगों के साथ सशक्त संबंध बनाने में भी मदद मिल सकती है। वर्ष के दौरान, बीआईएस ने अपने मानक ऑनलाइन पोर्टल के तहत प्रमाणन गतिविधि के लिए कई ऑनलाइन सुविधाएं प्रारंभ की हैं। मानक, एसआईटी और प्रमाणन पद्धतियों में इन सभी परिवर्तनों से अवगत कराने के लिए बीआईएस नियमित रूप से सामान्य या विशिष्ट उत्पाद श्रेणी क्षेत्रों के लाइसेंसधारियों के साथ बैठकें आयोजित करता है।

7.1.12.3 हालांकि बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन योजना स्वैच्छिक प्रकृति की है, फिर भी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हित के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई उत्पादों को अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया जाता है।

7.1.12.4 उद्योग को सुविधाजनक बनाने, मानकों को लागू करने और प्रमाणन प्राप्त करने हेतु आगे आने के लिए, निर्माताओं और उद्योग संघों के साथ उत्पाद विशिष्ट बैठकें आयोजित की जाती हैं।

वर्ष 2023-24 में उद्योग जगत के साथ बैठकें/कार्यक्रम/वेबिनार		
(i)	लाइसेंसधारकों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/वेबिनार	88
(ii)	उद्योग/निर्माता/एसोसिएशन के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/वेबिनार	49



7.1.13 उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम

7.1.13.1 बीआईएस ने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और सत्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सक्रिय रूप से शामिल करना शुरू कर दिया है। ऐसे कार्यक्रमों के दौरान, उत्पाद खरीदते समय उपभोक्ताओं से मानक संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है और उन्हें बीआईएस के बारे में तथा बीआईएस की गतिविधियों जैसे कि मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन, हॉलमार्किंग, पंजीकरण, विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना, प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना, प्रशिक्षण, उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण प्रक्रियाओं आदि के बारे में जानकारी दी जाती है।

7.1.13.2 मानक संवर्धन अधिकारी उपभोक्ता/उपभोक्ता संगठनों से संपर्क करते हैं और उन्हें मानकों के महत्व, आईएसआई मुहरांकित उत्पादों, हॉलमार्किंग, कृषि मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशकों, पाइपों और संबंधित उत्पादों, पशु आहार इत्यादि और बीआईएस मानक मुहर के साथ उनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी देते हैं।

7.1.13.3 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2024 के अवसर पर, दिनांक 25 फरवरी 2024 से पूरे देश में यूथ टू यूथ को जोड़ने वाले प्रारूप में गुणता कनेक्ट अभियान 5.0 का शुभारंभ किया गया जिसमें कॉलेज के छात्रों को मानक मित्र नामक युवा स्वेच्छाकर्मियों द्वारा जागरूक किया गया।

7.1.14 वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

7.1.14.1 विश्व मानक दिवस 2023

7.1.14.1.1 मानकीकरण का कार्य करने वाले पूरी दुनिया के हजारों विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और भविष्य के पथ पर चिंतन करने के लिए हर वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है।

7.1.14.1.2 विश्व मानक दिवस 2023 का विषय "बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण: सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक" था। बीआईएस के सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों (क्षे.का. और शा.का.) ने पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ विश्व मानक दिवस मनाया। दिनांक 14 अक्टूबर 2023 से पूर्व और उसके बाद दो सप्ताह तक गुणता और मानकों का संदेश प्रसारित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय द्वारा कई गतिविधियां आयोजित की गईं। माननीय श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री और माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 की शाम को नई दिल्ली, भारत मंडपम, आईटीपीओ में विश्व मानक दिवस, 2023 मनाया गया।

7.1.14.1.3 इस कार्यक्रम में 1200 से अधिक विभिन्न प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों जैसे उपभोक्ता मामले विभाग और अन्य मंत्रालयों के अधिकारी, विभिन्न उद्योग तथा उनके संघ, लाइसेंसधारी, प्रयोगशाला कर्मी, बीआईएस मानक क्लब के मेंटर और छात्र, प्रेस कर्मी, बीआईएस के अधिकारी व कर्मचारी, बीआईएस के पूर्व अधिकारियों इत्यादि ने भाग लिया। विश्व मानक दिवस 2023 समारोह के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 'एलपीजी सिलेंडर' विषय पर केंद्रित पहला वीडियो पाठ योजना का अनावरण किया।

7.1.14.1.4 क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों ने अलग से मानक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, बीआईएस की शासी परिषद और कार्यकारी समिति के सदस्य, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के कुलपति, सरकारी अधिकारी, प्रमुख उद्योगों के प्रबंध निदेशक इत्यादि जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लेकर कार्यक्रम का मान बढ़ाया। देश भर में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत मानक गीत के गायन और "स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड्स" विषय पर बीआईएस के महानिदेशक के संदेश के प्रदर्शन के साथ हुई। इसके अलावा, शाखा कार्यालय द्वारा तकनीकी चर्चा सत्र भी आयोजित किए गए। मानक क्लब के छात्रों के लिए विभिन्न गतिविधियां जैसे कि क्विज प्रतियोगिताएं, मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना पहल के तहत विकसित पाठ योजनाएं लागू करना इत्यादि आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों के दौरान छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी प्रस्तुत की गईं। अनेक शाखा कार्यालयों ने आयोजन के दौरान बीआईएस पहल का समर्थन करने वाले सरकारी अधिकारियों, मेंटरों, संसाधन सहायता टीम के सदस्यों और दीर्घकालिक लाइसेंसधारियों का अभिनंदन किया।

7.1.14.1.5 चौथे दौर का गुणता कनेक्ट अभियान भी पूरे देश में चलाया गया जिसमें अभियान के सभी तीन खंड अर्थात् यूथ से यूथ को जोड़ना, ट्रेडर को जोड़ना और परिवारों को जोड़ना शामिल थे।

7.1.14.1.6 इस अवसर पर शाखा कार्यालय ने गैर-हॉलमार्किंग जिलों में बाजार सर्वेक्षण भी किया और मानकों तथा प्रमाणित उत्पादों के उपयोग पर ग्राम पंचायत अध्यक्षों और सचिवों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए। देश भर में 3000 से अधिक ग्राम पंचायतों को जागरूक करने के लिए कुल 99 कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों ने समाचार पत्रों, होर्डिंग और रेडियो जिगल्स के माध्यम से इस आयोजन के बारे में व्यापक रूप से प्रचार किया। भारत मंडपम में आयोजित विश्व विद्यालय कार्यक्रम का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया गया और जागरूकता पैदा करने के लिए इसे ट्विटर पर पोस्ट किया गया।





7.1.14.2 बीआईएस स्थापना दिवस 2024

7.1.14.2.1 भारत में प्रत्येक वर्ष दिनांक 06 जनवरी को बीआईएस स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की स्थापना और वस्तुओं, सेवाओं, प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों के लिए मानकों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र को दी गई इसकी सेवाओं को याद दिलाता है।

7.1.14.2.2 बीआईएस स्थापना दिवस के अवसर पर, बीआईएस ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ मिलकर दिनांक 06 जनवरी 2024 को भारत मंडपम में "भारत में गुणता पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करने हेतु संवाद" कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग और श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय उपभोक्ता मामले, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

7.1.14.2.3 कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री महोदय द्वारा बीआईएस की प्रमुख पहलें जैसे मानकीकृत विकास और भवन विनियमन (एसपी 73 : 2023) का विमोचन, ग्राम पंचायत सदस्यों के संवेदीकरण पर वीडियो तथा मानक संवर्धन फिल्मों पर वीडियो का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा, प्रमुख उद्योग संघ के कार्मिकों और सलाहकारों द्वारा उभरते क्षेत्रों में गुणता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) और मानकीकरण के माध्यम से भारत में गुणता पारिस्थितिकी

तंत्र को सशक्त करने हेतु तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। मानकीकरण से संबंधित विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग पेशेवर, उपभोक्ता समूह, शिक्षाविद, विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि, संघ, प्रमुख निर्माता, व्यापारी, विशेष आमंत्रित और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा डीपीआईआईटी के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

7.1.14.2.4 क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों के स्तर पर, बीआईएस स्थापना दिवस मानक क्लबों में विभिन्न कार्यक्रमों, मानक लेखन प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, भाषण और नुक्कड़ नाटक (नुक्कड़ नाटक) जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करके मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान कई बीआईएस लाइसेंसधारियों ने कुछ मानक क्लबों को खेल किटें प्रदान किया और आरओ स्तर पर क्विज प्रतियोगिता के छात्र विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किया गया।

7.1.14.2.5 विभिन्न बड़े उद्योगों ने अपने परिसरों में मानक का अनुपालन करने के प्रति अपने निरंतर समर्थन को प्रतिबिंबित (रिफ्लेक्टिंग) करते हुए कार्यक्रम आयोजित करके तथा बैनर प्रदर्शित करके बीआईएस स्थापना दिवस मनाया।



7.1.14.3 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024

7.1.14.3.1 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विश्व भर में उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सुरक्षा का समर्थन करने का दिन है।

7.1.14.3.2 भारतीय मानक ब्यूरो ने हर वर्ष की तरह दिनांक 15 मार्च 2024 को मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के स्तर पर बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर बीआईएस के सहयोग से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 को ठाकुर सभागार, मुंबई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस वर्ष की थीम, "उपभोक्ताओं

के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई” का उद्देश्य उपभोक्ता सेवाओं में एआई के नैतिक निहितार्थों का पता लगाना था। इस कार्यक्रम में प्रमुख सचिव (उपभोक्ता मामले विभाग) एससीडीआरसी के अध्यक्ष सदस्य और डीसीडीआरसी के अध्यक्ष और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ देश के प्रमुख वीसीओ और उद्योग संघ ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और इंटरैक्टिव सत्र शामिल थे।

7.1.14.3.3 बीआईएस ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (डब्ल्यूसीआरडी) 2024 के अवसर पर गुणता और मानकों पर राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की। क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय स्तर पर गुणता कनेक्ट अभियान 5.0 दिनांक 5 मार्च 2024 को शुभारंभ किया गया। अभियान के दौरान पूरे भारत में विभिन्न शाखा कार्यालय द्वारा नियुक्त 15000 से अधिक मानक मित्रों ने 2.3 लाख से अधिक कॉलेज छात्रों को कवर किया और उन्हें बीआईएस गतिविधियों और गुणता पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूक किया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (डब्ल्यूसीआरडी) 2024 के अवसर पर, नये एवं संशोधित भारतीय मानक अध्यक्षा के लिए मानक मंथन कार्यक्रम जिन्होंने शाखा कार्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रमों में मानक संवर्धन गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान दिया है।

7.1.14.3.4 पूरे शहर में प्रमुख स्थानों पर आउटडोर होर्डिंग्स और बिलबोर्ड लगाकर तथा बसों पर रैप ब्रांडिंग और टैक्सी/ऑटो इत्यादि पर फ्लैक्स ब्रांडिंग करके ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाई गई।



7.1.15 नई पहलें

7.1.15.1 ग्राम पंचायत संवेदीकरण

7.1.15.1.1 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने जमीनी स्तर पर भारतीय मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके अनुपालन को बढ़ावा देने हेतु मिशन शुरू किया है। गांवों में सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयास में, बीआईएस ने देश भर में ग्राम पंचायत अध्यक्षाओं और सचिवों को संवेदनशील बनाने के लिए व्यापक पहल की है।

7.1.15.1.2 इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम पंचायतों में भारतीय मानकों के महत्व बारे में समझाना और ग्रामीण स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करते समय इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के बीच मानकीकरण की संस्कृति और भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पादों के उपयोग के लाभों को बढ़ावा देना है जो जमीनी स्तर पर विभिन्न सरकारी पहलों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

7.1.15.1.3 इस पहल के अंतर्गत देश भर की ग्राम पंचायतों को 2.5 लाख से अधिक पत्र तथा पुस्तिका (द्विभाषी) भेजी गई जिसमें महत्वपूर्ण भारतीय मानकों का विवरण है। बीआईएस ने ऐसे संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को नियुक्त करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए। इसके अलावा, बीआईएस के 38 शाखा कार्यालयों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से ब्लॉक और जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों के अध्यक्षा तथा सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश भर में कुल 161884 ग्राम पंचायतों को संवेदनशील बनाया गया है।





7.1.15.2 राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता

7.1.15.2.1 बीआईएस ने नई पहल शुरू की है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आशा है कि बीआईएस की इस पहल से सभी नागरिकों के बीच गुणता और मानकों के प्रति जागरूकता और सराहना की भावना बढ़ेगी।

7.1.15.2.2 2023 के अगस्त माह में बीआईएस ने भारतीय नागरिकों के लिए बीआईएस से संबंधित गतिविधियों, गुणता और मानकीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर दिनांक 15 अगस्त, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक My gov पोर्टल पर 'गुणता तथा मानक' पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की। यह क्विज प्रतियोगिता बीआईएस के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा समाज में गुणता और मानकों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया। देशभर से 30,000 से अधिक नागरिकों ने इस क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया और यह क्विज प्रतियोगिता अत्यधिक सफल रही। शीर्ष 100 प्रतिभागियों में से प्रत्येक को 2,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया।

7.1.15.2.3 दिनांक 02 अक्टूबर 2023 को विश्व मानक दिवस 2023 के अवसर पर मानक क्लब के छात्र सदस्यों के लिए विशेष रूप से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का दूसरा दौर आयोजित किया गया। शीर्ष 50 छात्र सदस्यों को पुरस्कार के तौर पर नकद पुरस्कार दिया गया।

7.1.15.2.4 बीआईएस स्थापना दिवस 2024 के समारोह के सिलसिले में मानक क्लब के छात्र सदस्यों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का तीसरा दौर आयोजित किया गया। बहुस्तरीय क्विज प्रतियोगिता में दो चरण शामिल थे जिसमें पहला चरण दिनांक 09 दिसंबर 2023 को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर आयोजित किया गया। इस चरण में 896 स्कूलों के 15,500 से अधिक छात्र सदस्यों ने भाग लिया। 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक से शीर्ष 200 छात्र सदस्यों को

पुरस्कार राशि के तौर पर नकद पुरस्कार दिया गया। पहले चरण के विजेता छात्र सदस्यों के लिए प्रतियोगिता का दूसरा चरण दिनांक 23 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। 5 क्षेत्रीय कार्यालयों से कुल 1000 छात्र सदस्यों ने भाग लिया जिसमें शीर्ष 100 छात्र सदस्यों को पुरस्कार के रूप में नकद पुरस्कार दिये गए।

7.1.15.2.5 दिनांक 15 मार्च 2024 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर MyGov पोर्टल पर राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 42,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। शीर्ष 50 को पुरस्कार स्वरूप नकद पुरस्कार दिया गया।

7.2 लोक शिकायतें

बीआईएस को बीआईएस प्रमाणित उत्पादों की गुणता, बीआईएस मानक चिह्न के अनधिकृत उपयोग, गुणता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन आदि से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों को सुस्थापित शिकायत निवारण प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाता है। बीआईएस केयर मोबाइल ऐप और बीआईएस का मानक संवर्धन पोर्टल पहले से ही काम कर रहा है जो शिकायतों की बेहतर मॉनीटरिंग की सुविधा प्रदान करता है और उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के आसान और तीव्र तरीके से अपनी शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। बीआईएस केयर ऐप उपयोगकर्ताओं को निर्माता का लाइसेंस/पंजीकरण नंबर दर्ज करके लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं/पंजीकृत निर्माताओं के विवरण को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है। वर्ष के दौरान बीआईएस प्रमाणित उत्पादों की गुणता, बीआईएस मानक चिह्न के अनधिकृत उपयोग, गुणता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन आदि से संबंधित 4232 शिकायतें प्राप्त हुईं और 504 शिकायतों का निवारण किया गया। वर्ष के दौरान 3728 शिकायतों को सरसरी तौर पर वापस कर दिया गया। आज की तारीख में, इन श्रेणियों की 158 शिकायतें ब्यूरो के विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के तहत विभिन्न चरणों में जांच चल रही हैं। इसके अलावा, बीआईएस ने वर्ष के दौरान 23 दिनों के औसत निवारण समय के साथ सीपीजीआरएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 268 शिकायतों का भी निवारण किया है।

7.3 प्रवर्तन

बीआईएस मानक चिह्न गुणता और विश्वास के चिह्न हैं। क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के अपने नेटवर्क के माध्यम

से, बीआईएस बेईमान निर्माताओं/ विक्रेताओं/ आयातकों आदि द्वारा बीआईएस मानक चिह्न के अनधिकृत उपयोग और गुणता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रवर्तन गतिविधियां आयोजित करता है। वर्ष के दौरान, बीआईएस ने बीआईएस अधिनियम, 2016 के उल्लंघन के लिए निर्माताओं/ विक्रेताओं/ आयातकों आदि के परिसरों में 159 तलाशी और जब्ती अभियान चलाए। व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से बीआईएस कार्यालयों द्वारा प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया में प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की गईं। बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए संबंधित न्यायालयों में समय पर अभियोजन शुरू करने के प्रयास भी किए गए।

8 हिंदी

भारतीय मानक ब्यूरो एक ऐसा संगठन है जो हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के प्रति सजग रहता है। भारतीय मानक ब्यूरो, हिंदी विभाग बीआईएस के सभी विभागों और कार्यालयों में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा से संबंधित सभी नियमों, विनियमों, निर्देशों और अनुदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य किए।

8.1 हिंदी कार्यान्वयन

- राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम बीआईएस मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय/ शाखा कार्यालयों को अप्रैल 2023 में प्रसारित किया गया तथा उसका अनुपालन करने हेतु निर्देशों दिए गए।
- मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने नियमित अंतराल पर चारों तिमाही बैठकें समय पर आयोजित कीं। चारों तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय तथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को समय पर ऑनलाइन भेजी गईं।
- इस अवधि के दौरान मुख्यालय तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में 76 हिंदी कार्यशालाएं

आयोजित की गईं जिनमें लगभग सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।

- बीआईएस मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों ने भारत सरकार की सभी राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं जैसे हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण के लिए नकद प्रोत्साहन योजना तथा राजभाषा शील्ड का कार्यान्वयन जारी रखा।
- मुख्यालय द्वारा 2 क्षेत्रीय एवं 8 शाखा कार्यालयों सहित कुल 10 कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई।
- दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की कार्यसूची तैयार करके हिंदी कार्य रिपोर्ट के साथ मंत्रालय को भेजा गया।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को दो अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजी गईं।

8.2 हिंदी पखवाड़ा

- बीआईएस मुख्यालय में दिनांक 16 सितम्बर से 29 सितम्बर 2023 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया इस दौरान हिन्दी से सम्बन्धित 07 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिन्दी टिप्पण प्रारूपण योजना में 10 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्यालय में आयोजित राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में लगभग 14 विभागों ने भाग लिया जिसमें से 07 विभागों को राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के तहत पुरस्कृत किया गया।
- दिनांक 29 सितंबर 2023 को मुख्यालय में महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समापन व पुरस्कार वितरण समारोह में इन प्रतियोगिताओं के 45 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में निर्देशानुसार हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया।

8.3 प्रशिक्षण

- हिंदी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 15 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 9 कर्मचारियों को हिंदी पारंगत पाठ्यक्रम, 2

कर्मचारियों को प्राज्ञ पाठ्यक्रम तथा 4 कर्मचारियों को हिंदी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबोध पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।

8.4 हिंदी की पुस्तकें

- वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 30,548/- रुपए की हिंदी पुस्तकें खरीदी गईं तथा नई खरीदी गई हिंदी पुस्तकों की सूचना परिचालित की गई।

8.5 संसदीय राजभाषा समिति एवं अन्य बैठकों का निरीक्षण।

- इस अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति ने बीआईएस के 10 कार्यालयों में राजभाषा निरीक्षण किया। समिति द्वारा मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, उत्तरी क्षेत्रीय प्रयोगशाला मोहाली के साथ-साथ नागपुर, लखनऊ, देहरादून, विजयवाड़ा, हुबली और राजकोट स्थित शाखा कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।
- मुख्यालय का निरीक्षण दिनांक 15 मई, 2023 को हुआ था। बीआईएस को संसदीय राजभाषा निरीक्षण के लिए समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया और निरीक्षण का प्रबंधन कार्य हिंदी विभाग द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया। समिति ने इन कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की सराहना की। समिति के आश्वासनों का समुचित अनुपालन किया गया तथा इसकी रिपोर्ट समिति सचिवालय को भेजी गई।
- दिल्ली में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो ऑनलाइन अर्धवार्षिक बैठकों में सदस्य के रूप में भाग लिया।
- दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 को हैवलॉक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया।

8.6 मानक अनुवाद और सामान्य अनुवाद

- उपर्युक्त अवधि के दौरान मानकों के 985 शीर्षकों का हिंदी अनुवाद किया गया। 'स्टैंडर्ड ऑफ द मंथ' और 'मानक सप्ताह' की विषय वस्तु का भी हर माह अनुवाद किया जा रहा है ताकि उसे

बीआईएस वेबसाइट पर होस्ट किया जा सके।

- मानकों के अनुवाद के अलावा, बीआईएस ने प्रपत्रों, हॉलमार्किंग सामग्री, विश्व मानक दिवस की सामग्री, निविदा सूचना, राजपत्र अधिसूचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय करार, संसदीय प्रश्नावली, हॉलमार्किंग पुस्तिकाएं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, विश्व उपभोक्ता दिवस की सामग्री, भर्ती विज्ञापन, सीएडी विभाग से प्राप्त बीआईएस वार्ता, बीआईएस के हॉलमार्किंग विनियमन में सुधार और बीआईएस के विभिन्न विभागों से प्राप्त शाषी परिषद की बैठकों और प्रशिक्षण सामग्री आदि के कार्यसूची और कार्यवृत्त के लगभग 1564 पृष्ठों का अनुवाद कार्य भी किया।
- मानकों के अनुवाद में तेजी लाने के लिए, बीआईएस ने भारतीय मानकों के हिंदी अनुवाद को अनुबंध के आधार पर दो बाहरी अनुवाद एजेंसियों को आउटसोर्स किया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान 144 भारतीय मानकों का अनुवाद कार्य किया गया। इनमें से लगभग 50 अनुवादित भारतीय मानक अपलोड किए जा चुके हैं और शेष अनुवादित मानकों को अपलोड करने का काम चल रहा है।

8.7 हिंदी कवि सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन

- मुख्यालय में 21 जून, 2023 को 'विश्व योग दिवस' के अवसर पर एक व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया।
- 21 फरवरी, 2024 को 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' के अवसर पर मुख्यालय में हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- 21 फरवरी, 2024 को आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' के अवसर पर एक विशेष व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया।
- मुख्यालय में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए "राजभाषा मंच" बनाया गया। राजभाषा मंच की गतिविधियों के अंतर्गत 7 विभागों के साथ बातचीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें एचआरडी, पीआर, एफएडी, सीईडी, एमटीडी, वरुत्रादि, सीएमडी-1 विभाग सम्मिलित हैं।

- पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय ने 'मानक ज्योति' नामक आंतरिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इस पत्रिका का विमोचन संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति के सम्मानित सदस्यों द्वारा 27 दिसंबर, 2023 को निरीक्षण बैठक के दौरान किया गया।
- श्री वेद प्रकाश, प्रमुख मोहाली प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक-ई ने वैज्ञानिक विषय पर हिंदी में व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्हें 30 जनवरी, 2024 को 'नगर राजभाषा समिति-2, चंडीगढ़' द्वारा आयोजित संगोष्ठी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।









9 सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप, बीआईएस अपनी गतिविधियों को डिजिटल बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के भाग के रूप में निम्नलिखित पहल की गई :

- क) **सुविधा केंद्र:** इस सुविधा केंद्र का उद्घाटन 13.10.2023 को विश्व मानक दिवस समारोह के दौरान माननीय मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं वितरण एवं वस्त्रादि, भारत सरकार द्वारा किया गया। इस सुविधा केंद्र की स्थापना संबंधित हितधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए की गई है। इस सुविधा केंद्र की सेवाएं टोलफ्री नंबर 1800-11-1206 पर उपलब्ध है।
- ख) **प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना (एमएससीएस) पोर्टल:** 14/03/2023 को विश्व उपभोक्ता दिवस समारोह के दौरान माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रबंधन पद्धति प्रमाणन (एमएससीएस) के नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल पर गुणता प्रयासों में हमारे नए साझेदारों को प्रबंधन पद्धति लाइसेंस प्रदान करने के अतिरिक्त आगामी कार्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों, केस स्टडीज,

दिशानिर्देशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं आदि से संबंधित सामग्री मुख्य रूप से प्रदर्शित की गई है।

- ग) **प्रशिक्षण पोर्टल:** 14/03/2023 को 'विश्व उपभोक्ता दिवस' समारोह के दौरान माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण के नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल पर हितधारकों को आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी, संपन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विश्लेषण, वीडियो/फोटो गैलरी के माध्यम से एनआईटीएस परिसर का वर्चुअल अनुभव, अन्य प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया की जानकारी दी गई है और इसके साथ-साथ आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों या विशिष्ट रूप से निर्मित कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त इस पर विषय विशेषज्ञ एनआईटीएस में फैकल्टी भी बना सकते हैं।

- घ) **बीआईएस की अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं के लिए वेब पोर्टल:**

- i) अनुरूपता मूल्यांकन पोर्टल पर घरेलू निर्माता अपने उत्पादों पर मानक चिह्न (आईएसआई) के उपयोग के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन, ऐसे लाइसेंसों के नवीनीकरण,

- विविधता के दायरे में शामिल करने और भुगतान जमा करने, सरलीकृत ऑनलाइन माध्यमों से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीआईएस ऑनलाइन ही ऐसे आवेदनो पर कार्यवाही कर सकता है और अपने निर्णयों के बारे में जानकारी दे सकता है तथा हमारे हितधारकों के आवेदनों की वास्तविक समय ट्रेकिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है।
- ii) बीआईएस के आंतरिक कर्मचारियों के लिए आईटीएसडी द्वारा इलास्टिक डैशबोर्ड विकसित किया गया है।
- iii) पोर्टल को जीईएम के साथ भी एकीकृत किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक लाइसेंसधारी निर्माता ही इन पोर्टलों पर अपने उत्पाद दर्शा सकें।
- iv) विदेशी निर्माताओं के लिए अनुरूपता मूल्यांकन पोर्टल सीडैक द्वारा विकसित किया गया है और यूएटी पर उपलब्ध है।
- ड) **मानक प्रबंधन सॉफ्टवेयर:** बीआईएस की मानक निर्धारण गतिविधि को प्रबंधित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर मानकों के निर्धारण और उनके संशोधनों में शामिल सभी चरणों को स्वचालित करता है। इस पोर्टल को "वार्षिक रोलिंग योजना", "मानक मंथन", "वार्षिक बैठक कैलेंडर", "मानकीकरण प्रकोष्ठ" "पत्र-पत्रिकाएं एवं मैगजीन्स", "साप्ताहिक मानक बुलेटिन", "मानकों की समीक्षा", "मानक मंथन", "अनुसंधान एवं विकास", "मानक पोर्टल का नए रूप वाला सार्वजनिक डैशबोर्ड", "बैठकों के संकल्प", "शैक्षणिक डैशबोर्ड" आदि जैसी नई/उन्नत सुविधाएँ जोड़ने के लिए सक्षम किया गया था।
- च) **मानक संवर्धन पोर्टल:** बीआईएस की मानक संवर्धन गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक विशिष्ट पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर मानक संवर्धन गतिविधियाँ, गुणता कनेक्ट अभियानों का प्रबंधन, मानक क्लब पंजीकरण, मानक क्लब सदस्यता प्रबंधन, मानक क्लब गतिविधियों का प्रबंधन आदि की रिपोर्टिंग की सुविधाएँ हैं।
- छ) **नए मानक पोर्टल:** एजेंसी (मैसर्स सीएसएम प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर) को नए मानक पोर्टल का काम सौंपा गया है।
- ज) **शिकायत पोर्टल:** शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक विशिष्ट पोर्टल बनाया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को उनकी शिकायतों को दर्ज करने के लिए 24x7 सेवा प्रदान करता है और शिकायतों और उनकी स्थिति को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए बीआईएस के लिए एक सशक्त निगरानी माध्यम प्रदान करता है। व्यापक पहुँच के लिए शिकायत पोर्टल को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और उमंग (उमंग) प्लेटफॉर्म के साथ भी एकीकृत किया गया है।
- झ) **भर्ती पोर्टल:** बीआईएस में वैज्ञानिक-बी की भर्ती और प्रबंधन कार्यकारियों, युवा पेशेवरों और स्नातक अभियंता प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए एक पोर्टल आरंभ किया गया। इस पोर्टल पर आवेदनों की ऑनलाइन प्राप्ति, मेरिट सूची तैयार करना, साक्षात्कारों का समय निर्धारण आदि की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
- ञ) **44वां आईएसओ / सीओपीओएलसीओ प्लेनरी 2023 के लिए वेबसाइट:** 22-26 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुए 44वें आईएसओ / सीओपीओएलसीओ प्लेनरी 2023 के लिए एक विशेष वेबसाइट आरंभ की गई। इस वेबसाइट पर आईएसओ / सीओपीओएलसीओ प्लेनरी, पंजीकरण प्रक्रिया, वीजा, होटल, संपर्क बिंदु आदि के बारे में जानकारी दी गई है।
- ट) **बीआईएस केयर ऐप:** बीआईएस केयर ऐप पर हितधारक अनिवार्य पंजीकरण योजना (सीआरएस) के तहत आईएसआई मुहर, पंजीकृत ज्वैलर्स और चिह्नित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की प्रामाणिकता सत्यापित करने के साथ-साथ अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। यह ऐप अब 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ऐप की विशेषताएं व्यापक पहुंच के लिए उमंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त, इस ऐप को सभी प्लेटफॉर्म पर 6 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया है।
- ठ) **अंतर्राष्ट्रीय संबंध (आईआर) पोर्टल:** जैम के माध्यम से एक एजेंसी को शामिल किया गया।

इसका उद्देश्य बीआईएस द्वारा किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित गतिविधियों के लिए एक पोर्टल विकसित करना था। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए प्रतिनिधियों के प्रस्ताव प्राप्त करने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों/प्रस्तावों/परियोजनाओं, नए कार्य मदों आदि पर मतदान की सुविधा के लिए आईआर पोर्टल का प्रारंभिक चरण चालू कर दिया गया है।

ड) **ग्राम पंचायत के लिए पोर्टल:** ग्राम पंचायतों के लिए एक पोर्टल बनाया गया और इसे मानक संवर्धन पोर्टल के भाग के रूप में सक्रिय किया गया। यह पोर्टल ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायतों से संबंधित मानकों को सुलभ कराता है और वृत्तांतों, सुरीतियों को साझा करने और बीआईएस से जुड़ने के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। प्रासंगिक विषयों पर ग्राम पंचायतों के साथ संचार के लिए ग्राम पंचायतों का एक समेकित डेटा भी संकलित किया गया।

ढ) **ज्वैलर्स के लिए वेब पोर्टल:** ज्वैलर्स पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, उनके पास उसी पोर्टल के माध्यम से सीधे मान्यता प्राप्त एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों को हॉलमार्किंग के लिए अपने आभूषण भेजने का विकल्प होता है।

ण) **एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों (एएचसी) के लिए वेब पोर्टल:**

i. एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) के पास विशिष्ट वेब पोर्टल के माध्यम से हॉलमार्किंग हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करने की सुविधा है।

ii. एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) के पास उन वस्तुओं की हॉलमार्किंग करने का प्रावधान है जिनके लिए जौहरी से अनुरोध प्राप्त हुआ है और काम पूरा होने पर वे पोर्टल से डिलीवरी रिपोर्ट साझा कर सकते हैं और वस्तु को जौहरी को वापस भेज सकते हैं।

त) **मानक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट:** भारतीय मानक डेटा के डेटा विश्लेषण से प्राप्त जानकारी और निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए मानक विश्लेषणात्मक

रिपोर्ट को लाइव किया गया है। डेटा विजुअलाइजेशन जैसे चार्ट और ग्राफ का उपयोग डेटा में पैटर्न, रुझान और संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भी किया जाता है। इन रिपोर्टों के विकास का उद्देश्य बीआईएस को ज्ञात निर्णय लेने, प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और रुझानों की पहचान करने में मदद करना है।

थ) **प्रयास पोर्टल:** प्रयास पोर्टल में एक नया केपीआई (KPI) – 'हॉलमार्क किए गए सोने की वस्तुओं की संख्या' जोड़ा गया है। संबंधित डेटा को मासिक आधार पर (आवृत्ति: मासिक) एपीआई (API) के माध्यम से बीआईएस पोर्टल (ई-बीआईएस पोर्टल) से साझा किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय रूप से हॉलमार्क किए गए सोने की वस्तुओं का मासिक डेटा प्रदर्शित किया जाता है। प्रयास डैशबोर्ड पर निम्नलिखित 6 केपीआईज को प्रदर्शित किया गया वहै:

- प्रकाशित मानकों की संख्या (क्षेत्र: राष्ट्रीय स्तर, आवृत्ति : प्रतिदिन)
- उत्पाद प्रमाणीकरण के लाइसेंसों की संख्या (क्षेत्र: जिला स्तर, आवृत्ति : प्रतिदिन)
- पंजीकृत स्वर्ण ज्वैलर्स की संख्या (क्षेत्र: जिला स्तर, आवृत्ति : प्रतिदिन)
- पंजीकृत चांदी ज्वैलर्स की संख्या (क्षेत्र: जिला स्तर, आवृत्ति : प्रतिदिन)
- मान्यता प्राप्त एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या (क्षेत्र: जिला स्तर, आवृत्ति: प्रतिदिन)
- हॉलमार्क की गई स्वर्ण वस्तुओं की संख्या (क्षेत्र: राष्ट्रीय स्तर, आवृत्ति: मासिक)

10 परियोजना प्रबंधन और कार्य

बीआईएस कार्यालयों के लिए नए कार्यालय भवनों और सुविधाओं का निर्माण, मौजूदा भवनों एवं सुविधाओं का नवीकरण और प्रमुख मरम्मत कार्य तथा उपयोगिताओं के संचालन और रखरखाव से संबंधित कार्य बीआईएस का परियोजना प्रबंधन और निर्माण विभाग (पीएमडब्ल्यूडी) करता है। पीएमडब्ल्यूडी के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है –

नए भवन / सुविधाएं निर्माण परियोजनाएं	मरम्मत कार्य एवं आधुनिकीकरण	परियोजनाएं अन्य पहल	
1. भूमि खंड की खरीद वर्ष 2023–24 में कोई भूमि खंड नहीं खरीदा गया।	1. एनआईटीएस, नोएडा में प्रशिक्षण हॉल का आधुनिकीकरण नोएडा में प्रशिक्षण हॉल के आधुनिकीकरण का कार्य 30 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ। कार्य प्रगति पर है और जुलाई 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।	1. हरित पहल – सौर ऊर्जा परियोजनाएं एनआईटीएस नोएडा (50 किलोवाट), हैदराबाद शाखा कार्यालय (40 किलोवाट), पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय एवं पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला कोलकाता (64.4 किलोवाट) में स्थापित रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा की बचत और नेट मीटरिंग प्रणालियों से हुई ऊर्जा बचत :	
		कुल स्थापित क्षमता (kW)	394.4
		वर्ष 2023–24 उत्पन्न ऊर्जा (MWh में)	199.309
		वर्ष 2023–24 मंई ऊर्जा बचत (रु. में)	16,39,380.23
		नेट मीटरिंग से लाभ (रु. में)	32,63,119.78
2. नए भवन का निर्माण वर्ष 2023–24 में नए भवनों का निर्माण नहीं हुआ।	2. बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली में मानकालय के स्टाफ क्वार्टरों के पास पार्किंग की जगह का पुनर्निर्माण। मानकालय के स्टाफ क्वार्टरों के पास पार्किंग की जगह की पुनर्निर्माण की परियोजना अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और फरवरी 2024 में पूर्ण हुई।	2. सुगम्यता पहल – सुगम्य भारत अभियान के तहत बीआईएस की अपनी सभी भवनों को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान के तहत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बीआईएस अपने स्वामित्व वाले भवनों में स्थित क्षेका/शाका/प्रयोगशाला अपनी इमारतों को दिव्यांगजपनों के लिए सुगम्य बनाने की प्रक्रिया में हैं।	
		3. मानकालय के स्टाफ क्वार्टरों का संरचनात्मक मूल्यांकन मानकालय के स्टाफ क्वार्टरों का संरचनात्मक मूल्यांकन, इसके भार वहन करने वाले भागों की संरचनात्मक सुरक्षा, सुरक्षा और प्रतिबल स्थिति का आकलन विशेषज्ञ बाहरी एजेंसी की सहायता से किया गया। अविनाशकारी परीक्षणों और रेट्रोफिटिंग उपायों के परिणामों वाली मूल्यांकन की विस्तृत रिपोर्ट पहले ही प्राप्त की जा चुकी है।	
3. गांधीधाम में किराये के परिसर में नए शाखा कार्यालय की स्थापना क) गांधीधाम शाखा कार्यालय – गांधीधाम में किराये के भवन में एक शाखा कार्यालय की स्थापना की गई।	3. विभिन्न क्षेत्र/शाखा एवं प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण क) दक्षिणी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, चेन्नई (एसआरएल) – एसआरएल के पुनर्निर्माण की परियोजना शुरू हो गई है और कार्य अभी प्रगति पर है।		

नए भवन / सुविधाएं निर्माण परियोजनाएं	मरम्मत कार्य एवं आधुनिकीकरण	परियोजनाएं अन्य पहल
	4. कौशाम्बी में एक बीआईएस प्लैट का मरम्मत कार्य बीआईएस ने कौशाम्बी में बीआईएस के एक प्लैट के नवीनीकरण की परियोजना शुरू की है और इसके लिए आवश्यक सामान का ऑर्डर मार्च 2024 में दिया गया है।	

11 सतर्कता गतिविधियां

11.1 एबीएमएस प्रमाणन प्रदान करने की दिशा में किए गए प्रयास – निवारक सतर्कता पर विश्वव्यापी सर्वोत्तम रीति

क. रिश्वत-विरोधी प्रबंधन पद्धति (एबीएमएस) विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की शुरुआत के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य आईएस/आईएसओ 37001 के अनुसार विश्व स्तर पर प्रासंगिक रिश्वत विरोधी प्रबंधन पद्धति

(एबीएमएस) के कार्यान्वयन के प्रति जागरूकता पैदा करना था। यह संगोष्ठी 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस), नोएडा में हुई जिसमें देश भर के विभिन्न संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी, सतर्कता पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी एकत्रित हुए। कार्यक्रम के दौरान एसजेवीएन लिमिटेड को बीआईएस से एबीएमएस प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सम्मानित भी किया गया। श्री प्रेम प्रकाश, मुख्य सतर्कता अधिकारी, एसजेवीएन ने श्री प्रमोद कुमार तिवारी, महानिदेशक, बीआईएस से एबीएमएस प्रमाणपत्र प्राप्त किया।



ख) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को देश भर में 94 स्थानों पर स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्रों, खदानों और केंद्रीय विपणन कार्यालयों के लिए रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) प्रमाणन प्रदान किया। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में सेल ने 10 जनवरी, 2024 को अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान

आधिकारिक तौर पर सेल के अध्यक्ष श्री अमरेंद्र प्रकाश को केंद्रीय बीआईएस के उप महानिदेशक (डीडीजी) डॉ आर के त्यागी और बीआईएस के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) श्री आशीष त्रिपाठी द्वारा एबीएमएस प्रमाणपत्र दिए गए। समारोह में सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ सेल के विभिन्न बोर्ड सदस्यों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सेल इकाइयों के सहायक मुख्य

सतर्कता अधिकारियों (एसीवीओ) ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। डॉ. त्यागी ने एबीएमएस प्रमाणन प्राप्त करने में शामिल सेल की सभी इकाइयों के कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों की सराहना की। श्री त्रिपाठी ने भ्रष्टाचार का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम के माध्यम से मुकाबला करने में एबीएमएस प्रमाणन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने वैश्विक सर्वोत्तम रीति मानक आईएस/आईएसओ 37001:2016 के महत्व को बताया। सेल के अध्यक्ष श्री अमरेंद्र प्रकाश ने एबीएमएस प्रमाणन प्राप्त करने वाले पहले महारत्न पीएसयू होने का गौरव प्राप्त करने पर पूरे स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने आवश्यक ऑडिट करने में भारतीय मानक ब्यूरो के कड़े प्रयासों की भी सराहना की।

11.2 बीआईएस की सरदार पटेल क्रिकेट प्रतियोगिता

सतर्कता जागरूकता और टीम भावना को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयासों के अंतर्गत बीआईएस ने 06 अक्टूबर 2023 को सरदार पटेल क्रिकेट टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन कर एक अनूठी पहल की। यह बीआईएस के इतिहास में अपनी तरह का पहला खेल आयोजन था जिसे सीवीसी के निर्देशों के अनुरूप सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित किया गया। ये मैच मानकीकरण, प्रमाणन, प्रयोगशाला और प्रशासन एवं वित्त का प्रतिनिधित्व करने वाली चार टीमों के बीच खेले गए। इस टूर्नामेंट में श्री प्रमोद कुमार तिवारी, डीजी बीआईएस; श्री आशीष त्रिपाठी, सीवीओ बीआईएस; श्री एचजेएस पसरिचा, डीडीजी (प्रमाणन); और श्री विनोद कुमार, डीडीजी (वित्त) मौजूद थे। "टीम- प्रशासन एवं वित्त" ने एक रोचक फाइनल मैच में पहली सरदार पटेल ट्रॉफी जीती, जबकि "टीम-प्रमाणन" उपविजेता रही।



11.3 अखिल भारतीय शतरंज प्रतियोगिता

शतरंज के खेल से जुड़े 'सतर्क रहने' के प्रतीक को आगे बढ़ाते हुए एक लोकप्रिय वेबसाइट (<https://lichess.org/>) के माध्यम से अखिल भारतीय ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता

Rank	Player	Points	Tie Break	Performance
1	Tridevburagohain	5	14	1991
2	V.P_Chess	4		1799
3	Shahryar07	3		1683
4	debuma	3		1517
5	sikha10	2.5		1457
6	pawandindolabme	2		1738
7	akhi107	2		1482



11.4 विज्ञाई वाणी

मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीआईएस ने वर्ष 2024 के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की पत्रिका "विज्ञाई वाणी" में प्रकाशन के लिए 'प्रणालीगत सुधार और परिपत्रों/दिशानिर्देशों का अद्यतीकरण' के विशिष्ट विषय क्षेत्रों पर 2 लेख लिखने में संपादकीय टीम के रूप में योगदान दिया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग का 3-माह अभियान

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रदूत के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन/निर्देशों के अनुसार

16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023 तक 3 माह के अभियान के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गई :

- क. जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प के बारे में जागरूकता अभियान – सभी 34 शाखा कार्यालयों, 05 क्षेत्रीय कार्यालयों और 06 प्रयोगशालाओं ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की विषय वस्तु पर बैनर लगाए, साथ ही पीआईडीपीआई के बारे की जानकारी भी दी है। पीआईडीपीआई पोस्टर का 11 क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, मलयालम,

कन्नड़, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, असमिया, गुजराती और मराठी) में अनुवाद किया गया है।

ख. क्षमता निर्माण कार्यक्रम – क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत, अधिकारियों को नैतिकता और शासन; साइबर हाइजीन और सुरक्षा; जैम एवं जीएफआर; प्रयोगशाला गुणता प्रबंधन, माप अनिश्चितता, अंतर प्रयोगशाला तुलना / प्रवीणता परीक्षण और परियोजना और समय प्रबंधन पर प्रशिक्षित किया गया।

ग. प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन – पिछले मामलों के विश्लेषण के आधार पर भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाया गया।

घ. शिकायत निपटान के लिए आईटी का लाभ उठाना – अधिकारियों/कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार

के आरोपों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए बीआईएस के सतर्कता पोर्टल को अद्यतन किया गया।

ड. परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअल्स को अद्यतन करना – अभियान की अवधि के दौरान बीआईएस इंटरनेट पर 122 परिपत्र/दिशानिर्देश अपलोड किए गए।

11.5 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 –

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सीवीसी से प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष की विषय-वस्तु “भ्रष्टाचार का विरोध करो; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहो” पर 30 अक्टूबर 2023 से 05 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 मनाया।

महानिदेशक बीआईएस द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई।



वॉकथॉन – सतर्कता जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर 2023 को बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली में एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया जिसमें बीआईएस के सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी की। वॉकथॉन मानक भवन से शुरू हुआ और बहादुर शाह

जफर मार्ग और कोटला मार्ग से होते हुए वापस बीआईएस मुख्यालय में समाप्त हुआ। इस वर्ष की विषय-वस्तु 'भ्रष्टाचार को न कहें; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हों' पर बनाए गए नारे, पर्चे एवं बैनर इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण थे।



प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता – पिछले कुछ वर्षों की तरह सबसे लोकप्रिय और सराहनीय क्विज़ प्रतियोगिता, वीएडब्ल्यू 2023 के दौरान बीआईएस के सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित की गई। बीआईएस मुख्यालय के विभिन्न विभागों की कुल

पाँच टीमों ने सतर्कता और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं, सीसीएस नियमों, सामान्य जागरूकता आदि से संबंधित प्रश्नों की प्रतियोगिता में भाग लिया।





टेबल टेनिस (पुरुष) एवं कैरम (महिला) प्रतियोगिता
— बीआईएस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे उत्साह
के साथ टेबल टेनिस (पुरुष) और कैरम (महिला) चैंपियनशिप

में भाग लिया। ये खेल सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023
के दौरान खेले गए।



वीएडब्लू 2023 समापन एवं पुरस्कार समारोह – सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 बीआईएस में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह 06 नवंबर 2023 को मुख्यालय, नई दिल्ली में हुआ इसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीआईएस के साथ विभिन्न गतिविधियों के उप महानिदेशक, विभागाध्यक्ष और बीआईएस के अधिकारी शामिल हुए। ऑनलाइन शतरंज, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबंध लेखन, टेबल टेनिस और कैरम जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को

मंच पर उपस्थित उपमहानिदेशकों द्वारा पुरस्कृत किया गया। श्री आशीष त्रिपाठी (आईआरएस), मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीआईएस ने प्रतिष्ठित सभा को संबोधित किया और एक संगठन में बेहतर कामकाज के लिए निवारक सतर्कता की भूमिका और महत्व पर बल दिया। श्री एच.जे. एस पसरीचा, उपमहानिदेशक (प्रमाणन), बीआईएस ने सतर्कता विभाग को न केवल सतर्कता जागरूकता 2023 के दौरान बल्कि बीआईएस में सतर्कता जागरूकता, क्षमता और टीम निर्माण के लिए पिछले कुछ माह के दौरान आयोजित अद्भुत कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए बधाई दी।



आईपीएफटी में सतर्कता जागरूकता पर सीवीओ, बीआईएस द्वारा व्याख्यान

बीआईएस के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री आशीष त्रिपाठी ने 01 नवंबर 2023 को आईपीएफटी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह के दौरान गुडगांव स्थित कीटनाशक

सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) में सतर्कता जागरूकता पर एक व्याख्यान दिया। इस अवसर पर डॉ. मोहन कृष्ण रेड्डी मुडियम, निदेशक, आईपीएफटी और श्री अविजित रक्षित, सीवीओ, आईपीएफटी और आईपीएफटी के अधिकारी मौजूद थे।



सीवीओ, बीआईएस द्वारा हुडको के लिए नैतिकता और सुशासन पर वेबिनार

सतर्कता जागरूकता हेतु एक अन्य अंतर-संगठनात्मक गतिविधि के एक भाग के रूप में, श्री आशीष त्रिपाठी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीआईएस ने 07 नवंबर 2023 को वेबएक्स के माध्यम से हुडको के अधिकारियों के लिए नैतिकता और सुशासन पर एक वेबिनार भी आयोजित किया।

निवारक सतर्कता गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय,

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई शाखा कार्यालय-I, मुंबई शाखा कार्यालय-II का निवारक सतर्कता ऑडिट की गई। इन ऑडिट के परिणामस्वरूप, बीआईएस की प्रमुख गतिविधियों से संबंधित विभिन्न प्रणालीगत सुधारों का सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त ऑडिट किए गए कार्यालयों के कामकाज में देखी गई विसंगतियों के संबंध में अनुवर्ती सुधारात्मक कार्रवाई की सलाह दी गई।

सतर्कता प्रशासन एवं अनुशासनात्मक मामलों पर कार्यशाला

11 अक्टूबर 2023 को बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली में

बीआईएस अधिकारियों के लिए इस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। डॉ. उपेंद्र वेन्नम (आईपीओएस), सीवीओ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड

(बीडीएल) और मिश्र धातु निगम लिमिटेड (एमआईडीएनआई), हैदराबाद ने संकाय सदस्य के रूप में कार्यशाला की शोभा बढ़ाई।



12 मानव संसाधन विकास

12.1 भर्ती

वर्ष के दौरान, 15 वैज्ञानिक सीधी भर्ती की प्रक्रिया के

माध्यम से वैज्ञानिक-बी के रूप में जुड़े।

12.2 समूहवार संख्या

31 मार्च 2024 तक, समूहवार संख्या निम्नानुसार है:

समूह	एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/पूर्व सैनिक/ईडब्लूएस का प्रतिनिधित्व	योग
क (वैज्ञानिक संवर्ग)	325	534
क (प्रशासनिक, वित्त एवं अन्य पद)	18	37
ख	140	346
ग	159	241
कुल योग	642	1158



12.3 तैनाती

वर्ष 2023–24 के दौरान बीआईएस की विभिन्न गतिविधियों में कर्मियों की तैनाती निम्नानुसार है:

गतिविधि	कर्मियों की समूहवार तैनाती (31 मार्च 2024 तक)	
	वैज्ञानिक संवर्ग	प्रशासनिक, वित्त एवं अन्य पद
प्रशासनिक एवं वित्त	—	113
निगमित	—	72
मानक निरूपण	138	20
प्रमाणीकरण	275	163
प्रयोगशालाएं	67	199
तकनीकी सहायता सेवा	54	57
कुल	534	624

13 प्रशासन और सामान्य सेवाएँ

13.1 स्वच्छ भारत मिशन

ब्यूरो में 16 फरवरी से 29 फरवरी 2024 की अवधि के दौरान स्वच्छता पखवड़ा अभियान चलाया गया। इस संबंध में बीआईएस मुख्यालय के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों/प्रयोगशालाओं/निट्स ने भी स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। स्वच्छता अभियान के दौरान फाइलों को निकाला गया और पुराने फर्नीचर एवं ई-वेस्ट का निपटान किया गया।

13.2 स्टाफ कल्याण

13.2.1 बीआईएस ने अपने कर्मचारियों के लिए समूह बीमा

योजनाएं, पेंशनर प्रकोष्ठ, अवकाश गृहों की सुविधा, रियायती जलपान कूपन और छात्रवृत्ति योजना, अंशकालिक होम्योपैथिक परामर्शदाता और नर्स की नियुक्ति, जिम सुविधा आदि जैसी कल्याणकारी योजनाओं को नियमित रूप से जारी रखा है।

13.2.2 बीआईएस मुख्यालय में कैंटीन में विभिन्न प्रकार के नाश्ते, स्नैक्स और दोपहर के भोजन की सुविधा शुरू की गई जिससे भोजन की समग्र गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

13.2.3 बीआईएस हॉलिडे होम निम्नलिखित स्थान पर स्थित है। इनमें ठहरने की व्यवस्था क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से संचालित की जाती है:

क्र.सं.	हॉलिडे होम का स्थान	बुकिंग करने वाले क्षेत्रीय कार्यालय
1.	मुन्नार	दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय (एसआरओ)
2.	मनाली	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ)
3.	उदयपुर	मध्य क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)

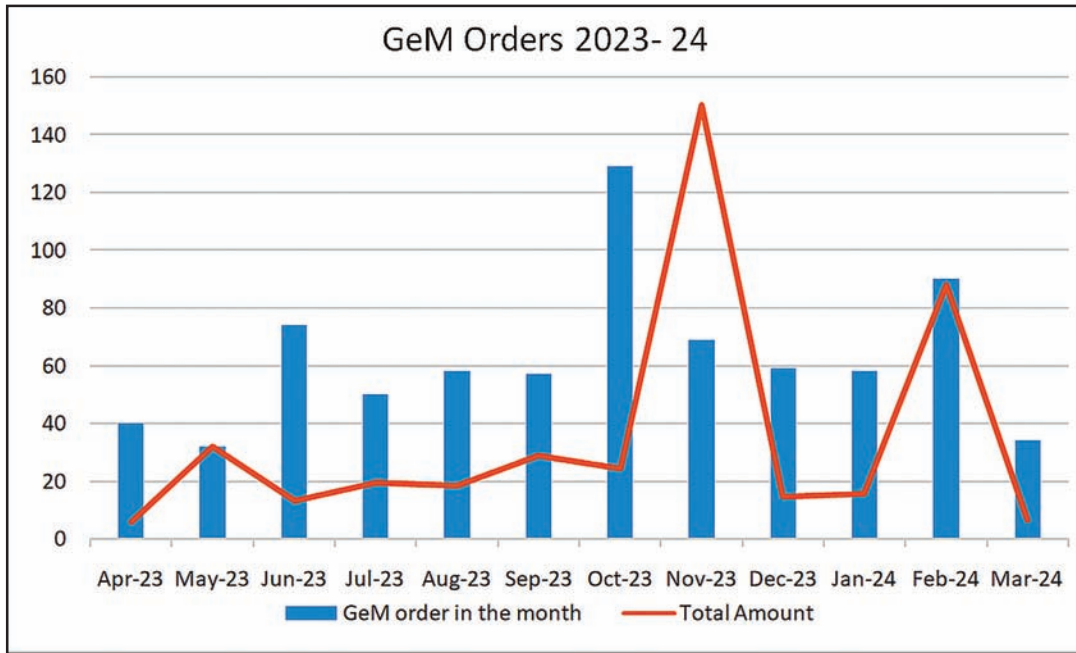
13.2.4 बीआईएस ने वर्ष 2023-24 के दौरान स्टाफ कल्याण हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम/गतिविधियां आयोजित की:

क्र.सं.	कार्यक्रम/गतिविधियां
1.	विशेष अभियान 2.0 (स्वच्छता)
2.	विश्व पर्यावरण दिवस
3.	रक्तदान शिविर
4.	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
5.	अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस
6.	संविधान दिवस समारोह
7.	बीआईएस स्थापना दिवस समारोह
8.	'आर्ट ऑफ लिविंग' पर व्याख्यान
9.	दंत चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं बैंक सेवाओं हेतु शिविर का आयोजन
10.	आंख की जांच के शिविर का आयोजन
11.	साइबर जागरूकता कार्यक्रम का संचालन
12.	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह
13.	रक्तदान शिविर
14.	विश्व रक्तदान दिवस का आयोजन
15.	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह (आईडब्लूडी)
16.	बीआईएस स्थापना दिवस समारोह
17.	नववर्ष 2024 समारोह
18.	सशस्त्र सेना झंडा दिवस हेतु योगदान
19.	स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का संचालन
20.	मेरी-माटी मेरा देश अभियान
21.	राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह
22.	हर घर तिरंगा अभियान

13.3 सामान्य सेवाएं

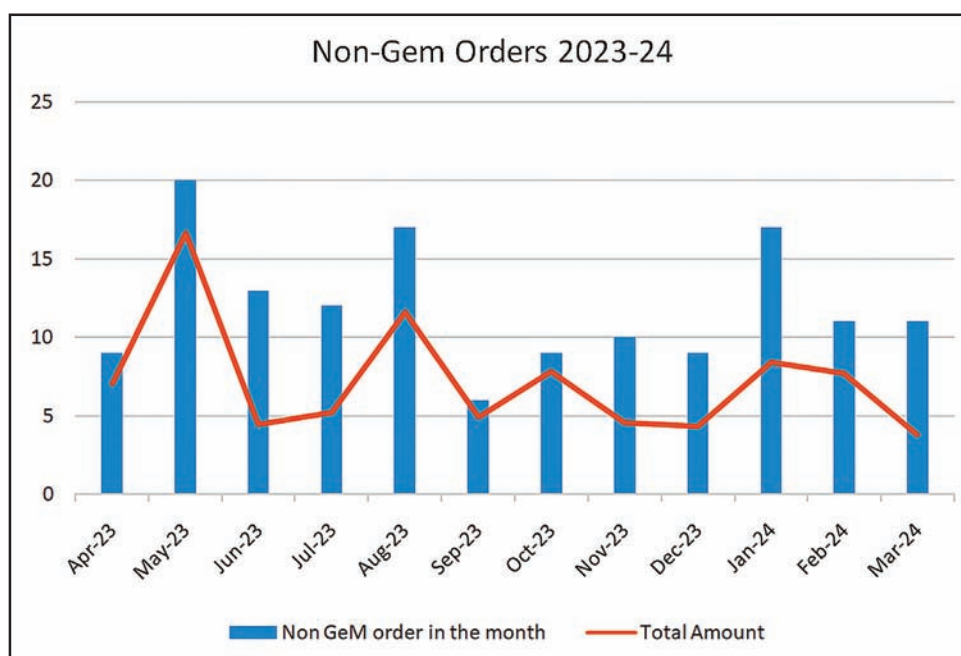
माह	महीने में जैम आर्डर	कुल राशि (रु. लाख में)	जैम के माध्यम से मासिक खरीद का प्रतिशत
अप्रैल-23	40	6.02	
मई-23	32	32.11	
जून-23	74	13.44	
जुलाई-23	50	19.44	
अगस्त-23	58	18.41	
सितंबर-23	57	28.92	
अक्टूबर-23	129	24.57	
नवंबर-23	69	150.12	

दिसंबर-23	59	14.55	
जनवरी-24	58	15.61	
फरवरी-24	90	88.08	
मार्च-24	34	6.79	
कुल प्रतिशत के साथ कुल राशि	418.06	82.87%	



वित्तीय वर्ष 2023-24 में गैर-जैम (छवद-ळमड) के माध्यम से क्रय की गई वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित आंकड़ा।

माह	महीने में गैर-जैम ऑर्डर	कुल राशि (₹. लाख में)	गैर-जैम के माध्यम से मासिक खरीद का प्रतिशत
अप्रैल-23	9	7.03	
मई-23	20	16.62	
जून-23	13	4.46	
जुलाई-23	12	5.23	
अगस्त-23	17	11.62	
सितंबर-23	6	4.89	
अक्टूबर-23	9	7.79	
नवंबर-23	10	4.54	
दिसंबर-23	9	4.3	
जनवरी-24	17	8.39	
फरवरी-24	11	7.72	
मार्च-24	11	3.79	
कुल प्रतिशत के साथ कुल राशि		86.38	17.12%



14 पुस्तकालय सेवाएं

14.1 बीआईएस तकनीकी पुस्तकालय

मुख्यालय में स्थित बीआईएस तकनीकी पुस्तकालय मानकों और संबंधित मामलों पर जानकारी के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र है और उद्योग, व्यापार, सरकार, शोधकर्ताओं और उपभोक्ताओं की सेवा करता है। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मानकों का सबसे बड़ा पुस्तकालय है जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्ग मीटर है। 2023-24 की अवधि के दौरान बीआईएस पुस्तकालय की सेवाओं का उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा किया गया और लगभग 5129 मानक और पुस्तकें जारी की गईं। पुस्तकालय नियमित रूप से प्राप्त प्रकाशनों (पुस्तकें और मानक) के मशीनीकृत डेटाबेस को अपडेट करता है।

14.2 डिजिटल पुस्तकालय

लाइब्रेरी पोर्टल का बीआईएस वेबसाइट के साथ एकीकरण – लाइब्रेरी पोर्टल को बीआईएस वेबसाइट के साथ एकीकृत किया गया है। लाइब्रेरी पोर्टल पर महत्वपूर्ण घटनाओं/फोटोग्राफ को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। बीआईएस प्रकाशन (पुराने) भी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

रिमोट एक्सेस— डिजिटल लाइब्रेरी अब बीआईएस के ग्रुप ए, बी और सी अधिकारियों और तकनीकी समिति के सदस्यों के लिए लाइव है। वे अपनी लॉगिन आईडी (रिमोट एक्सेस) के डिजिटल लाइब्रेरी पर जा सकते हैं।

14.3 पुस्तकालय सदस्यता

पुस्तकालय की सदस्यता केवल संदर्भ प्रयोजनों हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों और संगठनों के लिए उपलब्ध है।

14.4 विशेष गतिविधियां

- **योग दिवस एवं वाचन दिवस** – योग दिवस एवं वाचन दिवस के अवसर पर 19 जून से 18 जुलाई 2023 तक पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।
- **स्वतंत्रता दिवस** – “स्वतंत्रता दिवस” के अवसर पर 14 अगस्त 2023 से 18 अगस्त 2023 तक पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।
- **अतिथि व्याख्यान** – राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के अवसर पर पुस्तकालय सेवा केंद्र द्वारा अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह व्याख्यान डॉ. ए.पी. यादव, पुस्तकालयाध्यक्ष, लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. एस.आर. रंगनाथन के विषय पर प्रस्तुत किया गया था।
- **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस** – “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस” से अवसर पर 4 से 8 मार्च, 2024 तक पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।
- **विशेष अभियान:** विशेष अभियान के दौरान एलएससी में नियमित रूप से सफाई अभियान

चलाए गए। एलएससी ने वृक्षारोपण अभियान का भी आयोजन किया। विशेष अभियान के दौरान पुराने प्रकाशन (समाचार पत्र/पत्रिका) का भी निस्तारण किया गया।

14.5 ई-प्रकाशन

मानक निर्धारण विभागों के लिए पुस्तकालय में ई-जर्नल एवं ई-मानक की खरीदी की गई।

14.6 नई पहल

—वापस की गई पुस्तकों की प्रदर्शनी— पुस्तकालय में “लाइब्रेरी कलेक्शन, रीडर्स सेलेक्शन” के शीर्षक के अंतर्गत वापस की गई पुस्तकों के लिए एक विशेष स्थान निर्धारित किया गया है।

—पुस्तकों का डिस्पले — पुस्तकालय में पुस्तकों को विशेष विषय-वस्तु के अनुसार रखा गया है।

15 कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो में फरवरी 1998 को एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था जिसका पुर्नगठन कार्यालयीन आदेश Estt-III/ICC/76:01/2020, 19 जनवरी 2024 द्वारा किया गया। बीआईएस, मुख्यालय, नई दिल्ली की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) में वरिष्ठ-स्तरीय महिला कर्मचारियों को पीठासीन अधिकारी बनाने के साथ-साथ बीआईएस-मुख्यालय से दो अन्य सदस्य और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संगठन (एआईडीडब्ल्यू), नई दिल्ली से एक सदस्य शामिल है।

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी-एचक्यू) ने 07 मार्च,

2024 को बीआईएस-मुख्यालय, नई दिल्ली में “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस” मनाया जिसमें बीआईएस मुख्यालय-नई दिल्ली, दिल्ली और एनसीआर के बीआईएस के फरीदाबाद, गाजियाबाद, केंद्रीय प्रयोगशाला, निट्स, नोएडा कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों ने भाग लिया।

इस वर्ष महिला दिवस की विषय-वस्तु “काउंट हर इन : इन्वेस्ट इन वूमैन, एक्सलरेटेड प्रोग्रेस” थी। इस अवसर पर, 100 मीटर दौड़, लेमन रेस, अंताक्षरी और प्रश्नोत्तरी जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। महानिदेशक, बीआईएस ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इसके अतिरिक्त, ब्यूरो ने “सिविल सेवाओं में महिला – नेतृत्व एवं शासन” विषय पर डीएआरपीजी, वर्चुअल राउंड-टेबल वेबिनार आयोजित किया।

16 दिव्यांगों हेतु योजनाएं

- भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार समूह क, ख एवं ग पदों के अंतर्गत सीधी भर्ती में दिव्यांगजनों को 4% का आरक्षण दिया गया।
- बीआईएस न सामान्य कर्मचारियों के लिए 08 आकस्मिक छुट्टियों अनुमत की है जबकि शारीरिक रूप से अक्षम/दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 12 आकस्मिक छुट्टियां अनुमत की है।
- इसके अतिरिक्त, शारीरिक रूप से अक्षम/विकलांग कर्मचारी को सामान्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित दरों से दौगुना अधिक यातायात भत्ता दिया जाता है।

17 भारत सरकार की सेवाओं और सिविल पदों के लिए सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण

भारत सरकार के निर्देशन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण दिया जा रहा है।



वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा



भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2024 तक बैलेंस शीट

राशि रु. में

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस निधि और देयता			
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	35,412,274,282	31,712,006,044
भंडार और अधिशेष		—	—
निर्धारित/अक्षय निधि	2	24,519,437,932	22,556,637,138
सुरक्षित ऋण और उधार		—	—
असुरक्षित ऋण और उधार		—	—
आस्थगित ऋण देयताएं		—	—
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	2,587,622,026	1,050,202,314
कुल		62,519,334,240	55,318,845,496

संपत्ति

अचल संपत्तियां	4	2,832,694,866	2,684,948,093
निर्धारित/ अक्षय निधि से निवेश	5	22,288,962,811	21,766,908,482
निवेश— अन्य	6	33,485,358,071	28,688,419,001
वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि।	7	3,912,318,492	2,178,569,920
विविध व्यय (जिस सीमा तक बड़े खाते में नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)		—	—
कुल		62,519,334,240	55,318,845,496

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	16
तत्काल देयताएं और खातों पर टिप्पणियां	17
निवेश का विवरण	18

(प्रमोद कुमार तिवारी)
महानिदेशक

(विनोद कुमार)
उप महानिदेशक (वित्त)

(गुरप्रीत सिंह)
निदेशक (लेखा)

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा

			राशि रु. में
	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आय			
सेवाओं से आय	8	9,082,604,864	8,415,022,674
अनुदान/सब्सिडी		—	—
शुल्क/सदस्यता	9	27,044,179	38,790,446
निवेश से आय	10	2,175,034,884	1,885,178,521
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	11	181,310,840	139,834,597
अर्जित आय	12	5,740,836	6,328,899
अन्य आय	13	44,090,800	61,691,960
कुल (क)		11,515,826,403	10,546,847,097
खर्च			
स्थापना व्यय	14	2,084,892,902	1,988,523,131
प्रचालन व प्रशासन व्यय	15	3,561,658,439	2,648,428,875
अनुदान और सब्सिडी आदि पर व्यय		—	—
ब्याज	—	—	—
मूल्यहास	4	234,031,076	195,098,346
पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में कमी के लिए अंशदान		1,934,975,748	425,184,046
कुल (ख)		7,815,558,165	5,257,234,397
कार्पस/पूंजीगत निधि में शेष राशि का अधिशेष जमा करना		3,700,268,238	5,289,612,700
महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां	16		
तत्काल देयताएं और खातों पर टिप्पणियां	17		
निवेश विवरण	18		

(प्रमोद कुमार तिवारी)
महानिदेशक

(विनोद कुमार)
उप महानिदेशक (वित्त)

(गुरप्रीत सिंह)
निदेशक (लेखा)



अनुसूची 1 – कॉर्पस/पूँजी निधि

	राशि रु. में	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वर्ष की प्रारंभ में शेष राशि	31,712,006,044	26,422,393,344
जोड़: आय और व्यय खाते से स्थानांतरित अधिशेष	5,768,482,080	5,289,612,700
वर्ष के अंत में शेष राशि	37,480,488,124	31,712,006,044

(राशि रु.में)

	हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना के लिए योजना स्कीम के तहत एमओसीए से सहायता	सी.डब्ल्यू.एफ. के तहत एमओसीए से सहायता	परोपकारी निधि	सामान्य भविष्य निधि	राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि	पेंशन एवं ग्रेज्युटी देयता निधि खाता	उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि	कुल	
								चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
क) निधियों का प्रारंभिक शेष	—	332,260	5,454,877	1,400,155,008	1,493,714	21,149,201,279	—	22,556,637,138	22,172,719,417
ख) निधि में वृद्धि:									
i) सहायता/ अनुदान	9,500,000								
ii) निधियों के निवेश पर ब्याज से आय	—	1,450	300,367	101,481,829	5,054	1,426,504,258		1,528,292,958	1,503,016,717
iii) संबंधित निधि में अंशदान			3,242,475	267,580,772	195,846,051	28,285,583	1,410,000	496,364,881	741,381,273

iv) पेंशन और ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में कमी के लिए अंशदान									1,934,975,748		1,934,975,748	—
अ) अन्य									1,435,700		1,435,700	—
कुल (क+ख)	9,500,000	333,710	8,997,719	1,770,653,309	197,344,819	24,538,966,868	1,410,000	26,527,206,425	24,417,217,407			
ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग / व्यय												
i) पूंजीगत व्यय – अचल संपत्ति									—			—
ii) राजस्व व्यय												
कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और लाभार्थियों को भुगतान		2,500,000	381,870,564	196,580,493	1,415,905,986			1,996,857,043	1,850,346,707			
हॉलमार्किंग केंद्रों को सहायता									—			—
बैठकें, यात्राएं और अन्य		9,436,305					1,410,000	10,846,305	1,510,000			
वापस किया गया अनुदान		63,695						63,695	8,560,311			

ब्याज डीओसीए को वापस किया गया/वापस किया जाना										1,450	163,251
कुल राजस्व व्यय	9,500,000	1,450				381,870,564	196,580,493	1,415,905,986	1,410,000	2,007,768,493	1,860,580,269
कुल (ग)	9,500,000	1,450				381,870,564	196,580,493	1,415,905,986	1,410,000	2,007,768,493	1,860,580,269
वर्ष के अंत 31.03.2023 तक शुद्ध शेष (क+ख-ग)	—	332,260				1,388,782,745	764,326	23,123,060,882	—	24,519,437,932	22,556,637,138

(राशि रु.में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 3 – वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
क. वर्तमान देयताएं		
1. वस्तुओं और सेवाओं के लिए विविध ऋणदाता (अंतर्देशीय)	2,387,691,916	865,016,896
2. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि:		
क) बिक्री	57,031	146,301
ख) प्रमाणन	3,808,453	3,876,135
3. वैधानिक देयताएं— अन्य		
क) देय जीएसटी	132,560,958	133,182,652
ख) देय टीडीएस	15,464,943	7,651,229
4. अन्य चालू देयताएं		
क) बयाना राशि/प्रतिधारण राशि	41,882,953	31,059,180
ख) देय खाते कर्मचारी	6,155,772	9,269,920
कुल (क)	2,587,622,026	1,050,202,314
ख. प्रावधान		
	—	—
कुल (क+ख)	2,587,622,026	1,050,202,314

अनुसूची-4		सकल ब्लॉक					मूल्यहास					शुद्ध ब्लॉक		
विवरण		प्रारंभिक वर्ष में लागत / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन	प्रारंभिक वर्ष में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत तक कुल	वर्तमान वर्ष 2023-24 के अंत तक	पिछले वर्ष 2023-24 के अंत तक			
क.	अचल संपत्तियाँ:													
1	भूमि-फ्रीहोल्ड	564,359,100	—	—	564,359,100	—	—	—	—	564,359,100	564,359,100			
2	भूमि-पट्टा	488,680,244	—	—	488,680,244	19,283,069	752,898	—	20,035,967	468,644,277	469,397,175			
3	भवन	1,019,838,933	109,248,480	0	1,129,087,413	477,142,801	65,871,129	—	543,013,930	586,073,483	542,696,132			
4	आवासीय प्लैट	62,296,310	—	—	62,296,310	47,388,414	1,408,505	—	48,796,919	13,499,391	14,907,896			
5	संयंत्र, मशीनरी और उपकरण	902,605,971	95,917,370	2,833,887	995,689,454	467,966,437	84,605,184	2,563,488	550,008,133	445,681,321	434,639,534			
6	वाहन	5,040,279	—	524,420.00	4,515,859	3,994,599	90,798	336,943	3,748,454	767,405	1,045,680			
7	फर्नीचर	192,567,260	57,988,944	4,887,993	245,668,212	59,418,810	19,979,451	3,404,181	75,994,081	169,674,131	133,148,450			
8	कार्यालय उपकरण	183,773,924	21,861,396	151,141	205,484,179	103,098,530	15,678,695	126,179	118,651,044	86,833,135	80,675,394			
9	कंप्यूटर	424,661,656	52,385,558	53,640,632	423,406,582	333,361,917	44,874,889	40,271,986	337,964,820	85,441,762	91,299,739			
10	पुस्तकालय की पुस्तकें	30,556,062	1,318,150	234,162	31,640,050	29,487,067	769,528	231,353	30,025,242	1,614,808	1,068,995			
	वर्तमान वर्ष का कुल (क)	3,874,379,739	338,719,898	62,272,235	4,150,827,403	1,541,141,644	234,031,076	46,934,130	1,728,238,590	2,422,588,813	2,333,238,095			
	पिछले वर्ष	3,733,462,171	644,290,212	151,662,647	4,226,089,737	1,351,487,037	195,098,346	5,443,739	1,541,141,644	—	—			
ठ.	प्रगति पर पूंजीगत कार्य	351,709,998	126,724,826	68,328,770	410,106,053	—	—	—	—	410,106,053	351,709,998			
	कुल	4,226,089,737	465,444,724	130,601,006	4,560,933,456	1,541,141,644	234,031,076	46,934,130	1,728,238,590	2,832,694,866	2,684,948,093			

(राशि रु.में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 5— निर्धारित/ अक्षय निधि से निवेश		
1 पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि खाता		
1.1 भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	20,762,049,201	20,250,921,516
1.2 डिबेंचर और बांड	170,000,000	170,000,000
1.3 बैंकों में सावधि जमा	—	
कुल (1)	20,932,049,201	20,420,921,516
2 अन्य		
2.1 राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि खाता	764,326	1,493,714
2.2 लाभकारी निधि	4,000,000	
कुल(2)	4,764,326	1,493,714
3 कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		
3.1 भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	231,637,210	243,382,415
3.2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	379,397,939	412,211,069
3.3 डिबेंचर और बांड	343,406,531	310,991,174
3.4 आरबीआई में विशेष जमा	312,708,594	312,708,594
3.5 इक्विटी और संबंधित निवेश—म्यूचुअल फंड	50,599,010	44,100,000
3.6 बैंकों में सावधि जमा	34,400,000	21,100,000
कुल(3)	1,352,149,284	1,344,493,252
कुल (1)+(2)+(3)	22,288,962,811	21,766,908,482

(राशि रु.में)

अनुसूची 6— निवेश—अन्य

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1 कॉर्पस/पूंजी निधि में निवेश		
1.1 भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	29,832,262,907	25,796,578,740
1.2 बैंकों में सावधि जमा	3,653,095,164	2,891,840,261
कुल	33,485,358,071	28,688,419,001

(राशि रु.में)

चालू वर्ष

पिछले वर्ष

अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम राशि आदि

क. चालू परिसंपत्तियाँ

1. वस्तुसूची:

क) प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर	4,991,110	2,324,635
ख) लेखन सामग्री	9,104,169	7,288,030
ग) मरम्मत एवं रखरखाव उपभोग्य सामग्री	1,539,904	1,331,973

योग (1)

15,635,183

10,944,637

2. फुटकर देनदार

क) प्रकाशनों का बिक्री		
i) छह महीने से अधिक	127,124	54,778
ii) अन्य		
ख) प्रमाणन		
i) छह महीने से अधिक	2,418,757	2,298,680
ii) अन्य	183,580	960,272
ग) वसूली योग्य लेखा		
i) वसूली योग्य लेखा (कर्मचारी)	2,425,762	873,948
ii) सरकारी विभागों से वसूली योग्य (विदेश मंत्रालय एवं डीओसीए से)	9,578,757	9,580,202
iii) वसूली योग्य लेखा (अन्य)	2,089,906,867	594,501,521

योग (2)

2,104,640,847

608,269,401

3. हाथ में नगद शेष (अग्रदाय सहित)

199,698

326,146

4. बैंक में शेष :

क) अनुसूचित बैंकों में		
i) चालू खातों में	172,227,317	92,957,220
ii) बचत खातों में	165,148,066	181,647,670
ख) चेक-इन-ट्रांजिट	750,000	—

योग 4

338,125,383

274,604,890

5. फ्रैंकिंग मशीन शेष

56,146

47,766

योग(क)

2,458,657,257

894,192,840

(राशि रु.में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 7— चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और लाभ आदि		
ख. ऋण, लाख और अन्य परिसंपत्तियाँ		
1. कर्मचारियों की अग्रिम :		
i) वाहन की खरीद के लिए	1,800	9,000
ii) आवास निर्माण के लिए	11,286,014	9,777,806
iii) कम्प्यूटर के लिए	279,000	523,222
योग (1)	11,566,814	10,310,028
2. अग्रिम और वसूली योग्य अन्य राशियाँ अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य		
क) बाहरी पार्टियों के लिए पूंजीगत लेखा और अन्य		
i) हॉलमार्किंग डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट – IIT बॉम्बे	61,986,648	61,986,648
ii) भवन निर्माण आरओ/बीओ – सीपीडब्लूडी	202,067,558	190,021,536
iii) कम्प्यूटरीकरण परियोजना : सी- डैक	23,367,847	79,329,276
iv) वर्षा जल संचयन परियोजना	—	1,323,000
v) अन्य	163,392,758	93,201,526
vi) उपभोक्ता कल्याण निधि (एनबीसीसी)	332,260	332,260
vii) योजना परियोजना योजनाएँ	17,436	17,436
योग (2क)	451,164,507	426,211,682
ख) प्रीपेड व्यय	19,358,200	17,534,852
ग) कर्मचारियों के लिए अग्रिम :		
i) त्योहार के लिए अग्रिम	—	—
ii) यात्रा के लिए	5,890,585	5,912,126
iii) अवकाश यात्रा रियायत	533,826	790,173
iv) सामान्य भविष्य निधि	—	—
योग (2ग)	6,424,411	6,702,299
घ) सुरक्षा जमा	30,740,576	16,378,880
योग (2)	507,687,693	466,827,713

(राशि रु.में)

चालू वर्ष

पिछले वर्ष

अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम राशि आदि

3. प्रोदभूत आय

क) उद्धिष्ट/अक्षय निधियां एवं अन्य से निवेश

i) बीआईएस कॉर्पस फंड	562,666,894	475,905,310
ii) पेंशन और उपदान देयता निधि	172,963,483	171,920,475
iii) सामान्य भविष्य निधि	34,883,651	55,170,435
iv) हितकारी निधि	241,655	—

योग (3)	770,755,683	702,996,220
----------------	--------------------	--------------------

4. प्राप्ति योग्य दावा

क) आयकर	5,149,898	3,069,521
ख) वस्तु एवं सेवाकर	158,501,148	101,173,597

योग (4)	163,651,046	104,243,118
----------------	--------------------	--------------------

योग (ख)	1,453,661,236	1,284,377,080
----------------	----------------------	----------------------

योग (क+ख)	3,912,318,492	2,178,569,920
------------------	----------------------	----------------------

(राशि रु.में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 8— सेवा से आय		
1. उत्पाद प्रमाणन	6,925,440,714	6,549,030,204
2. अनिवार्य पंजीकरण योजना	1,076,455,314	1,025,700,326
3. हॉलमार्किंग 720,344,935	560,797,585	
4. प्रबंध पद्धति प्रमाणन सेवाएं	44,840,630	42,260,173
5. परीक्षण से होने वाली आय	315,523,271	237,234,386
योग	9,082,604,864	8,415,022,674

(राशि रु.में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 9 – शुल्क / सदस्यता अंशदान		
1. सम्मेलन एवं प्रशिक्षण शुल्क	26,936,179	38,678,446
2. पुस्तकालय सदस्यता शुल्क	108,000	112,000
योग	27,044,179	38,790,446

(राशि रु. में)

उद्दिष्ट निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष

अनुसूची 10— निवेशों से आय

(उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश से आय निम्नलिखित निधि से अंतरित)

1	ब्याज	1,426,504,258	1,405,132,055	2,172,637,538	1,885,178,521
2	संपत्तियों पर निवेश (किराया आय)			2,397,346	0

योग	1,426,504,258	1,405,132,055	2,175,034,884	1,885,178,521
------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(उद्दिष्ट/अक्षय निधियां को अंतरित)

(संदर्भ अनुसूची 2,

मद (ii) – कॉलम 6)



(राशि रु.में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
--	-----------	------------

अनुसूची 11- रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय.

क. मानको की बिक्री से आय

1 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	76,844,955	55,105,483
2 हॉर्ड कॉपी	2,156,332	2,316,075
योग(क)	79,001,287	57,421,558

ख. भारत में आईएसओ एवं आईईसी के प्रकाशनों की बिक्री से आय वापसी	102,309,553	82,413,039
--	-------------	------------

योग(क+ख)	181,310,840	139,834,597
-----------------	--------------------	--------------------

(राशि रु.में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
--	-----------	------------

अनुसूची 12 – अर्जित ब्याज

बचत खाते पर	5,740,836	6,328,899
योग	5,740,836	6,328,899

(राशि रु.में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 13 – अन्य आय		
क) वाहन, कम्प्यूटर एवं गृह निर्माण अग्रिम से ब्याज	534,975	1,875,065
ख) सीजीएचएस अंशदान	10,285,325	12,608,658
ग) स्टाफ क्वार्टरों से लाइसेंस शुल्क	461,863	465,401
घ) मुख्यालय में विविध आय	11,038,372	4,120,387
ड) क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में विविध आय	12,212,130	17,239,774
च) प्रयोगशालाओं में विविध आय	3,600,001	3,327,818
छ) जीपीएफ खाते में अधिशेष	5,958,134	5,993,416
ज) भर्ती प्राप्तियां	—	16,061,441
योग	44,090,800	61,691,960

(राशि रु.में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 14 – स्थापना व्यय		
1. वेतन एवं भत्ते		
क) वेतन 977,038,771	967,190,752	
ख) भत्तें एवं बोनस	772,075,903	667,806,759
ग) टर्मिनल छुट्टी भुनाना	60,617,606	90,401,220
योग (1)	1,809,732,280	1,725,398,731
2. सेवा निवृत्ति लाभ		
नियोक्ता का राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान	79,398,279	96,665,607
योग (2)	79,398,279	96,665,607
3. कल्याण व्यय		
क) चिकित्सा लाभ – कर्मचारी	44,000,868	34,814,537
ख) चिकित्सा लाभ – पेशनधारी	101,808,985	79,331,984
ग) कर्मचारी कल्याण	37,139,637	36,944,768
घ) छुट्टी यात्रा रियायत	12,812,853	15,367,505
योग (3)	195,762,343	166,458,793
योग (1+2+3)	2,084,892,902	1,988,523,131

(राशि रु.में)

चालू वर्ष

पिछले वर्ष

अनुसूची 15 – प्रचालनात्मक और प्रशासनिक व्यय

1. यात्रा व्यय

क) विदेश	31,569,293	19,279,133
ख) घरेलू	148,350,386	139,152,320
ग) समिति सदस्य	10,292,085	1,443,841

योग (1)

190,211,764

159,875,294

2. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान

क) अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन(आईएसओ)	54,234,219	47,788,224
ख) अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी)	15,020,664	13,541,966

योग (2)

69,254,883

61,330,190

3. मुद्रण

क) मानकों एवं अधिसूचनाओं	2,319,926	1,923,783
ख) बुलेटिन	1,186,897	—

योग (3)

3,506,823

1,923,783

4. पीक्षण एवं निगरानी

क) परीक्षण शुल्क	827,105,529	539,532,500
ख) प्रयोगशाला में खपत योग्य सामान एवं प्रयोगशाला उपस्कर की मरम्मत और रख-रखाव	64,656,188	64,310,317
ग) बाजार नमूने	78,932,367	47,520,645
घ) निरीक्षण कार्य के लिए टैक्सी किराए पर लेना	80,635,508	54,801,127
ङ) बाहरी एजेंसियों को निरीक्षण	96,184,564	112,168,966
ई) फ्रेट और कार्टेज	63,388,797	45,287,929

योग (4)

1,210,902,953

863,621,484

5. प्रचार

277,004,932

137,017,162

(राशि रु.में)

चालू वर्ष	पिछले वर्ष
-----------	------------

अनुसूची 15 – प्रचालनात्मक और प्रशासनिक व्यय

6. कार्यालय व्यय

क) लेखन सामग्री	26,915,246	26,818,882
ख) पोस्टेज	17,141,105	9,270,764
ग) टेलीफोन	15,725,024	11,797,245
ड) भर्ती	5,548,405	97,158,930
ड़) भर्ती प्राप्ति की वापसी	1,708,475	—
च) अल्पाहार और मनोरंजन	2,824,305	2,775,995
छ) वर्दी	184,805	61,729
ज) बीमा और बैंक प्रभार	5,035,917	4,501,515
झ) विविध	5,497,981	5,220,990
ञ) किराया और सांविधिक कर	122,497,663	84,244,623
ट) बिजली और पानी प्रभार	75,726,936	69,737,795
ठ) टैक्सी किराया प्रभार	38,526,624	27,839,297

योग (6)	317,332,486	339,427,764
----------------	--------------------	--------------------

योग (1-6)	2,068,213,842	1,563,195,677
------------------	----------------------	----------------------

7. मरम्मत और रख रखाव

क) फर्नीचर और कार्यालय उपकरण	5,560,261	7,862,105
ख) भवन	68,373,243	87,498,348
ग) वाहन	451,533	598,015

योग (7)	74,385,037	95,958,469
----------------	-------------------	-------------------

8. सम्मेलन, उपभोक्ता जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

क) सम्मेलन, उपभोक्ता जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	71,461,353	30,699,871
ख) एनआईटीएस में प्रशिक्षण व्यय	31,709,734	20,005,391
ग) मानक संवर्धन गतिविधियां	334,473,413	240,281,436
ग) प्रशिक्षण व्यय	3,850,582	8,095,651

योग (8)	441,495,082	299,082,349
----------------	--------------------	--------------------

(राशि रु.में)

चालू वर्ष

पिछले वर्ष

अनुसूची 15 – प्रचालनात्मक और प्रशासनिक व्यय

9. अन्य व्यय

क)	सूचना प्रौद्योगिक सेवा व्यय	244,078,154	87,324,492
ख)	पुस्तकालय अंशदान और व्यय	1,102,216	283,417
ग)	ऑडिट शुल्क और अन्य परामर्श प्रभार	10,459,271	9,744,621
घ)	विधि प्रभार	16,362,711	12,420,262
ङ)	हार्डिंग – कुशल/अकुशल जनशक्ति और हाउसकीपिंग एवं सुरक्षा	475,445,101	408,864,501
च)	तकनीकी श्रमशक्ति के लिए हायर करना	136,577,483	93,718,460
छ)	कंसल्टेंट्स और कंसल्टेंसी चार्ज की भर्ती	20,894,587	26,237,344
ज)	डूबा ऋण एवं घाटा बट्टे खाते में डालना	475,180	—
झ)	गुणता पद्धति प्रभार	22,491,895	17,851,230
ञ)	स्टाफ ट्रेनिंग	6,190,764	19,429,631
ट)	हिंदी प्रोत्साहन गतिविधियां	5,891,109	6,089,747
ठ)	प्रवर्तन आउटसोर्सिंग व्यय	435,505	241,121
ड)	सेनवेट क्रेडिट व्यय/पूर्वगामी इनपुट कर क्रेडिट	17,002,601	4,704,380
ढ)	पूंजी निवेश (अचल संपत्ति) बट्टे खाते में डाला गया (शुद्ध)	5,621,022	705,325
ण)	आई एवं डी परियोजनाएं	14,536,880	2,577,850
योग (9)		977,564,479	690,192,380
योग (1 जव 9)		3,561,658,439	2,648,428,874

भारतीय मानक ब्यूरो

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लेखों की अनुसूची का भाग

अनुसूची 16: विशिष्ट लेखा नीतियां

1. लेखाकरण परिपाटी

अन्यथा नियत न होने पर ऐसी सेवाओं एवं चूक वाले निवेशों पर देय ब्याज से आय को छोड़कर, जिनका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है, वित्तीय विवरण परंपरागत लागत परिपाटी और सामान्य: लेखांकन की उपार्जन पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. माल सूचियां

भारतीय मानकों तथा अन्य प्रकाशनों के स्टॉक के मूल्य का लेखा-जोखा नीतिगत रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, कागज, प्रयोगशाला की उपभोग्य मदों, स्पेयर पार्ट, लेखन सामग्री एवं स्वर्ण के स्टॉक का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।

3. निवेश

3.1 निवेश का लेखा-जोखा सामान्यतः लागत पर रखा जाता है।

3.2 स्थायी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किए गए प्रीमियम परिपक्वता तिथि तक समय अनुपात आधार पर परिशोधित किए जाते हैं।

4. अचल परिसम्पत्ति

4.1 अचल परिसम्पत्तियां का लेखा-जोखा अधिग्रहण की लागत पर रखा जाता है जिसमें आवक भाड़ा, ड्यूटी एवं कर शामिल होते हैं।

4.2 मंत्रालयों के अनुदानों/सहायता से उपार्जित अचल परिसम्पत्तियां कार्पस/पूंजीगत निधि में वर्णित संगत मूल्य पर पूंजीगत की जाती है।

4.3 गैर-मौद्रिक (नॉन-मॉनेटरी) अनुदानों के रूप में प्राप्त अचल परिसम्पत्तियां कार्पस/पूंजीगत की जाती हैं।

5. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लिखित तत्काल मूल्य पद्धति पर किया जाता है।

6. सरकारी अनुदान/सहायता

6.1 सरकारी अनुदान/सहायता वसूली के आधार पर लेखांकित होता है।

6.2 मंत्रालयों से प्राप्त सभी सरकारी अनुदान/सहायता एवं उनके उपयोग उद्दिष्ट/अक्षय निधि अनुसूची में दर्शाए गए हैं।

6.3 परियोजनाओं की नीतिगत लागत एवं अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त सरकारी अनुदान/सहायता कार्पस/पूँजीगत निधि के योजक के रूप में दिखाई गई है।

7. विदेशी मुद्रा का लेन-देन

7.1 विदेशी मुद्रा का लेन-देन उसकी तिथि पर लागू विनियम दर पर लेखांकित होता है।

7.2 वर्तमान देनदारियां वर्ष के अंत में लागू विनियम दर पर परिवर्तनीय होती हैं तथा संबंधित लाभ/हानि आय एवं व्यय लेखा में अंतरित की जाती हैं।

8. वेतन एवं भत्ते

वेतन एवं भत्तों तथा छुट्टी नकदीकरण का भुगतान, वेतन एवं भत्तों के तहत नकद आधार पर आय एवं व्यय लेखा से प्रभारित किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति हितलाभ

9.1 बीमांकिक (एक्चुरियल) मूल्यांकन पर आधारित सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन एवं वर्तमान कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की देयता पिछली सेवा को उपार्जित करके अनुसूची उद्धिष्ट/अक्षय निधि के तहत दर्शाए गए पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि की लेखा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

9.2 बीमांकिक (एक्चुरियल) मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में संगत क्रेडिट सहित आय और व्यय खाते में निधि के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है।

9.3 वर्ष के दौरान सभी पेंशन हितलाभों का वास्तविक भुगतान पेंशन ग्रेच्युटी/ देयता लेखा के नाम डाला जाता है।

10. कर्मचारियों को ऋण

कर्मचारियों को दिए गए भवन निर्माण, वाहन एवं कम्प्यूटर संबंधी ऋणों के ब्याज को ऋण के मूलधन की वसूली के बाद नकदी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

11. सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) लेखा

कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अधिशेष/घाटे को ब्यूरो की आय/खर्च के रूप में माना जाता है।

भारतीय मानक ब्यूरो

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लेखों की अनुसूची

अनुसूची 17— लेखा संबंधी तत्काल देयता एवं टिप्पणियां

1. तत्काल देयताएं

- 1.1** सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर की विवादित मांगें (जुर्माना और ब्याज को छोड़कर):— ये विवादित मांगें हॉलमार्किंग एवं एसेयिंग केंद्रों से राजस्व साझाकरण रसीदों पर कर देयता तथा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत सेवा कर देयता से संबंधित हैं, जिसे बीआईएस ने चुनौती दी है:

(रुपए लाख में)

(i) दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय	94.68
(ii) पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय	80.24
(iii) पटना शाखा कार्यालय	1.05
(iv) बीआईएस मुख्यालय (जीएसटी)	9.59

- 1.2** एनबीसीसी, जयपुर भवन एवं प्रशिक्षण संस्थान भवन नोएडा के लिए परामर्शक:— एनबीसीसी ने जयपुर और एनआईटीएस नोएडा भवन में किए गए कार्यों के लिए क्रमशः 27.60 लाख रुपये और 17.04 लाख रुपये के भुगतान का दावा किया है। हालाँकि, ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि एनबीसीसी द्वारा अभी भी कुछ सुधारात्मक कार्रवाई की जानी है और उनके खातों का निपटान कार्य किया जा रहा है। चूंकि देय राशि अनुबंध के अनुसार भौतिक सत्यापन के अधीन है इसलिए, इन दावों को दिनांक 31.03.2024 तक परिसंपत्तियों और देयताओं के अतिरिक्त के रूप में नहीं लिया गया है। कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि मुख्यालय स्थित नए सेंट्रल एसी प्लांट से संबंधित कार्यों के निपटारे तक इन दोनों परियोजनाओं के लिए एनबीसीसी को कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा (संदर्भ नोट 2.8 देखें)।
- 1.3** माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में वाद संख्या 3016/2010:— मैसर्स नेशनल फूड प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पैकेजबंद पेयजल के लिए लाइसेंस के नवीकरण में देरी होने के कारण हुए कथित नुकसान की भरपाई हेतु बीआईएस से दावा किए जाने के कारण ब्याज सहित 73,82.90 लाख रुपये की तत्काल देयता हो सकती है।
- 1.4** बैंक गारंटी: मध्य क्षेत्रीय कार्यालय के लिए लीज आवास के लिए बैंक एफडी के रूप में 100 प्रतिशत मार्जिन के लिए दिनांक 13.01.2024 से 12.07.2027 तक साढ़े तीन वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के पक्ष में 38.59 लाख रुपये की बैंक गारंटी तैयार की गई थी।
- 1.5** बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में 1.6 एकड़ भूखंड के संबंध में उल्लंघनों के अस्थायी नियमितीकरण के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) द्वारा उठाई गई मांग—भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) द्वारा मानक भवन के लिए अनधिकृत निर्माण और दुरुपयोग शुल्क के कारण 125.76 लाख रुपये की विवादित मांग है।
- 1.6** संपत्ति कर के प्रति तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड (टीएसआईआईसी) द्वारा उठाई गई मांग — हैदराबाद शाखा कार्यालय की संपत्ति कर के रूप में 61.50 लाख रुपये की विवादित मांग है।

2. लेखा संबंधी टिप्पणियां

2.1 पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ: पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंध का मूल्य (अग्रिमों का शुद्ध) प्रदान नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार है:

(राशि रु. करोड़ में)

क्रम सं.	परियोजना	कुल अनुमानित लागत	सीपीडब्ल्यूडी/ एजेंसी को किया गया भुगतान	निष्पादित होने हेतु शेष अनुबंध का मूल्य
(i)	ईआरओ भवन का आधुनिकीकरण	8.13	4.09	4.04
(ii)	सीएल साहिबाबाद का आधुनिकीकरण	18.35	18.01	0.34

2.2 पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि खाता (अनुसूची 2—कॉलम 7)

2.2.1 बीआईएस नियम, 2018 के नियम 44 में यह प्रावधान है कि बीआईएस पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि बनाए रखेगा जिसका उपयोग पेंशन, ग्रेच्युटी और पेंशन के परिवर्तित मूल्य के भुगतान के लिए किया जाएगा। निधि का कोष बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर होगा और यदि कोई कमी होगी तो उसे आय और व्यय खाते से अधिशेष के विनियोजन से पूरा किया जाएगा।

2.2.2 बीआईएस की पेंशन और ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन सेबी के साथ पंजीकृत मैसर्स नलिन कपाड़िया, कंसल्टेंट और एक्जुअरीज द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एएस-15 में दिए गए दिशानिर्देशों और एक्जुअरीज सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों का पालन करके किया गया और उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक बीआईएस की कुल अर्जित पेंशन और ग्रेच्युटी देयता 2312.30 करोड़ रुपये है, जो निम्नानुसार है:

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.सं.	उपार्जित देयता	
1.	मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए उपार्जित पेंशन देयता	1863.97
2.	मौजूदा कर्मचारियों की पिछली सेवा के लिए उपार्जित पेंशन देयता	380.07
3.	सीसीएस पेंशन नियमों और एनपीएस के तहत मौजूदा कर्मचारियों की उपार्जित ग्रेच्युटी देयता	68.26
	कुल	2312.30

दिनांक 31.03.2023 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उपरोक्त देयता 2114.92 करोड़ रुपये थी।

2.2.3 दिनांक 31.03.2024 तक पेंशन और ग्रेच्युटी देयता निधि की स्थिति निम्नानुसार है:

- निधि में प्रारंभिक शेष राशि:**— दिनांक 01.04.2023 तक पेंशन और ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में उपलब्ध राशि 21,14,92,01,279 रुपये थी।
- निधि द्वारा अर्जित ब्याज:**— वर्ष 2023-24 के दौरान पेंशन और ग्रेच्युटी देयता निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज की राशि 1,42,65,04,258 रुपये थी और इसे "पेंशन और ग्रेच्युटी देयता निधि खाते" (अनुसूची 2 कॉलम 6) में जमा किया गया।

- iii) **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर सीसीएस (पेंशन नियम) अर्थात् पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के अंतर्गत कवरेज:** कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/05/2021-पीएंडपीडब्लू(बी), दिनांक 03.03.2023 के अनुसार 16 कर्मचारियों के संबंध में 2,82,85,583 रुपये की राशि, जो पहले एनपीएस के अंतर्गत आते थे, अब ओपीएस के अंतर्गत आ गए हैं, खाता शीर्ष 'पेंशन और ग्रेच्युटी देयता निधि खाता' (अनुसूची 2, कॉलम 7) में जमा की जा रही है।
- iv) **निधि से किए गए भुगतान:**— वर्ष 2023-24 के दौरान पेंशन, कम्प्यूटेशन और ग्रेच्युटी का कुल शुद्ध भुगतान 1,41,59,05,986 रुपये होगा [सकल भुगतान 1,38,12,70,376 रुपये प्लस 3,46,35,610 रुपये (निवेश पर भुगतान किए गए प्रीमियम के परिशोधन के लिए व्यय 3,46,35,315 रुपये और बैंक शुल्क के लिए 295 रुपये)] है इसे 'पेंशन और ग्रेच्युटी देयता निधि खाता' [अनुसूची 2, कॉलम 6] में डेबिट किया गया है।
- v) **आय एवं व्यय खाते से उपलब्ध कराई गई निधि में कमी:**— उपरोक्त क्रम संख्या (ii) और (iii) में दिए गए लेन-देन के परिणामस्वरूप, दिनांक 31.03.2024 तक पेंशन और ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में शेष राशि 23,12,30,60,882 रुपये के बीमांकिक मूल्यांकन की अपेक्षा 21,18,80,85,133 रुपये थी। चूंकि पेंशन और ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में 1,93,49,75,748 रुपये की कमी थी, इसलिए, इसे आय और व्यय खाते में "पेंशन और ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में कमी के लिए योगदान" के रूप में लिया गया और "पेंशन और ग्रेच्युटी देयता निधि खाते" (अनुसूची 2, कॉलम 6) में जमा किया गया।
- vi) **निधि में समापन शेष:**— उपरोक्त लेनदेन के परिणामस्वरूप, दिनांक 31.03.2024 तक पेंशन और ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में शेष राशि 23,12,30,60,882 रुपये है (अनुसूची 2, कॉलम 6)।

2.3 राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि :— राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) उन सभी कर्मचारियों पर लागू है जो 01.01.2004 के बाद बीआईएस में शामिल हुए हैं। विनियामक के साथ नामांकित कर्मचारियों का अंशदान और बीआईएस अंशदान मासिक आधार पर पीएफडीआरए को भेजा जाता है। तथापि, जिन कर्मचारियों का अभी तक विनियामक के साथ नामांकन नहीं हुआ है, उनके संबंध में कर्मचारियों का अंशदान तथा बीआईएस का अंशदान एनपीएस फंड खाते के अंतर्गत बीआईएस के पास रखा जाता है तथा बीआईएस द्वारा निवेश किया जाता है। ऐसे अंशदानों पर ब्याज की गणना जीपीएफ की ब्याज दर के बराबर दर पर की जाती है और संबंधित खातों में जमा की जाती है। दिनांक 31.03.2024 तक बीआईएस के पास एनपीएस फंड में शेष राशि 7,64,326 रुपये थी [अनुसूची 2, कॉलम 5]।

2.4 बीआईएस निधि का निवेश

2.4.1 कॉर्पस/पूंजीगत निधि का निवेश: दिनांक 31.03.2024 तक बीआईएस कॉर्पस/पूंजीगत निधि और एनपीएस का कुल निवेश 334861.22 लाख रुपये (अनुसूची 5, 6 और अनुसूची 18 के तहत दिखाया गया) था जो निम्नलिखित विभिन्न निधियों को दर्शाता है:

(राशि रु. लाख में)

निधि जिनके सामने निवेश दर्शाया गया है	पीएसयू बैंक की सावधि जमा में निवेश	भुगतान किए गए प्रीमियम सहित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	कुल निवेश
i) कॉर्पस/पूंजीगत निधि	36530.95	298322.63	334853.58
ii) राष्ट्रीय पेंशन योजना कोष	7.64	—	7.64
कुल निवेश	36538.59	298322.63	334861.22

2.4.2 पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि का निवेश: दिनांक 31.03.2024 तक पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि का कुल निवेश 209320.49 लाख रुपये (अनुसूची 5 एवं अनुसूची 18 के अंतर्गत दर्शाया गया है):

(राशि रु. लाख में)

निधि जिनके सामने निवेश दर्शाया गया है	बांड में निवेश	भुगतान किए गए प्रीमियम सहित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	कुल निवेश
पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि	1700.00	207620.49	209320.49

2.4.3 बीआईएस ने 17.12.1998 को उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम यूपी कोऑपरेटिव एंड स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड (यूपीसीएसएमएफएल) के बांड में 16% प्रति वर्ष की दर से 200.00 लाख रुपये का निवेश किया था। यूपीसीएसएमएफएल ने परिपक्वता तिथि पर ब्याज और मूलधन के भुगतान में डिफाल्ट रहा। मूलधन की परिपक्वता पर दिनांक 30.04.2003 (33 प्रतिशत), 30.10.2003 (33 प्रतिशत) और 30.04.2004 (34 प्रतिशत) को देय थी। 01.05.2000 से ब्याज देने में चूक हुई, जो कूपन दर पर परिपक्वता तिथि तक 128.00 लाख रुपये है। बीआईएस ने माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष याचिका संख्या 451/2002 के माध्यम से मामला दायर किया था। माननीय एनसीडीआरसी ने दिनांक 01.02.2016 को अपना फैसला सुनाया और विपक्षी पक्ष संख्या 01 (यूपीसीएसएमएफएल) और विपक्षी पक्ष संख्या 02 (उत्तर प्रदेश सरकार, गारंटर) को संयुक्त रूप से और अलग-अलग 200 लाख रुपये की राशि बीआईएस को 01.05.2000 से वसूली की तारीख तक केवल 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। बीआईएस द्वारा दिनांक 03.03.2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट याचिका भी दायर की गई है।

यूपीसीएसएमएफएल ने समीक्षा याचिका नंबर 48/2017 और 138/2017 दायर किया और माननीय एनसीडीआरसी से प्रार्थना की कि इस समीक्षा याचिका की अनुमति दें और मूल याचिका सं. 451/2002 में इस माननीय न्यायालय द्वारा 01 फरवरी 2016 के आदेश को वापस ले लें और मूल याचिका संख्या 451/2002 में इस माननीय न्यायालय द्वारा 01 फरवरी 2016 को पारित आदेश को रद्द कर दिया जाए, समीक्षा याचिकाओं को माननीय एनसीडीआरसी द्वारा खारिज कर दिया गया और सभी प्रतिवादियों / निर्णय देनदारों और आधिकारिक परिसमापक को नोटिस जारी किए गए। यह मामला 04-07-2019, 16-09-2019, 27-11-2019, 06-03-2020, 08-07-2020, 06-09-2021, 21-09-2022, 12-12-2022, 01-02-2023, 07-03-2023, 23-03-2023, 5-04-2023 को विपक्षी पक्षों की उपस्थिति के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

प्रतिवादी याचिका (एक्जीक्यूशन पेटिशन) को दिनांक 25 अप्रैल 2023 को माननीय एनसीडीआरसी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। माननीय एनसीडीआरसी ने विपक्षी पक्ष 1 और 2 को वकालतनामा और जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय और ब्यूरो को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय देते हुए आदेश पारित किया।

इसके अलावा, दिनांक 06 जुलाई 2023 को, माननीय न्यायालय ने पाया कि वकालतनामा दाखिल किया गया है लेकिन दिनांक 25 अप्रैल 2023 के आदेश के अनुसार जवाब दाखिल नहीं किया गया था। माननीय एनसीडीआरसी ने अंतिम अवसर देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए एक माह का समय दिया और मामले को दिनांक 15 नवंबर 2023 के लिए सूचीबद्ध किया।

इसके अलावा, मैसर्स उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड ने दिनांक 02 सितंबर 2023 को बीआईएस को पत्र लिखा और विवाद के एकमुश्त समाधान (ओटीएस) के लिए प्रस्ताव रखा, जिसमें यूपीसीएसएमएफएल कूपन दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत व्यक्त की। विधि विभाग के परामर्श के बाद उक्त ओटीएस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा ओटीएस की स्वीकृति के बारे में यूपीसीएसएमएफएल और माननीय एनसीडीआरसी को सूचित कर दिया गया है।

इसके अलावा, माननीय एनसीडीआरसी ने दिनांक 02 जनवरी 2024 के अपने आदेश में कहा कि सेवा के बावजूद विपक्षी पक्ष समझौते का जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए आवेदक अर्थात् भारतीय मानक ब्यूरो को आगे की कार्रवाई के लिए आधिकारिक परिसमापक का नाम देने की अनुमति दी जाती है और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 12 जनवरी 2024 दी गई।

इसके बाद, दिनांक 12 जनवरी 2024 को माननीय एनसीडीआरसी ने शिकायतकर्ता के वकील को आधिकारिक परिसमापक का विवरण दाखिल करने की अनुमति दी। कार्यालय आधिकारिक परिसमापक को दिनांक 22 अप्रैल 2024 को जवाब देने के लिए नोटिस जारी करेगा।

इसके अलावा, यूपीसीएसएमएफएल ने अपने मेल दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से 12.02.2024 को 1130 बजे लखनऊ में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक की सूचना और कार्यसूची भेजा है और बीआईएस प्रतिनिधि ने भी उक्त बैठक में भाग लिया है। बैठक के कार्यवृत्त की प्रतीक्षा है। यूपीसीएसएमएफएल से उनके ओटीएस प्रस्ताव के अनुसार कोई भुगतान आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।

मामले को दिनांक 22 अप्रैल 2024 को सूचीबद्ध किया गया, माननीय एनसीडीआरसी ने कहा कि आधिकारिक परिसमापक पर सेवा के संबंध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और मामले को दिनांक 03 जुलाई 2024 को सूचीबद्ध किया गया है।

2.5 केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केंद्र स्थापित करने की योजनागत योजना: बीआईएस द्वारा यह योजना खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है। उपभोक्ता मामले विभाग ने अपने पत्र दिनांक 8.02.2004— बीआईएस, दिनांक 30.09.2005 के द्वारा भारत में केन्द्रीय सहायता से स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केंद्रों की स्थापना की योजना को स्वीकृति प्रदान की थी।

वर्ष 2023–24 के दौरान रुपये का अनुदान। केन्द्रीय सहायता और रुपये के व्यय के साथ भारत में गोल्ड हॉलमार्किंग/एसेइंग केंद्रों की स्थापना के तहत डीओसीए की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अनुसार 95.00 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। वर्ष के दौरान 94.36 लाख (अर्थात् हॉलमार्किंग केंद्रों को सहायता – 65.06 लाख रुपये और कारीगर प्रशिक्षण के लिए 29.30 लाख रुपये) खर्च किए गए हैं। अव्ययित शेष राशि शून्य है क्योंकि सीएनए अवधारणा के अनुसार अव्ययित शेष राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

2.6 भारत सरकार की योजनागत स्कीमदृ “उपभोक्ता शिक्षा और प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण”: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की उपभोक्ता शिक्षा और प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण योजना के तहत 23,39,746 रुपये की राशि प्राप्य है, जिसे बीआईएस द्वारा कार्यान्वित किया गया था (अनुसूची 7(ए) मद 2सी(पप) देखें)।

2.7 उपभोक्ता जागरूकता एवं संरक्षण निधि— जुर्माना एवं हर्जाने: बीआईएस द्वारा “उपभोक्ता जागरूकता एवं संरक्षण निधि” बनाया गया है और प्राप्त होने वाले सभी जुर्माने और हर्जाने को इस निधि में जमा किया गया है। बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 20 के अनुसार, प्राप्त जुर्माने का उपयोग देश में उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता संरक्षण और वस्तुओं की गुणवत्ता संवर्धन, वस्तुओं, प्रक्रियाओं, पद्धतियों अथवा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। तदनुसार, उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों की ओर वर्ष के दौरान किए गए खर्चों को रूपए की शेष राशि निधि से निधि से डेबिट किया गया है। इस निधि में 14,10,000 रुपये उपलब्ध हैं।

2.8 एनबीसीसी द्वारा मानक भवन की इमारत के लिए नया केन्द्रीय एसी संयंत्र — मुख्यालय के मानक भवन के लिए नए केन्द्रीय एसी संयंत्र की स्थापना की परियोजना वर्ष 2003–04 में शुरू की गई थी। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त किया गया। एनबीसीसी को 86.07 लाख रुपये का भुगतान किया गया। हालाँकि, इस परियोजना को जून

2006 में रोक दिया गया था। एनबीसीसी को देय परामर्श शुल्क की गणना की पद्धति के संबंध में विवाद के कारण खाते का निपटान नहीं किया जा सका। अतः यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना के लिए एनबीसीसी के साथ खातों के निपटान तक अन्य परियोजनाओं अर्थात् जयपुर शाखा कार्यलय भवन तथा एनआईटीएस, नोएडा के निर्माण के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 2008-09 तक 84,38,368 रुपये के किए गए भुगतान को अचल संपत्तियों की अनुसूची (अनुसूची 4) में पूंजीगत कार्य-प्रगति के रूप में दर्शाया गया है। कार्यकारी समिति (ईसी.) की दिनांक 27 मार्च 2008 को हुई 79वीं बैठक में एनबीसीसी के साथ संविदा और करार समाप्त करने का निर्णय लिया गया और कार्यकारिणी समिति ने यह अनुमोदन भी किया कि मानक भवन और मानकालय, दोनों के एयरकंडीशनिंग से संबद्ध सिविल और विद्युत कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से कराया जाए। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा यह परियोजना निष्पादित की गई और इस एसी संयंत्र का संचालन हो रहा है।

2.9 हॉलमार्किंग डिजिटलीकरण समाधान हेतु आई आई टी मुम्बई को किया गया अग्रिम भुगतान:— हॉलमार्किंग डिजिटलीकरण समाधान हेतु रु. 7423.25 लाख की कुल लागत बीआईएस ने दिनांक 06.08.2019 को आईआईटी मुम्बई के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस करार (अनुसूची 7 (क)मद 2 (क) (i) देखें) के अनुसार बीआईएस द्वारा दिनांक 20.08.2019 को आई आई टी मुम्बई को रु. 1483.88 लाख अग्रिम का भुगतान किया गया। यद्यपि, बाद में, आईआईटी मुम्बई के साथ उक्त उल्लिखित परियोजना समाप्त करने का निर्णय लिया गया और इस करार के पैरा 16 एवं पैरा 24 की शर्तों के अनुसार दिनांक 28.02.2020 को आईआईटी मुम्बई को करार की समाप्ति के लिए 90 दिनों का नोटिस दिया गया। दिनांक 15.10.2020 को आईआईटी मुम्बई से 864.01 लाख रुपये की धनराशि वापस प्राप्त हुई। इस मामले पर आईआईटी बॉम्बे के साथ कार्रवाई की जा रही है और उनसे शेष धनराशि वापस करने का अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा विधि विभाग के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से आईआईटी-बॉम्बे को कानूनी नोटिस भेजने पर विचार किया जा रहा है।

2.10 बीआईएस निधि से पूंजीगत व्यय:

2.10.1 वर्ष 2023-24 के दौरान बीआईएस निधियों (अग्रिमों/पूंजीगत डब्ल्यू आईपी के समायोजन सहित) में से किया गया पूंजीगत व्यय 3387.20 लाख रुपए निम्नानुसार है (अनुसूची 4 देखें):

(राशि लाख में)

अचल संपत्तियों में वृद्धि	2023-24
भवन	1092.49
फर्नीचर	579.89
कार्यालय उपकरण	218.61
कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर	523.86
संयंत्र, मशीनीकरण एवं उपस्कर-प्रयोगशाला उपस्कर	959.17
पुस्तकालय में पुस्तकें	13.18
योग	3387.20

2.10.3 पूंजीगत कार्य में प्रगति: अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए पूंजीगत कार्य (अनुसूची 4) में विभिन्न भवन परियोजनाएं तथा मुख्यालय में एयरकंडीशनिंग परियोजना भी शामिल हैं। जारी पूंजीगत कार्य की परियोजनावार राशि नीचे दी गई तालिका के अनुसार अनुसूची 4 में दर्शाई गई है:

(राशि लाख में)

क्र. सं.	परियोजना	31.03.2024 को जारी पूंजीगत कार्य
(i)	मुख्यालय भवन का आधुनिकीकरण	573.41
(ii)	बीआईएस एनआईटीएस भवन का निर्माण	461.04
(iii)	रायपुर कार्यालय भवन का निर्माण	554.85
(iv)	विकासाधीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	320.40
(v)	केंद्रीय एसी प्लांट (एनबीसीसी के माध्यम से-बंद) (कृपया नोट 2.8 देखें)	84.39
(vi)	उत्तरी क्षेत्र प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण	138.12
(vii)	लखनऊ में नए भवन का निर्माण	1.63
(viii)	पूर्वी क्षेत्र कार्यालय भवन का आधुनिकीकरण	51.14
(ix)	दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय भवन का आधुनिकीकरण	905.10
(x)	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय भवन का आधुनिकीकरण	715.85
(xi)	केंद्रीय प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण	295.13
	योग	4101.06

उपरोक्त परियोजनाओं पर किए गए व्यय को निष्पादन एजेंसियों से पूर्णता प्रमाण-पत्र तथा श्रेणीवार एवं मदवार विवरण के अभाव में 31.03.2024 तक पूंजीकृत नहीं किया जा सका। इसलिए इन कार्यों पर मूल्यहास प्रदान नहीं किया जा सका।

2.11 सामान्य भविष्य निधि खाते में अधिशेष: 2023-24 के दौरान बीआईएस कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि खातों में रु. 59,58,134 का अधिशेष (आय से अधिक व्यय) था। यह अधिशेष ग्राहकों के खातों में जमा ब्याज की तुलना में जीपीएफ के निवेश पर बीआईएस द्वारा अर्जित अधिक आय के कारण है। इसे लेखा नीति (अनुसूची 13 मद (जी)) के अनुसार ब्यूरो की आय के रूप में माना गया है।

2.12 आय कर छूट:

2.12.1 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने दिनांक 23.12.2014 की अधिसूचना संख्या 88/2014 द्वारा बीआईएस को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (46) के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2012-13 से 2016-17 और 2017-18 से 2021-22 तक अधिसूचित किया है।

सीबीडीटी ने इस धारा के अंतर्गत अपनी अधिसूचना सं.142/2021 दिनांक 31.12.2021 द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए ब्यूरो को आगे के लिए अधिसूचित किया है। सीबीडीटी की इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप, मूल्यांकन वर्ष 2026-27 तक बीआईएस की आय कर योग्य नहीं है। बीआईएस ने सीबीडीटी को स्थायी आयकर छूट के लिए भी आवेदन किया है।

2.12.2 मूल्यांकन वर्ष 2012-13 से पूर्व, बीआईएस को धारा 10(23) (सी) (IV) के तहत आयकर छूट दी गई थी जिसे महानिदेशक (डीजी) द्वारा वापस ले लिया गया था: आईटी (ई) द्वारा 24.02.2012 के आदेश द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2009-10 और उसके बाद के लिए वापस ले ली गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय

के आदेश के अनुपालन में 04.12.2012 के आदेश द्वारा बहाल कर दिया गया। अतः आयकर अधिनियम की धारा 10(23) (सी) (पअ) के अंतर्गत बीआईएस को दी गई छूट मूल्यांकन वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए भी उपलब्ध है। डीजी:आईटी (ई) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ब्यूरो की याचिका पर माननीय हाईकोर्ट दिल्ली द्वारा अनुमति देने के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में एस एल पी फाइल की है। डीजी: आईटी (ई) द्वारा फाइल एस एल पी सिविल अपील में परिवर्तित कर दी गई है, जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। जवाबी हलफनामा जनवरी 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया था।

- 2.13** केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में बीआईएस: उपभोक्ता मामलों विभाग ने डीओसीए की नौ केंद्रीय सेक्टर योजनाओं हेतु बीआईएस को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित किया है और इसे एजेंसी द्वारा केंद्रीय सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत जैसे उप-एजेंसियों के डिजिटल खातों की मंजूरी/मैपिंग, सीमा निर्धारित करना, खातों का निपटान आदि के लिए समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) के निर्देशानुसार उक्त योजनाओं के बैंक खाते कोटक महिंद्रा बैंक में बीआईएस के नाम से खोले गए हैं। दिनांक 31.03.2024 तक इन खातों में उपलब्ध शेष राशि को ध्यान में नहीं रखा गया है क्योंकि यह बीआईएस से संबंधित नहीं है।
- 2.14** बीआईएस के वार्षिक लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित एकीकृत प्रारूप में तैयार किया गया है।
- 2.15** अंतिम लेखा में आंकड़े निकटतम रुपयों में पूर्णांकित किए गए हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लेखों की अनुसूची का भाग
31 मार्च 2024 तक निवेश का विवरण

अनुसूची 18: निवेश

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	संस्थान का नाम		लागत पर निवेश बाजार मूल्य	निवेश का सांकेतिक	उद्धृत न किया गया मूल	उद्धृत मूल	कुल	उद्धृत का एमवी
1	बीआईएस निधि का निवेश (पेंशन और ग्रेच्युटी देनदारियां निधि)							
1.1	पीएसयू और वित्तीय संस्थानों के साथ बॉन्ड एवं डिपॉजिट में निवेश							
1.1.1	यू.पी. सहकारी स्पनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड (यूपीसीएसएमएफएल) बॉन्ड्स (17 अनुसूची का 2.4.3. नोट देखें)			200.00	200.00	200	0.00	
1.1.2	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड.		1500.00	1454.91		1500.00		1454.91
	योग (1.1)		1700.00	1654.91	200	1500.00	1700.00	1454.91
1.2	भारत सरकार की प्रतिभूतियां-उद्धृत							
	अंकित मूल्य	202235.08						
	प्रीमियम (परिशोधन का शुद्ध)	5385.41	207620.49	203159.00				
	योग (1.2)		207620.49	203159.00	0	207620.49		203159.00

क्र. सं.	संस्थान का नाम		लागत पर निवेश बाजार मूल्य	निवेश का सांकेतिक	उद्धृत न किया गया मूल	उद्धृत मूल	कुल	उद्धृत का एमवी
	योग 1 (अनुसूची 17 मद 2.4.2 देखें)		209320.49	204813.91	200	209120.49	209320.49	204613.91
2	पूंजी / कॉर्पस फंड का निवेश							
2.1	सावधिक जमा में बैंकों के साथ निवेश							
2.1.1	केनरा बैंक		15838.59	15838.59	15838.59			0
2.1.2	बैंक ऑफ बड़ौदा		8800.00	8800.00	8800.00			0
2.1.3	भारतीय स्टेट बैंक		6100.00	6100.00	6100.00			
2.1.4	बैंक ऑफ इंडिया		3000.00	3000.00	3000.00			
2.1.5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		2800.00	2800.00	2800.00			
	योग (2.1)		36538.59	36538.59	36538.59	0.00	36538.59	0.00
2.2	भारत सरकार की प्रतिभूतियां-उद्धृत						0.00	
	अंकित मूल्य	294634.48					0.00	
	प्रीमियम (परिशोधन का शुद्ध)		3688.15	298322.63	295652.10	0.00	298322.63	295652.10
	योग (अनुसूची 17 मद 2.4.1 देखें)		298322.63	295652.10	0.00	298322.63	298322.63	295652.10
	योग (2)		334861.22	332190.69	36538.59	298322.63	334861.22	295652.10
	योग (1+2)		544181.71	537004.60	36738.59	507443.12	544181.71	500266.01
	बीआईएस का कुल रु. 491108.35 लाख का निवेश निम्नलिखित निधि का प्रतिनिधि है:							

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	संस्थान का नाम		लागत पर निवेश बाजार मूल्य	निवेश का सांकेतिक	उद्धृत न किया गया मूल	उद्धृत मूल	कुल	उद्धृत का एमवी
क)	पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता निधि खाता:		209320.49					
	अनुसूची 5 के अंतर्गत (मद 1)							
ख)	कॉर्पस/पूंजी निधि		334853.58					
	अनुसूची 6 के अंतर्गत (मद 1)							
ग)	राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि		7.64					
	अनुसूची 5 के अंतर्गत (मद 2)							

	निधियों का कुल निवेश		544181.71					
3	कर्मचारियों की निधि का निवेश							
3.1	सामान्य भविष्य निधि [(अनुसूची 5, मद 3 देखें)]							
3.1.1	भारत सरकार की प्रतिभूति – उद्धृत		2316.37	2138.29		2316.37		2138.29
3.1.2	राज्य सरकार प्रतिभूति – उद्धृत		793.98	3760.23		3793.98		3760.23
3.1.3	आरबीआई के साथ विशेष जमा		3127.09	3127.09	3127.09			
3.1.4	पीएसयू और वित्तीय संस्थानों के डिबेंचर और बॉन्ड – उद्धृत		3434.06	3820.60	3434.06	3820.60		
3.1.5	इक्विटी और संबंधित निवेश— म्यूचुअल फंड – उद्धृत		505.99	949.64	505.99	949.64		

क्र. सं.	संस्थान का नाम		लागत पर निवेश बाजार मूल्य	निवेश का सांकेतिक	उद्धृत न किया गया मूल	उद्धृत मूल	कुल	उद्धृत का एमवी
3.1.6	बैंकों के साथ सावधि जमा		344.00	344.00	344.00			
	योग (3)		13521.49	14139.85	3471.09	10050.40	13521.49	10668.76
4	हितकारी निधी		40	40	40			
	योग (4)		40	40	40	40		
	कुल योग (1+2+3)		557743.20	551184.45	40249.68	517493.52	557743.20	510934.77
ध्यान दें : बीआईएस फंड मैनेजर एम/एस आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिज लिमिटेड, मुंबई द्वारा निवेश का बाजार मूल्य उपलब्ध कराया गया है प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य पर मूल्य निर्धारण किया गया है, जहां मार्केट दर उपलब्ध हैं या जहां मार्केट दर उपलब्ध नहीं है वहां फेस वेल्यु/क्रय मूल्य पर यूपीएसएमएलएल बान्ड के संबंध में मार्केट दरें नहीं थी। बैंकों में किए गए सावधिक जमा फेस वेल्यु पर दर्शाए गए हैं ब्यौरा निम्नानुसार है:								
	कुल उद्धृत निवेश	517493.52	(Market value 510934.77)					
	कुल निर्विवाद निवेश	40249.68						
	(सावधि जमा सहित)							
	कुल योग	557743.20						

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
क. वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की प्राप्ति और भुगतान खाते

प्राप्तियां			भुगतान		
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. प्रारंभिक जमा			I. स्थापना और परिचालन संबंधी तथा प्रशासनिक व्यय	5,582,797,226	4,353,956,855
— नकद और अग्रदाय	326,146	328,128			
— बैंक	267,920,153	333,376,148	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से किए गए भुगतान		
			क) हॉलमार्किंग केंद्र की स्थापना के लिए योजना	7,192,379	9,227,296
II. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	—	—	ख) उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणवत्ता बुनियादी ढांचा	—	—
III. निवेश पर प्राप्त ब्याज	2,155,882,534	1,591,266,080	III. किया गया निवेश और जमा (नेट)	5,386,410,015	5,174,573,000
IV. निर्धारित/योजना निधियों के अंतर्गत आय	1,399,147,300	1,405,324,675	IV. अचल संपत्तियों पर व्यय	337,755,963	630,012,952
V. ब्याज प्राप्त-बचत बैंक खाता	5,799,548	6,408,184	V. अन्य भुगतान		
			क) वर्तमान संपत्ति, वर्तमान देयताएं और अंतः लेखा	7,643,502,174	6,334,215,128
VI. सेवाएं, बिक्री और विविध से आय			ख) पेंशन/ग्रेच्युटी लाभ	1,328,544,789	1,227,626,758
क) प्रमाणन आय	9,078,690,553	8,281,241,039	ग) हितकारी निधि	2,490,149	505,493
ख) मानकों की बिक्री	72,898,256	122,499,814			
ग) अन्य	87,847,563	93,517,417	VI अंतःशेष राशि		
			— नकद और अग्रदाय	199,698	326,146

प्राप्तियाँ			भुगतान		
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
IX. अन्य प्राप्तियाँ			— बैंक	331,938,641	267,920,153
क) वर्तमान संपत्ति, वर्तमान देयताएं और अन्तर लेखा	6,163,051,372	4,966,628,089			
ख) पेंशन एवं ग्रेज्युटी देयता निधि	1,383,935,601	1,196,732,006			
ग) हितकारी निधि	5,332,008	1,042,200			
योग	20,620,831,034	17,998,363,781	योग	20,620,831,034	17,998,363,781
ख. वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य भविष्य निधि की प्राप्तियाँ और भुगतान					
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	
I. आरंभिक बैंक बैलेंस	6,684,737	6,731,546	I. आहरण एवं अंतिम भुगतान	314,390,131	329,797,976
II. निवेश पर प्राप्त ब्याज	122,804,934	157,119,555	II. कर्मचारियों को अग्रिम	2,107,000	4,359,000
III. कर्मचारियों का सब्सक्रिप्शन	162,720,794	141,847,200	III. मृत्यु लिक्विड बीमा	120,000	60,000
IV. अग्रिम की वापसी	2,907,814	2,438,951	IV. किया गया निवेश और जमा(नेट)	137,896,405	121,351,166
V. अन्य प्राप्तियाँ-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	170,568,396	165,612,100	V. अन्य भुगतान		
			क) वर्तमान देयताएं	5,993,416	11,852,449
VI. ब्याज प्राप्त-बचत बैंक खाते	258,886	357,826	ख) बैंक प्रभार	1,867	1,850
VI. अंतः शेष बैंक बैलेंस	5,436,742	6,684,737			
योग	465,945,561	474,107,178	योग	465,945,561	474,107,178



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के लेखाओं/अकाउंट्स पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक ऑडिट रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के साथ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 24(2) के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नई दिल्ली की 31 मार्च 2024 तक की संलग्न बैलेंस शीट, इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते और प्राप्तियां एवं भुगतान खाते का ऑडिट किया है। इन वित्तीय विवरणों में 27 शाखा कार्यालयों, 04 क्षेत्रीय कार्यालयों, साहिबाबाद में स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला और नोएडा में स्थित राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) के खाते शामिल हैं। इन वित्तीय विवरण की जिम्मेदारी बीआईएस के प्रबंधन है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करें।

2. इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन विधियों के प्रति अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।
3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस बात का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरण में कोई महत्वपूर्ण गलत वर्णन तो नहीं है। ऑडिट में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच की जाती है। ऑडिट में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने का साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा ऑडिट हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।
4. हमारे ऑडिट के आधार पर, हमारी रिपोर्ट है कि:
 1. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी ऑडिट के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
 2. इस रिपोर्ट में जो बैलेंस शीट, आय और व्यय/प्राप्तियां और भुगतान लेखा शामिल हैं वह वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के एकसमान प्रारूप में तैयार किए गए हैं। हालांकि, अनुसूचियों की संख्या में एकरूपता वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार लेखों के निर्धारित एकसमान प्रारूप के अनुसार नहीं रखी गई।
 3. जैसा कि खातों की जांच से पता चलता है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 24(1) के अंतर्गत उचित लेखा पुस्तकें और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखे गए हैं।
 4. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. विशिष्ट लेखा नीतियां (अनुसूची 16)

अनुसूची 16 – विशिष्ट लेखा नीतियों के अनुसार खाते उपार्जन पद्धति पर तैयार किए जाते हैं लेकिन वेतन एवं भत्ते तथा अवकाश नकदीकरण को नकद आधार पर बनाए रखा जाता है। इस प्रकार वेतन एवं भत्ते तथा नकद आधार पर अवकाश नकदीकरण के खातों के रखरखाव की सीमा तक लेखांकन नीति, खातों के एकसमान प्रारूप के अनुरूप नहीं है। वेतन और भत्तों पर लेखांकन नीति को प्रोद्भव पद्धति के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए तथा अवकाश नकदीकरण पर नीति को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।

यह टिप्पणी पिछले वर्ष के एसएआर में छपी थी और प्रबंधन ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की थी।

ख सामान्य

बीआईएस का ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए लेखाओं में ऑडिट शुल्क का प्रावधान किया जाना चाहिए। हालाँकि वार्षिक लेखा 2023-24 में ऑडिट शुल्क के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

ग अनुदान सहायता

वर्ष 2023-24 के दौरान बीआईएस को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से 95.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। पिछले वर्ष से 3.32 लाख रुपये की बकाया राशि को भी जोड़ा गया। वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध राशि 98.32 लाख रुपये में से 95.00 लाख रुपये का व्यय और रिफंड किया गया और वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च 2024 को 3.32 लाख रुपये की शेष राशि बची।

घ प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

- v. पूर्वगामी पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार बैलेंसशीट, आय एवं व्यय खाता और प्राप्तियां तथा भुगतान खाते का विवरण बही खातों के अनुरूप ही है।
- vi. हमारे विचार में और हमारे पास उपलब्ध सूचना तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कथित वित्तीय विवरण, ऑडिट परीक्षण नीतियों और ऑडिट विषयक टिप्पणियों के साथ पठित एवं उपरोक्त विशिष्ट मामलों और इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले ऑडिट सिद्धान्तों के अनुपालन का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
 - क. जहां तक कि वे दिनांक 31 मार्च, 2024 तक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नई दिल्ली की स्थिति के तुलन पत्रों से संबंधित; और
 - ख. वे उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय एवं व्यय खाते से संबंधित हैं।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.10.2024

(संदीप लाल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केंद्रीय व्यय (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

अनुलग्नक

1. आंतरिक ऑडिट पद्धति की पर्याप्तता

चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा मार्च 2024 तक आंतरिक ऑडिट किया गया ।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

- (i) बीआईएस में कोई अलग आंतरिक ऑडिट शाखा नहीं है ।
- (ii) जीएफआर के अनुसार समेकित अचल संपत्ति रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया ।
- (iii) बैंक समाधान विवरण में प्रदर्शित चेक, जो तीन माह से अधिक अवधि से बकाया हैं, उनका समाशोधन लंबित है ।
- (iv) अनलिक किए गए बैंक शेष का समाधान किया जाना लंबित है ।
- (v) दिनांक 31 मार्च 2024 तक बीआईएस में 10 अनुशासनात्मक मामले लंबित थे ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बीआईएस की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ।

3. परिसंपत्ति के भौतिक सत्यापन की पद्धति

बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली के फर्नीचर और फिक्सचर, कंप्यूटर और सहायक उपस्करों जैसी अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन मार्च 2024 तक किया गया तथा किसी भी सामग्री की कमी नहीं पाई गई ।

4. इवेंट्री के भौतिक सत्यापन की पद्धति

- (i) स्टेशनरी और उपभोग्य सामग्रियों, पुस्तकों और प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन मार्च 2024 तक किया गया ।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार सांविधिक देय राशियों के संबंध में छः माह से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था ।

'''



ANNUAL REPORT 2023-24

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110002
Website: www.bis.gov.in



PRINCIPAL OFFICERS OF BUREAU, EXECUTIVE COMMITTEE AND THE DIRECTORATE GENERAL (as on 31 March 2024)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS	
President	Shri Piyush Goyal Union Minister for Commerce & Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Textiles
Vice President	Shri Ashwini Kumar Choubey Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Environment, Forest & Climate Change
Chairman, Executive Committee	Shri Pramod Kumar Tiwari, Director General, BIS
Director General	Shri Pramod Kumar Tiwari
Chief Vigilance Officer	Shri Ashish Kumar Tripathi
Deputy Director General (Activity)	
Standardization-I	Shri Rajeev Sharma
Standardization-II	Shri Sanjay Pant
Certification and Certification, Surveillance and Monitoring	Shri H.J.S. Pasricha
Foreign Manufacture Certification, Hallmarking and Registration	Ms. Chitra Gupta
Laboratory	Ms. Nishat Sultana Haque
Information Technology Services, Research & Training and Think Nudge & More	Shri P Rajesh
International Relation and Technical Information Services, Management System Certification & Standards Coordination and Monitoring	Shri Chandan Bahl
Administration	Lt. Col. Kumar Shantanu
Finance	Shri Vinod Kumar
Deputy Director General (Region)	
Southern Region	Shri U.S.P. Yadav
Eastern Region	Shri Dibyendu Chakrabarti
Northern Region	Shri Rajeev P
Western Region	Shri Sanjay Goswami
Central Region	Shri Rajendra Kumar Tyagi

OVERVIEW

1.1 THE JOURNEY

1.1.1 Formation of the Indian Standards Institution (ISI) - 6 January 1947

In the twilight years of British rule in India, when the nation faced the colossal task of building industrial infrastructure, the Institution of Engineers (India) took the first step toward standardization. The Institution drafted a proposal for a body that could formulate National Standards, leading to the establishment of the Indian Standards Institution (ISI) on 6 January 1947. The Department of Industries and Supplies formally announced this initiative in September 1946, and in June 1947, Dr. Lal C. Verman became its first Director.

1.1.2 ISI Mark Certification Scheme - 1952

In 1952, the Indian Standards Institution launched the ISI Mark Certification Scheme under the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952. This scheme allowed ISI to grant licenses to manufacturers whose products met the established Indian standards, allowing them to apply the ISI Mark on their goods. This initiative was aimed at ensuring product quality and safety for consumers.

1.1.3 BIS Act of 1986

To formalize and strengthen the national standardization process, the Government of India introduced the Bureau of Indian Standards Act in Parliament on 26 November 1986. On 1 April 1987, the BIS Act came into effect, transforming ISI into a statutory body known as the Bureau of Indian Standards. The act provided BIS with a broadened scope, more powers, and responsibilities, taking over the assets, liabilities, and functions of ISI. The creation of BIS marked the beginning of a more robust national effort to instil a culture of quality and standardization.

1.1.4 Hallmarking Scheme

In 2000, BIS launched the Hallmarking Scheme for precious metals, primarily gold, to ensure the purity and quality of gold and

silver items. This scheme aimed to protect consumers from substandard goods, promote trust in the marketplace, and increase the visibility of quality-certified products. Hallmarking became a hallmark of the BIS's consumer protection efforts.

1.1.5 BIS Act of 2016

The BIS Act of 2016, which came into force on 12 October 2017, further strengthened BIS's role as the National Standards Body (NSB) of India. This Act enabled BIS to regulate and monitor the activities of standardization, certification, and quality assurance more efficiently. It ensured that BIS could meet national needs for standardization and quality across a wide range of sectors.

1.2 BIS as the National Standards Body of India

The BIS Act of 2016 formally empowered BIS as the National Standards Body of India. BIS was entrusted with the responsibility to promote and develop the activities of standardization, marking, and certification of goods. BIS plays a crucial role in ensuring that products manufactured in India are safe, reliable, and meet established quality standards, thereby benefiting consumers, industries, and the economy at large. Some of the key contributions of BIS include:

- **Standards Formulation**
- **Product Certification Scheme**
- **Compulsory Registration Scheme**
- **Foreign Manufacturers Certification Scheme**
- **Hallmarking Scheme**
- **Laboratory Services**
- **Laboratory Recognition Scheme**
- **Sale of Indian Standards**
- **Consumer Affairs Activities**
- **Promotional Activities**
- **Training Services at National & International levels**
- **Information Services**



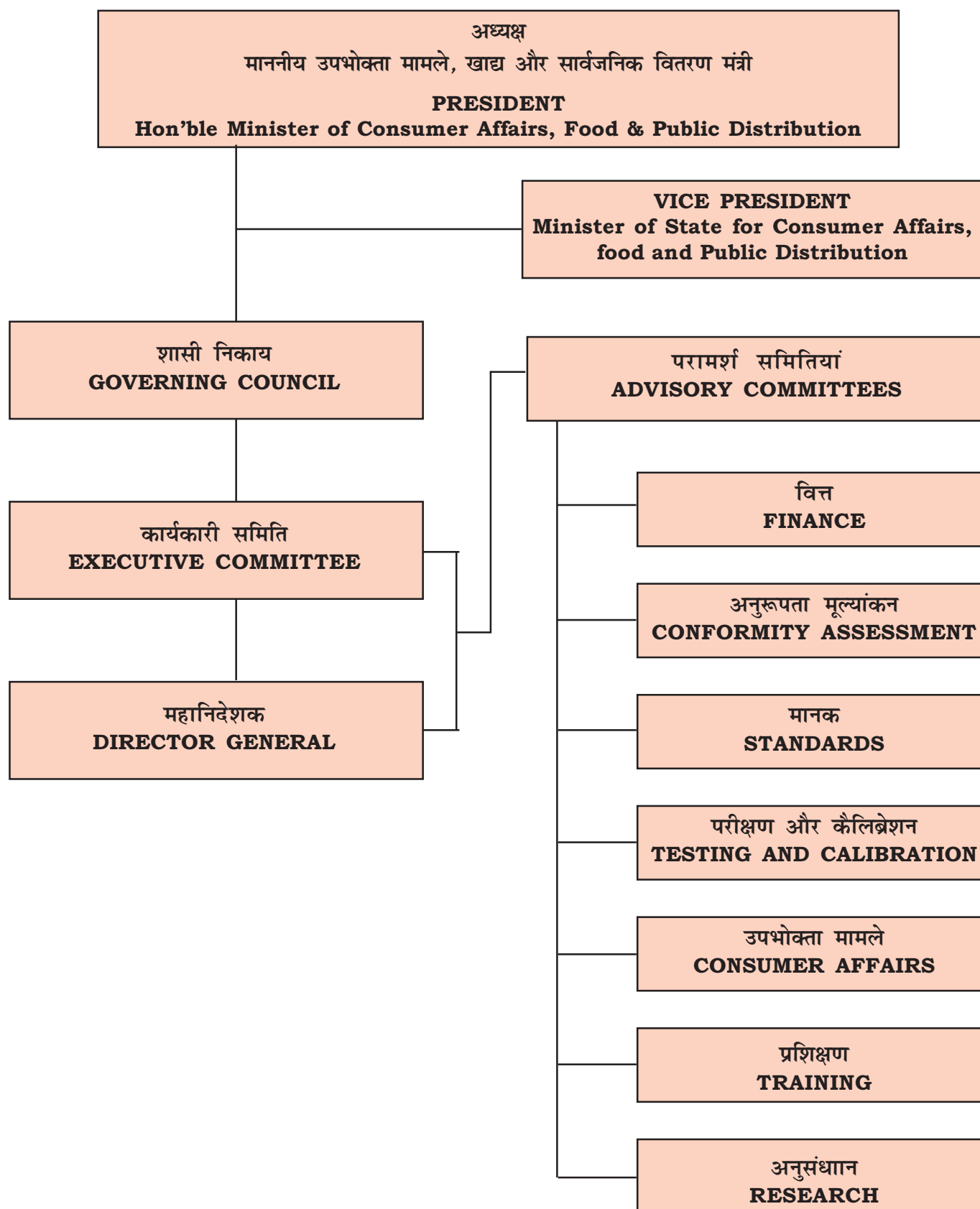
BIS's functions ensure traceability and tangible benefits to the national economy through the provision of safe, reliable, and quality goods, the minimization of health hazards, promotion of exports and substitutes for imports, and control over the proliferation of varieties.

1.3 The Role of BIS in Building Quality Culture

The BIS, originally established to meet the needs of industrialization and consumer protection in post-independence India, has evolved into a dynamic institution shaping the country's quality landscape. Through its certification schemes, standards formulation, and testing, BIS has played a key role in the development of India's industrial infrastructure. The institution's activities promote not only quality but also the active participation of consumers in the standardization process.

Today, the Bureau of Indian Standards (BIS) is a body corporate with 25 members representing diverse sectors, including the Central and State Governments, Parliament, scientific research, consumer organizations, and industry. The Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution serves as its President, with the Minister of State for the same department as the Vice-President. BIS's evolution reflects its continued commitment to quality, safety, and consumer protection, making it an essential pillar in India's growth and industrial development. BIS's journey from its inception as the Indian Standards Institution to becoming the National Standards Body of India exemplifies its pivotal role in shaping the country's industrial landscape and ensuring that consumers receive only the best quality products.

भा. मा. ब्यूरो की संरचना STRUCTURE OF BIS



1.4 GOVERNING COUNCIL

As per the provisions of the BIS Act, 2016, the Bureau shall be a body corporate. The members of the Governing Council constitute the Bureau. The Governing Council consists of 27 members representing the Members of Parliament, the Central and the State Governments, Industry, Scientific and Research Institutions, Consumer Organizations and Professional Bodies,

Regulatory Bodies, National Accreditation Board, with the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its President and the Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its Vice-President. Two meetings of the Governing Council were held during the year 2023-24 on 10 June 2023 and 18 December 2023.

Sixth meeting of Governing Council held on 10 June 2023 at Srinagar, Jammu and Kashmir.







Seventh meeting of Governing Council held on 18 December 2023 at Vanijya Bhawan, New Delhi.





1.5 EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee consists of the Director General of BIS as ex-officio Chairman and thirteen other members appointed with the prior approval of the Central Government. The Executive Committee performs, exercises and discharges such functions, powers and duties of the Bureau delegated by the Governing Council. Three meetings of the Executive Committee were held during the year 2023-24 on 12 May 2023, 29 August 2023 and 22 December 2023.

1.6 ORGANIZATIONAL NETWORK

BIS has its Headquarters at New Delhi. It has 5 Regional Offices (ROs) located at Kolkata (Eastern), Mumbai (Western), Chandigarh (Northern), Chennai (Southern), and Delhi (Central). Under the Regional Offices are the Branch Offices (BOs). There are 36 BOs located at 31 different locations namely Ahmedabad, Bengaluru, Bhubaneswar, Bhopal, Chandigarh,

Chennai, Coimbatore, Dehradun, Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hubli, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mumbai, Nagpur, Noida, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Vadodara, Surat and Visakhapatnam. The BOs serve as an effective link between State Governments, industries, technical institutions, consumer organizations, etc., of the region.

To cater to the needs of testing of samples testing needs of certification activity, BIS has eight laboratories in the country namely Central Laboratory (CL), Sahibabad; Eastern Regional Laboratory (ERL), Kolkata; Western Regional Laboratory (WRL), Mumbai; Northern Regional Laboratory (NRL), Mohali; Southern Regional Laboratory (SRL), Chennai; Bangalore Branch Laboratory (BNBL), Bengaluru; Patna Branch Laboratory (PBL), Patna; Guwahati Branch Laboratory (GBL), Guwahati, Jammu Branch Laboratory (JKBL), Jammu; and Hyderabad Branch Laboratory (HYBL), Hyderabad.



2 STANDARDIZATION

The total of 22201 Indian Standards in force, as on 31 March 2024. During the year 2023-24, 2208 (893 new and 1315 revised) standards were formulated. 3534 standards were reviewed and 1704 Indian Standards were harmonized with International Standards.

2.1 Standards Formulation

As the National Standards Body, BIS develops Indian Standards through a consultative mechanism in technical committees, comprising various stakeholders that have interest in the relevant subject so that views of all stakeholders are given due consideration and a consensus is evolved while formulating a standard. The stakeholders can broadly be categorized as industry, consumers/ users, technologists (R&D and scientific institutions), academia, and government departments/ regulators. The process of standards development follows accepted international best practices which are based on WTO principles of openness, transparency, impartiality and consensus, effectiveness and relevance, and coherence. Apart from consultation within the technical committees, draft standards are also open for public views/ comments. A standard, by definition is a voluntary document and therefore its implementation is voluntary unless its compliance is mandated through a regulation or when it forms a part of a contract between two parties.

2.2 Global Footprint of BIS

BIS represents India in international standards bodies like International Organization for Standardization (ISO) and International Electro-technical Commission (IEC) and actively participates in the international standardization work undertaken in these bodies. BIS presents the national viewpoints on various draft international standards during the process of development of these standards so that the country's interest is protected and appropriately reflected in these global standards. This also enables BIS technical committees to consider adoption of the

International Standards as Indian Standards with or without modifications, in order to facilitate our products and services to integrate with global trade and commerce. There are around 395 technical committees in BIS carrying out standardization work in 16 broad technology areas/sectors. In addition, BIS holds 49 convenorship positions and 11 secretariate responsibility of ISO/IEC committees.

2.3 Review of Standards

Indian Standards are reviewed as and when considered necessary, but at least once in five years (once in three years in case of electronics and IT standards) to establish whether these standards are still relevant, accurate and up-to-date with state-of-the-art and to take appropriate action for their reaffirmation, revision, issuing amendments, withdrawal or archival.

In order to invigorate the process of review and to update all Indian Standards dated prior to the year 2000, the review process has been redesigned, guidelines issued and a project of revision of these standards has been initiated, to be completed over a period of two-three years. A process of Action Research is embedded in the redesigned review process which requires thorough analysis of technical developments that have taken place in the product/ processes/ practices/use or application/testing/ input materials, feedback from manufacturers and users, international and other globally available standards or other literature etc relevant to the standard under review. In addition, the future approach would be to align the Specifications/Standards with the UN SDGs by incorporating appropriate clauses encompassing use of biodegradable/ recyclable materials, Eco-friendly manufacturing processes, Waste management and control of pollutants to the extent possible.

2.4 Harmonization

In the present market scenario, India is facing the challenge of global competition. To sustain in the global market it is important to harmonize Indian Standards, as far as possible, with International

Standards formulated by International Organization for Standardization (ISO) and the International Electro-technical Commission (IEC). Further, India is a signatory to the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). As per the agreement, member countries of WTO are required to align their National Standards with International Standards. However, country specific concerns on health, safety, environment, national security and prevention of deceptive practices can be considered/ incorporated while harmonizing the National Standards.

2.5 Publication of Standards

BIS, through its publications department, handles the electronic publishing of Indian Standards and their amendments and issues the notification of published standards and amendments in the official Gazette of Government of India; which are available for public access through the interface provided on BIS Care App as well as BIS website. During the year 2023-24, a total of 2208 (893 new and 1315 revised) standards were formulated.

Important Standards Published during the year 2023-24

IS No.	Title
IS 18177 : 2023	Kalamegha (<i>Andrographis paniculata</i> (Burm.f.) Wall. ex Nees) Whole Plant for use in Traditional Medicine — Specification
IS 18175 : 2023	Guggulu [<i>Commiphora wightii</i> (Arn.) Bhand] Exudate for use in Traditional Medicine — Specification
IS 18179 : 2023	Manjishtha (<i>Rubiocordifolia</i> L.) Root for use in Traditional Medicine — Specification
IS 18176 : 2023	Maricha (<i>Piper nigrum</i> Linn.) Fruit for use in Traditional Medicine — Specification
IS 18205 : 2023	Nirgundi (<i>Vitex negundo</i> (L.) Dunal.) Leaf for Use in Traditional Medicine — Specification
IS 18209 : 2023	Shirisha [<i>Albizia lebbek</i> (L.) Benth.] Stem Bark for Use in Traditional Medicine — Specification
IS 18179 : 2023	<i>Manjishtha</i> (<i>Rubiocordifolia</i> L.) Root for use in Traditional Medicine — Specification
IS 18176 : 2023	<i>Maricha</i> (<i>Piper nigrum</i> Linn.) Fruit for use in Traditional Medicine — Specification
IS 18462: 2023	Electronic Detonators - Specification
IS 18518: 2023	Bullet Resistant Security Glass - Quality and Performance Requirements
IS 18582 (Part 6) : 2024/ISO 11999-6:2016	PPE for Firefighters — Test Methods and Requirements for PPE Used by Firefighters who are at Risk of Exposure to High Levels of Heat and/or Flame While Fighting Fires occurring in Structures
IS 18589 (Part 6): 2024 /ISO 16073-6:2021	Wildland Firefighting Personal Protective Equipment — Requirements And Test Methods — Footwear
IS 18283: 2023	Portable Field Testing Kit for Onsite Testing of Drinking Water — Specification
IS 17893: 2023	Work Permit System — Code of Practice

IS 18150 : 2023	Non-Sewered On-Site Sanitation System – Design, Fabrication and Installation of Biodigesters for Human Waste Decomposition – Code of Practice
IS 18256 : 2023	Solid Round Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP) Bars for Concrete Reinforcement — Specification
IS 18271 : 2023	Fire Safety in Commercial Kitchen — Guidelines
SP 73 : 2023	Standardized Development and Building Regulations, 2023
IS 18189: 2023	Portland Limestone Calcined Clay Cement – Specifications
IS 18168 : 2023	Earthquake Resistant Design and Detailing of Steel Buildings — Code of Practice
IS/ISO/IEC 27032:2023	Cyber Security-Guidelines for Internet security
IS 18058:2023	Guidelines for Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System Displays
IS 18663:2024	Note Sorting Machines - Specification
IS 18594 : 2024	Geographic Information — Land Administration Domain Model (LADM)
IS 18732 : 2023	Guide For implementation of Electrical Installation Standards In Building
IS 18284 : 2023	Repair of Distribution Transformers - Code of Practice
IS 17017 (Part 2/ Sec 7) : 2023	Electric Vehicle Conductive Charging System Part 2 Plugs, Socket-Outlets, Vehicle Connectors and Vehicle Inlets Section 7 Dimensional Compatibility and Interchange Ability Requirements for a.c., d.c. and a.c./d.c. Pin and Contact-Tube Vehicle Couplers Intended to be used for a.c./d.c. EV Supply Equipment where Protection Relies on Electrical Separation.
IS 18475 : 2023	Power Quality Measurement Monitoring Methods
IS 17900 (Part 3/ Sec 1) : 2023	Lifts for the Transport of Persons and Goods: Part 3 Specifications for Planning and Selection Section 1 Passenger Service Hospital Bed Stretcher Lifts.
IS 19039 : 2023	Cleaner cum Grader for Millets with Pre-Cleaner — Specification and Test Code
IS 19040 : 2023	Millet Dehusker — Centrifugal Type — Specification and Test Code
IS 19041 : 2023	Destoner for Millets — Specification and Test Code
IS 19042 : 2023	Symbols and Flow Diagrams Used in Primary Processing of Millets
IS 18286 : 2023	Agricultural irrigation equipment — Manually operated serviceable plastics valves — Specification
IS 18267: 2023	Food Serving Utensils Made from Agri By-Products – Specification
IS 18363 : 2023	Zinc solubilizing bacterial inoculant (ZnSBI) - Specification
IS 18146 : 2023	Phosphate rich organic manure — Specification
IS 18121 : 2023	Biofertilizer — Liquid based phosphate solubilizing fungal inoculants — Aspergillusawamori — Specification

IS 18183 : 2023	Point of Use Water Purification System for Arsenic Reduction — Specification
IS 18246 : 2023	Ready Idli Batter – Specification
IS 18253 : 2023	Ready Dosa Batter - Specification
IS 18269 : 2023	Ready Dal Vada Batter - Specification
IS 18678 : 2023	Drinks Based on Fermented Milk — Specification
IS 13450 (Part 2/ Sec 12): 2023	Medical Electrical Equipment Part 2 Particular requirements for basic safety and essential performance Section 12 Critical care ventilators
IS 13450 (Part 2/ Sec 13): 2024	Medical Electrical Equipment: Part 2 Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance: Sec 13 Anaesthetic Workstation
IS 17717 (Part 1): 2023	In-Vitro Diagnostic (IVD) Device — Automated Clinical Chemistry Analyzer Part 1 Wet Chemistry Analyzer
IS 17714: 2023	In-Vitro Diagnostic (IVD) Device — Automated ELISA Processor
IS 18571: 2024	Ophthalmic Instruments — Synoptophores
IS 18576: 2024	Ophthalmic Optics — Spectacle Frames — Requirements and Test Methods
IS 18291: 2023	Ophthalmic Instruments — Perimeters
IS 13450 (Part 2/ Sec 19):2023/ IEC 60601-2-19:2020	Infant Incubators
IS 13450 (Part 2/ Sec 21): 2023 /IEC 60601-2-21: 2020	Infant Radiant Warmers
IS 1660:2024	Wrought and Cast Aluminium Utensils – Specification
IS 14756:2022	Stainless Steel Utensils - Specification
IS 19028:2023	Smart Biometric Baton — Specification
IS 19029 : 2023	Smart Stun Gun — Specification
IS 18616 : 2024	Piezoelectric Spark Lighters for Gas Burning Appliances – Specification
IS 18513 : 2023	Hot-Dip Zinc- Aluminium-Magnesium Alloy Coated Steel Sheets Plates and Strips - Specification
IS 18316 : 2023	Hot-Rolled and Cold-Rolled Steel Strips Intended for Processing of Semi/Fully Processed Non-Grain Oriented Electrical Steel or Fully Processed Grain Oriented Electrical Steel — Specification
IS 15958 : 2023	Compressed Natural Gas (CNG) and Liquefied Natural Gas (LNG) for Automotive Purposes — Specification
IS 16634 : 2023	E85 Fuel Admixture of Anhydrous Ethanol and Motor Gasoline for Flex Fuel Positive Ignition Engine Powered Vehicles Specification
IS 18655 : 2024	Gym Centre - Service Requirements
IS 18692 : 2024	Coaching Centre Services — Requirements



IS 18277:2023	Ships and Marine Technology — Marine Environment Protection — Arrangement and Management of Port Waste Reception Facilities
IS 18280: 2023	on Ships and Marine Technology — Windows and Side Scuttles for Fire-Resistant Constructions
IS 18151: 2023	Requirements of Temporary Cabin for Drive-Away-Chassis Configuration/Vehicles
IS 19037: 2023	Transportable Gas Storage Devices - Hydrogen Absorbed In Reversible Metal Hydride
IS 19025: 2023	Statutory Plates And Inscriptions For Motor Vehicles Their Location And Method Of Attachment - Vehicle Identification Numbering (VIN) System
IS 19031:2023	Unmanned Aircraft Systems — Cybersecurity
IS 18381 (Part 1): 2023	Unmanned Aerial Vehicles (UAV) — General Requirements Part 1 Applications Other Than Military Purposes
IS 18590: 2024	Electric Power Train of L Category Vehicles - Specific Requirements
IS 18606: 2024	Electric Power Train of M and N Category Vehicles - Specific Requirements
IS 18266 : 2023	Textiles — Medical Respirator — Specification
IS 18309 : 2023	Geosynthetics — Prefabricated Vertical Drains for Quick Consolidation of Very Soft Plastic Soil — Specification
IS 18158 : 2023	Textile Floor Covering — Artificial Grass Carpet made of Synthetic Yarn for Landscape — Specification
IS 18482 : 2023	Textiles — Sandwich Extrusion Laminated Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging Bulk Commodities — Specification
IS 18310 (Part 1 to 3) : 2023	Agro Textiles — Bird Protection Nets for Agriculture and Horticulture Purposes — Specification
19027 : 2023	Measurement and Control of Sediments in Natural Lakes — Guidelines

Important Standards Revised

IS No.	Title
IS 2347:2023	Domestic pressure cooker – Specification (<i>Seventh Revision</i>)
IS 1446: 2024	Classification of Dangerous Goods (<i>Third Revision</i>)
IS 16172 : 2023	Reinforcement Couplers for Mechanical Splices of Steel Bars in Concrete – Specification (<i>First Revision</i>)
IS 4130 : 2024	Demolition of Buildings — Code of Safety (<i>Third Revision</i>)
IS 27 : 2023	Primary Lead - Specification (<i>Fifth Revision</i>)
IS 2782 : 2023	Refined Nickel- Specification (<i>First Revision</i>)
IS 26 : 2024	Tin ingot - Specification (<i>Fifth Revision</i>)
IS 209 : 2024	Refined Zinc - Specification (<i>Fifth Revision</i>)

IS 3748 : 2022/ISO 4957 : 2018	Tool Steels — Specification (<i>Third Revision</i>)
IS 11228 : 2023	Recommendations for design of screw hoists for hydraulic gates (<i>First Revision</i>)
IS 6934 : 2024	Hydraulic Design of Ogee Overflow and Orifice Spillways - Recommendations (<i>Third Revision</i>)

2.6 Seminars, Webinars, Workshops Organized

More than 200 seminars/webinars and workshops for generating awareness wrt Implementation of Indian Standards were conducted during the year 2023-24. The programmes were organized by Technical Departments of BIS to create awareness and to broaden implementation of standards apart from for obtaining feedback on the standards under development. These seminars and webinars covered many important product categories like National Building Code, National Electric Code, Building Regulations, Sustainability in various sectors, Food safety, Transportation of dangerous goods, Disaster Management, Urban Flooding, Intelligent Transport System, Gender Responsive Standards.

The programmes were attended by various stakeholders including manufacturers,

industry associations, Academia and Regulatory bodies; who were appraised about various Indian standards and the various digital solutions/empowerment tools in form of BIS Care App and BIS Website where a consumer can get information about BIS certified products, BIS Standards and can register an online complaint against a spurious product so as to foster a culture of quality in the country. These programmes served as a platform to bring the industry/consumers and BIS together to address any issues and queries with respect to understanding and implementation of Indian standards as well as the certification processes/grievance redress mechanism. Interactive sessions have been a crucial component in each of the programmes, wherein, the participants overwhelmingly participated. Such seminars and webinars will help broaden the implementation of standards and empower the consumers.

SOME OF THE IMPORTANT SEMINARS/WEBINARS ORGANIZED

S1 No.	Division	Topic	Date
1.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the State of Rajasthan'	05 - 06 April 2023
2.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the States of Bihar and Jharkhand'	05 - 06 April 2023
3.	Civil Engineering	Workshop on 'Fire and Life Safety Design for Buildings – Application of NBC 2016 : Part 4', organized by BIS jointly with Fire and Safety Association of India – Surat Chapter, and Surat Municipal Corporation	15 April 2023
4.	Civil Engineering	Workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the State of West Bengal'	20 April 2023

5.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the States of Tripura and Mizoram'	24 - 25 April 2023
6.	Medical and Hospital Planing	Standardization, Certification and Testing of Electromedical, Diagnostic Imaging and Radiotherapy Equipment	27 Apr 2023
7.	Metallurgy	Seminar on 'Addressing Sustainability in Steel Sector'.	28 April 2023
8.	Electro-technical	Seminar on National Electrical Code of India 2023	11 May 2023
9.	Civil Engineering	<i>Two-Days Capsule Course on 'National Building Code of India 2016 - Soil and Foundation Engineering',</i>	11 - 12 May 2023
10.	Electro-technical	Seminar on National Electrical Code of India 2023	17 May 2023
11.	Civil Engineering	<i>Two-Days Capsule Course on 'National Building Code of India 2016 – Air Conditioning, Heating and Mechanical Ventilation'</i>	25 & 26 May 2023
12.	Management Systems	Post Plenary ISO COPOLCO International Workshop	26 May 2023
13.	Civil Engineering	'Landslide and land subsidence in hilly areas: causes, prevention, mitigation and restoration'	01 June 2023 - June 2023
14.	Production Engg	National Seminar on 'Future Directions in Standardization of Bearing: Challenges and Opportunities'	1 June 2023
15.	Civil Engineering	<i>Two-Days National Seminar on 'Landslide & Land Subsidence in Hilly areas: Causes, Prevention, Mitigation, Restoration',</i> organized by BIS jointly with The Institution of Engineers (India)- Himachal Pradesh State Centre,	01 & 02 June 2023
16.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the State of Gujarat'	06 & 07 June 2023
17.	Food and Agriculture	Awareness and implementation webinar on 'Food Standards Save Lives' on the occasion of 'World Food Safety Day 2023'	07 June 2023
18.	Civil Engineering	National Seminar on 'Breaking Barriers: Universal Design for Accessibility in the Built Environment',	13 June 2023
19.	Service Sector	Seminar on 'Transportation of Dangerous Goods'.	14 June 2023
20.	Service Sector	Seminar on 'Standardization in the Usage of Digital Signature'.	16 June 2023
21.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the UTs of J&K and Ladakh'	19 & 20 June 2023

22.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the Tamil Nadu and UTs of Andaman & Nicobar Islands and Puducherry'	22 & 23 June 2023
23.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the States of Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim, Nagaland, Meghalaya and Manipur'	26 & 27 June 2023
24.	Electronics and IT	Interaction and knowledge exchange session with Start-Ups and MSMEs on emerging technologies like IoT, Digital twin, AI, Metaverse, AR/VR, Smart Manufacturing and Industry 4.0	27 June 2023
25.	Service Sector	Conference on Standards in Media and Entertainment	27 June 2023
26.	Civil Engineering	Panel discussion on Draft Indian Standard IS 1893 (Part II) Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures : Part 2 Buildings', organized jointly by IAS truct E & BIS	1 July 2023
27.	Civil Engineering	Two-Days Capsule Course on 'National Building Code of India 2016 –Structural Design'	12 to 14 July 2023
28.	Petro-chemical	Webinar on "SDGs for Rubber Industry"	13 July 2023
29.	Electro-technical	Seminar and panel discussions as part of the "Atmanirbhar Suraksha-Electrical Safety Campaign."	14 July 2023
30.	Food and Agriculture	Seminar on Awareness and Implementation of Indian Standards on Agri by-product made utensils and organic farming	20 July 2023
31.	Mechanical Engg	'Indian Standards on Aluminium & Stainless Steel Utensils'.	21 July 2023
32.	Mechanical Engg	'Indian Standards on Safety on Machine Press'	21 July 2023
33.	Civil Engineering	Three-Days Capsule Course on 'National Building Code of India 2016 – Structural Design'	23 & 24 July 2023
34.	Civil Engineering	Two-Days Capsule Course on 'Disaster Management'	24 & 25 July 2023
35.	Civil Engineering	Two-Days Capsule Course on 'National Building Code of India 2016 –Accessibility in Buildings and Built Environment'	24 & 25 July 2023
36.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the State of Uttar Pradesh	27 & 28 July 2023
37.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the State of Karnataka	01 & 02 August 2023

38.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the State of Kerala	03 & 04 August 2023
39.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the State of Madhya Pradesh	08 & 09 August 2023
40.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the State of Odisha	10 & 11 August 2023
41.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations, 2022 for the States of Andhra Pradesh and Telangana	17 & 18 August 2023
42.	Food and Agriculture	National Webinar on 'Ammonia Refrigeration System'	21 Aug 2023
43.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Fire & Life Safety Provisions'	25-26 August 2023
44.	Service Sector	Workshop on 'Standards on Digital Signature'.	21 Sep 2023
45.	Service Sector	Meeting with Dr David Grindle, SMPTE	25 Sep 2023
46.	Civil Engineering	Two-day workshop on 'Draft Development and Building Regulations for the State of Delhi	26 & 27 September 2023
47.	Mechanical Engg	'Closing the Loop: Circular Economy for Sustainable Refrigeration and Air Conditioning'.	28 Aug 2023
48.	Civil Engineering	Two-day Capsule course on 'National Building Code of India 2016 – Soil and Foundation Engineering	28 & 29 August 2023
49.	Mechanical Engg	Seminar on 'Sewing Machine – Emerging Issues'	31 Aug 2023
50.	Service Sector	Seminar on Structural Design and Proof Checking Consultancy Services for Structures	27 Sep 2023
51.	Food and Agriculture	Seminar on 'Standardization in the Field of Meat Industry'	05 Oct 2023
52.	Water Resources	Sensitization Programme on 'Indian Standards on Water Resources for Irrigation Engineers	12 Oct 2023
53.	Medical and Hospital Planing	Capacity Building Programme for Officials of Health Department	13 Oct 2023
54.	Water Resources	National Seminar on 'Urban Flooding'.	13 Oct 2023
55.	Transport Engg	Webinar on Automotive Tyre	17 Oct 2023

56.	Textiles	Awareness and implementation webinar on cotton bales as per IS 12171 : 2019	Aug, Sep & Oct 2023
57.	Food and Agriculture	Seminar on 'Role of Standardization in Agricultural Ecosystem', organized by BIS in association with Chaudhary Sarwan Kumar Agricultural University	03 Nov 2023
58.	Mechanical Engg	'Construction Plant and Machinery – Emerging Issues'	09 Nov 2023
59.	Civil Engineering	One-day Workshop on "The Importance of Indian Standards in the Construction Field"	28 Nov 2023
60.	Water Resources	National Seminar on Repair, Retrofitting and Rehabilitation of Dams	28 Nov 2022
61.	Civil Engineering	Two-day Capsule course on 'National Building Code of India 2016 – Accessibility in Buildings and Built Environment'	29-30 Nov 2023
62.	Civil Engineering	Two-Day Capsule Course on National Building Code of India 2016 - Accessibility in Buildings and Built Environment	29 Nov 2023
63.	Standards Coordination	Meeting of Standardization Cells in Government Ministries/Departments to discuss Annual programme of Standardization.	28-29 Nov 2023, 8-9 Dec 2023
64.	AYUSH	Workshop on "Gender responsive Standards"	05 Dec 2023
65.	Civil Engineering	Seminar on revised Tall Building Code, IS 16700:2023	09 Dec 2023
66.	Metallurgy	Developments in Quality management in the field of welding and standardization	09 Dec 2023
67.	Civil Engineering	Two-Day Capsule Course on National Building Code of India 2016 - Plumbing Services	10-12 Dec 2023
68.	Water Resources	National Online Seminar on Interlinking of Rivers	22 Dec 2023
69.	Food and Agriculture	A daylong workshop on 'Integration Of National Standardization And Food Ecosystem'	19 Jan 2024
70.	Textiles	CII-BIS interaction on strengthening the quality ecosystem and standardization in the capital goods sector	22 Feb 2024
71.	Textiles	A mega textile event 'BHARATTEX' was organised by a consortium of 11 Textile Export Promotion Councils and supported by the Ministry of Textiles	26-29 Feb 2024
72.	Textiles	Two day capsule course on Indian Standards pertaining to code of practice for coir geotextiles	21-22 Mar 2024



Meeting with Standardization cells of Government Ministries/ Departments



44th ISO COPOLCO Plenary meeting



32nd plenary meeting of ISO/TC 113 - Hydrometry

2.7 New Initiatives in Standards Formulation

2.7.1 Mapping of Standards with Government Schemes and Missions

BIS has done a monumental task of mapping of applicable Indian Standards to government schemes/missions run by various ministries. This was aimed at preparing an inventory of the Indian standards formulated, standards under development and the products, processes and services, in the need of standardization for each and every government mission, programme and scheme for optimum clarity on the role and relevance of the standards in creating a vibrant quality ecosystem in the country.

Extensive brainstorming exercise was done by officers of Standardization and Certification departments to map more than 3200 Indian Standards towards 75 government schemes/missions panning across 29 Ministries/Departments of Government of India.

Following key advantages are envisaged through this exercise:

- i. Products procured by Central/State Government Departments for implementation of schemes are of right quality and adhere to Indian Standards.
- ii. Wherever there are certain processes/services involved, the executive departments follow right code of practices.
- iii. In case of certain products/processes/services for which Indian Standards are not available; such gap areas are identified in timely manner and respective technical committees can take up the matter for formulation of standards on such areas.
- iv. Standards and quality culture is imbibed in central/state government departments across all levels, as adherence to Indian Standards fosters a culture of quality and reliability within government departments.

- v. For future schemes/missions government departments can proactively get involved with BIS for providing the necessary assistance pertaining to standardization needs related to upcoming schemes/missions.
- vi. This will assist Ministries in preparing Annual Work Programme for Standardization.

With the mapping exercise BIS aims to contribute further towards a more effective and efficient implementation of various schemes/missions run by government and to imbibe quality culture across all levels where these schemes are making an impact.

The document is of evolutionary nature and same has been prepared as discussion document. BIS will keep on updating this document based on inputs received from Central/State Ministries and Departments.

2.7.2 Progress in Education Outreach programme

To take the initiative of Education Outreach forward, BIS has partnered with 92 premier educational institutions of the country including IITs NITS and IISC to name a few. Nodal faculty and BIS Nodal officers have been nominated to institutionalize the engagement. Academic Dashboard containing information such as R&D projects, reference Handbooks, Wide Circulation Drafts etc.



Academic Dashboard

Introductory programmes have been conducted at all of the MoU institutes. The academia was made aware about the BIS, Standardization process, and Scope and Expectations from the MoU.

Individual interactive session with partner institutes were conducted to finalize the yearly action plan of the institutes and Chair professors. All institutes are advised to share the plan including requirements of guest lectures for topics related to Standards.

Meetings of the Technical Committees are being planned at the MoU institutes to give academia a flavour of standardization process.

Reference handbooks are being prepared by senior BIS officers on identified topics for integration of Standards in the curriculum. These handbooks will be printed and sent to libraries of the partner educational institutions

2.7.3 Lecture Series for Academia and Technical Committee Members

Lecture titled “Let’s talk about the Standards” is conducted every first and second Monday of the week with faculty and research scholars of partner MoU institutions. The lectures are conducted discipline-wise and information about overview of the respective BIS technical department, current work being undertaken, R&D projects on offer, important standards developed recently and inviting participation through commenting.

Technical Committee members are being made aware about the process changes incorporated in the standardization process through a lecture series called “On the Road to Excellence”. The lectures are held every month in virtual mode. Self-awareness, Improving Self efficacy and self-improvement are the contents of the lecture. Participants are made aware about the importance of their role in the technical committees, and information related to process changes is disseminated.

2.7.4 Manak Mantrana

To discuss the issues arising in implementation of standards, a meeting of Manak Mantrana is conducted every 1st and 3rd Tuesday of the month. Officers from Certification, Policy and Standardization domain collaborate to resolve the issues arising in the Standards.

2.7.5 Advance Dashboard on Standardization

The Dashboard has analytical reports on various aspects of the functioning of Technical Committees and the progress of standards under development. It also has the Efficiency Index that ranks the Sectional Committees on the basis of their performance against the given parameters for every quarter of the year. Member Secretaries are required to give a demo of the Dashboard in the SC meetings.

2.8 Reform Measures for Improving Quality of Standards

2.8.1 Composition of Sectional Committees

Search Committees in each of the DCs and a dedicated group under Standard Co-ordination & Monitoring Department (Standards Coordination) have been created to scout for the best brains in the country to be inducted into the SCs. It is expected of every SC member to contribute by suggesting names of the experts and professionals they think can be associated with the SCs, WPs or WGs. All of them may not be accommodated in SCs, WPs or WGs, but it helps to expand the standards community in the country if we can establish regular communication with them on the ongoing standardization projects.

MoUs with premier academic institutions imparting technical and professional education (List of institutions is available on the homepage of the BIS Website) have motivating and empowering the faculty of these institutions to participate in the standard formulation process as one of the objectives. As can be seen in the list, 16 of these institutions, mostly IITs, have established Chairs on Standardization, and others have agreed to collaborate with the BIS on the project basis. Another important objective of the MoUs is to involve the faculty and research scholars in the R&D Projects approved by the Sectional Committees and encourage them to share the research work undertaken by them, if it is believed to have relevance for the formulation of a new standard or review of an existing one.

It is also decided to invite Expression of Interest through open advertisement to fill the gap of experts in the SCs or WPs/WGs if the need is felt. SCs are expected to identify the gaps and convey them to the Standards Coordination for necessary follow up action.

Standardization Cells in the Industry Associations and Ministries are also expected to get the right kind of experts and professionals to be inducted in the SCs, WPs and WGs. Details of the standardization cells can be seen on the Standardization Portal.



Majority of the experts/professionals in the SCs represent their organizations. It has been decided that the nomination of an expert/professional to a SC shall be sent by/with the approval of the Head of the Organization concerned along with his/her CV. The DC reserves the right to examine if the nominated person has the requisite expertise and experience and accept or reject the nomination.

An expert or professional interested to join SC may also apply online through the Standardization Portal. It is necessary, however, that he should furnish NOC from the organization if he/she is an employee thereof. One can always apply to be inducted as a member in his/her individual capacity. DC reserves the right to accept or reject an application without communicating the grounds for rejection

2.8.2 Smart and Efficient Sectional Committees

For a SC to function at the optimal level of efficiency, it is imperative that all its members are fully conversant with its vision, scope, challenges, long, medium and short term goals, support systems, functional norms and procedures. The decision to organize an Onboarding Programme (OP) for every newly inducted member within three months of their induction is aimed at addressing this need as well as facilitating the unity of thought and a shared sense of purpose among the SC members. Attending the OP is a mandatory condition for the membership of SC.

Each of the SC members are required to sign a Declaration, as prescribed by the BIS, affirming their commitment to carry out the responsibilities of a SC members with utmost sincerity. The Declaration does not have legal backing and it imposes no liability on a member. It is just an instrument of remembrance of the role and responsibilities of a TC member. Signing of the Declaration is, however a mandatory condition for the membership of SC.

Attendance of the members in SC meetings is sine qua non for its effective and efficient

functioning. A member remaining absent from two consecutive meetings of the SC and/or fifty percent or more meetings of the SC in a year shall automatically become disqualified to continue as the member of the SC; unless on receiving a representation to this effect, the DC decides upon the recommendation of the SC concerned to condone the absence in view of his/her valuable contribution to the SC.

If member of the SC having incurred disqualification is representing an organization, the membership of the organization shall stand terminated. In the case of the Central Government Ministries/ Departments or a government organization, however, SC may decide to approach it to nominate a different expert/professional on the termination of the membership of its representative. All such correspondence shall be made, with the prior approval of DG, BIS.

To ensure that the members and the organisations they represent do not miss out on the seriousness of this matter, an alert will be sent to them by the Member Secretary of the SC immediately after their failure to attend a SC meeting.

Preliminary Draft stage of a standard is the occasion for the members of the SC to undertake a nuanced and in-depth analysis of the proposed standard. Abstaining from commenting on the P Draft by a member, therefore, has serious implications for the quality of the draft. Members must either support or reject it or offer their comments for improvement. A member not commenting on two consecutive and/or one fourth of the P Drafts circulated by the SC in a year will automatically be 17 disqualified to continue as a member.

Comments on P or wide circulation Drafts shall be made only through the standardization Portal. It not only helps in compiling and analyzing the comments, but also helps in the documentation of the standard formulation/review process.

Practice of preparing the Annual Calendar of SC meetings has been introduced to provide members enough time to adjust their

calendar of engagements suitably and prepare for the meetings. The Annual calendar is available on the Standardization Portal. Through it is desired that every SC has quarterly meetings, it is for the SC to decide the number of meetings to be held in view of the work load and urgency of the standards under developments. At least two meetings must be held by a SC, nonetheless, in a year.

To ensure that the SC meeting is held on the scheduled dates, it has been decided that the meeting should not be postponed for the inability of the chairperson to attend it for some unavoidable reason. It should, in his/her absence, be chaired by one of the members chosen by the members present, and the decisions taken in the meeting shall be deemed to have been taken by the SC for all purposes.

The SC meeting should as far as possible be held in the physical mode. The chairperson may decide, however, to hold them in the hybrid mode. It is also a good idea to organise SC meeting at prominent academic institutions or industries, as it may serve to spread awareness about the work and functioning of SCs.

Every member of a SC is entitled to requisition books and journals relevant for the work in progress through the Library Management System of the BIS by using the Log in Id created for this purpose. Standards Coordination shall process the requisitions promptly.

Every member of a SC is authorised to submit the proposal for taking up an ARP or R&D Project commissioned by the BIS.

Chairpersons of the SCs are entitled to a Sitting Allowance of Rs. Twenty thousand for a SC meeting.

2.8.3 Working Panels & Working Groups

Working Panels (WPs) are created under a SC to have a smaller group of experts/professionals with the expertise and skill sets suitable for a standard or a set of standards under development, as the scope of the Sectional Committee may be too diffused at times to have each of the

members interested or invested in that work. The WPs should have its members from amongst the SC members, but SC may decide to co-opt experts from outside. The convenor of the Working Panels should, however, essentially be a SC member, and the Member Secretary of the SC shall provide all the support to the WP, which he/she is expected to provide to the SC.

The decision to create a WP must define the purpose of its creation, its scope and timeframe for the completion of the tasks. The SC must take a stock of its achievements before extending its tenure.

Working Group (WG) is envisaged as a Special Purpose Vehicle to carry out a specific task: one particular subject or a set of related subjects for standardization or an existing standard or a set of related standards for review. It should, therefore, have a well-articulated Scope of Work and Terms of Reference (ToR) with a fixed timeframe. No WG should be created without defining the Scope of Work, ToR and Timeframe.

The Working Group should not normally have more than three domain area experts, and under no circumstances, more than five experts as members, either from amongst SC members or outside, nominated by the SC.

2.8.4 Research as an Integral Part of the Standard Formulation

As a matter of policy, no new standard should be formulated or existing standard reviewed without an ARP or R&D project, unless the SC takes a conscious call, to be recorded in the minutes of the SC meeting, that the data and information available is sufficient and does not warrant any further research.

As per the guidelines for R&D projects approved by the Executive committee of BIS, small R&D projects (with financial involvement upto Rs 10 Lakh Only) can be awarded to the members of SC, WP, working groups and faculty or research scholars of the academic institutions having entered into MoU with BIS by inviting proposals from them.



SC is required to approve the Scope and ToR of the R&D Project. The project recommended by the SCs are examined and approved by a Project Approval committee, created for this purpose. The R&D project are made available on the Standardization portal thereafter, and intimation regarding a new R&D project is also sent to the SC member and faculty and research scholars of the institutions through the portal. A database of around ten thousand faculty/ research Scholars has been created for the purpose.

The proposals to undertake a R&D project has to be submitted online through the portal and are examined and approved by a Committee constituted for this purpose.

Detailed guidelines and FAQs on R&D projects can be seen on the Standardization Portal.

2.8.5 Implementation of SNAP and Annual Programme for Standardization

Each of the SCs are required to prepare the Rolling Annual Plan for Standardization based on the inputs from the Standard National Action Plan (SNAP), Annual Programme for Standardization from Ministries, NWIPs received from diverse sources, ISO/IEC standards/drafts and standards due for review. Provision has been made on the Standardization Portal to prepare the Annual Action Plan online based on the above.

Policy of Archiving has been adopted to help the SCs prioritize the review of standards. The standards, which cannot be withdrawn, but have lost relevance due to diminishing use in the wake of onset of new products, processes or test methods, can be archived, and a mention to this effect shall be made against that standard in the database of the Published standards. This will not only enable the SCs to focus on more important standards, but will also keep the window open for the stakeholders to point out if the review is required for these Standards.

It has been decided to institutionalize the practice of recording Resolution, containing the decisions/ action points, immediately

after the SC meeting. Detailed minutes of the meeting is to be finalized within a month of the meeting.

The practice of reaffirming a standard due for review without following due process of review is done away with. The preparation for the examination of the standards due for review should, therefore, start well in advance, so that reaffirmation with examination does not become unavoidable for the constraint of time.

2.8.6 Research and Development Projects

1. There has been a growing realization in the context of the increasing diversification, innovation and complexities in the manufacturing sector and evolution of services and also due to the fast pace of changes in the manufacturing and services landscapes, research & development projects have to be made an integral part of the standardization process. Idea behind the R&D projects is that in principle, no standard should be developed without intensive and insightful research work, which is not confined only to the review of the existing literature and focus group discussions on the subject chosen for standardization, but also covers the detailed field level study of the existing processes and practices in product manufacturing and service delivery.

2. Guidelines for Research & Development Projects for Formulation and Review of Standards were published and operationalized on 09 July 2023. As per the guidelines, small R&D projects (with financial involvement upto Rs 10 Lakh Only) can be awarded to the members of Sectional Committee, Working Panels, Working groups and faculty or research scholars of the academic institutions having entered into MoU with BIS for the identified projects by inviting proposals from them.

3. The Sectional Committee is required to approve the Scope and Terms of Reference (ToR) of the R&D Project. The projects recommended by the Sectional Committees are examined and approved by a Project Approval committee, created for this purpose. The R&D projects are made available on the Standardization portal thereafter, and

intimation regarding a new R&D project is also sent to the Sectional Committee members as well as faculty and research scholars of the partner institutions. A database of around ten thousand faculty/ research Scholars has been created for the purpose. The proposal is to be submitted in offline format (two envelopes containing Technical and Financial bid). The Research Evaluation committee evaluates the proposals and projects are awarded based on the Quality and Cost based Selection (QCBS) method.

4. Till now, three phases of R&D projects are under process. Progress made in each of the phase is as follows:

a) Phase one of the R&D projects was hosted on BIS with 153 projects. The offer received overwhelming response

from Technical Committee members as well as from Academic institutions with 382 proposals from 115 projects. The Technical and Financial evaluation of the projects was undertaken and 82 projects have been allotted. Work related to these projects has been initiated by the proposers.

b) Phase two of the R&D projects was hosted on BIS with 82 projects. 44 new projects were hosted with last date for submission as 15 May 2024. This phase too received a great response with 211 proposals against 68 projects. Technical and Financial evaluation of the same has been completed and 47 R & D projects have been awarded.

c) For the third phase, 211 projects have been identified.

List of some important R&D projects under progress:

Sl No	Department	Topic
1	Civil Engineering Department (CED)	Study on physical and uniformity test requirements of chemical admixtures used in making cement concrete.
2	Civil Engineering Department (CED)	Literature review, market and industry survey, and performance assessment of different type of door closers (a builder's hardware) manufactured and/or available in Indian market.
3	Chemical Department (CHD)	Study of Properties for Environment-Friendly Printing Inks for Food Packaging.
4	Electrotechnical Department (ETD)	Comprehensive Study of advanced road traffic signal systems in India
5	Electronics and Information Technology related Department (LITD)	Study of Data Centre infrastructure in India.
6	Electronics and Information Technology related Department (LITD)	Study of Impacts of Artificial Intelligence on Human Psychology.
7	Electronics and Information Technology related Department (LITD)	Use case compilation for Smart manufacturing in India.
8	Food and Agriculture Department (FAD)	Study on Shelf-life assessment of shell eggs.
9	Food and Agriculture Department (FAD)	Study on requirements and operational aspects of small-scale slaughterhouses for hygienic meat production.

10	Mechanical Engineering Department (MED)	Study of latest technological developments and practices in the life cycle of shell and tube type heat exchangers.
11	Metallurgical Engineering Department (MTD)	Study of chemical composition of various Aluminium Utensils available in Indian Market
12	Medical Equipment and Hospital Planning Department (MHD)	Study and comparative analysis of functional and safety requirements of ophthalmic surgical instruments.
13	Management and Systems Department (MSD)	Study of Social Accountability at the Work Place.
14	Management and Systems Department (MSD)	Study of Prevention and Control of Fraud and Corruption by an Organization.
15	Management and Systems Department (MSD)	Study of Social Accountability at the Work Place.
16	Petroleum, Coal and Related Products Department (PCD)	Study of material properties of Silicone for use in Silicone gadgets for kitchen.
17	Production and General Engineering Department (PGD)	Technological gap analysis for Steel tapes used in measurement.
18	Service Sector Department (SSD)	Study on cruise tourism operations and service parameters to establish guidelines and requirements for cruise service providers
19	Service Sector Department (SSD)	Study of requirements for street and public facility cleaning services
20	Transport Engineering Department (TED)	Study of thermal and acoustic insulation materials for use on-board ships.
21	Textiles Department (TXD)	Study of safety and performance requirements of fire hoods for firefighter.
22	Textiles Department (TXD)	To study the packaging practices of jute and juteproducts for internal and exports trades.
23	Water Resources Department (WRD)	Review the best Safety Practices in the Operation and Maintenance of Canals and Cross Drainage Projects.

2.8.7 Working with ISO/IEC

The process of briefing of and debriefing by the experts nominated to the meetings of the ISO or IEC has been made compulsory. This will ensure that our experts are fully prepared to represent the country's interests. This, in turn, will ensure that the ISO/IEC standards are already aligned to the needs of our stakeholders in the country and can be adopted without a time lag.

Process of adoption of ISO/IEC standard shall

be same as the review of an indigenous standards.

SCs are expected to identify Indian Standards to be proposed as NWIPs at the ISO/IEC level.

A new portal for International Relations has been developed to streamline the sharing of ISO/IEC documents with the SC members, compiling their comments and sharing our stand with the ISO/IEC.

3 INTERNATIONAL RELATIONS & TECHNICAL INFORMATION SERVICES

3.1 International Footprints:

BIS, in its capacity as the National Standards Body of India, represents India in International Organization for Standardization (ISO) and through the Indian National Committee of IEC in International Electrotechnical Commission (IEC). It is actively involved in the development of International Standards as Participating (P) member or Observer (O) member on various Technical Committees and Sub-Committees of ISO and IEC and has been nominating technical experts in various Committees/ Working Groups of these organizations.

BIS is actively contributing to the governance level committees of ISO and IEC. As on March 2024, BIS is a member of the following governance level committees of these international standards bodies:

- i. ISO Technical Management Board (TMB) (the highest body for technical matters in ISO);
- ii. IEC Board (the apex governance body responsible of IEC);
- iii. IEC Standardization Management Board (SMB) (the highest body for technical matters in IEC); and
- iv. IEC Market Strategy Board (MSB) (the body responsible for identification and investigation of principal technological trends and market needs).

Presently an Indian member is the IEC Vice President and SMB Chair for the three-year term beginning on 01 Jan 2023. BIS (India) members have also acquired memberships in other important policy making bodies of IEC namely, Business Advisory Committee (BAC), and Governance Review and Audit Committee (GRAC).

As on March 2024, BIS is Participating (P) member in the three Policy Development Committees of ISO (CASCO, COPOLCO and DEVCO), 555 Technical Committees/ Subcommittees of ISO and 122 Technical Committees/ Subcommittees of IEC, and an O-member in 151 Technical Committees/

Subcommittees of ISO and 56 Technical Committees/ Subcommittees of IEC.

BIS holds the secretariat for 11 ISO Committees dealing with subjects that are of interest to India and nominated convenors on 35 Working Groups/ Adhoc Groups/ Advisory Groups of ISO. Other than that, BIS has nominated convenors in 13 working groups/system evaluation groups of IEC. Such participation by BIS in the development of International Standards helps in protecting the interests of Indian trade and industry.

3.2 International Delegations:

Indian delegation comprising of DG BIS, DDG (Standardization-I) and Head, IR&TISD participated in the various meetings and workshops of IEC General Meeting held virtually during 22-26 October 2023.

An Indian delegation comprising of DDG (IR&TIS, MSC & SCM) and Head (IR&TISD) participated in ISO Annual Meeting 2023 held at Brisbane, Australia during 18-21 Sept 2023. During the meeting, the delegation participated and contributed to the proceedings of ISO General Assembly, Technical Management Board (TMB) and DEVCO (ISO Committee on Developing Country Matters) and attended various workshops and panel discussions organized during the ISO Annual Meeting. BIS delegation also participated in PASC EC 75 meeting.

On the sidelines of the ISO Annual Meeting, the Indian delegation had bilateral meetings with the representatives of ISO, regional standards bodies of European Union (CEN-CENELEC) and the national delegations from Australia, USA, UK, Saudi Arabia, Japan, South Korea, Bhutan, Jordan and South Africa to discuss issues of mutual interest.

DG, BIS participated in the attend the 121st Meeting of ISO Council and related meetings during 13-15 June 2023, in Kanazawa, Japan.

DG, BIS participated in the 12th and 13th meeting of IEC Board from 20 to 22 February 2024 in Geneva, Switzerland and 19th to 20th June 2024 at Singapore respectively.



DDG, Standardization-I participated in the 179th and 180th meeting of Standardization Management Board held from 26 February to 01 March 2024 in Sydney, Australia and from 11th to 14th June 2024 at Geneva, Switzerland respectively.

DDG (IRS) participated in the 88th, 89th, and 90th meeting of the ISO TMB held on 19 September 2023 in Brisbane, Australia, 4-8 March 2024 held in Quebec City, Canada and 10-13 June 2024 in Geneva, Switzerland respectively.

72 Indian delegations participated physically in the technical meetings of Indian interest to present Indian viewpoints. In other cases, BIS continued participating virtually.

3.3 Significant Programmes:

Within the framework of India's G20 presidency, Bureau of Indian Standards organized the G20 Standards Dialogue 2023 on 02-03 November 2023 at Bharat Mandapam, New Delhi. The dialogue explored how sustainability can be addressed through inclusive standardisation and good regulatory practices to achieve 'Zero Defect and Zero Effect'.

BIS continued its efforts to help young professionals in academia appreciate the importance of standards by organizing a two-day workshop under the ManakPravardhak programme from 27-28 March 2024 at NITS, Noida. Through this workshop, the young professionals were introduced to the initial concepts of national and international standards, encouraging them to take an active interest and participate in the standardization work.

3.4 Bilateral and Regional Collaborations:

BIS is also actively involved in Regional and Bilateral Cooperations pertaining to standardization, testing, certification, training etc. and has been in touch with the partner agencies on regular basis.

BIS is playing an active role in regional standardization activities under the BRICS, IBSA, South Asian Regional Standards Organization (SARSO) and Pacific Area

Standards Congress (PASC). BIS participated in the virtual meetings of the Pacific Area Standards Congress, Executive Council and the Annual General Meetings. BIS participated in the 76th Executive Committee meeting of PASC held on 29th Feb 2024.

BIS has entered into cooperation agreements with National Standards Bodies and other standards development organizations of various countries for cooperation in the field of standardization, conformity assessment and training/capacity building. During FY 2023-24, following 02 MoUs were signed taking the total of such cooperations to 33 Memorandum of Understanding (MoUs) and 09 Bilateral Cooperation Agreements (BCAs):

- i) MoU signed between Bureau of Indian Standards (BIS) and the Kenya Bureau of Standards (KEBS) on 5th December 2023 to facilitate closer cooperation and provide a mechanism by which parties can work together towards the common aim of strengthening Standardization and Conformity assessment activities and facilitate sharing of expertise and facilitating mutual trade.
- ii) MoU signed between BIS and the Slovak Office of Standards, Metrology and Testing (UNMS SR) on 22 February 2024 for enhancing and strengthening technical cooperation in areas of mutual interests in the field of standardization and conformity assessment.

Delegates from Korean Agency for Technology and Standards- KATS visited BIS on 12-13 April 2023 and held a discussion on MoU, standardization, TBT issues, Conformity assessment, Stakeholder engagement, etc.

A four-member Indian delegation led by Additional Secretary (Consumer Affairs), DoCA participated in the 9th annual meeting of Indo-German Working Group on Quality Infrastructure and associated meetings in Germany from 24 to 27 April 2023. During the course of the meeting, the work plan for

Indo German working group on Quality Infrastructure for the year 2023 was signed by both sides.

A meeting was held at BIS HQ between BIS side led by DG (BIS) and CEN-CENELEC side (represented by Seconded European Standardization Expert in India and Delegation of EU to India) on 19 May 2023 for discussions on the roadmap for cooperation under the BIS-CEN-CENELEC MoU.

An MoU has been signed between ISO and BIS and one of the identified area is capacity building and training. For the implementation of the MoU, IR&TISD facilitated visit of Mr Sergio Mujica, Secretary General, ISO to NITS, Noida on 25 May 2023 to see the training facilities for the utilization of BIS training centre by ISO.

Virtual Bilateral meetings were carried out by BIS with the National Standards Bodies of Bhutan, Nepal, Iran, UAE, Saudi Arabia, Russia, Jordan, Taiwan, South Africa, Kenya, Israel, Germany, USA, Australia, Tanzania and Mauritius during the year to enhance mutual cooperation and seek support at ISO/IEC.

BIS continued its collaboration with Department of Commerce on WTO TBT related issues.

BIS continued its collaboration with MEA and other ministries on International Cooperation related matters.

3.5 International Meetings Hosted by BIS:

- i) ISO COPOLCO Plenary during 23-26 May 2023 in New Delhi
- ii) Meeting of ISO/TC 34/SC 8/WG 15 'Theanine' on 31 August 2023 (Virtual)
- iii) Plenary Meeting of ISO/TC 127 "Earth Moving Machinery" during 08-12 October 2023 in New Delhi
- iv) Plenary Meeting of the ISO/ TC 5 'Ferrous metal pipes and metallic fittings' and ISO/ TC 5/ SC 2 'Cast Iron pipes and fittings subcommittee' and associated working groups during 17

to 20 October 2023 at Jaipur

- v) G20 Standards Dialogue 2023 on 02-03 November 2023 in New Delhi
- vi) 57th Plenary Meeting of ISO/TC 211 'Geographic Information/Geomatics' and its WGs during 03-08 Dec 2023 at India Habitat Centre, New Delhi
- vii) 32nd Plenary Meeting of ISO/TC 113 'Hydrometry' at New Delhi, 25 April 2024.

4 PUBLICATION AND SALE OF STANDARDS

BIS, through its publications, handles the electronic publishing of Indian Standards and their amendments and the notification of published standards and amendments in the official Gazette of Govt. of India. During 01 April 2023

To 31 March 2024, BIS formulated 2176 standards, of which 816 were new, 1 SP (SP 73 : Standardized Development and Building Regulations, 2023) and 1360 were revision. In addition, BIS has published 219 amendments. A total of 278 standards have been withdrawn during this period. The total number of standards in force, as on 31 March 2024 is 22201, and the total number of amendments in force, as on 31 March 2024 is 2133.

BIS sells Indian Standards (IS) and Special Publications (SP) through 25 different sales outlets located at the Headquarters (HQs), Regional and Branch Offices. Sale is also done through registered booksellers spread across major cities of India. Indian Standards and Special Publications are also sold through e-portal (www.standardsbis.bsbedge.com). Indian Standards are now available free of cost in downloadable version through e-portal.

The Indian Standards are also available as a complete set in DVD or different department/ sector specific sets like civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, textiles, etc. on subscription basis. In addition, Indian Standards were also made available through online subscription. National Building Code



(NBC) 2016 is also available on DVD/online subscription.

For education & research sector - BIS has further made available Indian Standards on DVD/online subscription basis to educational institutions, scientific and research laboratories, Central and State Government Laboratories/Research Institution operating through consortia.

For corporate/enterprises sector - BIS has also made available Indian Standards on DVD/online subscription which includes access of Indian Standards through WAN (Wide Area Network) for a single corporate entity operating from multi-locations.

5 CERTIFICATION

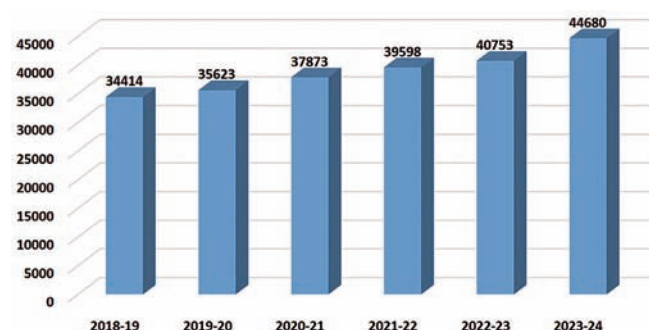
5.1 Product Certification

Bureau of Indian Standards (BIS) is operating Product Certification Scheme (Scheme-I) under the provisions of the BIS Act 2016 and the Rules & Regulations framed thereunder, aimed at ensuring the quality of the products to the relevant Indian Standard and thus providing a third-party assurance to the consumer.

In the product certification scheme, BIS grants licence to manufacturers for use of ISI Mark on their products after assessment of the manufacturing and testing capabilities of the applicant manufacturer through factory inspection of the manufacturing premises. During this visit, sample of the product is drawn and tested at a third-party testing laboratory or in-house or through a combination of both for establishing conformity of the product to the requirements of the relevant Indian Standard. Licence is granted initially for not less than one year and up to two years and can be renewed for a further period of not less than one year and up to five years.

The product certification scheme of BIS is primarily voluntary in nature and at present more than 1200 products are covered under this scheme and more than 44000 licences are under operation. Out of these products, considering the health and safety of the consumers, Central Government has brought 724 products under compulsory BIS

certification through issuance of various Quality Control Orders (Technical Regulations). As per these Quality Control Orders, no person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute the notified products which do not conform to the specified Indian Standards and do not bear Standard Mark under a licence from BIS as per Scheme-I of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018. The Quality Control Order is also applicable to the foreign manufacturer who intends to export their product to India.



During the year 2023-24, continual growth in new products under certification has been witnessed. 81 new products have been brought under the ambit of certification. Out of these new products, 66 have been added under voluntary certification of BIS, which indicates the increasing acceptability of importance of BIS Mark by industry on their products.

5.1.1 Some of the important new products certified were

- Sandal and Slippers as per IS 6721:2023** - Sandal and slippers are open type of footwear widely used. Sandals are open type of footwear having an upper part not covering the entire foot and which has a back strap whereas slippers are open type of footwear having an upper part not covering the entire foot and which do not have a back strap but may have a back support.
- Hawai Chappal as per IS 10702:2023** - The *hawai chappal* which serves as a light duty footwear for general use is very popular in India. This *chappal* may be washable, water-proof and may not require any polish. The straps of these chappal are changeable

and may be replaced by the users.

iii) **Internal Combustion Engine Crankcase Oils for Automotive Application (Diesel and Gasoline)-Specification as per IS 13656:2019-** Internal combustion engine lubricating oils for use in diesel engines and gasoline engines are used in passenger and commercial vehicles including off-highway equipment. Internal combustion engine lubricating oils are classified into two types a) Diesel engine oils; and b) Petrol engine oils, and further sub- categorised based on different performance level categories and viscosity grades applicable. It covers specifications catering to the needs of BS IV and BS VI compliant engines.

iv) **Wrought Copper Tubes for Refrigeration and Air Conditioning Purposes as per IS 10733:1995** - Wrought copper tubes are essential components in refrigeration and air conditioning systems due to their excellent thermal conductivity, corrosion resistance, and durability. These tubes are typically made from high-purity copper and are available in various forms, including straight lengths and coils. These copper tubes are used in various applications, including: **Refrigeration Systems:** For transporting refrigerants in domestic and commercial refrigerators. **Air Conditioning Systems:** For circulating coolants in HVAC systems. **Heat Exchangers:** Due to their efficient heat transfer properties.

v) **Disposable Baby Diaper as per IS 17509:2021-** Baby diapers are personal hygiene products that allows the baby to defecate or urinate without the use of a toilet, by absorbing or containing waste products to prevent soiling of outer clothing or the external environment. IS 17509:2021 covers various requirement of Baby Diapers such as Material, Size, Performance Requirements, Hygienic Requirements, Biodegradability and Compostability and Anti-Bacterial Activity.

vi) **Portable water Bottles (Copper, Stainless steel, Aluminium) as per IS 17803: 2022-** Potable Water Bottle made of Copper, stainless steel and Aluminium are

used for carrying drinking water by common consumer both as table top as well as for transportation. IS 17803 covers minimum requirements including material, safety and performance requirements of these bottles of capacity up to 1 500 ml.

vii) **Smoke detectors for use in Automatic Electrical Fire Alarm system as per IS 11360: 1985-** Smoke detectors provide reasonable time for inmates to escape to a place of safety and ensure life safety and minimize losses. Automatic electrical fire alarm system uses probes to detect early stages of fire and initiates audio and visual alarm. IS 11360 covers general constructional features, performance requirements and test methods for optical and ionization type of smoke detectors intended for indoor installations to ensure the maintainability of their performance under different environmental conditions.

5.1.2 Process re-engineering on product certification activity

With the increasing emphasis of the regulatory authorities (i.e. Departments/ Ministries of the Government of India) on the technical regulations /quality control orders (TR/QCOs), the timely delivery of certification services has become a crucial aspect in ensuring availability of products to the consumers in the market. Through constant monitoring and review mechanisms enabled by advanced dashboards, a marked improvement in adherence to time norms has been observed. It has been made possible through various process reengineering measures.

Strict timelines have been prescribed for all the steps involved in the product certification process. Product manuals and documents pertaining to certification procedures have been made available on BIS website to facilitate and guide industry vis-à-vis easier and transparent understanding of the processes. To facilitate and benefiting the MSMEs, following major provisions for ease of doing business have been provided by BIS:

- Relaxation to MSME manufacturers for setting up in-house laboratory



- Option to utilize services of BIS recognized, Empaneled or NABL accredited labs for operation of licence.
- Scheme of Inspection and Testing (SIT) made recommendatory, MSME manufacturer have option to accept BIS recommended SIT or declare own Quality Assurance Plan (QAP)

Considering the necessity for strict quality control measures for critical products such as food items, cement, and PESO regulated products, these relaxations do not apply.

Moreover, BIS has Rationalised minimum marking fees and provide the concession in the marking fee for BIS certification, i.e. 80% for micro scale & start-up enterprise, 50% for small scale enterprise, 20% for medium scale enterprise and additional 10% concession is provided to women entrepreneur enterprise for micro, small & medium scale units.

These relaxations aim to simplify regulatory requirements and reduce costs for MSME manufacturers, promoting efficiency and supporting growth in the sector.

5.1.3 Automation

Bureau of Indian Standards (BIS) has developed the Manak online portal for its product certification activities. The processing of granting certification right from the submission of application, payment of requisite fees etc. are being done through this portal including communication with the manufacturers. The portal is available at <https://www.manakonline.in/>

The renewal process for product certification licences that have already been awarded and are currently in operation has been streamlined and made more efficient through the use of automation. Previously, the renewal applications were processed through manual intervention and checking which led to more time occasionally. Now, with the changed processes, the manufacturer can simply log into the Manak online portal and submit their renewal application directly through the portal. Once the manufacturer has submitted their renewal application along with the required

fee, an automatic renewal alert and endorsement are generated.

Instead of applying for renewal, an additional option has been introduced by way of which a request to keep the product certification licence under 'dormant' category can be made. The manufacturers whose awarded product certification licence has expired due to non-submission of renewal application, an easier re-entry process has been put in place to come back into the fold of BIS certification.

The manufacturer can also use the online dashboard to submit and update the requisite details at their convenience. The surveillance system has been digitised through use of mobile-app based systems and its integration with the Manak online and LIMS portals. BIS has engaged NABCB accreditation agencies for undertaking factory inspection visits on its behalf.

5.1.4 Ramping up FS and MS

The timely delivery of certification services to the industry comes without any compromise with the consumer rights about the quality and safety of the products. With a view to enhance the effectiveness of product certification activity at BIS, a thrust has been given to surveillance & monitoring. The surveillance activities (both factory & market surveillance) across India are coordinated through the dedicated nodal department "Certification Surveillance & Monitoring Department (CSMD)" at BIS HQ. NABCB accredited agencies have been empaneled to conduct surveillance inspections on behalf of BIS. For site visits and Surveillance assessments, mobile apps have been developed with provisions of geo-tagging, geo-fencing and real time reporting. The factory inspection report is required to be filled on a real-time basis without any delay.

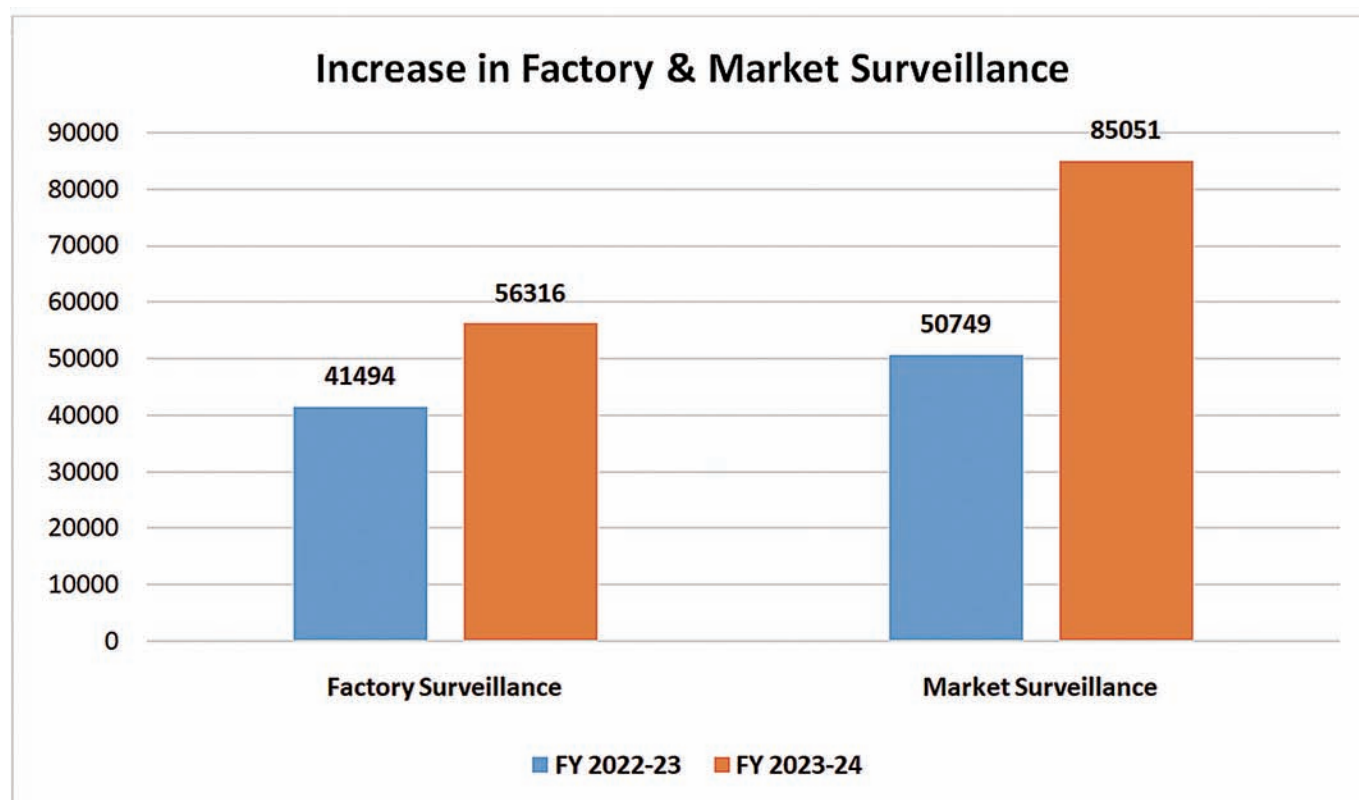
Implementation of IT enabled surveillance planning and mobile app-based reporting system for carrying out factory surveillance, proper planning and engagement of outsource agencies has resulted in the achievement of 91% (37043 licenses) coverage of licenses under factory

surveillance, which has been significantly improved from the coverage during the previous years. Similar to factory inspection activity, through IT enabled surveillance planning and mobile app –based reporting system for carrying out market surveillance and prompt planning has resulted in the successful drawl of market samples for 68% (27526 licenses) of the licenses for which sample can be drawn from the market, dispatch point or organized buyer which again has been markedly increased compared to the coverage during the previous years. To make market surveillance more effective, licensees have been provided with the facility of an online dashboard for submission of consignee and production details. For products imported and having

Standard Mark, a consignee portal has been developed where foreign manufacturers have to provide details of products shipped to India bearing Standard Mark. Thereafter, market surveillance is planned by BIS for procurement of sample and testing in laboratory. For market surveillance, dedicated cells have been created at the Branch Offices.

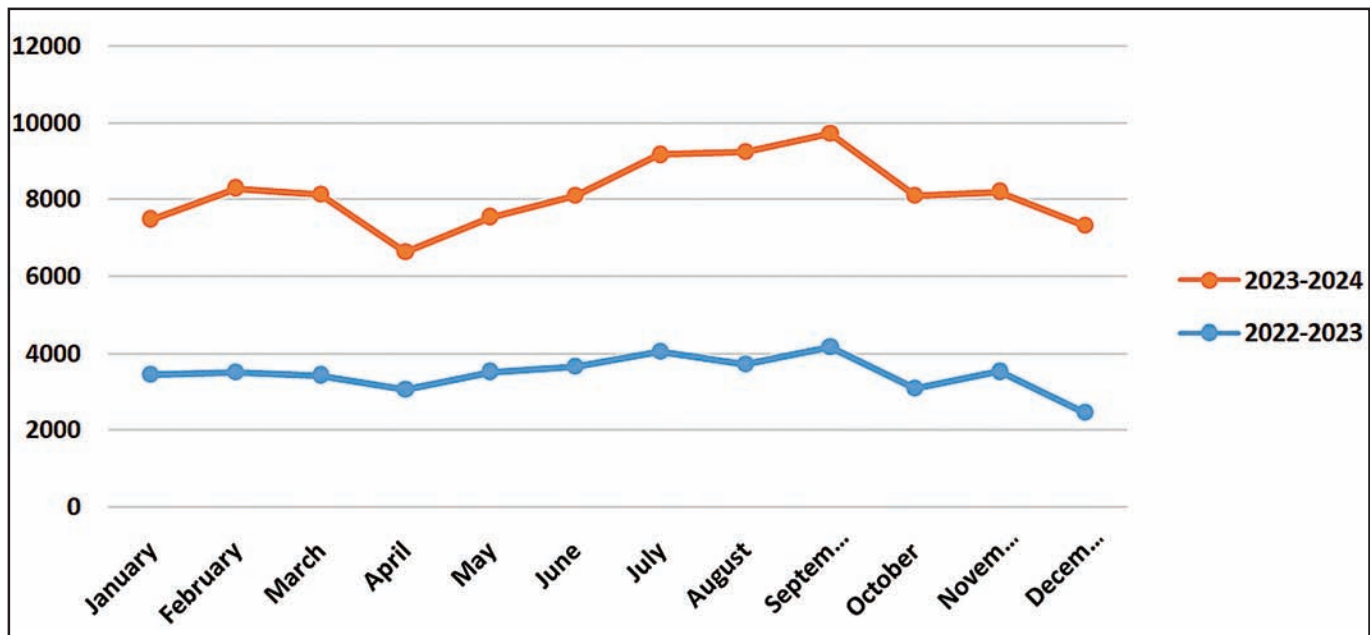
Following the introduction of the mobile app-based surveillance system and the augmentation of technical resources via the engagement of NABCB accredited surveillance agencies in FY 2021-22, there was a notable increase in both factory and market surveillance during the FY 2022-23, due to enhancements made in the software system and planning processes.

Increase in Factory and Market Surveillance from previous year

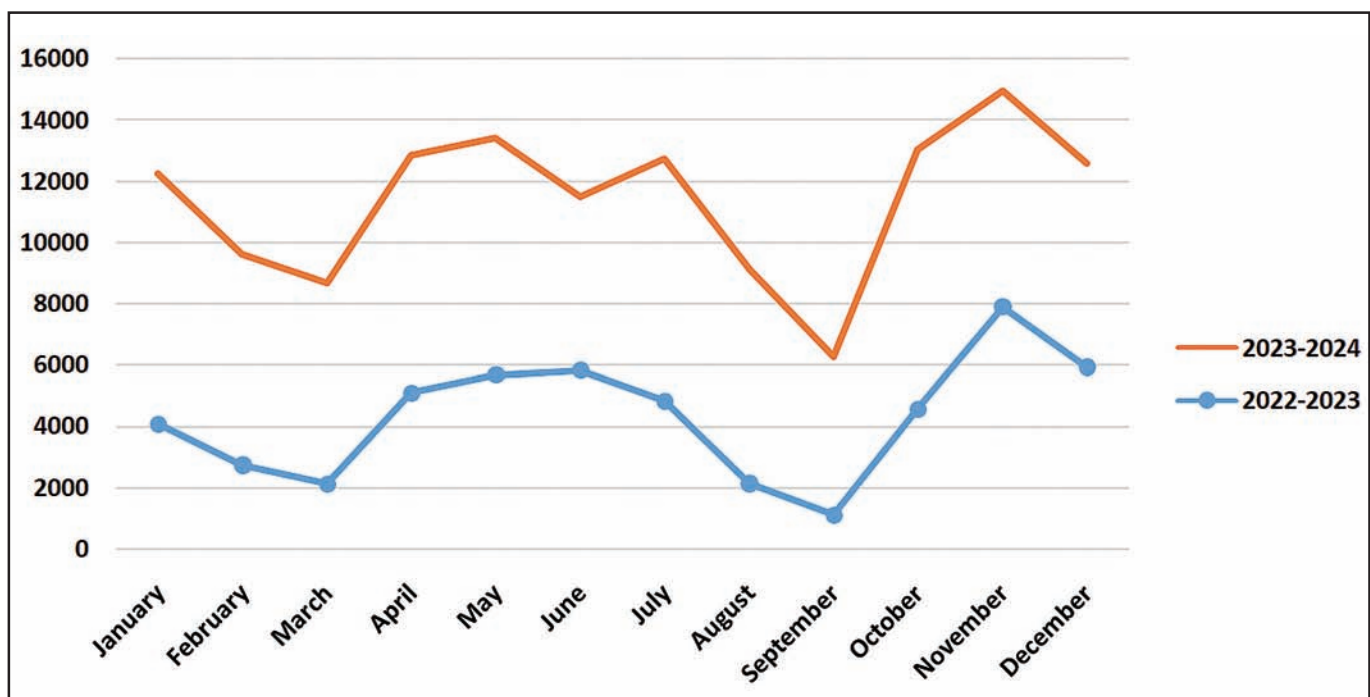


In order to monitor the operation of licences, a total number of 56316 surveillance inspections, 85051 market surveillance and 6537 lot inspections were carried out in 2023-24. Other than these, 8248 preliminary inspections and 4818 other inspections were also carried out during the year.

Graded increase in factory surveillance compared to previous year



Graded increase in market surveillance compared to previous year



5.1.5 Institutionalizing failure analysis and follow up action (Product recall and Product Specific capsule course)

5.1.5.1 As per Section 18 (6) of BIS Act, 2016, if the Bureau is satisfied under the provisions of sub-sections (4) and (5) that the goods, articles, processes, systems or services in relation to which a Standard

Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the certified body or licence holder or his representative to stop the supply and sale of non-conforming goods or articles and recall the non-conforming goods or articles that have already been supplied or offered for sale and bear such mark from the market or any such place

from where they are likely to be offered for sale or prohibit to provide the service. Therefore, in the risk assessment procedure of product certification Scheme, every non-conformity of the product(s) as per test report from Third Party Laboratory (TPL) or Factory Testing (FT), risk assessment analysis of the failure w.r.t. impact of non-conformity of the product on public health/ safety has been carried out. The concerned BIS Branch Office issues a recall notice/ Product recall order along with instructions to take corrective action to the licensee. A template for public alert notice including type of risk associated with the product flashed through BIS website as well as Branch office webpage for spreading awareness among the general public. Branch office also provides wide publicity through print media (Press release, advertisement etc.). During 2023-24, 59 cases of product recall observed in BIS.

5.1.5.2 Product Specific capsule course

Bureau of Indian Standards (BIS) through its various activities has always strived to promote the growth and development of MSME Sector. One such initiative is the launch of short duration product specific Capsule Courses for Quality Control & Testing Personnel of various industries like Packaged Drinking Water, Electric Cables & Conductors, Steel products, Pipes & Pipe Fittings, Skimmed Milk Powder, Domestic Appliances, Pumps & Motors, Toys, Textile Products, Cement & related Products, Plywood, etc. based on the concentration of industry in the area where the course is being conducted. These Capsule Courses are conducted free of cost and equip the participants to further enhance their knowledge of Indian Standards & its application in the Quality & Testing Ecosystem.

Lack of technical expertise of the Quality Control Personnel has been pointed out as one of the constraints faced by the industry while obtaining/operating BIS licences. This gap is increasing with many new products coming under mandatory BIS certification. These Capsule Courses help to bridge the

competence gap in the skills of quality control & testing personnel and make participants skilled enough to be achieving quality as per prescribed standards.

During 2023-24, more than 150 such courses have been conducted by National Institute of Training for Standardization (NITS), the training arm of BIS, on pan India basis through the BIS Branch Offices and its recognized laboratories. These courses were classroom based and delivered through lectures, presentations, videos, case studies and interactive workshops. These Capsule Courses contributes to the national capacity building leading to enhanced Quality Ecosystem in the country.

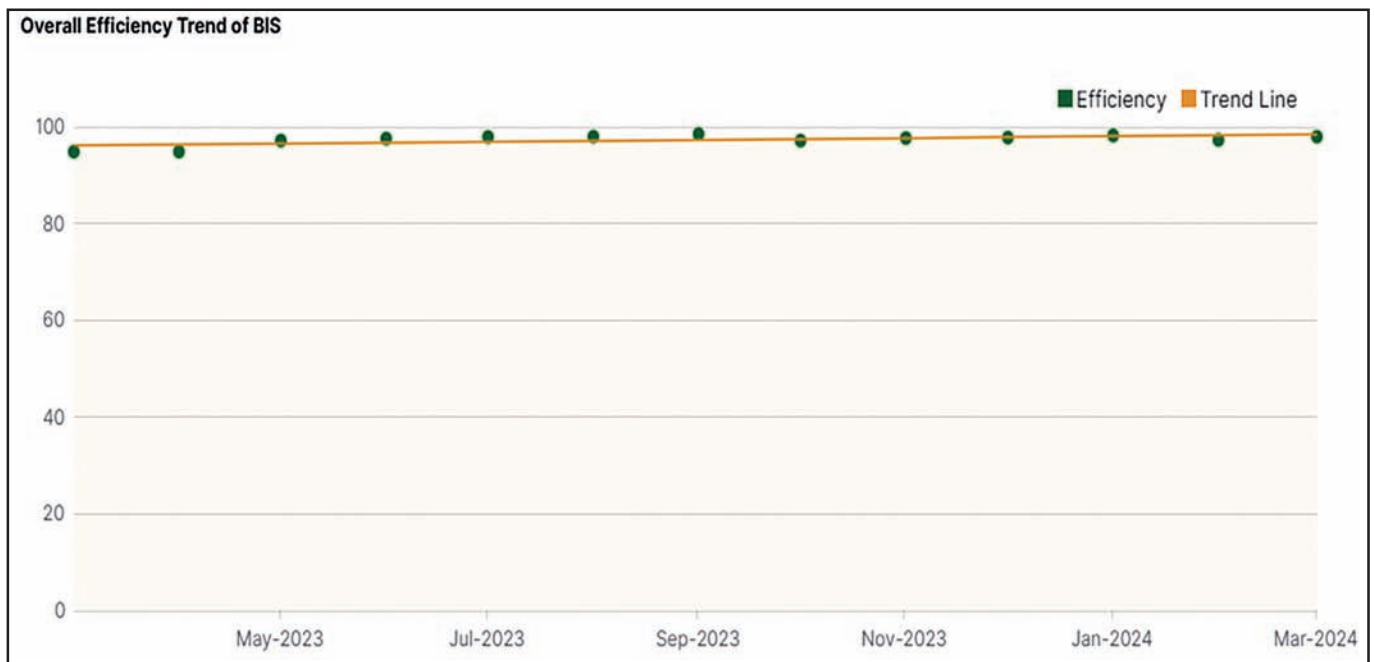
5.1.6 Efficiency index

In order to monitor adherence to specified timelines for various services provided by the Bureau, a system of Efficiency Index has been formulated. Under this system, the percentage of certification activities completed within time-norms by each Branch Office and Certification Officer are calculated on a monthly basis.

The activities included in the index are:

- i. Scrutiny of applications for grant of license
- ii. Preliminary inspections for considering grant of license
- iii. Grant of license under Option-1 (Normal procedure)
- iv. Grant of license under Option-2 (Simplified procedure)
- v. Change in scope of license
- vi. Scrutiny of inspection reports
- vii. Scrutiny of test report

During the FY 2023-24, the overall Efficiency Index was maintained above 90 throughout the year. Moreover, the Efficiency Index trend line showed a steady rise across the year, indicating increasing number of services being provided in a timely manner.



5.1.7 BIS as a facilitator - industry friendly initiatives

- Rationalization of Minimum Marking Fee for Micro Scale Enterprises-** To facilitate entry of manufacturing units under the Micro Scale sector, BIS decided to reduce the minimum marking fees by 80%, for the micro scale units, under all operative Product Certification Schemes.
- Applicability of SIT for Small and Micro Enterprises (SMEs):** Compliance to the Scheme of Inspection and Testing has been made OPTIONAL for Micro, and Small-Scale Units with respect to the requirements for Quality Assurance Plan and Ensuring Compliance through Testing.
- For MSME Manufacturers, the requirement of maintaining an in-house testing laboratory is made optional:** Creation of in-house test facilities has been made optional for MSME manufacturers. They will now have the flexibility to subcontract the testing to designated outside laboratories.
- Manufacturers can define their own Levels of Control:** Product Specific Guidelines outline the levels of controls to be exercised by the manufacturers

so as to ensure conformity of their products. Manufacturers are free to opt their own Levels of Control and follow them during their regular production.

- Rationalization in Marking Fee for Small Scale Enterprises and Startups-** In order to hand-hold small scale units and startups and facilitate them to opt for BIS Certification so that they get integrated into the quality ecosystem of the country in accordance with the Government of India's vision of Atmanirbhar Bharat, BIS decided to reduce the minimum marking fees by 80%, for the Startups and 50% for Small Scale Units, under all operative Product Certification Schemes.

5.1.8 Focus on QCOs

BIS certification scheme is basically voluntary in nature. However, for a number of products compliances to Indian Standards is made compulsory by the Central Government under various considerations viz. public interest, protection of human, animal or plant health, safety of environment, prevention of unfair trade practices and national security. For such products, the Central Government directs mandatory use of Standard Mark under a Licence or Certificate of Conformity (CoC) from BIS through issuance of QCOs.

In the year 2023-24, various Regulators/ Line ministries has notified 58 Quality Control Orders (QCOs) covering 267 product Indian Standards under Scheme-I/ Scheme-II of Schedule-II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

The few important QCOs are Potable Water Bottles (Quality Control) Order, 2023, Flame producing Lighters (Quality Control) Order, 2023 covering 02 products, Smart Meter (Quality Control) Order, 2023 covering 02 products, Cookware and Utensils (Quality Control) Order, 2023 covering 05 products, Fire Extinguishers (Quality Control) Order, 2023 covering 02 products, Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023 covering 06 products, Electrical appliances- fans (Quality Control) Order, 2024 and Air Coolers and Air Filters (Quality Control) Order, 2024 etc.

5.2 Compulsory Registration Scheme (CRS)

BIS is operating the Compulsory Registration Scheme (CRS) as per Scheme - II of Schedule - II of the BIS Conformity Assessment Regulations 2018 to allow the use of BIS Standard Mark (®) on products notified by the Government of India. This scheme is based on Type 2 scheme of IS/ISO/IEC 17067.

This scheme was introduced in 2013 to protect the consumers from spurious and sub-standard products manufactured domestically and abroad. The fundamental objectives of the scheme are to ensure safety of the products and prohibit import / production of substandard or defective products and to facilitate growth of fast-growing sectors like Electronics & IT. This scheme primarily covers the safety aspects of the products.

Initially, only a few electronic & IT products were covered under the ambit of this scheme. Over the years, a number of mass consumer goods have been brought under the scheme in phases. Mobile phones, laptops, LED television, digital camera, wireless earphones, headphones etc. are some of the common consumer items covered under this scheme.

Apart from electronic & IT products, chemical products like Orthophosphoric Acid and Polyphosphoric Acid and textile products like Cotton Bales have also been brought under the ambit of this scheme in phases. Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has notified Essential Requirements for Security of CCTV on 09 April 2024 under Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021.

As on 31 March 2024, BIS has 23638 operative licences located in 65 countries including India. Of these-

- i. 23,122 licences are operative for products notified by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
- ii. 497 licences are operative for products notified by Ministry of New and Renewable Energy (MNRE).
- iii. 19 licences are operative for products notified by Ministry of Chemical and Fertilizers.

During the period from 01 April 2023 to 31 March 2024, a total of 5952 applications were received and a total of 5624 licences were granted.

Parallel Testing: BIS has implemented parallel testing of products as a significant reform under the Compulsory Registration Scheme for electronic products. Initially piloted for mobile phones in December 2022, the scope for parallel testing was expanded to include wireless earphones/headphones and laptops/notebooks/tablets before being made permanent for all product categories under Electronics and Information Technology Goods (Requirements of Compulsory Registration Order), 2021 w.e.f. 09 Jan 2024.

This allows manufacturers to concurrently submit multiple product components for testing, accelerating the certification process compared to the sequential approach. While final registration remains sequential, parallel testing significantly reduces overall certification timelines. By optimizing the certification workflow, parallel



testing of products aims to enhance ease of doing business and will also reduce the turnaround time of electronic products to market. Parallel testing of products is voluntary in nature and the manufacturers still have option for submitting the application sequentially to BIS for registration as per the existing procedure.

5.3 Foreign Manufacturer's Certification Scheme (FMCS)

BIS has been operating Foreign Manufacturer's Certification Scheme (FMCS) since 2000. Under this scheme, foreign manufacturers can apply for BIS certification to use the BIS Standard Mark on their product(s) as per Scheme-I of Schedule-II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018. This scheme facilitates imports of products to India which conforms to relevant Indian Standard.

During the period from April 1, 2023 to March 31, 2024, 414 licenses were granted under FMCS, bringing the total number of active licenses to 1,614 covering 217 Indian Standards across 61 countries as of March 31, 2024. The licenses issued during this period encompassed a variety of products, including chemicals and petrochemicals, steel and steel products, safety glass for road transport, wheel rims, air conditioners and heat exchangers, electrical products, toys, cement, hermetic compressors, footwear, automobile tyres, food-related products, industrial helmets, refrigerating appliances etc.

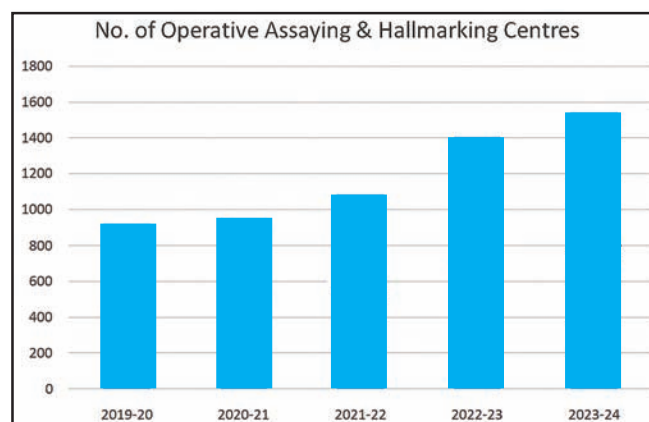
BIS has also developed an online consignment portal where foreign licensees are required to submit details of ISI-marked consignments being sent to India. The consignees' details entered by the licensee enable the relevant BIS branch offices to draw market samples, ensuring conformity with the applicable Indian Standards. This system allows consumers to access high-quality, standardized goods. During the period of 2023-24, a total of 1022 samples were drawn and sent to BIS or BIS-approved laboratories for testing.

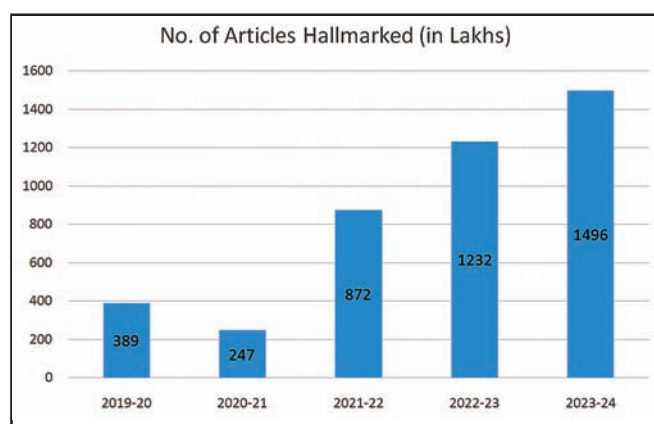
5.4 Hallmarking

(i) Hallmarking of gold/silver jewellery/ artefact

Hallmarking of gold jewellery was started by BIS in April 2000 to provide third party assurance to consumers on the purity of gold jewellery or its fineness. The scheme for Hallmarking of silver jewellery/ artefacts was launched in October 2005. Under the Scheme, while the jewellers are granted registration to sell hallmarked jewellery, Assaying & Hallmarking centres are recognized to assay the purity of the jewellery submitted by the registered jeweller, along with declaration of purity and to apply hallmark on such jewellery which is found conforming to relevant Indian Standard including declared fineness.

During the period **April, 2023 to March, 2024** the number of hallmarking registrations have grown from **1,60,866 to 1,87,936** while the number of BIS recognized Assaying and Hallmarking centres have increased from **1,403 to 1,540**. During the same period **14.96 crore** articles of gold and silver jewellery/ artefacts have been hallmarked.





(ii) Mandatory Hallmarking:

Mandatory Hallmarking of gold jewellery/artefacts was successfully implemented, vide Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts Order, 2020, in 256 districts of the country with effect from 23 June 2021.

Later, from 01 June 2022, vide Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts (Amendment) Order, 2022, dated 04 April 2022, the ambit of mandatory hallmarking was further extended to 288 districts where Assaying & Hallmarking (A&H) centre exist and to 14, 18, 20, 22, 23 and 24 carats of gold jewellery/artefacts as mentioned in the Indian Standard IS 1417.

Further, vide Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts (Third Amendment) Order, 2023, dated 06 September 2023, the scope of mandatory hallmarking was extended to 343 districts.

(iii) Hallmarking of Gold Bullion

Hallmarking of gold Bullion in the fineness of 999 & 995 as per IS 1417: 2016 was started in October 2015. Under this scheme the licence is granted to refineries/mint which carry out refining of gold by electrolytic or aquaregia process and have laboratory with complete test facility and accredited by NABL.

As on **31st March 2024**, **53 licences** have been granted to refineries/ India Government Mint for Gold bullion and coin.

(iv) Gold Monetization Scheme

Govt. of India has launched Gold Monetization Scheme on 5 November 2015. BIS has played an important role in

finalization and implementation of the Gold Monetization Scheme in association with Department of Economic Affairs and Reserve Bank of India. Under the scheme Assaying & Hallmarking Centres recognized by BIS have been qualified to act as Collection and Purity Testing Centres (CPTC).

So far **48 A&H centres**, **01 Jeweller** and **01 Refinery** have been qualified to act as **CPTC**. The gold collected by CPTCs is to be refined by refineries licensed by BIS.

(v) Promotion of Hallmarking

To promote hallmarking in the country for effective consumer protection in gold jewellery trade, awareness programmes for jewellers are organized by BIS through its various Regional and Branch offices across the country. During the year, **227** such jewelers awareness programmes were organized. Further, BIS has been actively disseminating informative content in print, digital and social media in the form of advertisements in newspapers, scroll messages in TV and Radio, creatives on social media platforms including Twitter and Instagram, audio-visual material in YouTube.

(vi) Plan Schemes

BIS has been implementing the Plan scheme for setting up of gold Assaying and Hallmarking (A&H) centres in India with central assistance. The components of the scheme are indicated below:

- a) Infrastructure building- Setting up of Assaying & Hallmarking (A&H) Centres
- b) Capacity building
 - i) Training of artisans
 - ii) Training of Trainers (BIS auditors)
 - iii) Training of personnel of assaying and hallmarking Centres

Under the Plan Scheme for Hallmarking during 2023-24, in infrastructure building, **seven** Assaying and Hallmarking centres were approved for Central Assistance by the Implementation Committee for setting up of Gold assaying/hallmarking centres and in



capacity building, the number of programmes which were organized for training of artisans, for Training of Assaying & Hallmarking personal and for training of BIS officers were **08, 04 and 02 respectively**.

(vii) Hallmarking Initiatives during 2023-24

Market survey in districts not covered under mandatory hallmarking

A market survey in the non-mandatory districts was conducted in the month of September and October 2023 through consumer groups to understand current consumer awareness and preferences for hallmarked jewellery in non-mandatory districts.

The target audience included working professionals, homemakers, consumers and jewellers (Registered and Non-registered). A total of 31,156 number of surveys were carried out in 246 non mandatory districts having a breakup as follows:-

- Working Professionals/ Hom e m a k e r s / C o m m o n Consumers-23,497
- BIS Registered Jewellers- 3,890
- Non BIS Registered Jewellers- 3,769
- Based on the survey findings, 92% of the consumers preferred hallmarked gold jewellery from the BIS Registered Jewellers in the non-mandatory districts.
- Awareness levels among non-BIS

registered jewellers were relatively lower, with 42% being aware of the BIS Hallmarking Scheme and 39% aware of the BIS Care App.

- The majority of jewellers, accounting for 87%, reported purchasing already hallmarked jewellery, indicating a prevalent practice within the industry to purchase already hallmarked gold jewellery.
- The survey findings suggested that Assaying and Hallmarking Centers (AHCs) may not be universally required in all districts for the successful implementation of pan-India mandatory hallmarking.
- A prevailing opinion in favour of the nationwide implementation of mandatory hallmarking was observed, suggesting a collective belief in the importance of hallmarking across the Indian jewellery market.

5.5 Management Systems Certifications

The Management Systems Certification Schemes of BIS are operated in accordance with “ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of Management Systems”.

In three decades since inception with QMS in the year 1991, BIS has advanced to more than 20 certification schemes encompassing generic as well as sector specific certification schemes. The list of Management Systems Certification Schemes operated by BIS are given below:

Sl No	Management Systems Certification Scheme	Relevant Indian Standard (s)	Year of Implementation
1.	Quality Management System(QMS)	IS/ISO 9001	1991
2.	Environmental Management System (EMS)	IS/ISO 14001	1997
3.	Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)	IS 15000	1998
4.	Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)	IS/ISO 45001	2003
5.	Food Safety Management System (FSMS)	IS/ISO 22000	2006

6.	Service Quality Management System (SQMS)	IS 15700	2007
7.	Energy Management System (EnMS)	IS/ISO 50001	2013
8.	Social Accountability Management System (SAMS)	IS 16001	2016
9.	Medical Device Management System (MDMS)	IS/ISO 13485	2016
10.	Road Traffic Safety Management System (RTSMS)	IS/ISO 39001	2018
11.	Ready Mixed Concrete (RMC)	IS/ISO 9001 + IS 4926	2018
12.	Adventure Tourism Safety Management System (ATSMS)	IS/ISO 21101	2018
13.	Anti-Bribery Management System (ABMS)	IS/ISO 37001	2019
14.	Information Security Management System (ISMS)	IS/ISO/IEC 27001	2019
15.	Educational Organization Management System (EOMS)	IS/ISO 21001	2019
16.	Integrated Milk Certification Scheme for Packaged Pasteurized Milk (IMCS)	IS:13688 along with ISO 22000	2018
17.	Medical Devices Quality Management System with essential principles of safety and performance (MDSPMS)	IS 23485	2020
18.	Piped Drinking Water Supply Management System (PDWSMS)	IS 17482	2020
19.	Ready Mixed Concrete Process Certification	IS 4926	2021
20.	Conformity Assessment Scheme for Milk and Milk products (CASMMP)	Indian Standards for Dairy sector, IS/ISO 22000 and Process Certification	2021
21.	Online Consumer Review Process	IS 19000	2023

Accreditation Status of BIS MSC schemes

BIS MSC activity is accredited from National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), QCI for the following schemes:

- Quality Management Systems (QMS- for 25 scope sectors),
- Environmental Management Systems (EMS-7 scope sectors),
- Food Safety Management Systems (FSMS-3 Scope Sectors),
- Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS-17 scope sectors)

- Energy Management Systems Certification Schemes (EnMS- 8 scope sectors)

Special Achievements

Licence was granted to M/s Steel Authority of India Limited (SAIL) for 'Anti-Bribery Management System' implemented by them at their 72 Central Marketing Offices (CMO), 6 Integrated steel plants (ISPs), 6 mines and 2 subordinate offices.

All India First Application received on "Piped Drinking Water Management System" from Nagpur Municipal Corporation.



Auditors for MSC activity

During this FY, 47 personnel were empanelled as auditing resource in various MSC schemes. 21 auditing resources were upgraded to a higher auditing status.

Review of Statistics

A total of 126 license have been granted in the Financial Year 2023-24 so far increasing the number of operative licences of MSC to 1389 as on 31st March 2024. Another 109 applications are in process for grant of licence.

FY 2021- 2022		FY 2022 - 2023		FY 2023 – 2024 (till March 2024)	
Licences granted	Total Operative Licences	Licences granted	Total Operative Licences	Licences granted	Total Operative Licences
81	1254	141	1295	126	1389

6 LABORATORY

One of the main pillars of conformity assessment is product testing to ascertain the conformity of products to relevant standards. BIS has established eight laboratories in the country to cater to the testing need of samples generated from conformity assessment schemes, beginning with the establishment of Central Laboratory at Sahibabad in 1962. Subsequently, four regional laboratories at Mohali, Kolkata, Mumbai and Chennai and three branch office laboratories at Patna, Bangalore and Guwahati were established. BIS laboratories have facilities for testing of products in the field of chemical, microbiological, electrical and mechanical requirements. In addition to product testing, BIS has established gold assaying laboratories at 06 nos. of its labs and 02 nos. of Branch Offices at Hyderabad and Jammu & Kashmir. Gold assaying lab at Chennai also tests silver jewellery.

In order to ensure that BIS laboratory services keep pace with developments at the international level, the laboratories at Sahibabad, Mumbai, Kolkata, Chennai, Mohali, Bengaluru, Patna and Guwahati have been accredited as per ISO/IEC 17025. BIS also operates Laboratory Recognition Scheme (LRS) for recognition of outside laboratories.

There are 326 BIS labs under BIS Laboratory recognition and 266 government laboratories under empanelment, which include reputed R&D organizations, technical institutions, Government labs and labs in private sector. The services of such laboratories are utilized where it is economically not viable to develop test facilities in BIS laboratories.

6.1 Testing Performance of Laboratories under BIS network:

1. With a focus on the automation of the testing and sample preparation activity in the laboratories, the overall testing output of the laboratories has been increased and BIS labs are regularly giving output of more than 6500 samples per month which has also crossed 7000 samples in a few months.
2. In 2023-24, BIS tested 2,15,357 samples, out of which 1,19,706 samples were tested in BIS own labs and 95,651 samples were tested in BIS recognised and empanelled labs.

6.2 Modernising Infrastructure

1. With a view to modernize the testing activity in BIS laboratories, a major exercise for procurement of testing equipment is under process in all BIS labs and a total no. of 432 no. of equipment have been procured and are under use in all BIS Labs. For procurement of high-end equipment for

BIS laboratories, a proposal for seeking exemption to host the Global Tender Enquiry was sent to Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat. The proposal has been approved and the procurement of equipment is under process.

2. In respect of enhancing laboratory infrastructure and exploring ways to incorporate emerging trends, best practices and latest advancements in automation in testing as well as sample preparation, BIS Labs have initiated organising one-day conclaves focusing on various testing areas. In 2023-24, BIS labs have organised 09 conclaves in the fields of Chemical, Mechanical, Electrical, Microbiological and Gold testing as well as sample preparation processes.
3. To develop the BIS testing centres as world class laboratories, renovation of complete infrastructure has been undertaken with respect to the building premises, testing equipment, work stations and other facilities.

6.3 Enhancing the Testing Facilities

1. To meet the growing demand for testing products under Quality Control Orders (QCOs), BIS laboratories have developed testing capabilities for 51 new products in the past year including Building Material testing at Guwahati, Food products, Laminated Lumber, Chemical testing in Toys and Electrical Appliances at Mohali, Feeding Bottles, Jute Bags, AGRI utensils, and Wiring Accessories at Kolkata, Water Dispersible Powder at Sahibabad, and Irrigation Equipment and Industrial Chemicals at Bengaluru.
2. In addition to the above, for the testing of textile products under the QCOs, BIS has initiated the work for the creation of the testing facility at Hyderabad.

6.4 Recognition and Empanelment of Laboratories:

1. In 2023-24, BIS recognised 37 no. of outside laboratories and empanelled 02

no. of government laboratories for testing of products under BIS Conformity Assessment Schemes, bringing the total no. of recognised labs to 326 and the total no. of empanelled labs to 268.

2. With the increase in the number of products being brought under the QCOs, the no. of new applications for BIS recognition are also regularly increasing. These laboratories have been recognised for testing of safety glass, plastics, steel products, footwear, IT and CRS products and Medical devices.

6.5 Involvement of Manufacturers and Academic Institutions in testing activity:

1. To bring the existing testing facilities in the country under the laboratory network, BIS has reached out to the educational institutions having MoUs with BIS. The large & medium scale manufacturers having their in-house testing laboratories have also been approached and sensitised for obtaining recognition by BIS.
2. The laboratories under these institutions and industries are carrying out testing operations for the internal training, teaching and quality control purposes only. Therefore, obtaining the recognition/empanelment by BIS for testing of samples under the Conformity Assessment Schemes provides additional financial incentive to these laboratories. In return, BIS is able to provide the necessary infrastructure to the industrial sector for the implementation of QCOs.
3. Laboratories operated by Siemens (Mumbai), Novateur (Nashik), Vijay Electricals (Haridwar) have been recognised for power transmission equipment and Haldia Petrochemicals (Haldia), HPCL-Mittal Energy (Noida), have been recognised for petrochemical products. Similarly, the Laboratories operated by CIPET



institutions, IITs and various other engineering colleges have also taken BIS recognition and are now providing testing services to the industries under BIS Conformity Assessment Schemes.

6.6 Relaxation in Fee Structure of Laboratory Recognition Scheme:

1. Fees structure of LRS has been revised and recognition fees has been reduced from Rs.1,00,000.00/- to Rs.60,000.00/- for MSME and Women Entrepreneur. Inclusion application and processing fees has been done away with in order to encourage laboratory to get more and more Indian Standards/products included in the scope of recognition.
2. To ensure the availability of laboratories for testing of Cotton Bales as per IS 12171 which has been brought under mandatory certification through Quality Control Order, BIS has proactively taken measures to reduce the application fees for recognition of Laboratory under BIS LRS from Rs 40,000 to Rs 5,000 and recognition fees have been reduced from Rs 1,00,000 for three years to Rs 20,000 for one year. Based on stakeholder interaction, relaxation in requirement of accreditation as per IS/ISO/IEC 17025 for one year has also been made for laboratories applying for BIS recognition for cotton bales as per IS 12171:2019.

6.7 Utilisation of IT Tools:

1. Integration of testing equipment with LIMS portal: To further reduce the human intervention in the testing operation, BIS has initiated the project of integration of testing equipment with the Laboratory Information Management System (LIMS) portal. With the addition of this feature, the testing observation would be directly recorded in the test reports which would increase the overall productivity and prevent the errors in data transfer. This integration will lead to the direct entry of testing observations in the online portal without the need to

noting down the results, thereby reducing the human intervention in the testing operations. This system is being provided with inbuilt formulas and calculations to further reduce the error in the reporting the results. In the first phase of the integration, the testing equipment having capabilities to transfer to the data through open ports or connected systems have been taken up and in the next phase the equipment having no such facility will be taken up for modification and upgradation to connect with the online systems.

2. Development of UTR formats: Uniform Test Report (UTR) formats have been devised in LIMS for all products under certification for all BIS Laboratories and BIS recognized outside laboratories. As on date, approx. 8000 such formats have been prepared for the products under the Conformity Assessment Schemes of BIS.

6.8 Improved Support Systems

1. Under the Indo-German Expert Exchange in collaboration with GIZ on Good Laboratory Practices workshop and visit to prominent laboratories and manufacturers in India have been organised for BIS officers to get exposure to the state-of-the-art testing infrastructure related to the Analytical, Metallurgical, Electrical, and Electronics products.
2. BIS has introduced an internship program in all its laboratories to enhance the knowledge and skills of college students by providing them hands-on experience in laboratory activities. Interns, engaged for durations between 2 to 6 months, assist in testing products under BIS conformity assessment schemes. In 2023-24, a total of 52 interns were involved in various tasks, including sample testing, gap analysis of facilities, method development, measurement uncertainty analysis, method verification, and maintenance of technical records. These interns



received training on Indian Standards, laboratory practices, testing procedures, and equipment operation.

3. BIS labs have started organising Manak Manthan programmes on Indian Standards to familiarise the industry and other labs with the products, test parameters, test methods and other relevant technical information. 07 such programmes were organised during the year 2023-24.
4. In coordination with the Standard Formulation departments, BIS labs are organising workshops to provide exposure to the member secretaries of technical committees regarding the testing infrastructure in BIS labs as per the Indian and International standards formulated/referred by the technical departments. These workshops are also covering the environmental and social concerns stemming from the use and handling of hazardous consumables in testing activities.
5. Consultation with Stakeholders: Series

of meetings have been organised with various stakeholders to identify the testing need of the industry with respect to the Quality Control Orders under considerations.

6.9 Financial Support to other laboratories

1. To support the government laboratories operating in the country in creating new facilities in critical areas and for upgradation of their testing infrastructure, BIS has implemented a scheme for providing financial support in form of testing equipment. Under this scheme, the following proposals have been approved:
 - a. Proposal for Strengthening of Cotton fibre testing infrastructure at Laboratories of Textiles Committee, Power loom Service Centres and Cotton Corporation of India worth Rs 38.72 Crores
 - b. Proposal for Strengthening of the FSSAI's notified Food

Testing Laboratories for Organic Food Testing including 12 FSSAI Notified State Food Laboratory and 12 FSSAI Notified Labs working under other Government Organizations worth Rs 116.25 Crores

- c. Proposal for Advancement of Metrology for Reliability, Inspection and Testing (AMRIT) submitted by National Physical Laboratory worth Rs 37.49 Crores
- d. Proposal for establishment of Robotic Mass Comparators with other equipment at RRSLs for calibration of E0 and E1 Class weights. The establishment is to be carried out in a phase wise manner after ensuring the required infrastructure at the RRSLs worth Rs. 100 Crores
- e. Proposal for creation of Integrated Test Facility for Power Transmission & Distribution Sectors including Short Circuit Test Facility of Transformers at NTH Jaipur worth Rs. 50.11 Crore.
- f. Proposal for creation of switch gear testing facility at NTH Mumbai worth Rs. 5 Crore.

6.10 New Achievements and Initiatives

- With the directions of the Hon'ble Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (CA, F & PD), BIS was assigned with the task of carrying out the testing of drinking water at the Bharat Mandapam during the G-20 summit held on 8th & 9th Sep 2023 in New Delhi. An onsite testing laboratory was established by BIS at Bharat Mandapam and the analysis of water samples drawn from various points of the supply line was carried out for chemical parameters using Field-Testing Kits (FTK) and Rapid testing equipment. For biological and radiological parameters as well as the remaining chemical tests, the drawn samples were tested offsite.
- To assess the effects of the byproducts released from the testing of Gold Jewellery, a pollution study was carried out by all Referral Assay Laboratories of BIS. The concentration of the pollutant materials and compounds was examined with respect to the health and safety tolerance before and after the neutralization by the pollution control devices. The study reports from all laboratories have been examined by technical experts and the recommendations of the experts are being implemented to increase the



effectiveness of the pollution control devices in all BIS labs. A similar study is now being planned for the by-products of the analytical testing being carried out in all BIS laboratories.

3. The 15th meeting of the Testing and Calibration Advisory Committee (TCAC) was organised on 22nd November 2023

wherein the initiatives and achievement under the BIS laboratory activities were informed to the committee members and deliberations were held to identify future scope of improvements and new areas of development of lab infrastructure in the country.

TRAINING SERVICES

National Institute of Training for Standardization

Training details	Trainings	Participants
TC Chairpersons	9	303
TC members	8	956
Stdz Cells at Central Ministries	2	84
ISO Committee managers in BIS	1	30
Faculty members in Tech Institutions	1	22
Stdz Cells in Ind Associations	7	267
Young professionals	1	81
Govt depts	20	469
Lab related	41	1075
International training programme	4	109
Product Certification	1	20
Mgt Systems - LA, DOC& IA	30	681
National Building Code & SDBR	13	358
National Electrical Code	4	171
Capsule course- COP	9	228
Internal training at NITS	21	997
Training at IIM	6	235
Resource persons, CO/NGO	5	323
TOTAL	170	6409
Internship	1	178

The Year that was 2023-24

Looking back & The year ahead



मानक: पथप्रदर्शक:
Bureau of Indian Standards

BUREAU OF INDIAN STANDARDS



Looking Back

As we reflect upon the achievements of NITS in 2023-24, it is with great pleasure that we share the progress and milestones reached in the realm of training and capacity building at NITS.

The focus this year was to enhance the skills and capabilities of our internal workforce and stakeholders through well designed training programmes aligned with the training strategy. None of these would have been possible without the concerted efforts and unwavering support of various departments of BIS at HQs, BOs and Labs. Their invaluable efforts, expertise and guidance have not only been instrumental in designing and delivering high-quality training content that aligns with industry standards and best practices but also enabled coordination with various Govt departments as well as Industries for the capacity building programmes and organizing training sessions across different locations, facilitating accessibility and participation of stakeholders.

TRAINING STRATEGY

Technological advancements and the implementation of the BIS Act 2016 have reshaped the roles and responsibilities of BIS and its stakeholders. BIS, thus, initiated efforts to prioritize learning as a fundamental value within the organization, extending to all identified stakeholders. This entails systematic training and retraining of both internal and external stakeholders. The objective was to enhance professional knowledge and skills at both individual and collective levels.

NITS developed a comprehensive training strategy, addressing diverse stakeholder needs through various training formats.



TRAINING STRATEGY OF BUREAU OF INDIAN STANDARDS 2023-24

National Institute of Training for Standardization,
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
A 20-21, Institutional Area, Sector 62, Noida, India

Trainings for effective Standardization



Chairpersons and members of Technical Committees play a pivotal role in formulation of new standards and revision of existing standards. The Standardization Cells in Industry Associations are expected to engage and contribute effectively in identification of new area for standardization and revision of existing standards and their implementation, The Standardization Cells in Ministries are required to ensure coordination between Government departments and Ministries enabling effective standard development and implementation.

Training details	Trainings	Participants
TC Chairpersons	9	303
TC members	8	956
Stdz Cells at	2	84
Central Ministries ISO Committee	1	30
managers in BIS Faculty members	1	22
in Tech Institutions Stdz Cells in Ind	7	267
Associations Young professionals	1	81

Academia not only plays an important role in educating and raising awareness on standards among students and researchers but the research and development carried out by academia can also form the basis for new standards to be developed.

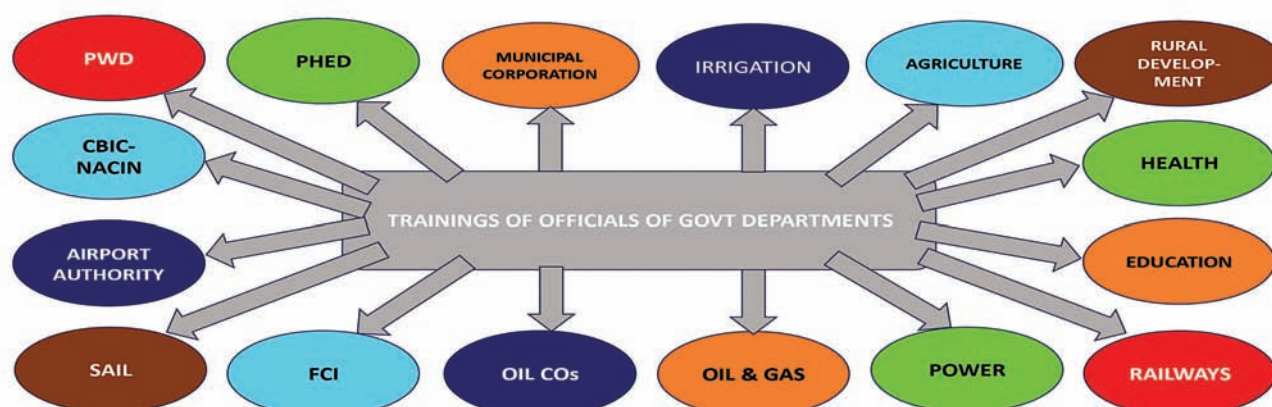
Training at NITS was aimed at providing a clear understanding to these stakeholders on convergence of individual efforts towards National Standardization.

Capacity Building - Govt officials



Standards are essential in planning and implementation of Government programmes and schemes and it is eminently desirable that Government Officers implementing these programmes are aware of the relevant Indian Standards, not only to understand the products and processes to be used in

the execution of these programmes but also to contribute to the development of standards in respective domain areas. Considering the above BIS has launched two-day capacity building programmes for key officials of State, Central govtdepts and PSUs at NITS





20 trainings - 469 officials

Capacity Building - Code of Practice

Standards on Code of Practice play a pivotal role, not only in ensuring safety, quality, and efficiency in industries across various sectors, but also helps to enhance competitiveness and facilitates trade. These standards are being used by various stakeholders including industry personnel,

Govt Departments, regulatory authorities etc. Imparting training to stakeholders on Standards on Code of Practices is essential to ensure compliance, enhance quality and safety, improve productivity and efficiency, enhance reputation, and facilitate continuous improvement



9 trainings - 228 participants

National Building Code

The country is on the path of rapid urbanization and development. Considering the importance of the NBC in ensuring quality and safety of the buildings and related infrastructure, it is important that various stakeholders contributing to building planning, design, construction and operation and maintenance are well aware of the provisions of NBC 2016 for judicious implementation of the provisions and intent of the Code. NITS organized 12 courses in this financial year.

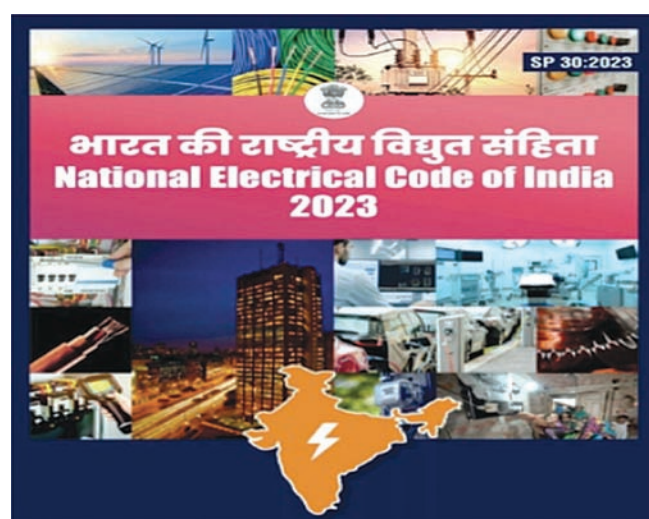
12 trainings - 322 participants



National Electrical Code

Considering the importance of awareness of the provisions of NEC for its judicious implementation by various stakeholders contributing to planning, design, installations and testing of electrical installations, NITS has started the two days capsule course for its stakeholders from 2023.

4 trainings - 171 participants

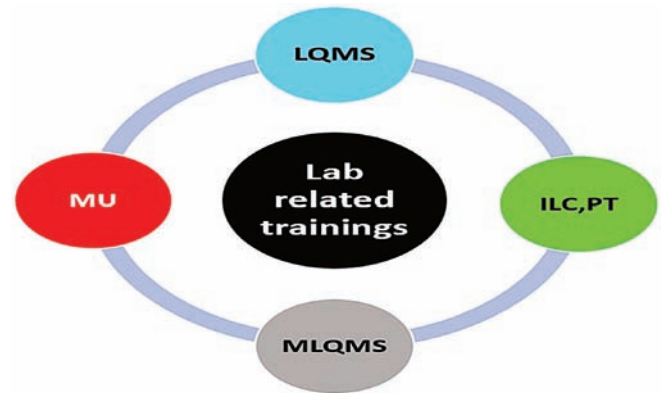




Laboratory related trainings

These programmes have been developed with the objective of promoting confidence in the operation of laboratories and contains requirements for laboratories to enable them to achieve and demonstrate their competency and are able to generate valid results.

41 trainings 1075 participants



Management System related trainings

Training on management system was organized to equip the key officials of an organization with the competency required to apply the relevant Standard in the organization in order to demonstrate its ability to and consistently provide products and services that meet the requirements pertaining to Customer Assurance and Satisfaction, Environmental Impacts, Energy efficiency, Occupational Safety, Integrity at Workplace, Food Safety and applicable statutory and regulatory requirements.

30 trainings 681 participants



International Trainings

NITS is one of the training institutes identified by Ministry of External Affairs, Govt. of India under Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) and e-ITEC programmes, for imparting trainings to participants from developing countries. NITS has been conducting these programmes for developing countries of Asia, Africa, Europe and Latin America every year since 1968

So far, 54 programmes have been conducted in the field of “Standardization and Quality Assurance”, 18 programme on “Management Systems” and 15 programmes on Laboratory Quality Management Systems. Four trainings have been conducted in 2023-24, three at NITS and one online as per the details below



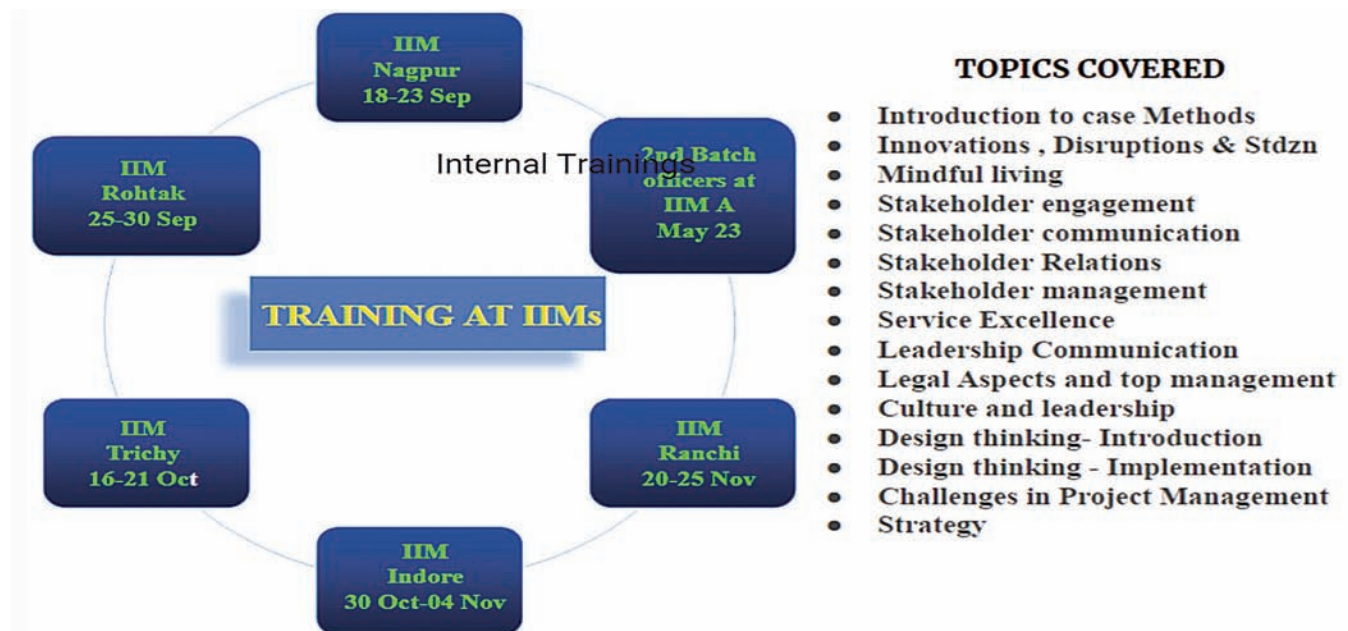


Internal Trainings

BIS endeavours to make learning one of the fundamental values of the organization for all its employees through on-job trainings, focused training on aspects directly related to efficient discharge of duties and also general training enabling overall personality

development. Keeping this objective in mind, Leadership, Project and Time management was organized for the scientific officers in partnership with the premier IIMs

235 officers trained at various IIMs



Other Internal Trainings

Also routine trainings and re-trainings were organized for the officials of BIS. Refresher courses, Courses on GeM and GFR, Courses on BIS Act, Rules and Regulations, Induction Trainings, Research related trainings,

Mapping of Standards etc were also organized at NITS

991 officials trained in 21 trainings

Internship

This year a total of 177 students completed their Internship at BIS. Among these 177 students, 172 were posted in the various Technical Departments. Remaining 5 candidates of Legal discipline were assigned to Legal department, Ghaziabad Branch Office and Noida Branch Office.

The internship initiative proved to be mutually advantageous for the students as well as the Bureau. It provided invaluable exposure to the students towards national standardization activities. Students were exposed to the formulation, review, and revision of Indian Standards relating to their discipline. Their involvement extended to preparing pre-standardization reports for emerging subjects, for which they not only delved into International Standards available on those subjects but also undertook visits to the concerned industries and laboratories, for examining the national context and relevance. It is noteworthy that 171

feedbacks received from the technical departments, indicated a positive outcome from the internship scheme.

The reports submitted by the interns are being utilized by the technical departments in bringing out new standards in emerging areas as well as in updating existing standards for including new varieties, processes, etc.

From the broader perspective of the Bureau, the internship program played a pivotal role in instilling a culture of quality consciousness among the students. These interns are poised to become future brand ambassadors, championing standards and quality in the country. The program was evidently a success in nurturing the next generation of professionals dedicated to upholding standards and ensuring quality in their future endeavours, and also in making them future ready for contribution towards standards development.



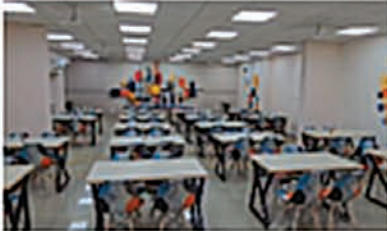
Infrastructure development



Newly Renovated NITS Hostel Reception



The newly renovated Canteen at NITS Hostel



Landscaping at NITS



Renovated VIP Room



Establishment of NITS Canteen



Renovated NITS Entrance



Decorating the walls



7 CONSUMER AFFAIRS & PUBLICITY

7.1 Standards Promotion and Consumer Engagement Activities

7.1.1 The Think Nudge and Move Department in BIS spearheads the communication strategy of BIS and engagement with its diverse stakeholders such as Consumers, Industries, Govt. Depts.,

and Academia etc. It handles various consumer related activities such as awareness programmes, consumer protection, interaction with stakeholders of BIS, celebration of World Standards Day, BIS Foundation Day, National Consumers Day and World Consumer Rights Day.

7.1.2 The standards promotion activities for the year 2023-24 at a glance is given below:

S. No.	Activity	Figures
1	Standards Club Created	6828
2	Mentors Training Programmes (6857 Mentors trained)	127
3	SLCS Constituted	05
4	SLCS Meeting Conducted	11
5	Sensitization Programmes conducted for DLOs	153
6	Workshops/ Training Programmes held for State Govt. Depts.	32
7	Exposure visits for Students & Teachers	878
8	Exposure visits for Industries	62
9	Training Programmes/ Workshops/ Webinars with Licensee	88
10	Training Programmes/ Workshops/ Webinars with Industry/ Manufacturer/ Association(other than licensees)	49
11	Interactions held with COs/NGOs/VOs	21
12	RWAs sensitization programme held	59
13	Quality connect campaign conducted i) More than 2.8 lakh Students, 8000 Traders, 1.16 lakh household connected (on WSD 23) ii) More than 2.3 lakh students connected (on WCRD 2024)	02
14	Lesson plans on Learning Science via Standards published	42
15	GP sensitization programs held (161884 Gram panchayat presidents sensitized)	2619
16	Standard club activities held	7701
17	National level quiz conducted	05
17	KRP training program conducted under LSVS initiative (More than 190 RPs' trained)	03

7.1.3 A comprehensive module by the title Standards Promotion Portal is in place which caters to the stakeholder engagement activities of BIS. This has enabled digitisation of records and reports related to such activities. The portal also features an option for Consumer Organisations / Non-Government Organisations / Voluntary Organisations to register their organisations with BIS and collaborate in activities of

Standards Promotion and Consumer Engagement. In the current financial year, Gram Panchayat portal has also been created to interact with Gram Panchayat functionaries.

7.1.4 Standards Clubs

7.1.4.1 BIS, with the aim to create awareness about the significance of standards among the young minds who



would, in near future, assume the roles of one or more stakeholders of the quality ecosystem, envisaged the creation of Standards Clubs in Schools and Colleges.

7.1.4.2 Through concerted efforts, 6828 Standards Clubs were formed in 2023-24 taking the total no of Standards clubs to **10084**. The Standards Clubs pan India have more than 2.95 Lakh students as members at present.

7.1.4.3 Each Standard Club is encouraged to undertake varied activities during the academic years such as Awareness Programme on Standards and Quality, Standards Writing Competition and other Competitions on Standards and Quality including Quiz, Essay Writing and Debate etc. Financial support for three activities per year per Standards Club is being provided by BIS. In order to streamline this process

of formation and operation of Standards Club pan India, detailed guidelines have been issued by BIS.

7.1.4.4 To ensure that Standards Clubs work in the right direction to achieve the intended objectives, BIS has continually organized two-day residential training programmes for the Mentors of Standards Clubs. In 2023-2024, BOs have conducted 127 mentors training programmes and trained 6857 mentors.

7.1.4.5 The activities to be conducted in the Standards Clubs are essential for keeping the clubs active in future and to achieve the targeted goal of imparting standardisation and quality ecosystem in the country at a very young age. More than 7700 Standards clubs activities have been conducted.





7.1.4.6 Activities like Inaugural of clubs, Essay Writing, Quiz Competition, Debates, etc. were also conducted during the last financial year 2023 -2024 apart from the Standard Writing Competitions. With this the Standards Clubs have become doors of quality and knowledge in educational institutions.

7.1.5 Learning Science via Standards

7.1.5.1 One of the new initiatives is promoting science education through the use of standards. The initiative, called “Learning Science via Standards,” aims to help students understand the practical application of science concepts and laws applicable in designing, functioning, manufacturing, and testing of different day to day use products and the requirements stated in the relevant Indian Standards.



7.1.5.2 Under this initiative, Lesson Plans are made as an educational tool for the students of schools and colleges and at the same time creating a conducive environment for acceptance of Standards. Lesson Plans are simple to understand scientific concepts explained based on their application in regular products in use. Students would be imparted with knowledge on the school curriculum and also with scientific details on the products they use in their daily lives.

7.1.5.3 BIS officials and resource personnel will transact lesson plans on different products linking the applicable concepts and laws of science with the Indian Standards during the standards club activities. This would be an additional benefit for the schools having formed Standard Clubs as an interactive learning experience. These lesson plans are available on the online platform of BIS in text format and video lectures.





7.1.6 Exposure Visits

7.1.6.1 Going by the phrase that *Seeing is Believing*, BIS has initiated the concept of exposure visits for industry and academia to enhance their quality consciousness. The exposure visits comprise bringing the industry and students to BIS offices and laboratories which have been developed as learning spaces.

7.1.6.2 The visits to the laboratories provide the opportunity to the visitors to see the infrastructure and testing facilities available in BIS and BIS recognised labs and also witness testing in progress. Opportunities are also offered to students of educational institutions to visit industries for witnessing the manufacturing processes and in-house testing of the products of the manufacturers.

7.1.6.3 BIS also recognises the importance of exposure visits of industries representatives which imparts knowledge of emerging technology & advanced testing method exchange among the industries and BIS laboratories. The exposure visit is being used as a tool to achieve the above-mentioned goal.

Following are the figures of the Exposure Visit conducted (2023-24):

Exposure visits		
1	Total no. of exposure visits for Students & Teachers	878
2	Total no. of exposure visits for Industries	62

7.1.7 Sensitization Programme for District Level Officers and State Govt. Depts.

State and District Level Offices have been identified as major stakeholders for adoption of Standards relevant to their respective fields. BIS had identified a department-wise list of Standards as relevant to them. In order to enable them to access and adopt the various Standards in implementation of Govt. programs & schemes, sensitization workshops were conducted for District Level Officers and other State Government Departments, for example PWD, Agriculture, Irrigation, etc. The training programmes covered detailed presentations on Standards and Quality Ecosystem, activities of BIS, features of BIS website, portals, BIS Care app and also sector specific list of major standards. As on date total 648 nos. of districts are covered across the country for District Level Officials sensitization programmes.





7.1.8 Quality Connect Campaign

7.1.8.1 Consumers are the ultimate beneficiaries of all activities of BIS which are aimed to ensure that the products and services used by the consumers are safe as well as meeting the desired levels of quality as defined under the respective national standards. One of the recent BIS initiatives is the “Quality Connect Campaign”, which are undertaken to educate consumers on the importance of standards and promoting the use of quality products and services. The campaign involves door-to-door personal contact by the youth volunteers (called as the Manak Mitra) with the households, showing them the consumer-centric information, which have been made available on the various digital platforms.

7.1.8.2 The “Quality Connect Campaign 4.0” was launched on the occasion of World Standards Day in October 2023. More than 15000 volunteers took part in the Campaign and connected 1.16 lakh households, more than 2.8 lakh students and more than 8000

traders all over the country through the network of BIS Branch Offices.

7.1.8.3 The fifth round of Quality connect campaign 5.0 was launched on occasion of ‘World Consumer Rights Day’ i.e. on 15th March 2024, where more than 15000 Manak Mitras participated and covered more than 2.3 lakh college students. Manak Mitras visited more than 500 Prominent Educational Institutions across the country.





7.1.8.4 Consumer Organizations/ NGOs engaged by BIS provided the support to campaign in identifying and mobilizing volunteers (Manak Mitra), training Manak Mitra for Quality Connect Campaign, providing guidance and support during the campaign, conducting flagging off event at prominent places and also participated as Manak Mitra.



7.1.9 Tender/RFPs Scrutiny

The role of the central/State Govt. departments as organized consumer assumes greater significance as they are engaged in the procurement of various products/services as part of implementation of Government programme/schemes. Govt. departments by adhering to standards and procuring goods and services conforming to standards can ensure development of quality and safe infrastructure in country.

BIS Branch Offices therefore regularly scrutinized the Tenders/RFPs issued by the various procurements' agencies of the Central/State Govts. Instances where discrepancies were observed after scrutiny were promptly communicated to the concerned Departments and Procurement Agencies to include/ensure mandatory compliance with relevant Indian Standards while preparing Requests for Proposals or Tender documents and to insist on supply of BIS-certified goods only. Even for procurement through GeM Portal, the procurement agency was requested for

ensuring procurement of BIS-certified products only. BIS certification should necessarily be chosen as a "Golden Parameter" in the GeM portal in case of product is covered under mandatory BIS certification.

In cases where an Indian Standard for a product under consideration for procurement does not exist, Central/State departments were informed that they can approach BIS for the formulation of the relevant standards in a time-bound manner. The central/State departments can also give their suggestions/technical comments on the existing/ draft standards if any through BIS portals.

There were instances where the products sought under procurement are covered under an existing Indian Standard but potential bidders/suppliers were not offering BIS-certified products owing to the absence of BIS licensed manufacturers. In such cases, Procurement agencies were requested to still ask for BIS- certified products as the BIS certification process is efficient and manufacturers interested in supply of such products can seek BIS certification within a short time.

During 2023-24, a total 2072 nos. of Tenders/RFPs reviewed and 123 nos. of issue raised to the tender issuing departments by the various Branch Offices.

7.1.10 State Level Committee on Standardisation (SLCS)

7.1.10.1 State Level Committees on Standardisation (SLCS) act as an effective mechanism for ensuring active involvement of States/UTs in the formulation and use of Standards which *inter-alia* helps in protecting the interest of consumers and strengthening the Quality ecosystem in the country.

7.1.10.2 Terms of Reference for State Level Committee on Standardisation reconstituted are as follows:



Identifying areas for the formulation of new Indian Standards.



Identifying products, processes and systems for enforcing compliance with Indian Standards



Measures for effective implementation of Quality Control Orders (QCA) issues by Govt. of India.



Measures for awareness generation among consumers regarding Standards.



Any other activity to create a robust quality eco-system in the State.

7.1.10.3 In 2023-24, a total of 05 SLCS in 05 States / UTs have been re-constituted and a total 11 nos. of SLCS meetings conducted in the states of Odisha, Jharkhand, West Bengal, Sikkim, Bihar, Himachal Pradesh, Haryana, Karnataka, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands and Maharashtra. As on 31st March 2024, a total 35 nos. of SLCS constituted and 23 nos. of SLCS committee meeting were conducted.





7.1.11 Manak Manch

An online digital photo/video gallery, Manak Manch, has been developed for displaying the photos/videos captured during the meetings or activities pertaining to Standards Promotion. Manak Manch is our one stop destination to view the photos/videos of different types of Standard Promotion Activities conducted by our offices. Branch offices, Regional Offices, Laboratories, NITS and Departments at HQ can post photos and videos of the activities under following heads using their BIS Intranet login:

- i. Standard Club Activity
- ii. Exposure Visits
- iii. Training Programmes for Govt. officials
- iv. Meeting with licensees or industry
- v. Awareness Generation Programmes
- vi. Any other Activity

7.1.12 Meeting with Licensees / Industry Associations

7.1.12.1 BIS, Branch offices are the spearhead of various Certification Schemes of BIS which are dynamic in nature and

require continuous engagement with Licensee/Industry association.

7.1.12.2 A regular meeting with licensee/ Industry Association helps to ensure that they are aware of any changes that may impact their business and is also a valuable way to gain feedback and input on schemes. This can help to identify areas for improvement and can also help to build a stronger relationship with Licensee & industries. During the year, BIS has introduced many online features for certification activity under its Manakonline Portal. In order to apprise all these changes in the Standard, the SIT, and the certification processes, BIS regularly conducts meetings with licensees either in general or with specific product category sectors.

7.1.12.3 Although the BIS conformity assessment scheme is voluntary in nature, many products are brought under mandatory certification by the government keeping in view the health and safety of consumers and aspects of national interest.

7.1.12.4 In order to facilitate industry, implement the standards, and come forward for seeking the certification, product specific meetings are held with manufacturers and industry associations.

Meetings / Programmes / Webinars with Industry in 2023-24		
(i)	Training Programmes/ Workshops/ Webinars with Licensee	88
(ii)	Training Programmes/ Workshops/ Webinars with Industry/ Manufacturer/ Association	49



7.1.13 Awareness Programmes for Consumers

7.1.13.1 BIS has aggressively started engaging Consumers through various awareness programs and sessions. During such programs, the consumers are addressed on various topics related to standards while buying a product, and are introduced to BIS and activities of BIS like Standardisation, Conformity Assessment, Hallmarking, Registration, Foreign Manufacturers Certification Scheme, Management System Certification Scheme, Training, Consumer Protection, and complaint handling procedures, etc.

7.1.13.2 The Standard Promotion Officers reach out to the Consumer/Consumer Organisations and brief them about the Importance of Standards, ISI-marked products, Information regarding Hallmarking, brief information regarding agricultural machinery, fertilisers,

pesticides, pipes, and related products, cattle feeds, etc., and their availability with BIS Standard Mark. More than 300 such interactions were held with Consumers/ RWA/ NGOs/VOs during 2023-24.

7.1.13.3 On the occasion of World Consumer Rights Day, 2024, Quality Connect Campaign 5.0 was launched across the country from 25th Feb 2024 in the youth to youth connect format of the campaign where College students were sensitized by youth volunteers called as ManakMitra.

7.1.14 MAJOR EVENTS UNDERTAKEN DURING 2023-24

7.1.14.1 World Standards Day 2023

7.1.14.1.1 World Standards Day is celebrated on 14th October every year to acknowledge the collaborative efforts of the thousands of experts involved worldwide in standardization and ruminate on the future path.

7.1.14.1.2 The theme for WSD 23 was “Shared Vision For a Better World: Standards for SDGs”. All the Regional and Branch Offices (ROs and BOs) of BIS celebrated World Standards Day with great enthusiasm across the country. Many activities were conducted by the ROs/BOs for spreading the message of Quality & Standards spanning two weeks before and after 14th October 2023. World Standards Day, 2023 was celebrated at Bharat Mandapam, ITPO in New Delhi in the evening of October 13, 2023 in the august presence of Shri Piyush Goyal, Union Minister for Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles and Shri Ashwani Kumar Choubey, Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Environment, Forest and Climate Change.

7.1.14.1.3 The event was attended by more than 1200 diverse distinguished dignitaries and guests like the officials of DoCA and other Ministries, various industries & their associations, Licensees, Laboratories Personals, Mentors & Students from BIS standards club, press personnel, BIS officials & staff, ex-BIS officers etc. On the occasion



of World Standards Day 2023 celebration, Bureau of Indian Standards (BIS) unveiled the first video lesson plan, focusing on the topic of 'LPG Cylinders'.

7.1.14.1.4 ROs & BOs separately organized the Manak Mahotsav Programme with dignitaries like Members of Parliament, Members of Legislative Assembly, GC & EC members of BIS, Vice Chancellors of Eminent Universities, Govt. official, Managing Directors of prominent Industries etc. gracing the occasion. The Day long programs organized across the country started with recital of Manak Geet and display of message from Director General of BIS on the topic of "Stand for Standards". Furthermore, Technical discussion sessions were also organized by the BOs. Various activities were organized for Students of Standards Clubs such as Quiz Competitions, Transacting Lesson Plans developed under the initiative Learning Science via Standards etc. Nukkad Natak and other cultural activities were also performed by the students during these events. Many BOs felicitated Govt. officials, Mentors, Members of Resource Support Team and Long-Standing Licensee who had supported the BIS initiatives during the event.

7.1.14.1.5 Fourth round Quality Connect Campaign wherein all the three segments of campaign viz. Youth to Youth Connect, Trader Connect and Household Connect were held simultaneously was also conducted across the country.

7.1.14.1.6 BOs also conducted Market Survey in Non-hallmarking districts and sensitization programs for Gram Panchayat Presidents and Secretaries on the use of Standards and certified products to mark the occasion. Total of 99 programmes were held sensitizing more than 3000 GPs across the country. Hqrs./ROs/BOs extensively advertised about the event through News Prints, Hoarding and also via Radio jingles. The WSD event at Bharat mandapam was live-streamed on YouTube and posted on Twitter to create awareness.





7.1.14.2 BIS Foundation Day 2024

7.1.14.2.1 BIS Foundation Day is observed in India on January 06th of every year. It commemorates the establishment of the Bureau of Indian Standards (BIS) and its services to the Nation for developing and promoting standards for goods, services, processes, and systems.

7.1.14.2.2 On occasion of BIS Foundation Day, BIS in association with Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) organized an event “Dialogue for Strengthening Quality Eco-system in India” at Bharat Mandapam on 06th Jan 2024. The presidential address was given by Shri Piyush Goyal, Hon’ble Minister of Commerce & Industries, Consumers Affairs, Food & Public Distribution and Textile and special address was given by Shri Rajesh Kumar Singh, Secretary Dept. of Promotion of Industry and Internal Trade and Shri Ashwini Kumar Choubey, Hon’ble Minister of State of Consumer Affairs, Environment and Climate Change.

7.1.14.2.3 During the event, major initiatives of BIS were launched by Hon’ble Minister such as release of Standardized development and Building Regulation (SP 73: 2023), video on the Sensitization of Gram Panchayat Members and video on Standards Promotion Films. Furthermore, technical sessions were conducted on Strengthening Quality Ecosystem in India through QCOs and through Standardization in the emerging fields by leading Industry Association personnels and consultants. Delegates



including experts from diverse fields related to standardization, policymakers, industry professionals, consumer groups, academicians, representatives of various Industries, associations, leading manufacturers, traders, special invitees and representatives from the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and DPIIT, also participated in the event.

7.1.14.2.4 At ROs/BOs level, BIS foundation day was celebrated by organizing various programs in Standards Clubs, competitions such as Standard Writing Competition, Quiz, speech and street play (NukadNatak). Many BIS licensees sponsored sports kits to few of the Standards Clubs and Student winners of RO level quiz were also felicitated during the day long event.

7.1.14.2.5 Various Large Scale Industries participated in the celebration of BIS foundation day by organizing events and displaying the banners reflecting their continued support towards compliance to standards at their units.



7.1.14.3 World Consumer Rights Day 2024

7.1.14.3.1 World Consumer Rights Day is observed on March 15th every year. It is a day to raise awareness about the rights of consumers and to advocate for better protections for consumers around the world.

7.1.14.3.2 The Bureau of Indian Standards like every year celebrated the event with great enthusiasm at Hqrs, ROs & BOs level on 15th Mar 2024. On this occasion an event was held on 15th March 2023 at Thakur Auditorium, Mumbai by DoCA in collaboration with BIS. Shri Piyush Goyal, Hon'ble Union Minister for Commerce & Industry, Consumer Affairs, and Food & Public Distribution, and Textiles presided

over the event. This year's theme, "Fair and responsible AI for consumers," aimed to explore the ethical implications of AI in consumer services. Event was attended by Principal Secretaries (Consumer Affair Department) President Members of the SCDRCs & President of DCDRCs & other Govt. officers of all the States/UTs along with prominent VCOs & Industry Association of the country. The event featured keynote addresses, panel discussions, and interactive sessions

7.1.14.3.3 BIS also organized a National level quiz competition on Quality and Standards on the occasion of WCRD 2024. At ROs/BOs level Quality Connect Campaign 5.0 was launched on 5th March 2024. During the campaign more than 15000 Manak Mitra engaged by various BOs pan India covered more than 2.3 lakhs college students and made them aware about BIS activities and Quality ecosystem. Manak Manthan Programmes for new and revised Indian Standards Presidents who have actively contributed to Standards Promotion Activities in Day long programmes organized by BOs on the occasion of WCRD 2024.

7.1.14.3.4 Brand visibility was enhanced by installation of Outdoor hoardings and Billboards at prominent locations across the city; wrap branding on BUS and Flex branding on Taxi / Autos etc.



7.1.15 NEW INITIATIVES

7.1.15.1 Gram Panchayat Sensitization

7.1.15.1.1 The Bureau of Indian Standards (BIS) has embarked on a mission to create awareness and promote compliance with Indian standards at the grassroots level. In an endeavour to ensure the effective implementation of government programs and schemes in villages, BIS has undertaken a comprehensive initiative to sensitize Gram Panchayat Presidents and Secretaries across the country.

7.1.15.1.2 The primary objective of this initiative is to instil an understanding of the significance of adhering to Indian Standards among Gram Panchayats and ensuring compliance to these standards while implementing government programs and schemes at the village level. It aims to promote the culture of standardization and benefits of using products conforming to Indian Standards among Gram Panchayats, who play a crucial role in the execution of various government initiatives at the grassroots level.

7.1.15.1.3 Under this initiative more than 2.5 lakh letters along with a booklet (in bilingual) containing the details of important Indian Standards were sent to the gram panchayat across the country. BIS issued the guidelines for engaging NGOs for conducting such sensitization programmes. Further, training programs for Presidents and Secretaries of Gram Panchayats are being held at block and district levels through the nation-wide network of 38 BIS Branch Offices. A total of 161884 Gram Panchayats have been sensitized across the country.





7.1.15.2 National Level Quiz

7.1.15.2.1 BIS has started a new initiative wherein Quiz is Conducted at National Level. This BIS initiative is expected to foster a sense of awareness and appreciation for quality and standards among citizens of all ages.

7.1.15.2.2 In the month of August 2023, BIS conducted an online quiz on 'Quality & Standards' on Mygov from August 15th, 2023 to August 31st, 2023, for Indian citizens on various topics related to BIS, its related activities, Quality and standardization. This quiz was designed for increasing the awareness about BIS and its role in promoting the importance of quality and standards in the society. More than 30000 citizens across the country participated in this quiz, making it a grand success. The top 100 participants were awarded a prize of Rs. 2,000 each.

7.1.15.2.3 Second round of Quiz Competitions were conducted specifically for the Students members of Standards Club on occasion of WSD 23 on 02 October 2023. The top 50 student members received cash rewards as prizes.

7.1.15.2.4 The third round of Quiz Competitions was held as part of the celebrations for BIS Foundation Day 2024 for the Student members of the Standards Club. The Multilevel Quiz consisted of two phases, with the first phase taking place on 09 December 2023 at the Regional Office Level. Over 15,500 Student Members from 896 schools participated in this phase. The top 200 Student Members from each of the 5 Regional Offices received cash rewards as prize money. The second phase of the

competition was conducted on 23 December 2023 for the winners of Student Members from the first phase. A total of 1000 Student Members participated from the 5 Regional Offices, with the top 100 Student Members receiving cash rewards as prizes.

7.1.15.2.5 A National Level Quiz was organized on My Gov Portal on the occasion of World Consumer Rights Day on 15 March 2024. More than 42,000 people participated. The top 50 received cash rewards as prizes.

7.2 Public Grievances

BIS received a number of complaints related to quality of BIS certified products, unauthorized use of BIS Standard Mark, Violation of Quality Control Orders etc. All these complaints are handled as per well-established complaints redressal procedure. BIS CARE Mobile App and Standards Promotion Portal of BIS are already functional that facilitate better monitoring of complaints and enable consumers to lodge their complaints in an easier and faster way without any hassles. BIS CARE App also enables users to verify details of Licensed Manufacturers/Registered Manufacturers by simply entering license/registration number of the manufacturer. During the year, 4232 complaints related to quality of BIS certified products, unauthorized use of BIS Standard Mark, Violation of Quality Control Orders etc. were received and 504 complaints were redressed. 3728 complaints were summarily returned during the year. As on date, 158 complaints of these categories are under investigation at different stages under different Regional and Branch Offices of the Bureau. In addition, BIS had also redressed 268 grievances received through CPGRAMS portal during the year with an average redressal time of 23 days.

7.3 Enforcement

BIS Standard Marks are marks of quality and trust. Through its network of Regional and Branch Offices, BIS conducts enforcement activity to curb unauthorized use of BIS Standard Mark and violation of Quality Control Orders by unscrupulous manufacturers/sellers/importers etc. During the year, BIS carried out 159 Search

& Seizure operations at the premises of manufacturers/sellers/importers etc., for violation of BIS Act, 2016. Press releases in the leading dailies and social media with a view to give wide publicity and creating awareness among the consumers were also issued by BIS offices. Efforts were also made to timely launch prosecution in respective Courts of Law for violation of provisions of BIS Act, 2016.

8 HINDI

The Bureau of Indian Standards is an organization who is wary about official language policy set by the Government of India for the promotion and dissemination of Hindi language. The Hindi Department of the Bureau of Indian Standards is actively working towards ensuring compliance with the official language policy in various departments and offices of BIS. The Bureau of Indian Standards undertook the following initiatives during the mentioned period to ensure the implementation of all rules, regulations, directives, and instructions related to the official language issued by the Department of Official Language and to promote the progressive use of Hindi.

8.1 Hindi implementation

- The annual program for the year 2023-24 was issued by the Department of Official Language to all regional/branch offices, including the Headquarter of the Bureau of Indian Standards in April 2023, with instructions for compliance.
- The Official Language Implementation Committee of Headquarter and all regional and branch offices held all four quarterly meetings on time at regular intervals. The Hindi progress report for the four quarters was sent online to the Ministry and Regional Implementation Office on time.
- During this period 76 Hindi workshops were organized at the Headquarter and various regional and branch offices in which almost all officers and employees participated.
- Various regional offices, including the

Headquarter of the BIS, continued the implementation of all government official language promotion schemes such as the cash incentive scheme for Hindi noting and drafting and the Rajbhasha Shield.

- Official language inspections were conducted for a total of 10 offices, including 2 regional and 8 branch offices by the Headquarter and actions were taken based on their reports.
- The agenda for the meeting of the Hindi Advisory Committee, held in Andaman Nicobar Islands on October 13, 2023, was prepared and sent to the Ministry along with the Hindi work report.
- Two half-yearly progress reports were submitted on time to the Town Official Language Committee.

8.2 Hindi Fortnight

- Hindi Fortnight was organized at the Bureau Headquarter from 16 September to 29 September 2023, during which 7 Hindi-related competitions were organized. Ten winners were awarded in the Hindi Noting Drafting Scheme. A maximum of 14 departments participated in the Rajbhasha Shield Competition organized at the Headquarter with 7 departments were awarded under Rajbhasha Shield Competition.
- Prizes were awarded to Forty-five winners of these competitions in the ceremony held at the Headquarter on 29 September 2023 under the chairmanship of the Director General. Hindi Fortnight was celebrated in all regional offices and branch offices of the Bureau as per instructions.

8.3 Training

- Under Hindi language training total of 15 employees received training. Among them, 9 employees were trained in Hindi 'Parangat' course, 2 employees were trained in 'Pragya' Course, and 4 employees were trained in 'Prabodh' Course under Hindi language training Programme.

8.4 Hindi Books

- Hindi Books of Rs. 30,548/- were purchased as per the target fixed by the Department of Official Language during the year 2023-24 and the information of the newly purchase Hindi books was also circulated.

8.5 Inspection of Parliamentary Committee on Official Language and other meetings.

- During this period the second sub-committee of the Parliamentary Official Language Committee conducted official language inspections at 10 offices of BIS. The Headquarter, Eastern Regional Office Kolkata, Northern Regional Laboratory Mohali, as well as branch offices in Nagpur, Lucknow, Dehradun, Vijayawada, Hubli, and Rajkot. Were Inspected by the Committee.
- The Headquarter inspection took place on May 15, 2023. BIS was assigned as coordinator for the Parliamentary Official Language Inspection, inspection which was efficiently managed by the Hindi Department. The Committee appreciated the progressive use of Hindi in these offices. The Committee's assurances were duly followed up, and its report was submitted to the Committee Secretariat.
- Participated as members in 2 online half-yearly meetings of the Town Official Language Committee in Delhi.
- Attended the meeting of the Hindi Advisory Committee of the Ministry held at Havelock, Andaman and Nicobar Islands on October 13, 2023.

8.6 Standard Translation and General Translation

- During the above mentioned period 985 titles of the standards were made bilingual. The content of 'Standard of the Month' and 'Standard Of The Week' are also being translated every month to host On BIS website.

- Besides standards translation, BIS also translated approximately 1564 pages of Proformas, Hallmarking material, material of World Standard Day, Tender Notices, Gazette Notifications, International agreement, Parliamentary questionnaire, hallmarking booklets and FAQ's, material of World Consumer Day, recruitment advertisements, BIS talks received from CAD department, Correction in Hallmarking regulation of BIS and Agenda & Minutes of Governing council meetings and training material etc. received from different departments of BIS.
- To expedite the translation of standards, BIS has outsourced the Hindi translation of Indian Standards to two external translation agencies on a contract basis. During the aforementioned period 144 Indian Standards were translated. Out of these, approximately 50 translated Indian Standards have been uploaded and work is underway to upload the remaining translated standards.

8.7 Organizing Hindi Kavi Sammelan, Workshops and Interaction program

- On the occasion of International Yoga Day, a lecture session was organized at the Headquarter on June 21, 2023.
- On International Mother Tongue Day, February 21, 2024 a Hindi Paragraph Writing Competition was organized at the Headquarter.
- A special lecture session was organized on International Mother Tongue Day, held on February 21, 2024
- To enhance the implementation of Official Language Hindi at the Headquarter, a 'Rajbhasha Manch' was established. Under the activities of the Rajbhasha Manch, discussion programme were organized with 7 departments: including Kolkata HRD, PR, FAD, CED, MTD, Tactical, CMD-1.
- The Eastern Regional Office published an in-house magazine named 'Manak

Jyoti'. This magazine was released by the Honourable Members of the Second Sub-Committee of the Parliamentary Official Language Committee on December 27, 2023 during Inspection meeting.

- Shri Ved Prakash Head Mohali, Lab and Scientist-E was honoured with Second Prize for his lecture in Hindi on Scientific topic. In the Seminar Organized by Town Official Language Committee-2, Chandigarh on 30th January 20









9 Information Technology Services

In line with the Government of India's vision of Digital India, BIS is making concerted efforts for digitizing its activities. As a part of this endeavor, following initiatives have been undertaken:

- a) **Facilitation Centre:** The Facilitation Centre was launched by the Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and Textile, GoI during World Standards Day Celebrations on 13/10/2023. The Facilitation Centre has been setup for addressing & resolving the queries of concerned stakeholders. The Facilitation Centre services are available on Toll-Free number 1800-11-1206.
- b) **Management Systems Certification Scheme (MSCS) portal:** The revamped portal of Management Systems Certification (MSC) was launched by the Hon'ble Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, GoI during World

Consumers Day Celebrations on 14/03/2023. The revamped portal highlights the award of management systems licenses to our new partners in quality endeavour, upcoming events/ training programmes, case studies, guidelines, circulars, notifications, etc. Further, it provides real-time details of the applications/licenses.

- c) **Training Portal:** The revamped portal of Training was launched by the Hon'ble Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, GoI during World Consumers Day Celebrations on 14/03/2023. The revamped portal facilitates stake holders to view the upcoming training programmes, analyse the completed training programmes, get virtual experience of NITS premises through video/photo gallery, view feedbacks from other participants and subsequently apply in ascheduled training programme or a customized programme. Further, it facilitates subject matter experts to become faculty at NITS.

d) Web Portal for Conformity Assessment Schemes of BIS:

- i) The conformity assessment portal enables domestic manufacturers to apply for grant of licence for use of Standard Mark (ISI) on their products, renewal of such licences, inclusion in the scope of variety and submission of payment, refunds through simplified online means. BIS can process these requests and communicate their decision online, and facilitate real time tracking of the applications by our stakeholders
- ii) Elastic Dashboard for internal employees of BIS has been developed by ITSD.
- iii) The portal has also been integrated with GeM for ensuring that only genuine license manufacturers are able to show their products on these portals.
- iv) The conformity assessment portal for foreign manufacturers has been developed by CDAC and available on UAT.

e) Standards Management Software: A software is in operation to manage the Standard Formulation activity of BIS. This software automates all the stages involved in the formulation of standards and their amendments. This portal was enhanced to add new/enhanced features like “Annual Rolling plan”, “Manak Manthan”, “Annual Meeting Calendar”, “Standardization Cells” Journals & Magazines”, “Weekly Standards Bulletin”, “Review of Standards”, “Manak manthan”, “Research & Development”, “New-look public dashboard of Standards portal”, “Resolution of Meetings”, “Academic Dashboard”etc.

f) Standards Promotion Portal: A dedicated portal is in place to cater to

the management and monitoring of Standard Promotion Activities of BIS. The portal facilitates reporting of Standard Promotion Activities, Management of Quality Connect Campaigns, Standards Club Registrations, Standards Club Membership Management, Standards Club Activities Management, etc.

g) New Standards Portal: An Agency (M/s CSM Technologies Private Limited, Bhubaneswar) has been engaged to build the new Standards Portal.

h) Complaints Portal: A dedicated portal is in place to receive and process complaints. This enables convenience to users by providing a 24x7 system to register their complaints and a robust monitoring tool for BIS to effectively track the complaints and their status. The Complaints system has also been integrated with the National Consumer Helpline and UMANG Platform for wider accessibility.

i) Recruitment Portal: A portal was made live for recruitment of Scientist-B and engagement of Management Executives, Young Professionals & Graduate Engineer Trainees in BIS. The portal facilitates online receipts of applications, preparation of merit list, scheduling of interviews etc.

j) Website for the 44th ISO/COPOLCO Plenary 2023: A special website was launched for the 44thISO/COPOLCO Plenary 2023 held during 22-26 May 2023 in New Delhi. The websitedisseminated information regarding ISO/COPOLCO plenary, registration process, visa, hotels, contactpoints,etc.

k) BIS CARE App: The BIS CARE App facilitates stake holders to verify authenticity of I Smark, Registered Jewellers and marked electronic goods under Compulsory Registration Scheme (CRS) alongwith facility to submit their complaints. The app is now available in 10 regional languages. The features of the app are also made



available on UMANG platform for wider reach. Further, the app has crossed 6 million downloads across all platforms.

- l) **International Relations (IR) Portal:** An agency was onboarded through GeM to develop a portal catering to the activities pertaining to International Relations being carried out by BIS. The initial phase of IR Portal has been made operational to facilitate receiving proposals for delegates for International meetings, balloting on International Standards/Proposals/Projects, new work items, etc.
- m) **Portal for Gram Panchayats:** A portal for Gram Panchayats was developed and deployed as part of Standards Promotion Portal. The portal provides one stop platform for Gram Panchayats to access standards relevant to GPs, share stories, share good practices and to connect with BIS. A consolidated data of GPs was also compiled for communication with them on relevant subjects.
- n) **Web portal for Jewelers:** Jewelers can apply for a license through the portal. Subsequently, they have the option to send their jewelry pieces for hallmarking to recognize AHCs directly through the same portal.
- o) **Web portal for AHC:**
 - i) Assaying and Hallmarking Center (AHCs) have the facility to apply for a license to carry out hallmarking work via the dedicated web portal.
 - ii) Assaying and Hallmarking Center (AHCs) have the provision to do the hallmarking of articles whose request has been arrived from jeweller and upon job done they can share the delivery report from the portal and send the article back to jeweller.
- p) **Standards Analytical Report:** Standards analytical reports have been

made live to present insights and findings derived from the data analytics of Indian Standards data. Data visualization such as charts and graphs are also used to effectively present the patterns, trends, and relationships in the data. Purpose of development of these reports is to help BIS make informed decisions, optimize processes, and identify trends.

- q) **Prayas Portal:** Addition of a new KPI - 'Number of Hallmarked Gold Articles' in the PRAYAS portal. The relevant data is being shared from BIS portal (e-BIS portal) through an API on a monthly basis (Frequency: Monthly), displaying the monthly data of centrally hallmarked gold articles. PRAYAS dashboard is displaying the following 6 KPI's:

- i) No. of Published Standards (Scope: National Level, Frequency: Daily)
- ii) No. of Licences of Product Certification (Scope: District Level, Frequency: Daily)
- iii) No. of Gold Jewellers Registered (Scope: District Level, Frequency: Daily)
- iv) No. of Silver Jewellers Registered (Scope: District Level, Frequency: Daily)
- v) No. of Assaying & Hallmarking Centers Recognised (Scope: District Level, Frequency: Daily)
- vi) No. of Hallmarked Gold Articles (Scope: National Level, Frequency: Monthly)

10 PROJECT MANAGEMENT & WORKS

The works relating to construction of new office buildings and utilities for BIS Offices, renovation and major repair works in existing buildings and utilities, and operation and maintenance of utilities are undertaken by Project Management and Works Department

NEW BUILDING / UTILITIES CONSTRUCTION PROJECTS	RENOVATION AND MODERNIZATION PROJECTS	OTHER INITIATIVES									
1. Purchase of Land parcels No land parcel was purchased in the year 2023-24.	1. Modernization of Training Halls at NITS, Noida Work of modernization of Training Halls at Noida commenced on 30 Oct 2023. The works are in progress and expected to be completed by July 2024.	1. Green Initiative – Solar Power Projects During the financial year 2023-24, following were the energy savings from Rooftop Solar Power Plants and gains made from net metering systems installed at BIS HQ, New Delhi (100 kW), SRO Lab Chennai (100 kW), WRO Mumbai (40 kW), NITS Noida (50 kW), Hyderabad Branch Office (40 kW), ERO & ERO Lab, Kolkata (64.4 kW): <table><tr><td>Total Installed Capacity (kW)</td><td>394.4</td></tr><tr><td>Energy generated in 2023-24 (in MWh)</td><td>199.309</td></tr><tr><td>Energy savings in 2023-24 (in Rs)</td><td>16,39,380.23</td></tr><tr><td>Gains from net metering (in Rs)</td><td>32,63,119.78</td></tr></table>		Total Installed Capacity (kW)	394.4	Energy generated in 2023-24 (in MWh)	199.309	Energy savings in 2023-24 (in Rs)	16,39,380.23	Gains from net metering (in Rs)	32,63,119.78
Total Installed Capacity (kW)	394.4										
Energy generated in 2023-24 (in MWh)	199.309										
Energy savings in 2023-24 (in Rs)	16,39,380.23										
Gains from net metering (in Rs)	32,63,119.78										
2. Construction of New Buildings No new building was constructed in the year 2023-24.	2. Redevelopment of Parking Area around Staff Quarters of Manakalaya at BIS Hq, New Delhi Project of the redevelopment of parking area around staff quarters of Manakalaya commenced in Oct 2023 and was completed in Feb 2024.	2. Accessibility Initiative – Making all BIS owned buildings accessible to persons with disabilities under Accessibility India Campaign In accordance with the guidelines issued by the Ministry of Social Justice & Empowerment, GoI under Accessibility India Campaign, the ROs / BOs / Labs housed in buildings owned by BIS are in the process of making their buildings accessible for persons with disabilities.									
3. Setting up of new BOs at rented premises at Gandhidham a) Gandhidham Branch Office – A Branch office was set up in a rented building at Gandhidham.	3. Modernization and upgradation of various ROs/BOs and labs a) Southern Regional Laboratory, Chennai (SRL) – The Project of renovation of SRL commenced and is in progress.	3. Structural Assessment of Staff Quarters of Manakalaya Structural assessment of Staff Quarters of Manakalaya, in order to have an idea of the structural health, safety and stress conditions of its load bearing members, was carried out by engaging an expert external									

		agency. Detailed report of assessment containing the results of non-destructive tests and retrofitting measures has already been obtained.
	4. Renovation of one BIS flat in Kaushambi BIS has undertaken a Project for Renovation of one BIS flat in Kaushambi and the order for the goods required for the same was placed in Mar 2024.	

(PMWD) of BIS. The progress of various works under PMWD are as under:

11 VIGILANCE ACTIVITIES

11.1 Efforts made towards grant of ABMS Certification – a world-wide best practice on preventive vigilance

A) National Seminar on Anti - Bribery Management Systems (ABMS)

As a prelude to Vigilance Awareness Week 2023, a National Seminar was organized by the Bureau of Indian Standards, aimed at

creating awareness on the implementation of the globally relevant Anti - Bribery Management Systems (ABMS) as per IS/ISO 37001. The seminar took place on 13 September 2023 at the National Institute of Training for Standardization (NITS), Noida, which saw an august gathering of the CVOs, Vigilance Functionaries and senior officials of various organizations across the country. SJVN Limited was also felicitated during the event for receiving the ABMS certification from BIS. The ABMS certificate was received by Shri Prem Prakash, CVO, SJVN from Shri Pramod Kumar Tiwari, DG, BIS



B) The Bureau of Indian Standards (BIS) has conferred the Anti-Bribery Management System (ABMS) certification to Steel Authority of India Limited (SAIL) across all 94 locations, encompassing Integrated steel plants, mines, and Central Marketing Offices nationwide. To commemorate this achievement, SAIL organized a ceremony at its corporate office on

January 10, 2024. During the event, the ABMS certificates were officially handed over to SAIL's Chairman, Shri Amrendu Prakash, by Dr. R K Tyagi, Deputy Director General (DDG) of Central BIS, and Shri Ashish Tripathi, Chief Vigilance Officer (CVO) of BIS. The ceremony was attended by various Board members of SAIL, along with the CVO of SAIL. Additionally, the Assistant

Chief Vigilance Officers (ACVOs) from different SAIL units participated virtually. Dr. Tyagi commended the dedicated efforts of individuals from all SAIL units involved in securing the ABMS certification. Shri Tripathi emphasized the significance of ABMS certification in combating corruption through early detection and prevention. He underscored the global best practice standard IS/ISO 37001:2016. SAIL's Chairman, Shri Amrendu Prakash, extended his congratulations to the entire staff for achieving the distinction of being the first Maharatna PSU to receive ABMS certification. He also applauded the rigorous efforts of the Bureau of Indian Standards in conducting the necessary audits.

11.2 Sardar Patel Cricket Tournament BIS

In its endeavours towards Vigilance Awareness and fostering team spirit, BIS took a unique initiative by successfully organizing Sardar Patel Cricket Tournament on 06 Oct 2023. This first of its kind sporting event in the history of BIS organized by the Vigilance Department in line with CVC's directives, was played between four teams representing Standardization, Certification, Laboratory and A&F. The tournament was graced by Shri Pramod Kumar Tiwari, DG BIS; Shri Ashish Tripathi, CVO BIS; Shri HJS Pasricha, DDG (Certification); and Shri Vinod Kumar, DDG (Finance). "Team- Administration & Finance" lifted the first Sardar Patel Trophy in an entertaining final match, with "Team-Certification" ending as runners-up.





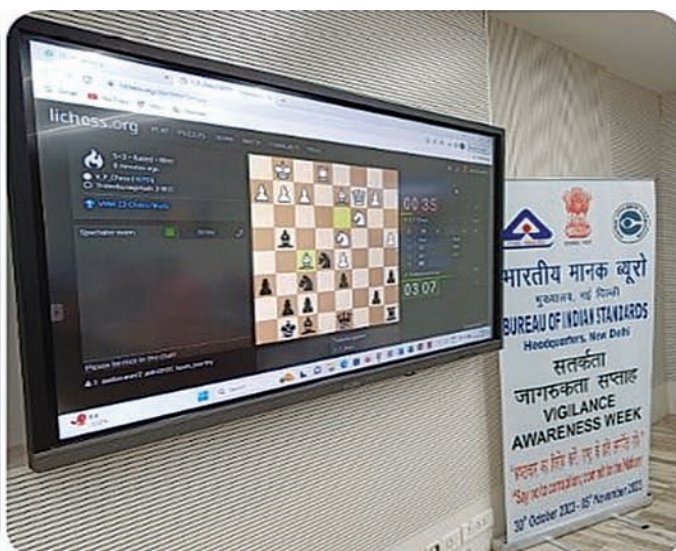
11.3 All India Online Chess Competition

Taking forward the symbolism of 'being vigilant' associated with the game of Chess, an All India Online Chess Competition was

organized through a popular website (<https://lichess.org/>) and was played by BIS employees across the country. Mr. Tridevboragohain from Guwahati Branch Laboratory of BIS won the Online Chess Competition.

V.P_Chess	Tridevboragohain	Shahryar07
Points: 4	Points: 5	Points: 3
Tie Break: 8	Tie Break: 14	Tie Break: 5.5
Performance: 1790	Performance: 1991	Performance: 1603

Q	H	H	1-9/9	H	H		
1	Tridevboragohain 1991	1	1	1	1	5	14
2	V.P_Chess 16947	1	1	0	1	4	9
3	Shahryar07 1420	1	0	1	0	3	5.5
4	debuma 1517	1	0	1	1	3	4
5	sikha10 1157	1/2	1	0	-	2.5	3
6	paawandindubme 1138	0	1	1	0	2	2.5
7	akhi3107 1462	0	0	1	1	2	2



11.4 Vig Eye Vani

CVO, BIS contributed as Editorial Team towards preparation of 2 articles on specific subject areas of '**Systemic Improvements & Updation of circulars/guidelines**' for publication in Central Vigilance Commission's (CVC) magazine "VigEye Vani" for the year 2024.

Central Vigilance Commission 3-months Campaign

As a precursor to Vigilance Awareness Week 2023, following activities were carried out during the 3-months campaign from 16th

August 2023 to 15th November 2023 as per CVC guidelines/ instructions:

- Awareness building about Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) Resolution** – All 34 Branch Offices, 05 Regional Offices and 06 Labs have displayed Banners on the theme of Vigilance Awareness Week 2023 alongwith PIDPI information. PIDPI Poster was translated into 11 regional languages (Tamil, Telugu, Malyalam, Kannada, Bangla, Oriya, Punjabi, Urdu, Assamese, Gujrati & Marathi).

- b. **Capacity Building Programs** – Under the Capacity Building Programme, officials were trained on Ethics and governance; Cyber hygiene and security; GeM and GFR; Lab Quality Management, Measurement Uncertainty, Inter Laboratory Comparison/ Proficiency Testing and Project and time management
- c. **Identification and implementation of Systemic Improvement measures** – Areas vulnerable to corruption were detected on the basis of analysis of past cases.
- d. **Leveraging of IT for complaint disposal** - Vigilance Portal of BIS was updated for lodging of complaints related to allegations of corruption on the part of officers/staff.

- e. **Updation of Circulars/ Guidelines/ Manuals** – 122 circulars/ guidelines were uploaded on BIS Intranet during the campaign period.

11.5 Vigilance Awareness Week 2023

Bureau of Indian Standards (BIS) observed Vigilance Awareness Week, 2023 from 30th October 2023 to 05th November 2023 on this year's theme “*भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें*” “*Say no to corruption; commit to the Nation*”, as informed by CVC.

Integrity Pledge administered to BIS officials by Director General, BIS - Marking the opening of Vigilance Awareness Week 2023 at BIS HQs, New Delhi, the Integrity Pledge was administered to all the officials of BIS by Shri Pramod Kumar Tiwari (IAS), Director General, BIS.



Walkathon - With the intent for creating vigilance awareness, a walkathon was organized at BIS Headquarters, New Delhi on 31 Oct 2023, which saw active participation by hundreds of officials and staff of BIS. The walkathon started from

Manak Bhawan and passed through Bahadur Shah Zafar Marg and Kotla Marg before culminating back at BIS HQs. Slogans, pamphlets and banners on this year's theme "Say no to corruption; commit to the Nation," were among the highlights of the event.



Quiz Competition - Like the preceding few years, one of the most popular and appreciated competitions, i.e., the Quiz Competition was conducted by Vigilance Department of BIS during VAW 2023. A total

of five teams from various departments of BIS HQs participated and competed for questions related to Vigilance and Disciplinary Procedures, CCS Rules, General Awareness, etc.





Table Tennis (Men) & Carrom (Women) Championships - BIS officials and staff participated in Table Tennis (Men) & Carrom

(Women) Championships with full enthusiasm. The games were played during the Vigilance Awareness Week 2023.



VAW 2023 closing and award ceremony - Vigilance Awareness Week 2023 was observed in BIS with great enthusiasm and participation of officials in the various activities and competitions organized during the week. The VAW closing ceremony was held on 06 Nov 2023 and was graced by CVO, BIS along with the Deputy Director Generals of various activities, Heads of Departments and officials at BIS HQs, New Delhi. Winners of various competitions such as Online Chess, Quiz, Essay writing, Table Tennis & Carrom were awarded by the DDGs

present on the dais. Shri Ashish Tripathi (IRS), CVO, BIS addressed the august gathering and stressed upon the role and significance of Preventive Vigilance in an organization for its better functioning. Shri H.J.S. Pasricha, DDG (Certification), BIS congratulated the Vigilance Department for the wonderful events and activities organized not just during the VAW 2023, but also during the last few months for Vigilance awareness, capacity and team building in BIS.



Talk on Vigilance Awareness at IPFT by CVO, BIS

Shri Ashish Tripathi, Chief Vigilance Officer, BIS delivered a talk on Vigilance Awareness at the Institute of Pesticide Formulation

Technology (IPFT), Gurgaon on 01 Nov 2023 during the Vigilance Awareness Week celebrations at IPFT. Dr. Mohana Krishna Reddy Mudiam, Director, IPFT; Shri. Awijit Rakshit, CVO, IPFT and officials of IPFT were present on the occasion.



Webinar on Ethics & Good Governance for HUDCO by CVO, BIS

As a part of yet another inter-organizational activity for Vigilance Awareness, Shri Ashish Tripathi, CVO, BIS also delivered a webinar on Ethics & Good Governance for the officials of HUDCO on 07 Nov 2023 through Webex.

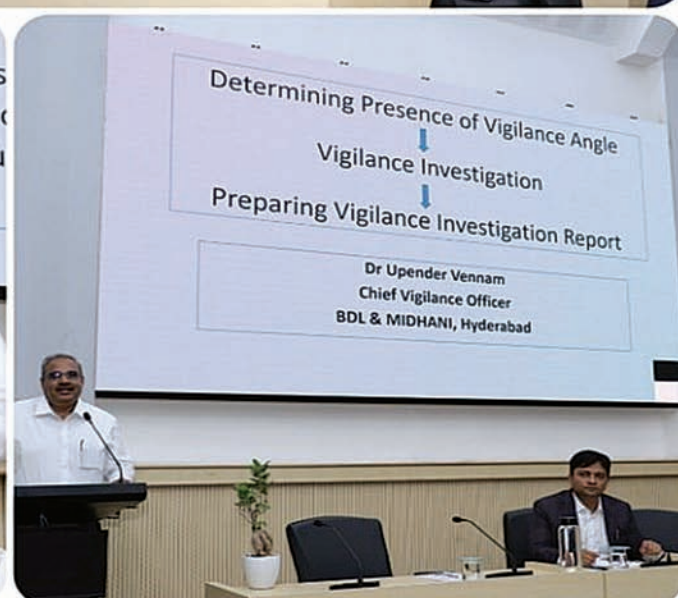
Preventive Vigilance Activities

Preventive Vigilance Audits of WRO, WROL, MUBO-I, MUBO-II were carried out during the financial year 2023-24. As a result of these audits, various systemic

improvements were suggested pertaining to key activities of BIS. Further, follow-up corrective actions were advised in respect of discrepancies observed in the functioning of the offices audited.

Workshop on Vigilance Administration & Disciplinary Matters

A One day Workshop on the subject was conducted for BIS officials at BIS HQ, New Delhi on 11 Oct 2023. Dr. Upender Vennam (IPoS), CVO, Bharat Dynamics Limited (BDL) and Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI), Hyderabad graced the workshop as faculty.



12 HUMAN DEVELOPMENT

RESOURCES

12.1 Recruitment

During the year, 15 scientists joined as Scientist-B through direct recruitment processes.

12.2 Group wise strength

As on 31 March 2024, the Group wise strength is as under:

Group	Representation of SC/ST/ OBC/PH/Ex Ser./EWS	Total
A (Scientific Cadre)	325	534
A (Administrative, Finance & Other posts)	18	37
B	140	346
C	159	241
Total	642	1158



12.3 Deployment

During the year, deployment of personnel in the various activities of BIS during 2023-24 is given below:

Activity	Group wise deployment of Personnel (as on 31 March 2024)	
	Scientific Cadre	Administrative, Finance and other posts
Administration and Finance	-	113
Corporate	-	72
Standards Formulation	138	20
Certification	275	163
Laboratories	67	199
Technical Support Services	54	57
Total	534	624

13 ADMINISTRATION AND GENERAL SERVICES

13.1 Swachh Bharat Mission

The Swachhata Pakhwada drive has been carried out in the Bureau during 16 February 2024 to 29 February 2024. In this regard, All ROs/Bo/Labs/NITS including BIS HQ has also organized the Swachhta Campaign. During the Swachhta Campaign files were weeded out, old furniture and e-waste are disposed off.

13.2 Staff Welfare

13.2.1 BIS continued its welfare measures for their employees, namely, Group

insurance Schemes, Pensioner Cell, Facility of Holiday Homes, Subsidized Refreshment Coupons, and Scholarship Scheme, engagement of Part-time Homeopathic Consultant and Nurse, Gym Facility etc.

13.2.2 The Canteen at BIS HQs was introduced with a variety of breakfast, snacks and lunch items with a signify ant improvement in the overall quality of the food.

13.2.3 BIS Holiday Home is located at following place and the stay accommodation are operated through the Regional Office:

SI. No.	Holiday Home Location	Booking from Regional Office
1.	Munnar	Southern Regional Office (SRO)
2.	Manali	Northern Regional Office (NRO)
3.	Udaipur	Central Regional Office (CRO)

13.2.4 BIS organized the following programs/events as part of Staff welfare in 2023-24:

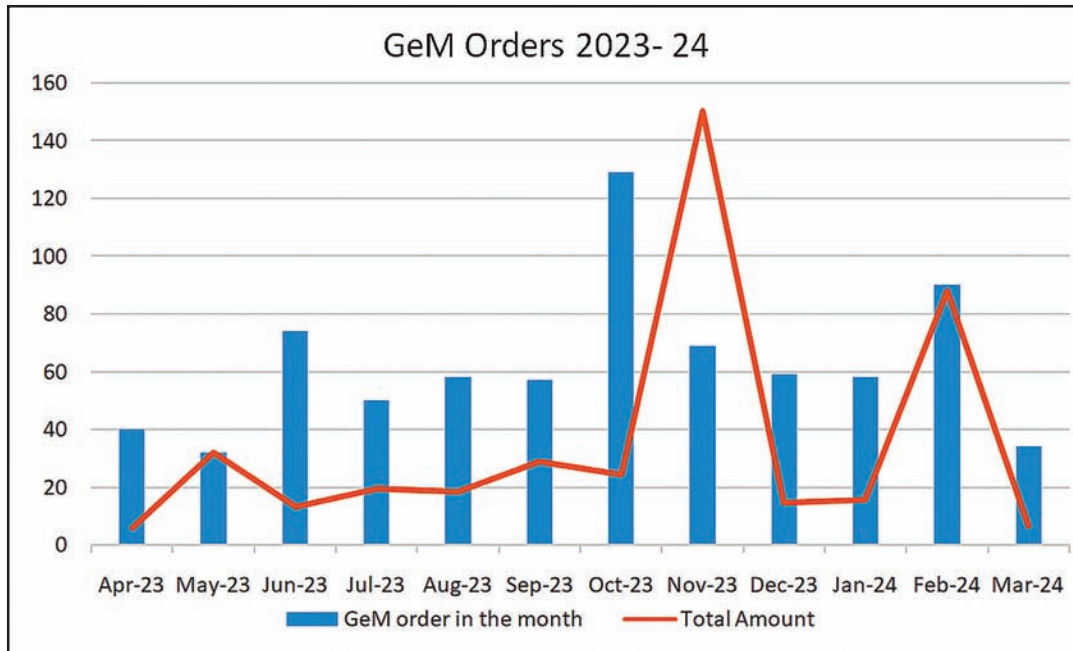
SI No.	Programme/events
1.	Special Campaign 2.0 (Swachhata)
2.	World Environment Day
3.	Blood Donation Camp
4.	International Yoga Day
5.	International Ekta Diwas
6.	Celebration of Constitution Day
7.	Celebration of BIS foundation Day.
8.	Lecture on 'Art of Living'
9.	Organized Camp for Dental and Health and Bank Services
10.	Organized Eye Screening Camp
11.	Conducted 'Cyber Awareness Program
12.	Celebration of International Day of Yoga
13.	Blood Donation Camp
14.	Organized the World Blood Donor Day
15.	Celebration of International Women's Day (IWD)
16.	Celebration of BIS Foundation Day
17.	Celebration of New Year 2024
18.	Contribution for Armed Forces Flag Day
19.	Conducted Health Awareness Camp
20.	Meri-MaatiMeraDesh Campaign
21.	Celebration of National Sports Day
22.	Har Ghar 'Tiranga' Campaign

13.3 General Services

Data related to Purchase of goods & Services through GeM in FY 2023-24

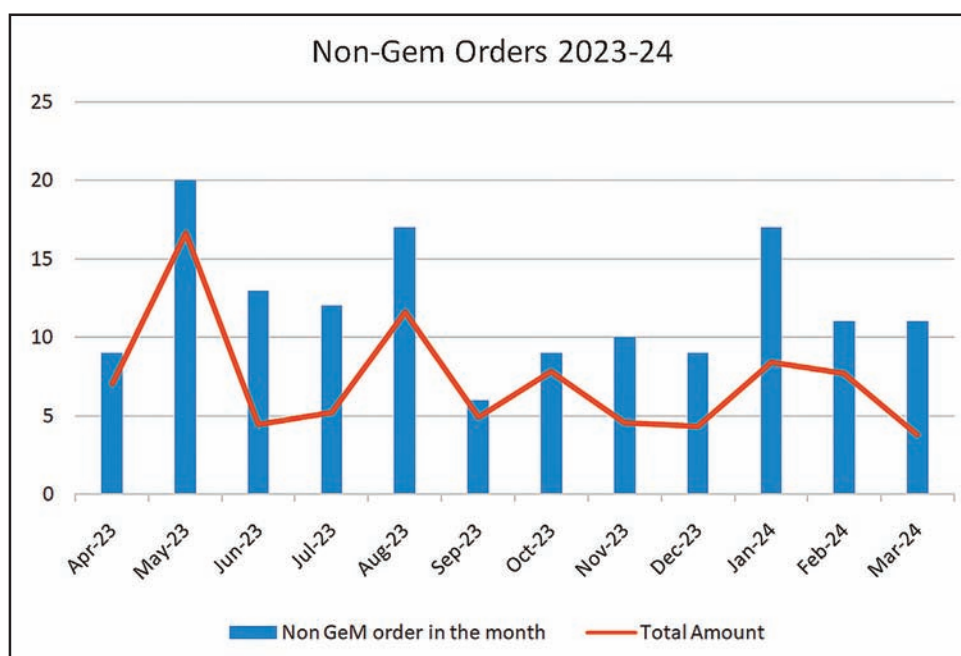
Month	GeM order in the month	Total Amount (Rs. In Lakhs)	Monthly procurement % through GeM
Apr-23	40	6.02	
May-23	32	32.11	
Jun-23	74	13.44	
Jul-23	50	19.44	
Aug-23	58	18.41	
Sep-23	57	28.92	
Oct-23	129	24.57	
Nov-23	69	150.12	

Dec-23	59	14.55	
Jan-24	58	15.61	
Feb-24	90	88.08	
Mar-24	34	6.79	
Total Amount with Total percentage		418.06	82.87%



Data related to Purchase of goods & Services through Non-GeM in FY 2023-24

Month	Non GeM order in the month	Total Amount (Rs. In Lakhs)	Monthly procurement % through Non GeM
Apr-23	9	7.03	
May-23	20	16.62	
Jun-23	13	4.46	
Jul-23	12	5.23	
Aug-23	17	11.62	
Sep-23	6	4.89	
Oct-23	9	7.79	
Nov-23	10	4.54	
Dec-23	9	4.3	
Jan-24	17	8.39	
Feb-24	11	7.72	
Mar-24	11	3.79	
Total Amount with Total percentage		86.38	17.12%



14 LIBRARY SERVICES

14.1 BIS Technical Library

BIS Technical Library located at headquarters is a National Resource Centre for information on standards and related matters and serves industry, trade, government, researchers and consumers. It is the largest library of standards in the South Asian Region, with a floor area of 1,000 square meters. During the period 2023-24, Services of BIS Library are utilized by various stake holders and approximately 5129 standards and books were issued. The Library regularly updates mechanized database of publications (Books and Standards) received.

14.2 Digital Library

Integrated of Library Portal with BIS website-The Library portal has been integrated with BIS website. Important events/photographs regularly are updated on Library Portal. BIS publications (old) are also available on the portal.

Remote Access- Digital library is now live for Group A, B and C officials and technical committee members of BIS. They may visit the digital library with their login id (Remote access).

14.3 Library Membership

Membership of the Library is available to

individuals and organizations for reference purposes only.

14.4 Special Events

Yoga day and Reading day - Book exhibitions had been organized on the occasion of "Yoga day and Reading day" from 19th June 2023 to 18th July 2023

Independence day - Book exhibitions had been organized on the occasion of "Independence day" from 14th August 2023 to 18th August 2023.

Guest Lecture - A guest lecture was organized by Library services centre on the occasion of National Librarian day. The Lecture had been delivered by Dr. A.P. Yadav, Librarian, Lady Shri Ram College for Women, Delhi University on Dr. S.R. Ranganathan.

International Women's day - Book exhibitions had been organized on the occasion of "International Women's day" from 4th to 8th March, 2024.

Special Campaign - During the Special Campaign, Cleanliness drive in LSC are organized on regular basis. A Plantation drive was also organized by LSC. Weeding out of old publications (newspaper/magazine) was also carried out during the Special Campaign.



14.5 E-Publication

E-journals and E-standards are procured in the library for the standard formulation departments.

14.6 New Initiative

Display of return books - Special corner has designated in Library for return books under the title "Library's Collection, Reader's Selection".

Displayed of Books - Library books are displayed according to special theme in Library.

15 SEXUAL HARASSMENT OF WORKING WOMEN IN THE WORKPLACE

In compliance with the guidelines of the Supreme Court of India on the prevention of sexual harassment of women in the workplace, an Internal Complaints Committee was constituted in the Bureau of Indian Standards in Feb 1998 that has since been reconstituted vide OM No. Estt-III/ICC/76:01/2020 dated 19 January 2024. The Composition of the newly constituted Internal Complaints Committee (ICC) at BIS, HQ- New Delhi consists of a senior-level women employee as Presiding Officer along with two other members from BIS-HQ and one member from All India Democratic Women's Association (AIDWA), New Delhi.

The Internal Complaints Committee (ICC-HQ) celebrates "International Women's Day on 07 March 2024 at BIS-HQ, New Delhi with the participation of all employees posted at BIS, HQ-New Delhi and BIS Offices in NCR, i.e. Faridabad, Ghaziabad, Central Laboratory, NITS, Noida.

The theme of this year's Women's Day was **"Count her in: Invest in Women, Accelerated Progress"**. On this occasion, various cultural competitions like, 100 meter race, Lemon Race, Antakshri and Quiz competitions were conducted. Prizes were distributed by the DG-BIS to winners of competitions. In addition, DARPG, virtual round-table webinar on **"Women in civil Services- Leadership and Governance"** was organized by Bureau.

16 SCHEMES FOR PERSONS WITH DISABILITIES

- i) As per the GOI instructions, 4% reservation is being provided to the persons with disabilities in direct recruitment under Group A, B & C posts.
- ii) BIS also allows 12 casual leaves to the Physically challenged/disabled people instead of 08 Casual leaves permissible to a normal employee.
- iii) Moreover, physically challenged/disabled employees are being paid Transport Allowance at double the rates prescribed for other employees.

17 RESERVATION FOR ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS (EWSs) IN DIRECT RECRUITMENT IN CIVIL POSTS AND SERVICES IN THE GOVT. OF INDIA

As per the GOI instructions, a 10% reservation is being provided to the Economically Weaker Sections (EWS) in Direct Recruitment



FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT



BUREAU OF INDIAN STANDARDS BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

(Amount in Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS FUND AND LIABILITIES			
Corpus/Capital Fund	1	37,480,488,124	31,712,006,044
Reserves and Surplus		-	-
Earmarked/Endowment Fund	2	24,519,437,932	22,556,637,138
Secured Loans and Borrowings		-	-
Unsecured Loans and Borrowings		-	-
Deferred Credit Liabilities		-	-
Current Liabilities and Provisions	3	2,587,622,026	1,050,202,314
TOTAL		64,587,548,082	55,318,845,496

ASSETS

Fixed Assets	4	2,832,694,866	2,684,948,093
Investments-from Earmarked/ Endowment Funds	5	22,288,962,811	21,766,908,482
Investment- Others	6	33,485,358,071	28,688,419,001
Current Assets, Loans, Advances etc.	7	3,912,318,492	2,178,569,920
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		62,519,334,240	55,318,845,496

Significant Accounting Policies 16

**Contingent Liabilities and Notes
on Accounts** 17

Details of Investment 18

(PRAMOD KUMAR TIWARI)
Director General

(VINOD KUMAR)
Dy. Director General (Finance)

(GURPREET SINGH)
Director (Accounts)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH 2024

(Amount in Rs.)

		SCHEDULE CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
--	--	-----------------------	---------------

INCOME

		-	
Income from Services	8	9,082,604,864	8,415,022,674
Grants/Subsidies		-	-
Fees/Subscriptions	9	27,044,179	38,790,446
Income from Investments	10	2,175,034,884	1,885,178,521
Income from Royalty, Publications etc.	11	181,310,840	139,834,597
Interest Earned	12	5,740,836	6,328,899
Other Income	13	44,090,800	61,691,960

TOTAL (A)		11,515,826,403	10,546,847,097
------------------	--	-----------------------	-----------------------

EXPENDITURE

Establishment Expenses	14	2,084,892,902	1,988,523,131
Operational and Administrative Expenses	15	1,493,444,597	2,648,428,875
Expenditure on Grants, Subsidies etc.		-	-
Interest		-	-
Depreciation	4	234,031,076	195,098,346
Contribution towards Shortfall in Pension & Gratuity Liability Fund Account		1,934,975,748	425,184,046

TOTAL(B)		5,747,344,323	5,257,234,397
-----------------	--	----------------------	----------------------

BALANCE BEING SURPLUS CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND		5,768,482,080	5,289,612,700
---	--	---------------	---------------

Significant Accounting Policies 16

Contingent Liabilities and Notes on Accounts 17

Details of Investment 18

(PRAMOD KUMAR TIWARI)

Director General

(VINOD KUMAR)

Dy. Director General (Finance)

(GURPREET SINGH)

Director (Accounts)



(Amount in Rs.)

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND

	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year	31,712,006,044	26,422,393,344
Add: Surplus transferred from Income & Expenditure Account	5,768,482,080	5,289,612,700
BALANCE AT THE END OF THE YEAR	37,480,488,124	31,712,006,044

SCHEDULE 2 - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rs.)

	Assistance from MOCA under plan scheme for setting up of Hall-marking Centres	Assistance from MOCA under C.W.F.	Benevolent Fund	General Provident Fund	National Pension Scheme Fund	Pension & Gratuity Liability Fund Account	Consumer Education & Protection Fund	TOTAL	
								Current Year	Previous Year
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a) Opening balance of the funds	-	332,260	5,454,877	1,400,155,008	1,493,714	21,149,201,279	-	22,556,637,138	22,172,719,417
b) Additions to the Funds:									
i) Assistance/ Grants		9,500,000							
ii) Income from Interest- Investments of the funds	-	1,450	300,367	101,481,829	5,054	1,426,504,258		1,528,292,958	1,503,016,717
iii) Contribution to the respective fund			3,242,475	267,580,772	195,846,051	28,285,583	1,410,000	496,364,881	741,381,273

iv) Contribution towards shortfall in Pension & Gratuity Liability Fund A/c									1,934,975,748	1,934,975,748		-
v) Others					1,435,700					1,435,700		-
TOTAL (a+b)	9,500,000	333,710	8,997,719	1,770,653,309	197,344,819	24,538,966,868	1,410,000	26,527,206,425	24,417,217,407			
c) Utilization/ Expenditure towards objectives of funds												
i) Capital Expenditure - Fixed Assets									-			-
ii) Revenue Expenditure												
- Payments to employees, pensioners & beneficiaries		2,500,000	381,870,564	196,580,493	1,415,905,986			1,996,857,043	1,850,346,707			
- Assistance to Hall-marking Centres									-			-

- Meetings, Travels & Others	9,436,305							1,410,000	10,846,305	1,510,000
- Grant Refunded	63,695								63,695	8,560,311
- Interest refunded/to be refunded to DoCA		1,450							1,450	163,251
Total Revenue Expenditure	9,500,000	1,450	2,500,000	381,870,564	196,580,493	1,415,905,986	1,410,000		2,007,768,493	1,860,580,269
TOTAL(c)	9,500,000	1,450	2,500,000	381,870,564	196,580,493	1,415,905,986	1,410,000		2,007,768,493	1,860,580,269
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END 31.03.2023 (a+b-c)	-	332,260	6,497,719	1,388,782,745	764,326	23,123,060,882	-		24,519,437,932	22,556,637,138



(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
--	--------------	---------------

SCHEDULE 3- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

A. CURRENT LIABILITIES

1.	Sundry Creditors for Goods and Services (Inland)	2,387,691,916	865,016,896
2.	Advances received from Customers:		
	a) Sales	57,031	146,301
	b) Certification	3,808,453	3,876,135
3.	Statutory Liabilities- Others		
	a) GST Payable	132,560,958	133,182,652
	b) TDS Payable	15,464,943	7,651,229
4.	Other Current Liabilities		
	a) Earnest Money/Retention Money	41,882,953	31,059,180
	b) Accounts Payable Employees	6,155,772	9,269,920

TOTAL(A)	2,587,622,026	1,050,202,314
-----------------	----------------------	----------------------

B. PROVISIONS

-

TOTAL(A+B)	2,587,622,026	1,050,202,314
-------------------	----------------------	----------------------

(Amount in Rs.)

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2024

(Amount in Rs.)

SCHEDULE-4										
DESCRIP TION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost/ Valuation As at beginning of the year	Addi tions during the year	Deductions during the year	Cost/ valuation at the year end	As at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Total up to the Year- end	As at the Current year-end 2023-24	As at the Previous year-end 2022-23
9	COMPU- TERS	424,661, 656	52,385, 558	53,640, 632	423,406, 582	44,874, 889	40,271, 986	337,964, 820	85,441, 762	91,299, 739
10	LIBRARY BOOKS	30,556, 062	1,318, 150	234,162	31,640, 050	769,528	231,353	30,025, 242	1,614, 808	1,068, 995
	TOTAL(A) OF CURRENT YEAR	3,874, 379,739	338,719, 898	62,272, 235	4,150,827, 403	234,031, 076	46,934, 130	1,728,238, 590	2,422,588, 813	2,333,238, 095
B.	PREVIOUS YEAR	3,733, 462,171	644,290, 212	151,662, 647	4,226,089, 737	195,098, 346	5,443, 739	1,541,141, 644		
	CAPITAL WORK IN PROGRESS	351,709, 998	126,724, 826	68,328, 770	410,106, 053	-	-	-	410,106, 053	351,709, 998
	TOTAL	4,226,089, 737	465,444, 724	130,601, 006	4,560,933, 456	234,031, 076	46,934, 130	1,728,238, 590	2,832,694, 866	2,684,948, 093

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
--	--------------	---------------

SCHEDULE 5 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUND

1 Pension & Gratuity Liability Fund Account

1.1 Government of India Securities	20,762,049,201	20,250,921,516
1.2 Debentures and Bonds	170,000,000	170,000,000
1.3 Fixed Deposit with Banks		-
Total (1)	20,932,049,201	20,420,921,516

2 Others

2.1 National Pension Scheme Fund A/c	764,326	1,493,714
2.2 Benevolent Fund	4,000,000	
TOTAL(2)	4,764,326	1,493,714

3 General Provident Fund of Employees

3.1 Government of India Securities	231,637,210	243,382,415
3.2 State Government Securities	379,397,939	412,211,069
3.3 Debentures and Bonds	343,406,531	310,991,174
3.4 Special Deposits with RBI	312,708,594	312,708,594
3.5 Equities & related investments-Mutual Funds	50,599,010	44,100,000
3.6 Fixed Deposit with Banks	34,400,000	21,100,000
TOTAL(3)	1,352,149,284	1,344,493,252

TOTAL(1)+(2)+(3)	22,288,962,811	21,766,908,482
-------------------------	-----------------------	-----------------------



(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
--	--------------	---------------

SCHEDULE 6 - INVESTMENTS-OTHERS

1 Investments towards the Corpus/Capital Fund

1.1 Government of India Securities	29,832,262,907	25,796,578,740
1.2 Fixed Deposit with Banks	3,653,095,164	2,891,840,261

TOTAL	33,485,358,071	28,688,419,001
--------------	-----------------------	-----------------------

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.		
A. CURRENT ASSETS		
1. Inventories:		
a) Laboratory apparatus and stores	4,991,110	2,324,635
b) Stationery	9,104,169	7,288,030
c) Repair & Maintenance Consumables	1,539,904	1,331,973
Total (1)	15,635,183	10,944,637
2. Sundry Debtors		
a) Sale of Publications		
i) Exceeding six months	127,124	54,778
ii) Others		
b) Certification		
i) Exceeding six months	2,418,757	2,298,680
ii) Others	183,580	960,272
c) Accounts Recoverable		
i) Accounts Recoverable (Employees)	2,425,762	873,948
ii) Recoverables from Government Departments (From MEA & DoCA)	9,578,757	9,580,202
iii) Accounts Recoverable (Others)	2,089,906,867	594,501,521
Total (2)	2,104,640,847	608,269,401
3. Cash Balance in Hand (Including Imprest)	199,698	326,146
4. Bank Balances:		
a) With Schedule Banks		
i) On Current Accounts	172,227,317	92,957,220
ii) On Saving Accounts	165,148,066	181,647,670
b) Cheque-In-Transit	750,000	-
Total of 4	338,125,383	274,604,890
5. Franking Machine Balance	56,146	47,766
TOTAL(A)	2,458,657,257	894,192,840



(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
--	--------------	---------------

SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.

B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS

1. Advances to Staff for:

i) Purchase of Conveyance	1,800	9,000
ii) House Building	11,286,014	9,777,806
iii) Computer	279,000	523,222
TOTAL (1)	11,566,814	10,310,028

2. Advances and other amounts recoverable or for value to be received

a) On capital Account & others to outside parties		
i) Hallmarking Digitization Project- IIT Bombay	61,986,648	61,986,648
ii) Building Construction ROs/BOs -CPWD	202,067,558	190,021,536
iii) Computerization Project:C-DAC	23,367,847	79,329,276
v) Rain Water Harvesting project	-	1,323,000
iv) Others	163,392,758	93,201,526
v) Consumer Welfare Fund(NBCC)	332,260	332,260
vi) Plan Project Schemes	17,436	17,436
TOTAL (2a)	451,164,507	426,211,682

b) Prepaid Expenses	19,358,200	17,534,852
c) Advances to Staff for:		
i) Festival Advance	-	-
ii) Travel	5,890,585	5,912,126
iii) Leave Travel Concession	533,826	790,173
iv) General Provident Fund	-	-
TOTAL (2c)	6,424,411	6,702,299

d) Security Deposits	30,740,576	16,378,880
TOTAL (2)	507,687,693	466,827,713

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
--	--------------	---------------

SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.

3. Income Accrued

a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds & Others

i) BIS Corpus Fund	562,666,894	475,905,310
ii) Pension and Gratuity Liability Fund	172,963,483	171,920,475
iii) General Provident Fund	34,883,651	55,170,435
iv) Benevolent Fund	241,655	-

TOTAL (3)	770,755,683	702,996,220
------------------	--------------------	--------------------

4. Claim Receivable

a) Income Tax	5,149,898	3,069,521
b) Goods and Services Tax	158,501,148	101,173,597

TOTAL (4)	163,651,046	104,243,118
------------------	--------------------	--------------------

TOTAL(B)	1,453,661,236	1,284,377,080
-----------------	----------------------	----------------------

TOTAL(A+B)	3,912,318,492	2,178,569,920
-------------------	----------------------	----------------------



(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
--	--------------	---------------

SCHEDULE 8 - INCOME FROM SERVICES

1. Product Certification	6,925,440,714	6,549,030,204
2. Compulsory Registration Scheme	1,076,455,314	1,025,700,326
3. Hallmarking	720,344,935	560,797,585
4. Management Systems Certification Services	44,840,630	42,260,173
5. Income from Testing	315,523,271	237,234,386

TOTAL	9,082,604,864	8,415,022,674
--------------	----------------------	----------------------

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
--	--------------	---------------

SCHEDULE 9 - FEE/SUBSCRIPTION

1. Conferences & Training Fees	26,936,179	38,678,446
2. Library Membership Fee	108,000	112,000

TOTAL	27,044,179	38,790,446
--------------	-------------------	-------------------



(Amount in Rs.)

Investment from Earmarked Fund		Investment-Others	
Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year

SCHEDULE 10 - INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Investment from Earmarked/Endowment Fund transferred to fund)

1	Interest	1,426,504,258	1,405,132,055	2,172,637,538	1,885,178,521
2	Investment on Properties (Rental Income)			2,397,346	0

TOTAL	1,426,504,258	1,405,132,055	2,175,034,884	1,885,178,521
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**(TRANSFERRED 1,426,504,258
TO EARMARKED/
ENDOWMENT
FUNDS)**

[Refer Schedule 2,
Item b(ii) - Col 6]



(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
--	--------------	---------------

SCHEDULE 11 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

A. INCOME FROM SALE OF STANDARDS

1	Electronic Media	76,844,955	55,105,483
2	Hard copies	2,156,332	2,316,075

TOTAL(A)	79,001,287	57,421,558
-----------------	-------------------	-------------------

B. Retrocession from ISO and IEC on Sale of their Publications in India	102,309,553	82,413,039
--	-------------	------------

TOTAL(A+B)	181,310,840	139,834,597
-------------------	--------------------	--------------------

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
--	--------------	---------------

SCHEDULE 12 - INTEREST EARNED

On Saving Account	5,740,836	6,328,899
-------------------	-----------	-----------

TOTAL	5,740,836	6,328,899
--------------	------------------	------------------

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 13 - OTHER INCOME		
a) Interest from Conveyance, Computer & House Building Advances	534,975	1,875,065
b) CGHS Contribution	10,285,325	12,608,658
c) Licence Fee- Staff Quarters	461,863	465,401
d) Miscellaneous Income at HQ	11,038,372	4,120,387
e) Miscellaneous Income at ROs/BOs	12,212,130	17,239,774
f) Miscellaneous Income at Laboratories	3,600,001	3,327,818
g) Surplus in GPF Account	5,958,134	5,993,416
h) Recruitment Receipts	-	16,061,441
TOTAL 44,090,800	61,691,960	



(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
--	--------------	---------------

SCHEDULE 14 - ESTABLISHMENT EXPENSES

1. PAY & ALLOWANCES

a) Pay	977,038,771	967,190,752
b) Allowances and Bonus	772,075,903	667,806,759
c) Terminal Leave Encashment	60,617,606	90,401,220

TOTAL(1)	1,809,732,280	1,725,398,731
-----------------	----------------------	----------------------

2. RETIREMENT BENEFITS

Employer's Contribution to National Pension Scheme	79,398,279	96,665,607
--	------------	------------

TOTAL(2)	79,398,279	96,665,607
-----------------	-------------------	-------------------

3. WELFARE EXPENSES

a) Medical Benefits-Employees	44,000,868	34,814,537
b) Medical Benefits-Pensioners	101,808,985	79,331,984
c) Staff Welfare	37,139,637	36,944,768
d) Leave Travel Concession	12,812,853	15,367,505

TOTAL(3)	195,762,343	166,458,793
-----------------	--------------------	--------------------

TOTAL(1+2+3)	2,084,892,902	1,988,523,131
---------------------	----------------------	----------------------

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
--	--------------	---------------

SCHEDULE 15 - OPERATIONAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

1. TRAVELLING EXPENSES

a) Overseas	31,569,293	19,279,133
b) Domestic	148,350,386	139,152,320
c) Committee Members	10,292,085	1,443,841

TOTAL(1)	190,211,764	159,875,294
-----------------	--------------------	--------------------

2. SUBSCRIPTION TO INTERNATIONAL ORGANISATIONS

a) International Standards Organization(ISO)	54,234,219	47,788,224
b) International Electrotechnical Commission (IEC)	15,020,664	13,541,966

TOTAL(2)	69,254,883	61,330,190
-----------------	-------------------	-------------------

3. PRINTING

a) Standards & Notifications	2,319,926	1,923,783
b) Bulletin	1,186,897	-

TOTAL(3)	3,506,823	1,923,783
-----------------	------------------	------------------

4. TESTING & SURVELLIANCE

a) Testing Charges	827,105,529	539,532,500
b) Laboratory Consumables and Repair & Maintenance of Laboratory Equipments	64,656,188	64,310,317
c) Market Samples	78,932,367	47,520,645
d) Hiring of Taxies for Inspection Work	80,635,508	54,801,127
e) Inspection charges to outside agencies	96,184,564	112,168,966
e) Freight and Cartage	63,388,797	45,287,929

TOTAL(4)	1,210,902,953	863,621,484
-----------------	----------------------	--------------------

5. PUBLICITY	277,004,932	137,017,162
---------------------	--------------------	--------------------



(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
--	--------------	---------------

SCHEDULE 15 - OPERATIONAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

6. OFFICE EXPENSES

a) Stationery	26,915,246	26,818,882
b) Postage	17,141,105	9,270,764
c) Telephone	15,725,024	11,797,245
d) Recruitment	5,548,405	97,158,930
e) Refund of Recruitment Receipt	1,708,475	-
f) Refreshment and Entertainment	2,824,305	2,775,995
g) Liveries	184,805	61,729
h) Insurance and Bank Charges	5,035,917	4,501,515
i) Miscellaneous	5,497,981	5,220,990
j) Rent and Statutory Taxes	122,497,663	84,244,623
k) Electricity and Water Charges	75,726,936	69,737,795
l) Taxi Hiring Charges	38,526,624	27,839,297

TOTAL(6)	317,332,486	339,427,764
-----------------	--------------------	--------------------

7. REPAIRS AND MAINTENANCE

a) Furniture and Office Equipment	5,560,261	7,862,105
b) Building	68,373,243	87,498,348
c) Vehicles	451,533	598,015

TOTAL(7)	74,385,037	95,958,469
-----------------	-------------------	-------------------

8. CONFERENCES, CONSUMER AWARENESS AND TRAINING PROGRAMME

a) Conferences, Seminars and Consumer Awareness Programmes	71,461,353	30,699,871
b) Training Expenses in NITS	31,709,734	20,005,391
c) Standard Promotion Activities	334,473,413	240,281,436
d) Training Expenses	3,850,582	8,095,651

TOTAL(8)	441,495,082	299,082,349
-----------------	--------------------	--------------------

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
--	--------------	---------------

SCHEDULE 15 - OPERATIONAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

9. OTHER EXPENSES	244,078,154	87,324,492
b) Library Subscription and Expenses	1,102,216	283,417
c) Audit Fees and other Consultancy Charges	10,459,271	9,744,621
d) Legal charges	16,362,711	12,420,262
e) Hiring Skilled/ Unskilled Manpower and Housekeeping & Security	475,445,101	408,864,501
f) Hiring of Technical Manpower	136,577,483	93,718,460
g) Hiring of Consultants and Consultancy Charges	20,894,587	26,237,344
h) Bad Debts & losses written off	475,180	-
i) Quality System Charges	22,491,895	17,851,230
j) Staff Training	6,190,764	19,429,631
k) Hindi Promotional Activities	5,891,109	6,089,747
l) Enforcement outsourcing Expenses	435,505	241,121
m) CENVAT Credit Expenses/Input Tax Credit foregone	17,002,601	4,704,380
n) Capital Investments (Fixed Assets) Written Off (Net)	5,621,022	705,325
o) R&D Projects	14,536,880	2,577,850

TOTAL(9)	977,564,479	690,192,380
-----------------	--------------------	--------------------

TOTAL(1 to 9)	1,493,444,597	1,085,233,198
----------------------	----------------------	----------------------



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH 2024

SCHEDULE.16 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Financial Statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and generally on the accrual method of accounting except the Certification Income and the interest due on default investments which are accounted on cash basis.

2. INVENTORIES

The value of Stock of Indian Standards and other publications are not accounted for as a matter of policy. However, the Stock of Paper, Laboratory Consumables, Spares, Stationery and gold are valued at cost.

3. INVESTMENT

- 3.1 The Investments are usually carried at cost.
- 3.2 The premium paid on acquisition of permanent investment is amortized on a time proportion basis upto the date of maturity.

4. FIXED ASSET

- 4.1 Fixed Assets are stated at Cost of acquisition.
- 4.2 Fixed Assets acquired out of Grants/Assistance from Ministries are capitalized at values stated, by corresponding credit to Corpus/ Capital Fund.
- 4.3 Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at values stated by corresponding credit to Corpus/Capital Fund.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided on written down value method as per the rates specified in the Income Tax Act 1961.

6. GOVERNMENT GRANTS/ASSISTANCE

- 6.1 Government Grants/Assistance are accounted on realization basis.
- 6.2 All Government Grants/Assistance from Ministries and their utilization are shown in the Earmarked/Endowment Fund Schedule.
- 6.3 The Government Grants/Assistance utilized towards Capital Cost of setting of projects and acquisition of Fixed Asset are shown as addition to Corpus/Capital Fund.

7. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 7.1 Transactions denominated in Foreign Currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
- 7.2 Current Liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the end of the year and the relevant gain/loss is transferred to Income & Expenditure Account.

8. PAY & ALLOWANCES

The payments of Pay & Allowances and leave encashment are charged to Income & Expenditure Account on cash basis under Pay and Allowances.

9. RETIREMENT BENEFITS

- 9.1 Liability towards Pension of retired employees and pension & gratuity of existing employees for past service based on the Actuarial Valuation is accrued and provided in the Pension/Gratuity Liability Fund Account shown under the Schedule - Earmarked/Endowment Fund.
- 9.2 Based on the Actuarial Valuation Report, Annual Contribution to the Fund is provided in the Income & Expenditure Account with corresponding credit to Pension/Gratuity Liability Fund Account.
- 9.3 The actual payments of all pensionary benefits and recurring pension during the year are debited to Pension & Gratuity Liability Fund Account.

10. LOANS TO EMPLOYEES

The Interest on House Building, Conveyance and Computer Loan given to employees is accounted on cash basis after the recovery of the principal amount of Loan(s).

11. GPF ACCOUNTS

The surplus/deficit in the GPF Account of employees are treated as income/expense of the Bureau.



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED

31st MARCH 2024

SCHEDULE 17 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

- 1.1** Disputed Demands of Service Tax/ Goods and Services Tax (excluding penalty and interest):- These disputed demands relate to tax liability on revenue sharing receipts from Hallmarking & Assaying Centers, and Service-tax liability under reverse charge mechanism which has been contested by BIS:

(Amount in lakh)

(i) Southern Regional Office	94.68
(ii) Western Regional Office	80.24
(iii) Patna Branch Office	1.05
(iv) BIS HQ (GST)	9.59

- 1.2 NBCC, the consultant for the Jaipur Building and Training Institute Building NOIDA:-** NBCC has claimed payment of Rs. 27.60 lakh and Rs. 17.04 lakh for the works carried out at Jaipur and NITS Noida Buildings respectively. However, physical verification of the work done by the contractor(s) is not yet completed as some corrective actions are yet to be taken by NBCC and the settlement of accounts with them is under progress. As the amount payable is subject to physical verification as per the contract, therefore, these claims have not been taken as Addition to Assets and Liabilities as on 31.03.2024. It had been decided by EC that no payment shall be released to NBCC against these two projects till settlement of the issues in the New Central AC Plant at Headquarter(Ref Note 2.8).
- 1.3 Suit No. 3016 of 2010 in Hon'ble Bombay High Court:-** Contingent Liability of Rs. 73,82.90 lakh along with interest may arise due to damages claimed by M/s. National Food Products (India) Pvt. Ltd. from BIS, for the alleged loss suffered by them for the delay in renewal of their license for Packaged Drinking Water.
- 1.4 Bank Guarantee:** Bank Guarantee of Rs. 38.59 lakh was drawn in favour of Delhi Metro Rail Corporation for a period of three & half years from 13.01.2024 to 12.07.2027 against 100% margin in the form of Bank FD for the lease accommodation for Central Regional Office.
- 1.5 Demand raised by Land & Development Office (L&DO) for temporary regularization of breaches in respect of 1.6 acre plot at Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi –** There is a disputed demand of **Rs. 125.76 lakh** on account of unauthorized construction and misuse charges for Manak Bhawan by Land & Development Office(L&DO).
- 1.6 Demand raised by Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Ltd.(TSIIC)** towards property tax – There is a disputed demand of Rs. 61.50 lakh on account of property tax of Hyderabad Branch Office.

2. NOTES ON ACCOUNTS

2.1 Capital Commitments: The value of the contract remaining to be executed on Capital Account and not provided for (net of Advances) are given as under:

(Amount in crore)

Sl. No.	Project	Total Estimated Cost	Payment made to CPWD/ Agency	Value of contract remaining to be executed
(i)	Modernization of ERO Building	8.13	4.09	4.04
(ii)	Modernization of CL Sahibabad	18.35	18.01	0.34

2.2 Pension & Gratuity Liability Fund Account (Schedule 2, column 7)

2.2.1 The Rule 44 of BIS Rules, 2018 provides that BIS shall maintain a Pension & Gratuity Liability Fund which shall be utilized for the payment of pension, gratuity and commuted value of pension. The corpus of the fund shall be on the basis of actuarial valuation and shortfall, if any, shall be made through the appropriation of the surplus from income and expenditure account.

2.2.2 Actuarial Valuation of Pension & Gratuity Liability of BIS was carried out by M/s. Nalin Kapadia, Consultant & Actuaries, registered with SEBI by following the guidelines given in AS-15 of Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines of the Actuaries Society of India and the total accrued Pension & Gratuity Liability of BIS as per the report submitted by them is Rs. 2312.30 crore as on 31.03.2024 which is as given under:

(Amount in crore)

Sl. No.	Accrued Liability towards	
1.	Accrued pension liability for existing pensioners	1863.97
2.	Accrued Pension Liability of existing employees for their past service	380.07
3	Accrued Gratuity Liability of existing employees under CCS Pension Rules and NPS	68.26
	Total	2312.3

The above liability as per actuarial valuation as on 31.03.2023 was amounted to Rs. 2114.92 crore.

2.2.3 The position of the Pension & Gratuity Liability Fund as on 31.03.2024 is given as under:

- Opening Balance in the Fund:-** The amount available in the Pension & Gratuity Liability Fund Account as on 01.04.2023 amounted to **Rs. 21,14,92,01,279.**
- Interest earned by the Fund:-** The interest earned during 2023-24 on investments of Pension & Gratuity Liability Fund on accrual basis amounted to **Rs. 1,42,65,04,258** and the same have been credited to "**Pension & Gratuity Liability Fund Account**" (Schedule 2 Column 6).



- iii) **Coverage under CCS(Pension Rules) i.e. Old Pension Scheme(OPS) in place of National Pension System(NPS):** An amount of Rs. 2,82,85,583 in respect of 16 employees who are earlier covered under NPS now covered under OPS, is being credited to Account Head ‘ Pension & Gratuity Liability Fund Account’ (Schedule 2, column 7) as per O.M. No. 57/05/2021-P&PW(B) dated 03.03.2023 of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- iv) **Payments made from the Fund:-**The total net payments of pension, commutation and gratuity during 2023-24 amounted to **Rs.1,41,59,05,986 {Gross payments Rs. 1,38,12,70,376 plus Rs. 3,46,35,610 (expenses towards amortization of premium paid on investment amounting to Rs. 3,46,35,315 & Rs. 295 towards Bank Charges)}** This has been debited to ‘Pension & Gratuity Liability Fund Account’ {Schedule 2, column 6}.
- v) **Shortfall in the Fund provided from Income & Expenditure Account:-** As a result of the transactions given at Sl. No. (ii) and (iii) above, the balance in the Pension & Gratuity Liability Fund A/C as on 31.03.2024 worked out to Rs. 21,18,80,85,133 against **actuarial valuation** of Rs.23,12,30,60,882. Since there was a shortfall of **Rs. 1,93,49,75,748** in the Pension & Gratuity Liability Fund Account, therefore, it has been charged to the Income & Expenditure Account as “Contribution towards shortfall in Pension & Gratuity Liability Fund Account” and credited to “Pension & Gratuity Liability Fund Account” (Schedule 2, column 6).
- vi) **Closing balance in the Fund:-** As a result of above transactions, the balance in the **Pension & Gratuity Liability Fund A/C as on 31.03.2024 amounts to Rs. 23,12,30,60,882** (Schedule 2, column 6).

2.3 National Pension Scheme Fund:- The National Pension Scheme(NPS) is applicable to all employees who joined BIS after 01.01.2004. The employees’ contribution and BIS contribution in respect of those who are enrolled with the Regulator are remitted to PFDRRA on monthly basis. However the employees contribution and BIS contribution in respect of employees who are yet to be enrolled with the Regulator is kept with BIS under NPS Fund Account and is invested by BIS. The interest on such contributions is calculated at the rate equivalent to the interest rate of GPF and credited to respective accounts. The balance in the NPS Fund with BIS as on 31.03.2024 amounted to **Rs. 7,64,326** (Schedule 2, column 5).

2.4 Investment of BIS Funds

2.4.1 Investments of Corpus/Capital Fund: The total Investments of BIS Corpus/ Capital Fund & NPS as on 31.03.2024 amounted to **Rs. 334861.22 lakh** (shown under schedule 5, 6 & Schedule 18) which represents various funds as under:

(Amount in lakh)

Funds against which the Investment is represented	Investment in Fixed Deposits of PSU Bank	Investment in Govt. Securities including premium paid	Total Investment
i) Corpus/ Capital Fund	36530.95	298322.63	334853.58
ii) National Pension Scheme Fund	7.64	-	7.64
Total Investment	36538.59	298322.63	334861.22

2.4.2 The investments of Pension & Gratuity Liability Fund: The total Investments of Pension & Gratuity Liability Fund as on 31.03.2024 amounted to **Rs. 209320.49 lakh** (shown under schedule 5 & Schedule 18):

(Amount in lakh)

Funds against which the Investment is represented	Investment in Bonds	Investment in Govt. Securities including premium paid	Total Investment
Pension & Gratuity Liability Fund	1700.00	207620.49	209320.49

2.4.3 BIS had made investment of Rs. 200.00 lakh in the bonds of U.P. Cooperative & Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL), an undertaking of Uttar Pradesh Government on 17.12.1998 @ 16% per annum. UPCSML had defaulted in the payment of interest and principal on maturity dates. The maturity of principal was due on 30.04.2003 (33%), 30.10.2003 (33%) and 30.04.2004 (34%). The interest is under default since 01.05.2000 which amounts to Rs. 128.00 lakh till date of maturity at coupon rate. BIS had filed a case through Petition No. 451/2002 before the Hon'ble National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC). The Hon'ble NCDRC pronounced its judgement on 01.02.2016 and ordered the opposite party No. 01 (UPCSMFL) & opposite party No. 02(Government of Uttar Pradesh, the guarantor) to pay a sum of Rs. 200 lakh jointly and severally to BIS alongwith the interest @ 9% only from 01.05.2000 till the date of realization. A Caveat Petition has also been filed by BIS in the Hon'ble Supreme Court on 03.03.2016.

The UPCSML filed the Review Petitions No. 48/2017 & 138/2017 praying the Hon'ble NCDRC to recall and set aside order dated 01 February 2016 passed by this Hon'ble Court in Original Petition No. 451/2002, The Review Petitions were dismissed by Hon'ble NCDRC and issued notices to all respondents/Judgement Debtors and to the official Liquidator. The case was listed on 04-07-2019, 16-09-2019, 27-11-2019, 06-03-2020, 08-07-2020, 06-09-2021, 21-09-2022, 12-12-2022, 01-02-2023, 07-03-2023, 23-03-2023,,5-04-2023 for appearance of Opposite Parties.

The Executive Petition was listed on 25 April 2023 before Hon'ble NCDRC. The Hon'ble NCDRC passed the order granting the three weeks' time to opposite party 1 & 2 to file Vakalatnama & Reply and three weeks' time to Bureau to file Rejoinder.

Further, on 06 July 2023, the Hon'ble Court recorded that although Vakalatnama has been filed but reply was not filed as per Order dated 25 April 2023. The Hon'ble NCDRC gave last opportunity and granted one month's time for filing reply and listed the matter for 15 November 2023

Further M/s. Uttar Pradesh Co-operative Spinning Mills Federation Ltd. sent letter dated 02 September 2023 to BIS and offered for one time settlement (OTS) of the dispute wherein UPCSML agrees to pay interest @ 16% p.a. as per coupon rate. The said OTS after consultation with Legal Department and accepted by Competent Authority and the acceptance to OTS has been informed to UPCSML & Hon'ble NCDRC

Furthermore, the Hon'ble NCDRC recorded vide their order dated 02 January 2024 that inspite of service the opposite party is not responding to the settlement, the applicant herein i.e. Bureau of Indian Standards is permitted to give the



name of Official Liquidator for further action and 12 January 2024 was given as next date of hearing in the matter.

Thereafter, on 12 January 2024, the Hon'ble NCDRC permitted the Counsel for the Complainant to file details of Official Liquidator during course of the day. The office shall issue notice to Official Liquidator returnable on 22 April 2024.

Further, UPCSMFL vide their mail dated 10.02.2023 has sent the meeting notice and agenda to be held on 12.02.2024 at 1130h at Lucknow under the chairmanship of Infrastructure & Industrial Development Commissioner, Govt. of UP. and BIS representative has also attended the said meeting. The minutes of the meeting are awaited. No payment from UPCSMFL according to their OTS Proposal has been received till date.

The matter was listed on 22 April 2024, the Hon'ble NCDRC recorded that the report regarding the service on official liquidator is awaited and the case is listed on 03 July 2024.

- 2.5 Plan Scheme for setting up of Gold Hall Marking/Assaying Centres in India with central assistance:** This scheme is being operated by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Govt. of India. The Department of Consumer Affairs vide its letter No. 8/2/2004-BIS dated 30.09.2005 had conveyed the sanction to the Scheme for setting up of Gold Hall Marking/Assaying Centres in India with central assistance.

During the year 2023-24, a grant of Rs. 95.00 lakhs was received as per Central Sector Schemes of DoCA under Setting up of Gold Hallmarking/Assaying Centres in India with central assistance and expenditure of Rs. 94.36 lakhs (i.e. Assistance to Hallmarking Centres – Rs. 65.06 lakh and Rs. 29.30 lakh for Artisan Training) has been incurred during the year. The unspent balance is NIL as the unspent balance cannot be utilized as per CNA concept.

- 2.6 Plan Schemes of Govt. of India- “Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building”:** An amount of Rs. 23,39,746 is receivable under the Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building scheme of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Government of India which was implemented by BIS(Refer Schedule 7(A) Item 2c(ii).

- 2.7 Consumer Awareness & Protection Fund-Fines & Penalties:** A fund namely “Consumer awareness & Protection Fund-Fines & Penalties” has been created by BIS and all the fines and penalties received have been credited to this fund. As per Section 20 of BIS Act, 2016, the fines received shall be used for consumer awareness, consumer protection & promotion of quality of goods, articles, processes, systems or services in the country. Accordingly, the expenses incurred during the year towards consumer awareness programmes have been debited to the fund to the extent of the balance of Rs. 14,10,000 available in the fund.

- 2.8 New Central AC Plant for Manak Bhawan Building by NBCC** - The project of Installation of New Central AC Plant for Manak Bhawan at HQ was initiated in the year 2003-04. National Building Construction Corporation (NBCC) was appointed as Project Management Consultant(PMC) for the project. The payment of Rs. 86.07 lakh was made to NBCC. However, the project was stopped in June 2006. The settlement of Account could not be made due to dispute regarding the manner of calculation of consultancy charges payable to NBCC. It was, therefore, decided that no payment shall be released to NBCC against other projects namely Construction of JPBO Building and NITS Noida till the settlement of accounts with NBCC towards this project. The

payments of Rs. 84,38,368 made upto 2008-09 under this project have been shown as Capital work-in-progress in the Schedule of Fixed Assets[Schedule 4]. Executive Committee(EC) in its 79th meeting held on 27 March 2008 had decided to close the contract and agreement with NBCC and also approved the project related to air conditioning of both Manak Bhawan & Manakalaya, and related civil and electrical works to be undertaken through CPWD. This Project by CPWD has been executed and the AC plant is in operation.

2.9 Advance paid to IIT Bombay for Hallmarking Digitization Solution : An agreement was signed with IIT Mumbai on 06.08.2019 for Hallmarking Digitization Solution for BIS at total cost of Rs. 7423.25 lakh. An advance of Rs. 1483.88 lakh was paid by BIS to IIT Mumbai on 20.08.2019 as per the agreement (refer Schedule 7(B) Item 2(a)(i). However, later on, it was decided to discontinue the said project with IIT Mumbai and a notice of 90 days for termination of agreement was sent to IIT Mumbai on 28.02.2020 in terms of para 16 and para 24 of the agreement. An amount of Rs. 864.01 lakh was received back from IIT Bombay on 15.10.2020. The matter is being followed up with IIT Bombay and they have been requested to refund the balance amount.

Further, a legal notice in consultation with Legal Department is being considered for sending for the IIT-Bombay through the Competent Authority

2.10 Capital Expenditure out of BIS Funds:

2.10.1 The capital expenditure out of BIS Funds (including adjustment of advances/ Capital WIP) during 2023-24 amounted to Rs. 3387.20 lakh as under (Refer Schedule 4):

(Amount in lakh)

Addition to Fixed Assets	2023-24
Building	1092.49
Furniture	579.89
Office Equipments	218.61
Computers & Softwares	523.86
Plant, Machinery & Equipment-Lab Equipment	959.17
Library Books	13.18
Total	3387.20

2.10.2 Capital Work-in-Progress: The Capital work-in-progress reflected under Fixed Assets Schedule (Schedule 4) includes various building projects and Air-Conditioning project at HQ. The project-wise amount of capital work-in-progress reflected in Schedule 4 is given in the following table:

(Amount in lakh)

Sl. No.	Project	Capital work in progress as on 31.03.2024
(i)	Modernization of HQ Building	573.41
(ii)	Construction of BIS NITS Building	461.04
(iii)	Construction of Raipur Office Building	554.85
(iv)	Computer software under development	320.40
(v)	Central AC Plant (through NBCC-discontinued) (please refer note 2.8)	84.39
(vi)	Modernization of Northern Region Laboratory	138.12
(vii)	Construction of new building at Lucknow	1.63
(viii)	Modernization of Eastern Regional Office Building	51.14
(ix)	Modernization of Southern Regional Office Building	905.10
(x)	Modernization of Western Regional Office Building	715.85
(xi)	Modernization of Central Laboratory	295.13
	Total	4101.06

The expenditure incurred on above projects could not be capitalized as on 31.03.2024 in the absence of completion certificate and category-wise & item-wise from the executing agencies. Therefore, depreciation on these works could not be provided.

2.11 Surplus in General Provident Fund Accounts: There was a surplus (i.e. excess of income over expenditure) of **Rs. 59,58,134** in BIS Employees General Provident Fund Accounts during 2023-24. This surplus is due to higher yield earned by BIS on investments of GPF as compared to the interest credited to subscribers Accounts. This has been treated as income of the Bureau as per the Accounting Policy [Schedule 13 Item (g)].

2.12 Income-Tax Exemption:

2.12.1 Central Board of Direct Taxes (CBDT), Department of Revenue, Ministry of Finance, Govt. of India, vide its Notification No. 88/2014 dated 23.12.2014 and 111/2016 dated 01.12.2016 had notified BIS under Section 10 (46) of Income-tax Act, 1961 for the Assessment Years 2012-13 to 2016-17 and 2017-18 to 2021-22 respectively.

The CBDT vide notification No. 142/2021 dated 31.12.2021 has further notified BIS under this section for the Assessment Years 2022-23 to 2026-27. As a result of this notification of CBDT, the income of BIS is not taxable till Assessment Year 2026-27. BIS has also applied for permanent Income tax Exemption to CBDT.

2.12.2 Prior to Assessment Year 2012-13, Income-tax Exemption was granted to BIS under section 10(23)(c)(iv) which was withdrawn by DG: IT(E) vide order dated 24.02.2012 from Assessment Year 2009-10 and onwards. This was restored by DG:IT(E) vide order dated 04.12.2012 in compliance with the order of Hon'ble High Court of Delhi. Therefore, the tax exemption of BIS under section 10(23)(c)(iv) of Income Tax Act is also available for Assessment Years 2009-10 to 2011-12.

The DG IT(E) had filed SLP in Hon'ble Supreme Court under Article 136 of the Constitution of India against allowing the Writ Petition of BIS by the Hon'ble High Court of Delhi. The SLP filed by DG: IT(E) has been converted into Civil Appeal which is pending in the Hon'ble Supreme Court. The counter affidavit was filed in Hon'ble Supreme Court in January 2021.

- 2.13 BIS as Central Nodal Agency (CNA) :** The Department of Consumer Affairs has designated BIS as CNA for nine Central Sector Schemes of DoCA for which necessary action is taken from time to time viz., approval/ mapping of digital accounts of sub-agencies, setting of limits, settlement of accounts etc., under the Central Sector Schemes. As per the instructions of DoCA, the Bank Accounts of the said schemes have been opened in the name of BIS with Kotak Mahindra Bank. The balances available under these Accounts as on 31.03.2024 is not taken into account as the same does not pertain to BIS.
- 2.14** The Annual Accounts have been prepared in the Uniform Formats of Accounts prescribed by the Ministry of Finance.
- 2.15** Figures in Final Accounts have been rounded off to the nearest rupee.



BUREAU OF INDIAN STANDARDS
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31 MARCH 2024
DETAILS OF INVESTMENT AS ON 31ST MARCH 2024

SCHEDULE 18: INVESTMENT

(Amount in Lakh)							
Sl. No.	Name of Institution	Investment at cost	Indicative Market Value of investment*	Unquoted original	quoted original	Total	MV of Quoted
1	INVESTMENT OF BIS FUNDS (PENSION & GRATUITY LIABILITY FUND)						
1.1	Investment with PSUs & Financial Institutions in Bonds & Deposits						
1.1.1	U.P. Co-operative Spinning Mills Federation Ltd.(UPCSMFL) Bonds (see note 2.4.3 of Schedule 17)		200.00	200.00	200	0.00	
1.1.2	Power Finance Corporation Ltd.	1500.00	1454.91		1500.00		1454.91
	TOTAL (1.1)	1700.00	1654.91	200	1500.00	1700.00	1454.91
1.2	Government of India Securities - Quoted						
	Face Value	202235.08					
	Premium (Net of amortization)	5385.41	203159.00				
	TOTAL (1.2)	207620.49	203159.00	0	207620.49		203159.00

Sl. No.	Name of Institution		Investment at cost	Indicative Market Value of investment*	Unquoted original	quoted original	Total	MV of Quoted
	TOTAL 1 (Refer Schedule 17 Item 2.4.2)	-	209320.49	204813.91	200	209120.49	209320.49	204613.91
2	INVESTMENT OF CAPITAL/CORPUS FUND							
2.1	Investment with Banks in Fixed Deposits							
2.1.1	Canara Bank		15838.59	15838.59	15838.59			0
2.1.2	Bank of Baroda		8800.00	8800.00	8800.00			0
2.1.3	State Bank of India		6100.00	6100.00	6100.00			
2.1.4	Bank of India		3000.00	3000.00	3000.00			
2.1.5	Union Bank of India		2800.00	2800.00	2800.00			
	TOTAL (2.1)		36538.59	36538.59	36538.59	0.00	36538.59	0.00
2.2	Government of India Securities - Quoted						0.00	
	Face Value	294634.48					0.00	
	Premium (Net of amortization)	3688.15	298322.63	295652.10	0.00	298322.63		295652.10
	TOTAL (Refer Schedule 17 Item 2.4.1)	-	298322.63	295652.10	0.00	298322.63	298322.63	295652.10
	TOTAL (2)		334861.22	332190.69	36538.59	298322.63	334861.22	295652.10
	TOTAL (1+2)		544181.71	537004.60	36738.59	507443.12	544181.71	500266.01
	TOTAL INVESTMENT OF Rs.491108.35 LAKH OF BIS							

Sl. No.	Name of Institution	Investment at cost	Indicative Market Value of investment*	Unquoted original	quoted original	Total	MV of Quoted
	REPRESENTS FOLLOWING FUNDS:						
a)	Pension & Gratuity Liability Fund Account:	209320.49					
	Under Schedule 5 (Item 1)						
b)	Corpus/Capital Fund	334853.58					
	under Schedule 6 (Item 1)						
c)	National Pension Scheme Fund	7.64					
	Under Schedule 5, (Item 2)						
	Total Investments of Funds	544181.71					
3	INVESTMENT OF EMPLOYEES FUND						
3.1	General Provident Fund {see Schedule 5, Item 3}						
3.1.1	Government of India Securities - Quoted	2316.37	2138.29		2316.37		2138.29
3.1.2	State Government Securities - Quoted	3793.98	3760.23		3793.98		3760.23
3.1.3	Special Deposits with RBI	3127.09	3127.09	3127.09			
3.1.4	Debentures and Bonds of PSUs & Financial institutions - Quoted	3434.06	3820.60		3434.06		3820.60

Sl. No.	Name of Institution	Investment at cost	Indicative Market Value of investment*	Unquoted original	quoted original	Total	MV of Quoted
3.1.5	Equities and related investment-Mutual Funds - Quoted	505.99	949.64		505.99		949.64
3.1.6	Fixed Deposits with Banks	344.00	344.00	344.00			
	TOTAL(3)	13521.49	14139.85	3471.09	10050.40	13521.49	10668.76
4	Benevolent Fund	40	40	40			
	TOTAL(4)	40	40	40		40	
	GRAND TOTAL(1+2+3)	557743.20	551184.45	40249.68	517493.52	557743.20	510934.77
NOTE* :Market Value of investments have been made available by BIS Fund Manager M/ s. IDBI Capital Markets & Securities Ltd., Mumbai . The securities have been valued at market price where market quotes were available or at face value/ purchase price if the market quotes are not available. The market quotes were not available in respect of UPCSMFLL Bonds. The Fixed Deposits with Banks have been shown at face values. The break-up is as follows:							
	The aggregate quoted investment	517493.52	Market value 510934.77)				
	The aggregate unquoted investment	40249.68					
	(including fixed deposits)						
	Total Investment	557743.20					

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT
A. RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT OF BUREAU OF INDIAN STANDARDS FOR THE YEAR 2023-24

RECEIPTS			PAYMENTS		
PARTICULARS	Current Year	Previous Year	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balance			I. Establishment and Operational & Administrative Expenses	5,582,797,226	4,353,956,855
- Cash and Imprest	326,146	328,128			
- Bank	267,920,153	333,376,148	II. Payments made against Funds for various Projects		
			a) Scheme for setting up of Hall Marking Centres	7,192,379	9,227,296
II. Grants received from Govt. of India	-	-	b) Quality Infrastructure for Consumer Protection	-	-
III. Interest received on Investments	2,155,882,534	1,591,266,080	III. Investments and Deposits made (Net)	5,386,410,015	5,174,573,000
IV. Income under Earmarked/Plan Funds	1,399,147,300	1,405,324,675	IV. Expenditure on Fixed Assets	337,755,963	630,012,952
V. Interest received- Saving Bank Accounts	5,799,548	6,408,184	V. Other Payments		
			a) Current Assets, Current Liabilities and Inter Accounts	7,643,502,174	6,334,215,128
VI. Income from Services, Sales and Misc			b) Pension/Gratuity Liability Fund	1,328,544,789	1,227,626,758
a) Certification Income	9,078,690,553	8,281,241,039	c) Benevolent Fund	2,490,149	505,493
b) Sale of Standards	72,898,256	122,499,814			
c) Others	87,847,563	93,517,417	VI Closing Balance		
			- Cash and Imprest	199,698	326,146

RECEIPTS			PAYMENTS		
PARTICULARS	Current Year	Previous Year	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
IX. Other Receipts			- Bank	331,938,641	267,920,153
a) Current Assets, Current Liabilities and Inter Accounts	6,163,051,372	4,966,628,089			
b) Pension & Gratuity Liability Fund	1,383,935,601	1,196,732,006			
c) Benevolent Fund	5,332,008	1,042,200			
TOTAL	20,620,831,034	17,998,363,781	TOTAL	20,620,831,034	17,998,363,781
B. RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT OF GENERAL PROVIDENT FUND FOR THE YEAR 2022-23					
	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
I. Opening Bank Balance	6,684,737	6,731,546	I. Withdrawals & Final Payments	314,390,131	329,797,976
II. Interest Received on Investments	122,804,934	157,119,555	II. Advances to employees	2,107,000	4,359,000
III. Employees' Subscriptions	162,720,794	141,847,200	III. Death Linked Insurance	120,000	60,000
IV. Refund of advances	2,907,814	2,438,951	IV. Investments and Deposits made(net)	137,896,405	121,351,166
V. Other Receipts - Current Assets	170,568,396	165,612,100	V. Other Payments		
			a) Current Liabilities	5,993,416	11,852,449
VI. Interest received- Saving Bank Accounts	258,886	357,826	b) Bank Charges	1,867	1,850
			VI. Closing Bank Balance	5,436,742	6,684,737
TOTAL	465,945,561	474,107,178	TOTAL	465,945,561	474,107,178



Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Bureau of Indian Standards for the year ended 31 March 2024

1. We have audited the attached Balance Sheet of Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi as at 31 March 2024, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 24(2) of the Bureau of Indian Standards Act 2016. These financial statements include the accounts of twenty seven Branch Offices, four Regional Offices, Central Laboratory at Sahibabad and the National Institute for Training on Standardization (NITS) at Noida. These financial statements are the responsibility of the BIS's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. The Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
 - (i) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure/Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the Uniform Format of Accounts as prescribed by the Ministry of Finance. However, Uniformity in the numbering of schedules was not maintained as per the prescribed uniform format of accounts of Ministry of Finance directions.
 - (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained, under section 24(1) of The Bureau of Indian Standards Act 2016, in so far as it appears from our examination of such books.
 - (iv) We further report that:

A. Significant Accounting Policies (Schedule 16)

As per Schedule 16 - Significant Accounting Policies, accounts are prepared on accrual method of accounting but Pay & Allowances and leave encashment are being maintained on cash basis. Thus, Accounting Policy to the extent of maintenance of accounts of Pay & Allowances and leave encashment on cash basis is not in conformity with the Uniform format of accounts. The accounting policy on pay and allowances should be amended to accrual method and policy on leave encashment should be amended to actuarial valuation.

The comment was printed in the last year SAR and management had not taken necessary action.

B General

The Audit of BIS is being conducted by CAG of India for which provision of audit fee should be made in accounts. However, no provision was made for audit fees in the Annual Accounts 2023-24.

C Grants-in-aid

During 2023-24, BIS received Rs.95.00 lakh grant in aid from the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. It had brought forward balance Rs.3.32 lakh of the previous year. Out of total available amount of Rs.98.32 lakh, Expenditure and refunds of Rs.95.00 lakh was incurred/made during the year leaving a balance of Rs.3.32 lakh at the end of the year i.e. on 31 March 2024.

D Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for the remedial /corrective action.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report agree with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
 - a. In so far as they relate to the Balance Sheet of the state of affairs of the Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi as at 31 March 2024; and
 - b. In so far as they relate to the Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

**For and on the behalf of
the Comptroller & Auditor General of India**

**Place: New Delhi
Date: 03.10.2024**

**(Sandeep Lall)
Director General of Audit
Central Expenditure (Agriculture, Food & Water Resources)**



Annexure

1. Adequacy of internal audit system

Internal audit has been conducted by Chartered Accountant Firm up to March 2024.

2. Adequacy of Internal Control System

- i. There is no separate Internal Audit Wing in BIS.
- ii. Consolidated Fixed Assets register was not maintained as per GFR.
- iii. Cheques appearing in the Bank Reconciliation Statements which are outstanding for a period of more than three months are pending to be cleared.
- iv. The unlinked bank balances are pending to be reconciled.
- v. 10 disciplinary cases were pending in BIS as on 31st March 2024.

In view of the above, the internal control system of BIS needs to be strengthened.

3. System of physical verification of assets

The physical verification of fixed assets like Furniture and Fixture, Computer and Accessories of BIS Headquarters, New Delhi has been conducted up to March 2024 and no material deficiency reported.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of Stationery and Consumables, Books and Publication has been conducted up to March 2024.

5. Regularity in payment of dues

No Payment over six months in respect of statutory dues were outstanding as on 31.03.2024.



भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110 002

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110 002

www.bis.org.in

 Indian Standards  @IndianStandards

 bureau-of-indian-standards-official  Indian Standards

 BureauofIndian Standards Official  UCY14t6PrQBFge-8X_4MdoiQ